प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं।

3. तीसरे अध्याय में विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है जबकि चौथे अध्याय में लोक निर्माण, सिंचाई, स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप में चल रहे वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के साथ ही लेन देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है। पाँचवे अध्याय में राज्य में चयनित विभागों में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर अभ्युक्तियों का वर्णन किया गया है।

4. सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी ही अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किये गये हैं।

5. .प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2002-03 के दौरान लेखाओं की नमूना जाँच के समय जानकारी में आये, साथ ही वे प्रकरण भी हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे किन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी, 2002-03 के पश्चात की अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2002-03 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखाओं पर की गई टिप्पणियाँयुक्त दो अध्याय सम्मिलित किये गये हैं तथा अन्य तीन अध्यायों में राज्य सरकार की कतिपय चयनित योजनाओं, कार्यक्रमों और वित्तीय लेन देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित समीक्षायें एवं कंडिकायें समाविष्ट की गई हैं।

1. राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 1998-99 में 11346 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 13391 करोड़ रुपये हो गईं। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000(2000 का क्रमांक 28) के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन(नवम्बर 2000) के पूर्व वृद्धिदर जो 1999-2000 में 16.38 प्रतिशत थी, वर्ष 2002-03 के दौरान 19.45 प्रतिशत तक बढ़ी।

राजस्व व्यय 1998-99 में 14218 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 14560 करोड़ रुपये हो गया। वृद्धिदर जो 1999-2000 में 13.49 प्रतिशत थी, वर्ष 2002-03 के दौरान घटकर 1.33 प्रतिशत तक रह गई। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (14560 करोड़ रुपये) राजस्व प्राप्तियों (13391 करोड़ रुपये) से अधिक हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1169 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व घाटा 1998-99 में 2872 करोड़ रुपये की तुलना में कम होकर 2002-03 में 1169 करोड़ रुपये रहा, कमी 59 प्रतिशत तक की हुई।

राजकोषीय घाटा 1998-99 में 4127 करोड़ रुपये से घटकर 2 प्रतिशत तक की कमी के साथ 2002-03 में 4062 करोड़ रुपये रहा।

2002-03 में राजस्व प्राप्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत से 16.13 प्रतिशत के सर्वथा उच्च स्तर तक बढ़ी जबकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की तुलना में राजस्व व्यय में 1998-99 में 15.67 प्रतिशत से 2001-02 में 17.68 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई किन्तु 2002-03 में राजस्व व्यय घटकर 17.54 प्रतिशत रहा।

वर्ष के दौरान वेतनों (5258 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (2502 करोड़ रुपये) और पेंशन (1083 करोड़ रुपये) पर ही राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 66 प्रतिशत व्यय हुआ।

कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का अंश 1998-99 में हुए 37.30 प्रतिशत से कम होकर 2002-03 में 33.26 प्रतिशत रहा जबकि सामान्य सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के अंश में 1998-99 में 30.82 एवं 27.26 प्रतिशत की तुलना में 2002-03 में क्रमशः 31.33 एवं 30.34 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

विभिन्न सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में पूंजीगत निवेश पर प्रतिलाभ नगण्य रहा। 1702.39 करोड़ रुपये के निवेश (ऋण सहित) पर 2002-03 के अंत में सरकार को 4.09 करोड़ रुपये का लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ जो एक प्रतिशत (0.24 प्रतिशत) से भी कम था। 2002-03 तक 529 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 3 सांविधिक निगम तथा 15 सरकारी कम्पनियाँ हानियाँ उठा रहीं थीं और इन कम्पनियों द्वारा 2002-03 तक अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियाँ 3173 करोड़ रुपये राशि की थीं।

सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में से आयुक्त, नगरीय प्रशासन (61.62 करोड़ रुपये), आयुक्त पंचायत एवं समाज कल्याण (169.05 करोड़ रुपये) और विकास आयुक्त (23.28 करोड़ रुपये) ने 253.95 करोड़ रुपये आहरित किये तथा संबंधित संस्थाओं को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें सिविल जमाओं में जमा कर दिया।

(कंडिका 1.1 से 1.10)

2. आबंटनीय प्राथमिकतायें एवं विनियोग

2002-03 के दौरान 29358.03 करोड़ रुपये के संशोधित विनियोग की तुलना में वास्तविक व्यय 25661.84 करोड़ रुपये था, परिणामस्वरूप 3696.19 करोड़ रुपये की बचत हुई। वर्ष के दौरान 8 अनुदानों/विनियोगों में सरकार का व्यय बजट प्रावधान से 424.79 करोड़ रुपये तक अधिक हुआ। वर्ष 1990-91 से 2001-02 से संबंधित कुल 5144.25 करोड़ रुपये के ऐसे अधिक व्यय का नियमन नहीं कराया गया है (अक्टूबर 2003)। अधिक व्यय का संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन राज्य विधायिका से नियमन कराये जाने की आवश्यकता है।

वर्ष के दौरान 65 प्रकरणों में प्राप्त किया गया 745.19 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

32 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में उपलब्ध कराया गया एक करोड़ रुपये और उससे अधिक कुल 257.78 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 62 योजनाओं में, 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक और प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक कुल 1407.53 करोड़ रुपये की सारभूत बचतें परिलक्षित हुईं।

11 योजनाओं में, प्रत्येक प्रकरण में व्यय, प्रावधान से 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक और कुल प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक कुल 3225.09 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

अनुदानों/विनियोगों के 151 प्रकरणों में हुई 2329.13 करोड़ रुपये की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गईं और उन्हें व्यपगत हो जाने दिया गया। इसमें 41 प्रकरणों जिनमें प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये से अधिक बचत हुई, से संबंधित 2242.52 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं, अभ्यर्पित नहीं किये गये।

116 प्रकरणों में वर्ष के दौरान 1821.94 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किये गये थे। इनमें से 1806.00 करोड़ रुपये (99.1 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये।

14 प्रकरणों में अभ्यर्पित की गई 298.48 करोड़ रुपये की राशि, 268.40 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचतों से अधिक थी, परिणामस्वरूप 30.08 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ जो अक्षम बजट नियंत्रण दर्शाता है।

10 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 3073.50 करोड़ रुपये का अंतर्निहित व्यय जो वर्ष के दौरान कुल व्यय का 12 प्रतिशत था, का आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने इन व्यय आंकड़ों का कोई मिलान नहीं किया।

2002-03 के दौरान आहरित किये गये 390.64 करोड़ रुपये मुख्यशीर्ष 8443-सिविल जमा,800- अन्य जमाओं में अंतरित किये जाने के उपरान्त विभिन्न शीर्षों (योजनाओं) के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में दर्शाये गये। इसीप्रकार शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से संबंधित 448.94 करोड़ रुपये के आहरण मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 106- वैयक्तिक जमाओं के शेष में जोड़ दिये गये।

2 प्रकरणों में हुआ 312.00 का व्यय बजट प्रावधान के बिना किया गया।

स्थानीय निकायों/संस्थाओं को सहायतानुदान हेतु 103.55 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा 82.42 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व भाग की अपेक्षा पूंजीगत लेखाशीर्ष के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से वर्गीकृत एवं लेखांकित किया गया।

(कंडिका 2.1 से 2.7)

3 कृषि संचालनालय की कार्यप्रणाली

भारत सरकार ने राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वयन के माध्यम से दलहन, तिलहन एवं अनाज सहित खाद्यान्नों का उत्पादन दस वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। 13 योजनाओं को मिलाकर वृहद प्रबंधन योजना भी जनवरी 2001 में आरंभ की गई। योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप मध्यावधि उपलब्धियों की समीक्षा की लेखापरीक्षा के एक दृष्टांत मे प्रकट हुआ कि 2000-03 के दौरान वास्तविक उत्पादन में सारभूत रूप में कमी हुई। जिला अधिकारियों द्वारा क्षेत्र प्रदर्शनों का परिवीक्षण, बीज मिनीकिटों का वितरण लक्ष्यों से बहुत ही कम था तथा वैज्ञानिकों द्वारा पर्यवेक्षण का नितान्त अभाव रहा। कृषकों को पुराने किस्म के बीज वितरित किये गये। भू-सर्वेक्षण, मिट्टी परीक्षण, प्रशिक्षण आदि संबंधी विशेषकर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में मुख्यतः सहायक राज्य योजनाओं का निष्पादन उपलब्ध क्षमता से अपेक्षाकृत बहुत कम था। कृषकों को अवमानक बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराये गये जिसके कारण उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

वित्त वर्ष के नितान्त अंत में 71.89 करोड़ रुपये के अभ्यर्पण के बाबजूद 2000-03 अवधि में हीन बजट प्रक्रिया के कारण 124.70 करोड़ रुपये बिना उपयोग किये पड़े रहे।

3.62 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि अनियमित रूप से राज्य राजस्व को व्यपगत होने दी गई।

33.01 करोड़ रुपये तक की बढ़ी हुई सहायता राशि के लाभ से कृषकों को वंचित रखा गया।

7536 बीज मिनीकिटों का वितरण बोनी अवधि समाप्ति के उपरान्त किया गया।

जलग्रहण विकास कार्यों के अंतर्गत अन्य क्रियाकलापों की उपेक्षा कर संरचना निर्माण पर अधिक बल दिया गया।

(कंडिका 3.1)

4. औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम का क्रियान्वयन

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 औषधियों के निर्माण एवं विक्रय के साथ ही औषधियों की मिलावट एवं नकली तथा अवमानक औषधियों की समस्या को नियंत्रित करने हेतु तैयार किया गया था। अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण करने, अवमानक, नकली एवं मिलावटी. औषधियों का उत्पादन/विक्रय एवं वितरण रोकने हेतु प्रभावकारी उपायों का लगभग नितान्त अभाव था। राज्य में औषधि प्रशासन का समग्र सुधार करने और अनुज्ञप्तियों की समय सीमा बढ़ाने, संग्रहीत नमूनों के अनिवार्य रूप से परीक्षण करने तथा नकली, अवैध एवं मिलावटी औषधियों को जब्त करने की आवश्यकता थी। नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिये गये है:-

1232 निर्माण इकाईयों में से 165 इकाईयाँ 2002-03 के अंत में अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण किये बिना कार्य कर रही थीं।

पूर्व में जारी की गई अनुज्ञप्तियों का निरस्तीकरण अनुज्ञप्ति की वैधता के दिनांक से 3 से 5 वर्ष की अवधि के उपरान्त किया जा रहा था।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्य अत्यल्प कर्मचारी अमले से चलाया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप निर्माण एवं विक्रय परिसरों के निरीक्षण में 1998-2003 अवधि के दौरान कमी क्रमशः 40 से 66 प्रतिशत एवं 24 से 78 प्रतिशत के मध्य रही। औषधियों के नमूना संग्रहण में भी 23 से 39 प्रतिशत तक की कमी परिलक्षित हुई।

आयुर्वेदिक एंव यूनानी औषधियों के नमूनों के संग्रहण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। मंहगी सामग्री युक्त आयुर्वेदिक औषधियों के नमूनों का संग्रहण बिल्कुल हीं नहीं किया गया तथा जिला कार्यालयों में भण्डारण सुविधा के अभाव में रक्तोत्पाद, टीकों एवं रक्तोत्पादों के नमूने संग्रहीत नहीं किये जा रहे थे।

परीक्षण प्रतिवेदनों के जारी करने में असामान्य विलम्ब दृष्टिगत हुआ, 72 प्रतिशत प्रकरणों में परीक्षण प्रतिवेदन 45 दिनों के उपरान्त जारी किये गये। इनमें से 40 प्रतिशत प्रतिवेदन 200 दिनों से एक वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त जारी किये गये।

97 रक्त बैंकों तथा रक्तोत्पाद निर्माताओं के यहाँ से 1998-2003 अवधि में रक्त अथवा रक्तोत्पाद का एक भी नमूना परीक्षण हेतु संग्रहीत नहीं किया गया।

भोपाल स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में आधुनिकीकरण का अभाव था और इसमें सूक्ष्म जैविकीय परीक्षणों हेतु अपेक्षित महत्वपूर्ण औषधि परीक्षण की सीमित क्षमता ही थी।

1998-03 अवधि के दौरान निर्णीत न्यायालयीन प्रकरणों में 58 में से 45 अभियुक्त निर्माताओं/विक्रेताओं को दोषमुक्त कर दिया गया।

(कंडिका 3.2)

5. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में 1987 में आरम्भ किया गया राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अब तीन चरणों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। एच.आई.वी.संक्रमण के प्रसार को कम करने और दीर्घकालीन अवधि के आधार पर एच.आई.वी./एड्स के विरुद्ध देश की क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिये तृतीय चरण (1999-2004) में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-II 1999 में आरम्भ किया गया। दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण 1998-2003 के दौरान 19.18 करोड़ रुपये व्यय करने के उपरान्त भी कार्यक्रम बहुत अधिक आघात नहीं पहुँचा पाया।

सरकार के नियंत्रण में सबसे प्रमुख मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति 1998-2003 के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यान्वयन के लिये अपने पास उपलब्ध राशि का मात्र 36 से 64 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी।

विभिन्न 90 क्रियान्वयन अभिकरणों के पास मार्च 2003 को 4.10 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रह गये थे।

वर्ष 1998 से जून 2003 अवधि के दौरान 234 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए राज्य में एड्स के रोगियों की संख्या में 303 से 1011 तक की वृद्धि हुई।

उच्च जोखिम समूह के अंग के रूप में व्यक्तियों के स्थान निर्धारण एवं संख्या अभिज्ञापित करने के लिये विस्तृत योजना के माध्यम से सर्वेक्षण भी अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है।

उच्च जोखिम वाले समूहों के लिये लक्ष्यबद्ध हस्तक्षेप से संबंधित परियोजना के क्रियान्वयन में अशासकीय संगठनों की भागीदारी नगण्य थी।

(कंडिका 3.3)

6. अग्नि निवारण एवं नियंत्रण

राज्य में अग्निशमन सेवायें नगर पालिकाओं तथा गृह (पुलिस) विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं।

राज्य में अग्नि निवारण तथा सुरक्षा उपायों के अंगीकरण के विनियमन से संबंधित अग्निशमन बल विधेयक प्रवर्तित नहीं किया गया। राज्य में 336 नगरीय स्थानीय निकायों तथा 11 औद्योगिक क्षेत्रों में से अग्निशमन सेवा केवल 102 नगरीय स्थानीय निकायों एवं 4 औद्योगिक नगरों में ही उपलब्ध है। जोखिम खतरों का विश्लेषण नहीं किया गया तथा अग्नि की दुर्घटनाओं से निपटने के लिये अधिकतम प्रतिक्रिया समय भी निर्धारित नहीं किया गया।

नमूना जाँच किये गये 26 स्थानीय निकायों में 164 अग्निशमन केन्द्रों तथा 210 अग्निशामक वाहनों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 31 केन्द्र तथा 122 अग्निशमन वाहन उपलब्ध थे। पांच स्थानों पर अग्निशमन केन्द्र भवन उपलब्ध नहीं थे, जबकि सात अग्निशमन केन्द्रों के परिसरों में पानी के संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे।

अग्निशमन वाहनों की बॉडी के निर्माण हेतु 77.98 लाख रुपये की राशि व्यपवर्तित किये जाने के कारण अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किया गया।

भवनों के न सौंपो जाने/आरंभ न किये जाने के परिणामस्वरूप अग्निशमन केन्द्रों का स्थापन न होने के साथ ही मध्यप्रदेश पुलिस आवास निगम को अनुचित वित्तीय सहायता तथा इंदौर को 14 वाहनों का विचलन होना प्रकट हुआ।

(कंडिका 3.4)

7. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

चल रही परियोजनाओं, जो निर्माण के अग्रिम चरण में थीं, से सिचांई क्षमता विकसित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक योजना " त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" आरम्भ की (1996-97)। परियोजना आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष के अंदर 4.84 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिये 3565.74 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर ग्यारह परियोजनाओं का चयन किया गया (1996-2001)। सात वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने एवं 1764.79 करोड़ रुपये (प्राक्कलित लागत का आधा) के व्यय के उपरान्त भी मार्च 2003 तक मात्र 39,888 हैक्टेयर (परियोजित क्षमता का 8 प्रतिशत) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

ही सृजित की गई। यह निराशाजनक प्रदर्शन मुख्यतः परियोजनाओं के त्रुटिपूर्ण चयन, अपर्याप्त आयोजना और निधियों के अनुचित उपयोग तथा पर्यवेक्षण में कमी के कारण था।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की चयन प्रक्रिया निर्धारित मानदण्डों के विपरीत थी। इसके फलस्वरूप 2 वर्षों की नियत पूर्णता अवधि के विरुद्ध सात वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी 11 में से 9 परियोजनायें अपूर्ण रहीं।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुरूपी (मैचिंग) अंश में 222.21 करोड़ रुपये तक की कमी के परिणामस्वरूप परियोजनायें वर्ष के दौरान स्वीकृत हुई केन्द्रीय ऋण सहायता हेतु अयोग्य हो गईं।

1996-03 अवधि के दौरान " त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम " के कार्यक्षेत्र के बाहर मिट्टी/मेसनरी कार्य को प्रभारित करते हुए, कार्यभारित एवं दैनिक वेतनभोगी अमले पर 125.06 करोड़ रुपये का व्यय करने के साथ ही वाहनों की खरीदी एवं अन्य अस्वीकार्य मदों पर 3.41 करोड़ रुपये का व्यपवर्तन किया गया।

बाणसागर परियोजना में, उत्तरप्रदेश एवं बिहार राज्यों के अंश को सम्मिलित करते हुए 317.82 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण व्यय पर आधारित 203.59 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता के विरुद्ध मध्यप्रदेश सरकार ने 1996-2002 के दौरान मात्र 174.69 करोड़ रुपये का व्यय किया। 75.48 करोड़ रुपये के अपने अंश के साथ-साथ शेष राशि 28.90 करोड़ रुपये का अन्य उद्देश्यों के लिये व्यपवर्तन किया गया। 1996-01 के दौरान बाणसागर परियोजना की नहर प्रणाली पर किया गया 49.19 करोड़ रुपये का व्यय भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के परे था।

दायीं तट नहर और बरूआ एक्वाडक्ट जिसके लिये एजेंसी का निर्धारण नहीं हुआ था (अगस्त 2002) के आगे समोहा पिकअप वियर पर मार्च 2003 तक किया गया 20.47 करोड़ रुपये का व्यय बरूआ एक्वाडक्ट के पूर्ण होने तक निष्फल सिद्ध हुआ।

मड़ीखेड़ा पर वन-कटाई अनुज्ञा के बिना मिट्टी एवं मेसनरी बांध का कार्य अविवेकपूर्ण एवं अनियमित ढंग से सौंपे जाने से 7 वर्ष की समयवृद्धि हुई एवं 57.82 करोड़ रुपये की परिहार्य लागत आई।

सरकार के हितों की रक्षा के लिये ठेके की शर्तों के अनुरूप बरगी डायवर्सन परियोजना के अंतर्गत ठेकेदार के देयकों से 5.18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सुरक्षा निधि की कटौती नहीं की गई।

बरगी डायवर्सन परियोजना - " फास्ट ट्रैक" के कार्यक्रम क्रियान्वयन में विफलता के कारण केन्द्रीय ऋण सहायता के 50.34 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया जा सका। राशि को अन्य उद्देश्यों के लिये व्यपवर्तित किया गया जिससे 5.79 करोड़ रुपये के ब्याज का अतिरिक्त दायित्व सृजित हुआ

(कंडिका 3.5)

8. लेनेदेनों की लेखापरीक्षा से संबंधित अन्य तथ्य

दुर्विनियोग/हानियाँ

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों हेतु उत्पादन के लिये परिक्रामी निधि की स्थापना करने तथा आश्वासित गुणवत्तायुक्त बीजों की आपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम को प्रदान किये गये 1.35 करोड़ रुपये का उसने अन्य उद्देश्यों में दुरुपयोग किया।

(कंडिका 4.1.1)

20 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य की परिसम्पत्तियों वाली इंदौर की एक प्रायवेट मिल से 27.79 करोड़ रुपये की कुल राशि में से नवम्बर 2003 तक 15.26 करोड़ रुपये वसूली हेतु अधिदेय थे।

(कंडिका 4.1.2)

निष्फल/निरर्थक व्यय एवं अधिक भुगतान

" बरगी दायीं तट नहर" निर्माण कार्य में कड़ी चट्टान को " नियंत्रित विस्फोट" से खुदाई का भुगतान " बिना विस्फोट के खुदाई " हेतु लागू उच्चतर दर से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 29.80 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.2.1)

" बरगी दायीं तट नहर " निर्माणकार्य में संहितीकरण (कम्पेक्शन) के जाँच परिणामों की विभाग द्वारा उपेक्षा की गई तथा नहर तटबंध के मिट्टी कार्य में से निर्धारित प्रतिशत से संकुचन-छूट (शिंकेज

अलाउन्स) की कटौती नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 1.29 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.2.2)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग सागर में 44107 घनमीटर " रेडबोल्ड" जो सही ढंग से वर्गीकृत तथा माध्यस्थम (आर्बीट्रेशन) में सही रूप से नरम चट्टान के रूप में अधिनिर्णीत था, बाद में पश्चातवर्ती कार्यपालन यंत्री द्वारा कड़ी चट्टान के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 37.05 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.2.3)

लोक निर्माण विभाग (भवन/पथ) संभाग, नरसिंहपुर में अनुबंध से विलोपित की गई मूल्य वृद्धि की शर्त मुख्य अभियंता द्वारा अनधिकृत रूप से पुनर्स्थापित की गई, जिसके परिणामस्वरूप 27.15 लाख रुपये का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.2.5)

रीवा में 800 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण कार्य में प्रतिस्थापित कार्यों हेतु स्वीकृत की गई अतिरिक्त मद दरें अत्यधिक ऊँची थीं, परिणामस्वरूप ठेकेदार को 1.04 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.2.7)

510 डिजिटल जल-स्तर मापकों एवं डाटा पुनर्प्राप्ति सिस्टम, जो एक विदेशी फर्म से प्राप्त किये गये थे, में से 73 दोषपूर्ण पाये गये, 62 कार्योपयोगी नहीं थे और 29 भंडार में पड़े हुये थे, जिसके परिणामस्वरूप 58.06 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.2.8)

संविदागत दायित्व का उल्लंघन/ठेकेदार पर अनुचित अनुग्रह

एक ठेकेदार जिसे " राऊ में क्षय रोग सेनेटोरियम के निर्माण " हेतु लगाया गया था, को एक अलग कार्यस्थल पर " मनोरमा राजे अस्पताल इंदौर में चेस्ट सेंटर निर्माण" का एक पूर्णतः भिन्न कार्य अनधिकृत रूप से, निविदायें आमंत्रित किये बिना सौंप दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.08 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय हुआ।

(कंडिका 4.3.1)

रीवा में 800 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण कार्य पर 47.87 लाख रुपये की एकमुश्त लागत पर लगाये गये एक पर्यवेक्षण सलाहकार को जून 2001 तक 1.28 करोड़ रुपये का अनधिकृत रूप से भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.3.2)

परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय

7.67 करोड़ रुपये के ऋण का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप 3.79 करोड़ रुपये के ब्याज की परिहार्य अतिरिक्त देयता हुई।

(कंडिका 4.4.1)

निर्धारित मानदण्डों तथा वास्तविकताओं का पालन किये बिना 2969 प्रकरणों में 8.09 करोड़ रुपये के विवेकाधीन अनुदान संस्वीकृत किये गये तथा निर्धारित धन संबंधी परिसीमा से 5.52 करोड़ रुपये अधिक संस्वीकृत किये गये।

(कंडिका 4.4.2)

राजधानी परियोजना निर्माण संभाग-III में, रेतघाट- लालघाटी उच्च स्तर पुल के निर्माण के लिये कम लागत मूल्य वाली स्वीकृत निविदा अमान्य करने और अत्यावश्यकता के आधार पर असामान्य रूप से उच्च लागत पर निर्माण कार्य पुनः सौंपे जाने में 34 माह के विलम्ब तथा 3.21 करोड़ रुपये की लागत-वृद्धि के कारण अभीष्ट उद्देश्य विफल हो गया। इसके अतिरिक्त 47.07 लाख रुपये की मूल्यवृद्धि का अनियमित भुगतान भी हुआ।

(कंडिका 4.4.3)

संविदा माँग के दोषपूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों पर 2.31 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.4.4)

अंजड़-ठीकरी एवं वुक्षी-सिंघाना सड़कों के चौड़ीकरण कार्य में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के विपरीत नवनिर्मित वाटरबाउण्ड-मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) सतह पर डामरयुक्त सामग्री से प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स कराने के परिणामस्वरूप 64.61 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 4.4.5)

फ्लोरोसिस नियंत्रण संभाग, अलीराजपुर में पाइप लाइन बिछाने का कार्य-सम्पादन कम शक्ति वाले मिश्रण के स्थान पर अधिक मंहगे सीमेन्ट मिश्रण के साथ कराने के परिणामस्वरूप 27.13 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 4.4.7)

समाचार पत्रों द्वारा वेजबोर्ड की अनुशंसाओं का यथावांछित क्रियान्वयन सुनिश्चित किये बिना विज्ञापनों के बिलों का भुगतान करने के परिणामस्वरूप 32 समाचार पत्रों को 1.53 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.4.8)

राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के किलोमीटर 48 से 67 के सड़क चौड़ीकरण कार्य में स्वीकृत प्राक्कलन में विनिर्दिष्ट मदों को, कार्य सौंपे जाने के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों से अनुरूपता न रखने वाली अन्य मदों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 37.26 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय एवं 7.89 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.4.9)

लोक निर्माण विभाग संभाग रायसेन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों का उल्लंघन करते हुये चार निर्माण कार्यों में टैककोट का कार्य बिटुमिनस इमल्शन के बजाय पैविंग बिटुमिन से निष्पादन के परिणामस्वरूप 26.48 लाख रुपये की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 4.4.10)

एक ठेकेदार की त्रुटि के कारण क्षतिग्रस्त हुए कार्य के पुनः निष्पादन के परिणामस्वरूप 76.38 लाख रुपये के परिहार्य व्यय के अतिरिक्त ठेकेदार से 15.65 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 4.4.11)

संजय सरोवर परियोजना में विशिष्टियों के विपरीत अधिक मंहगे पूर्व-ढलित सीमेन्ट कांक्रीट लाइनिंग कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप 1.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 4.4.12)

निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरोध

कुओं के निर्माण एवं पम्पसेटों के स्थापना की योजना अप्रैल 1999 में बंद हो जाने के उपरान्त भी 78.44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि बैंकों में बिना उपयोग के जमा रही।

(कंडिका 4.5.1)

लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं क्रियान्वित नहीं की गईं और मत्स्य महासंघ से वसूली योग्य रायल्टी में मार्च 2003 तक 5.30 करोड़ रुपये तक वृद्धि हो गई।

(कंडिका 4.5.2)

1963-94 अवधि के दौरान राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति के रूप में 28691 विद्यार्थियों को प्रदत्त 4.60 करोड़ रुपयों में से 3.21 करोड़ रुपये सितम्बर 2003 तक वसूल नहीं किये गये।

(कंडिका 4.5.3)

नियामक मुद्दे एवं अन्य विषय

भोपाल में " नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय भवन के निर्माण कार्य" में आकल्पन रूपरेखा (कन्सेप्ट प्लान) में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में 9.63 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। 7.24 करोड़ रुपये की लागत का कार्य बिना निविदायें आमंत्रित किये विद्यमान ठेकेदार को सौंपा गया एवं 5.57 करोड़ रुपये मूल्य की अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निष्पादन तथा भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त 42.08 लाख रुपये का अधिक भुगतान भी दृष्टिगत हुआ।

(कंडिका 4.6.1)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (परियोजना) संभाग, ग्वालियर में अधूरे छोड़े गये निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त लागत, मूल्य वृद्धि के अधिक भुगतान तथा मशीनरी एवं गतिशीलता अग्रिम संबंधी 6.33 करोड़ रुपये की ठेकेदार से वसूली नहीं की गई, साथ ही पुनः खुदाई पर 15.81 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.6.2)

ठेकेदार द्वारा बीच में छोड़े गये ग्यारह कार्य (जल संसाधन विभाग:5, नर्मदा घाटी विकास विभाग:5 तथा लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग):1 ''जोखिम एवं लागत'' कार्यों के रूप में अन्य ठेकेदारों से पुनः निष्पादित कराये गये। मूल दोषी ठेकेदारों से वसूली योग्य 10.61 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत अभी भी वसूल की जानी है।

(कंडिका 4.6.3 एंव 4.6.4)

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

सारांश

मध्यप्रदेश का तुलनात्मक दृष्टि से सुखद वित्तीय वर्ष रहा । राजस्व प्राप्तियों में 19.45 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि और राजस्व व्यय में वृद्धि को मात्र 1.33 प्रतिशत पर रोकने से राजस्व घाटा उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि 2001-02 का 3158 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा घटकर 2002-03 में 1169 करोड़ रुपये का रह गया। पूंजीगत व्यय में भी 2001-02 में 1471 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 2455 करोड़ रुपये का हो जाने से, 67 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिसके कारण राजकोषीय घाटे में 2001-02 में 3645 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 4062 करोड़ रुपये की सामान्य वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सार्थक वृद्धि, कर राजस्व में 31.76 प्रतिशत सहायतानुदान में 24.88 प्रतिशत एवं केन्द्रीय कर अन्तरण में 8.43 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। 2001-02 की तुलना में वर्ष के दौरान कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः विक्रय कर (545 करोड़ रुपये) राज्य आबकारी (185 करोड़ रुपये) तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क (533 करोड़ रुपये) इत्यादि में थी। विक्रय कर राज्य के स्वयं के कर राजस्व का मुख्य स्रोत है जो कर राजस्व का 47 प्रतिशत रहा। इसके बाद राज्य आबकारी (15 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीयन पर कर (9 प्रतिशत) इत्यादि रहे। कर भिन्न राजस्व के स्रोतों में प्रमुख अंशदाता अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग (36 प्रतिशत) तथा वानिकी एवं वन्यजीव (30 प्रतिशत) रहे। सरकार द्वारा गुणवत्तायुक्त सामग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्ति की लागत वसूली का वर्तमान स्तर माध्यमिक शिक्षा के लिये 0.27 प्रतिशत, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिये 0.62 प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा के लिये 1.11 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये 2.76 प्रतिशत, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता में 8.45 प्रतिशत तथा बड़ी एवं मध्यम सिंचाई में 11.68 प्रतिशत रहा।

राज्य का व्यय कुल मिलाकर 6.40 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2001-02 में 16444 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 17496 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय जो कि कुल व्यय का 83.22 प्रतिशत था 2002-03 में 1.33 प्रतिशत की दर से बढा। 2002-03 में राज्य विद्युत मण्डल को सहायता राशि में आई कमी के कारण विद्युत व्यय में 1057 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय ह्रास हुआ। प्रसंगवश, राज्य सरकार ने राज्य विद्युत मण्डल को 2002-03 में 979.77 करोड़ रुपये की सहायता/आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 2003-04 (दिसम्बर 2003 तक) में 3114.59 करोड़ रुपये कर दिया है।

वर्ष के दौरान वेतन (5258 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (2502 करोड़ रुपये) तथा पेंशन (1083 करोड़ रुपये) ने ही राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों के 66 प्रतिशत का उपभोग कर लिया। राज्य की कुल राजकोषीय देयताएं राज्य के पुनर्गठन के उपरान्त भी

1999-2000 में 25948 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 30340 करोड़ रुपये की हो गईं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के अनुपात के रूप में ये देयताएं 1998-1999 में 24.20 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 36.55 प्रतिशत हो गईं तथा ये राजस्व प्राप्तियों की 2.27 गुना थीं।

राज्य का अपने सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना सहायता में वृद्धि तथा अतिरिक्त आय उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उधारियाँ लेना असामान्य नहीं है। तथापि निवेश पर राज्य का कम प्रतिलाभ निहित आर्थिक सहायता का परिचायक है। निवेश हेतु ऊँची लागत की उधारियों का उपयोग एवं उस पर कम प्राप्ति भी समर्थन योग्य नहीं है। अतः राज्य को राजस्व घाटे को समाप्त करने एवं उचित स्तर तक राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु मध्यम अवधि का कार्यढ़ांचा तैयार करने का प्रयास करना चाहिये।

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में वित्तीय लेखे में समाविष्ट जानकारी के विश्लेषण के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का विवेचन किया गया है। विवेचन राज्य सरकार की प्राप्तियों व व्यय की प्रवृत्तियों और व्यय की तथा वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता पर आधारित है। इस अध्याय में प्रयुक्त कतिपय शब्दों की व्याख्या **परिशिष्ट-I** में की गई है।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 के क्रमांक 28) के अनुसार पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिले* " निश्चित दिवस" 1 नवम्बर 2000 को नये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हेतु हस्तांतरित किये गये थे। निश्चित दिवस के तत्काल पूर्व की संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विभाजन तथा अन्य वित्तीय समायोजन भी प्रत्येक प्रकरण में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये जा रहे हैं। इस संबंध में हुई वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट- II** में दर्शाई गई है।

* बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर, चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा।

मध्यप्रदेश सरकार के वित्तीय लेखे उन्नीस विवरण पत्रों में दिये गये हैं जो राज्य सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूंजी के साथ ही राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दर्शाते हैं। वित्तीय लेखे का खाका बाक्स-1 में दर्शाया गया है।

बॉक्स-1

वित्त लेखे का खाका

विवरण पत्र क्रमांक 1 में राज्य की समेकित निधि आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में राज्य सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, लोक ऋण, प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि के लेन देनों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 2 में 2002-03 के अंत में प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूंजीगत परिव्यय का सारांश विवरण समाविष्ट है।

विवरण पत्र क्रमांक 3 में सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियाँ, कार्यचालन व्यय तथा संधारण प्रभार, पूंजीगत परिव्यय, निवल लाभ अथवा हानि इत्यादि दर्शाए गये हैं।

विवरण पत्र क्रमांक 4 में राज्य की ऋण स्थिति का सारांश दिया गया है जिसमें आंतरिक ऋण से तथा भारत सरकार से उधारियाँ अन्य दायित्व एवं ऋण सेवा समाविष्ट हैं।

विवरण पत्र क्रमांक 5 में वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किये गये प्रतिभुगतान तथा बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश दिया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 6 में सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों आदि के प्रतिभुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का सारांश दिया गया।

विवरण पत्र क्रमांक 7 में रोकड़ शेष एवं ऐसे शेषों से किये गये निवेशों का सारांश दिया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 8 में 31 मार्च 2003 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 9 में वर्ष 2002-03 के लिये विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व एवं व्यय दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 10 में वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 11 में लघुशीर्षों के द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 12 में योजनेतर, राज्य आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत पृथक रूप में लघु शीर्षों द्वारा किये गये राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्ष वार पूंजीगत व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 13 में वर्ष 2002-03 के दौरान एवं अंत तक किया गया विस्तृत पूंजीगत व्यय दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 14 में राज्य सरकार का 2002-03 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों इत्यादि में निवेश का विवरण दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 15 में 2002-03 के अंत में पूंजीगत एवं अन्य व्यय तथा वे मुख्य स्रोत जिनसे उक्त व्यय हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई गई थीं, दर्शाये गये हैं।

विवरण पत्र क्रमांक 16 में ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित खाता शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ , संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा दिया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 17 में सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज सहित देयताओं का विस्तृत लेखा प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 18 में सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान किये गये प्रतिभुगतान की राशि, 31 मार्च 2003 को अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विस्तृत लेखा प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 19 में आरक्षित निधियों के प्रत्यायोजित अधिशेष के विवरण दिये गये हैं।

1.2 गतवर्ष के संदर्भ में वित्त व्यवस्था की प्रवृत्ति

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है-

(करोड़ रुपये में)

2001-02	क्रम सं.	मुख्य समूह	2002-03
11211	1.	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	13391
4679	2.	कर राजस्व	6165
1602	3.	कर भिन्न राजस्व	1635
4930	4.	अन्य प्राप्तियाँ	5591
1588	5.	ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियाँ	43
1588	6.	जिनमें से ऋणों की वसूली	43
12799	7.	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	13434
12128	8.	योजनेतर व्यय (9+11)	11062
11853	9.	राजस्व लेखे पर	11040
2254	10.	जिसमें से ब्याज भुगतान	2502
275	11.	पूंजीगत लेखे पर	22
270	12.	जिसमें से ऋण संवितरण किया गया	16
4311	13.	आयोजना व्यय (14+15)	6434
2516	14.	राजस्व लेखे पर	3520
1795	15.	पूंजीगत लेखे पर	2914
329	16.	जिसमे से ऋण संवितरित किये गये	465
5	17.	अन्तर्राज्यीय निपटारे	
16444	18.	कुल व्यय (8+13+17)	17496
3645	19.	राजकोषीय घाटा (18-7)	4062
3158	20.	राजस्व घाटा (9+14-1)	1169
1391	21.	प्रारंभिक घाटा (+) बचत (-) (19-10)	1560

1.3 वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

सारणी क्रमांक 1 में वर्ष 2002-03 हेतु मध्यप्रदेश राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया है जिसमें वर्ष के दौरान की गईं राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण तथा लोक लेखे प्राप्तियाँ एवं संवितरण समाविष्ट हैं जैसा कि वित्त लेखे एवं अन्य विस्तृत विवरण पत्रों के विवरण पत्र क्रमांक 1 से प्रकट होता है।

सारणी क्रमांक 1 : वर्ष 2002-03 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश (करोड़ रुपयों में)

2001-02	प्राप्तियाँ	2002-03	2001-02	संवितरण	2002-03		
				अनुभाग-कः राजस्व			
					योजनेतर	आयोजना	योग
11211.08	**I. राजस्व प्राप्तियाँ**	13390.40	14368.77	**I. राजस्व व्यय**	11039.50	3520.30	14559.80
4678.98	कर राजस्व	6164.55	5049.49	सामान्य सेवायें	5324.69	119.99	5444.68
1601.68	कर भिन्न राजस्व	1635.48	4582.89	सामाजिक सेवायें	3832.21	1452.05	5284.26
3439.30	संघ करों/शुल्कों का अंश	3728.73	4363.49	आर्थिक सेवायें	1476.44	1948.26	3424.70
1491.12	भारत सरकार से अनुमोदन	1861.64	372.90	सहायतानुदान/अंशदान	406.16	--	406.16
				अनुभाग-खः पूंजीगत			
-	**II विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**	-	1470.64	**II पूंजीगत परिव्यय**	6.43	2448.47	2454.90
1587.65	III. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	42.71	598.58	III संवितरित ऋण एवं अग्रिम	16.27	464.43	480.70
3281.00	IV सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिवकर्ष समाविष्ट नहीं हैं।	4949.30	521.67	IV सार्वजनिक ऋण का प्रतिभुगतान	1493.61	--	1493.61
15012.67	V लोक लेखा प्राप्तियाँ	20119.55	13569.50	V लोक लेखा संवितरण	19935.23 *	--	19935.23
--	VI अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन	--	5.56	VI अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन	--	--	--
--	VII आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	--	--	VII आकस्मिकता निधि से व्यय	0.05 #	--	0.05
(-) 226.65	**प्रारंभिक शेष**	331.03	331.03	**अंतशेष**	--	--	(-)91.30
30865.75	***योग***	***38832.99***	***30865.75***	***योग***	***32491.09***	***6433.20***	***38832.99***

* अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष समाविष्ट नहीं हैं।

\# आयोजना एवं योजनेतर का विभाजन उपलब्ध नहीं है।

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

वित्त लेखे पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से वर्ष 2002-03 के विवरण पत्रों की प्रमुख प्राप्तियों एवं व्यय के राजकोषीय समूहों की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं तथा जहाँ आवश्यक है वहाँ इन्हें समय श्रंखला द्वारा और आवधिक तुलना के परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है **(परिशिष्ट III से VI)** ।

इस उद्देश्य हेतु व्यवहृत मुख्य संदर्शक हैं- (1) परिमाण एवं स्त्रोतों से संसाधन (2) संसाधनों का उपयोग (3) परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं तथा (4) घाटे का प्रबंधन। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में संसाधन गतिशीलन प्रयास, ऋण सेवा तथा सुधारात्मक राजकोषीय उपायों के संचयी प्रभाव को भी समाविष्ट किया गया है। संस्थागत निकाय के रूप में राज्य सरकार का समग्र वित्तीय निष्पादन, राजकोषीय समूहों की संबंधित व्याख्या हेतु सामान्य रूप में स्वीकार किये गये अनुपात समूहों को लागू करते हुये प्रस्तुत किया गया है।

संसूचक मानदण्ड बॉक्स 1.2 में दर्शाये गये हैं

बॉक्स 1.2
संसूचक मानदण्ड

राजकोषीय समूह जैसे कर एवं करभिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ब्यूरो ने 1993-94 को आधार मानकर यथा प्रकाशित नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रंखला का उपयोग किया है।

कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व तथा राजस्व व्यय इत्यादि हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रदर्शित आधार के संदर्भ में घट बढ़ की सीमा के आगामी अनुमान के लिये भी उत्पादकता प्रक्षेपण प्रस्तुत किये गये हैं।

1998-2003 के दौरान अधिकांश श्रंखलाओं के लिये प्रवृत्ति वृद्धि दर्शाई गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में अनुपात भी दर्शाये गये हैं। प्रयुक्त कतिपय शब्दों की **परिशिष्ट-I** में व्याख्या की गई है।

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं। (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखे। बॉक्स 1.3 में उनको परिभाषित किया गया है।

बॉक्स 1.3
राज्य सरकार की निधियाँ एवं लोक लेखा

समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये समस्त राजस्व, कोषालय देयकों को जारी करके लिये गये समस्त कर्ज, आंतरिक एवं बाह्य कर्ज तथा सरकार द्वारा कर्जों के प्रतिभुगतान के रूप में प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत बनाई गई ' राज्य की समेकित निधि ' शीर्षान्तर्गत एक समेकित निधि के रूप में रहेगा।

आकस्मिकता निधि

संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित आकस्मिक व्यय निधि, तत्काल अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिये राज्यपाल के अधिकार में रखी गई अग्रदाय प्रकृति की निधि है जिसे राज्य विधायिका से अधिकृत किया जाना लंबित होता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से उतनी ही राशि आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित करने हेतु विधायिका से बाद में अनुमोदन कराया जाता है जिस पर आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर भरपाई की जाती है।

लोक लेखा

समेकित निधि से संबंधित सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अलावा सरकार के लेखाओं में अंकित कतिपय अन्य लेन देन होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधि, लघु बचत अन्य निक्षेप इत्यादि इसके कतिपय उदाहरण हैं। इस प्रकार से प्राप्त किया गया सार्वजनिक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा संबंधित संवितरण इसमें से किया जाता है।

1.5 मुख्य संदर्शकों से राज्य वित्त व्यवस्था

1.5.1 समूहों एवं स्त्रोतों से संसाधन

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघ करों एवं शुल्कों का राज्यांश तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायतानुदान समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियाँ कर्जों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ, आंतरिक स्त्रोतों से ऋण जैसे बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों इत्यादि से उधारियाँ तथा भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम व इसके साथ ही लोक लेखाओं से उपार्जन समाविष्ट हैं।

सारणी 2 दर्शाती है कि वर्ष 2002-03 के लिये राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 38503 करोड़ रुपये थीं। इनमें से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ केवल 13391 करोड़ रुपये की थीं जो कुल प्राप्तियों का 35 प्रतिशत थीं। शेष प्राप्तियाँ, उधारियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियों से हुईं।

सारणी 2 : मध्यप्रदेश के संसाधन

			(करोड़ रुपये में)
I राजस्व प्राप्तियाँ			*13391*
II पूंजीगत प्राप्तियाँ			*4992*
क	*विविध प्राप्तियाँ -*	--	
ख	*कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली*	*43*	
ग	*लोक ऋण प्राप्तियाँ*	*4949*	
III लोक लेखा प्राप्तियाँ			*20120*
क	*लघु बचतें भविष्य निधि आदि*	*1109*	
ख	*आरक्षित निधि*	*170*	
ग	*निक्षेप एवं अग्रिम*	*3791*	
घ	*उचंत एवं विविध*	*10754*	
ड़	*प्रेषण*	*4286*	
कुल प्राप्तियाँ			*38503*

1.5.2 राजस्व प्राप्तियाँ

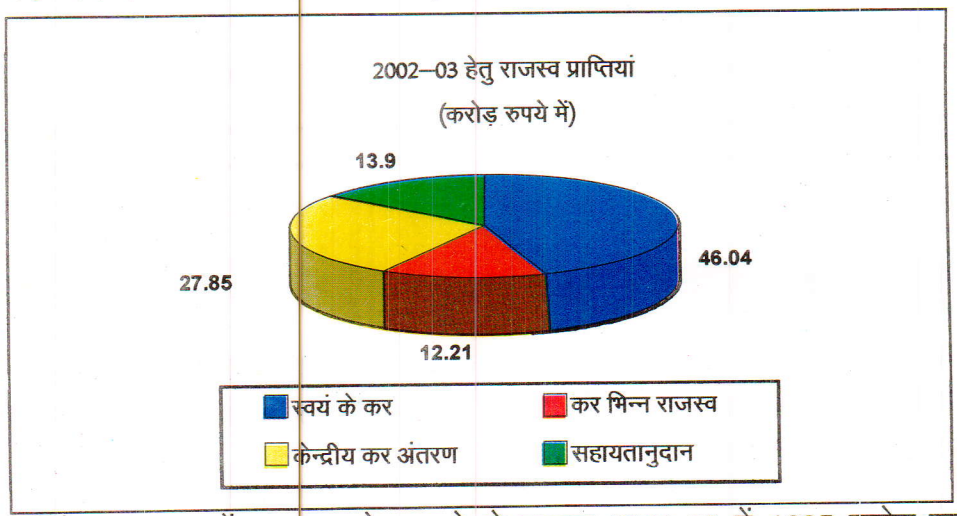
वित्त लेखे के विवरण पत्र-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण दिया गया है। सारणी 3 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ वार्षिक वृद्धि दर इन प्राप्तियों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात दर्शाया गया है।

सारणी 3 : राजस्व प्राप्तियाँ- आधारभूत मानदण्ड (मूल्य करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
राजस्व प्राप्तियाँ	11346	13204	12839	11211	13391
स्वयं के कर	45.02	43.89	43.93	41.74	46.04
कर भिन्न राजस्व	15.71	18.70	13.43	14.29	12.21
केन्द्रीय कर अंतरण	25.84	24.70	30.80	30.68	27.85
सहायतानुदान	13.42	12.71	11.84	13.30	13.90
वृद्धि दर	0.79	16.38	नगण्य	नगण्य	19.45
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	12.50	13.37	14.52	13.79	16.13

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धिदर जो कि मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन (नवम्बर 2000) के पूर्व 1999-2000 के दौरान 16.38 प्रतिशत थी वर्ष 2002-03 के दौरान बढ़कर 19.45 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान 2001-02 की तुलना में कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः विक्रय कर (545 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (186 करोड़ रुपये) तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क (533 करोड़ रुपये) में है।

औसतन लगभग 58 प्रतिशत राजस्व, राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त हुआ जबकि केन्द्रीय कर अंतरण तथा सहायतानुदान दोनों का मिलकर कुल राजस्व में योगदान लगभग 42 प्रतिशत बना रहा। राज्य का स्वयं का कर राजस्व का मुख्य स्रोत विक्रय कर रहा जो कर राजस्व का 47 प्रतिशत है जिसके बाद राज्य आबकारी (15 प्रतिशत) तथा मुद्रांक एवं पंजीयन (9 प्रतिशत) इत्यादि हैं। कर भिन्न राजस्व के स्रोतों के मुख्य योगदानकर्ता अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (36 प्रतिशत) तथा वानिकी एवं वन्यजीव (30 प्रतिशत) हैं। तथापि वर्ष के दौरान वानिकी एवं वन्य जीव के अंतर्गत 497 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई प्राप्तियाँ, वानिकी एवं वन्यजीव के 485 करोड़ रुपये के उतने ही बड़े व्यय के कारण निष्प्रभावी हो गईं। तथापि कर भिन्न राजस्व सामान्यतः तेजी से



बढ़ते हुये 2001-02 में 1602 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 1635 करोड़ रुपये हो गया। सरकार द्वारा गुणवत्तायुक्त सामग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्ति की वसूली लागत का वर्तमान स्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए 0.27 प्रतिशत, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिए 0.62 प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा हेतु 1.11 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कल्याण के लिए 2.76 प्रतिशत, जल आपूर्ति एवं सफाई में 8.45 प्रतिशत तथा वृहत 8एवं मध्यम सिंचाई में 11.68 प्रतिशत है।

1998-2003 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के स्रोत एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद सारणी 4 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 4 : प्राप्तियों के स्त्रोत : प्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूंजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
		ऋणेतर प्राप्तियाँ	ऋण प्राप्तियाँ	लोक लेखे में उपार्जित		
1998-99	11346	56	2796	15717	29915	90737
1999-00	13204	314	3462	17170	34150	98768
2000-01	12839	13	3101	16520	32480	88445
2001-02	11211	1588	3281	15013	31093	81286
2002-03	13391	43	4949	20120	38503	83011

1.6 संसाधनों की प्रयुक्ति

1.6.1 वृद्धि की प्रवृत्ति

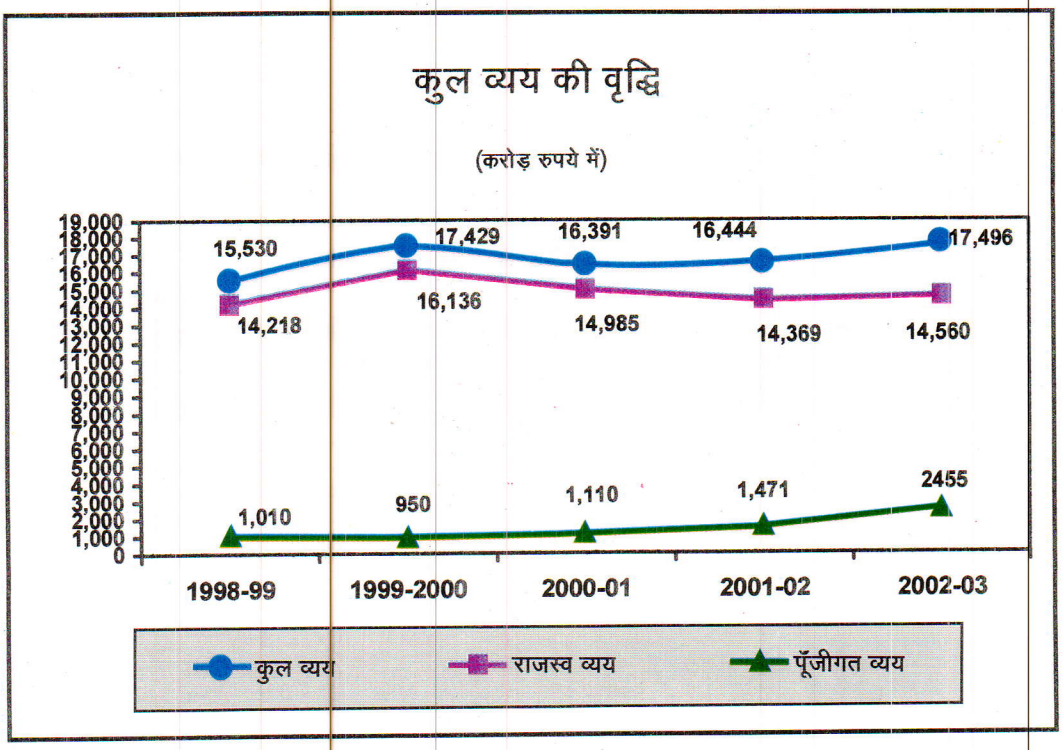
वित्त लेखे के विवरण पत्र 12 में लघु शीर्षवार विस्तृत राजस्व व्यय एवं मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय दशाये गये हैं। राज्य का कुल व्यय जो 1999-2000 में 17429 करोड़ रुपये था नवम्बर 2000 में राज्य के पुनर्गठन के अनुसार आवर्ती देयताओं का कुछ भाग छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित (सुपुर्द) किये जाने के बाबजूद अधिकांशतः वही (17496 करोड़ रुपये) रहा।

निम्नांकित सारणी 5 में राज्य का कुल व्यय, इसकी प्रवृत्ति तथा वृद्धि, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियाँ से व्यय का अनुपात और सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियों से उसकी उत्प्लावकता दर्शाई गई है।

सारणी:5 कुल व्यय आधारभूत मानदण्ड (मूल्यः करोड़ रुपये में एवं अन्य प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
कुल व्यय	15530	17429	16391	16444	17496
वृद्धि दर	11.95	12.23	--	--	6.40
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.12	17.65	18.53	20.23	21.08
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	73.06	75.76	78.33	68.18	76.54

चालू वर्ष में कुल व्यय में वृद्धि मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 984 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण थी। कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में वर्द्धमान प्रवृत्ति 1998-99 में 73.06 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 76.54 प्रतिशत हुई जो दर्शाती है कि राज्य के कुल व्यय का लगभग 77 प्रतिशत इसके चालू राजस्व से पूरा किया गया। शेष बचे व्यय की उधारियों से वित्तपूर्ति की गई।

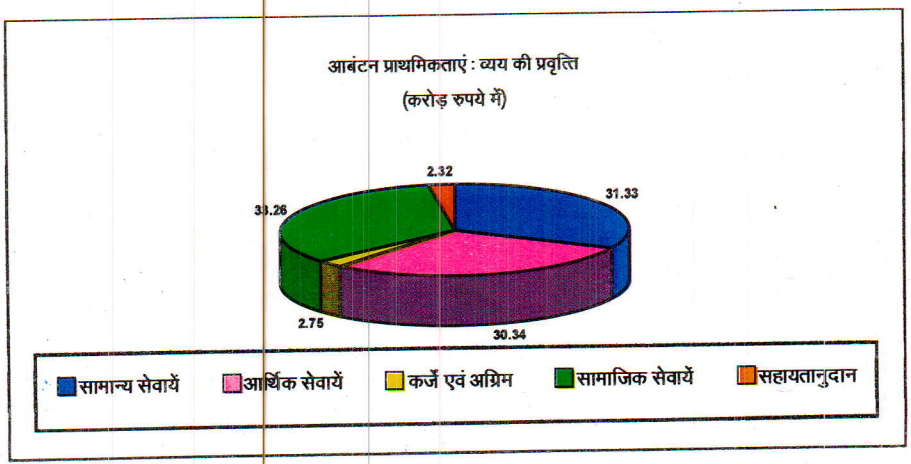


गतिविधियों के रूप में कुल व्यय, ब्याज भुगतान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें तथा कर्जे एवं अग्रिमों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का योग माना जा सकता है कुल व्यय में उक्त संघटकों का सापेक्षिक अंश सारणी 6 में दर्शाया गया है।

सारणी 6 : (व्यय के संघटक- सापेक्षिक अंश (प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
सामान्य सेवायें	30.82	30.18	32.57	30.80	31.33
सामाजिक सेवायें	37.30	36.75	36.43	28.92	33.26
आर्थिक सेवायें	27.26	27.38	25.97	34.30	30.34
सहायतानुदान	2.68	3.72	3.22	2.27	2.32
कर्जे एवं अग्रिम	1.94	1.97	1.81	3.64	2.75

व्यय के उक्त संघटकों के सापेक्षिक अंश की प्रवृत्ति दर्शाती है कि कुल व्यय में सामाजिक सेवा के अंश 1998-99 में 37.30 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 33.26 प्रतिशत रह गये जबकि सामान्य सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के सापेक्षिक अंश 1998-99 में 30.82 और 27.26 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में क्रमशः 31.33 एवं 30.34 प्रतिशत हो गये जोकि आधारिक संरचना विकास पर व्यय में न्यूनतम वृद्धि दर्शाती है।



1.6.2 राजस्व व्यय का प्रभाव

कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था। राजस्व व्यय सामान्यतः परिसम्पत्तियों एवं सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाये रखने में किया जाता है। निम्नांकित सारणी 7 में कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व व्यय का अनुपात एवं राजस्व प्राप्तियाँ दर्शायी गयी हैं:

सारणी 7: राजस्व व्यय -आधारभूत मानदण्ड (मूल्य: करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
राजस्व व्यय	14218	16136	14985	14369	14560
वृद्धि दर	21.25	13.49	नगण्य	नगण्य	1.33
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	15.67	16.34	16.94	17.68	17.54
कुल व्यय से राजस्व व्यय का प्रतिशत	91.55	92.58	91.42	87.38	83.22
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	125	122	117	128	109

राजस्व व्यय में न्यूनतम वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान (249 करोड़ रुपये), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (72 करोड़ रुपये) सामान्य शिक्षा (155 करोड़ रुपये) तथा " प्राकृतिक आपदा पर राहत " (249 करोड़ रुपये) पर अधिक व्यय के कारण है। राज्य विद्युत मण्डल को आर्थिक सहायता में कमी के कारण " विद्युत " पर व्यय में 1057 करोड़ रुपये का समुचित ह्रास हुआ।

राजस्व व्यय 2002-03 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 83 प्रतिशत लेखांकित हुआ। यह राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (कुल प्राप्तियों में 75 प्रतिशत) के अंश से अधिक था जिसके कारण राजस्व घाटा हुआ। यद्यपि राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात 1999-2000 में 122.21 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 108.73 प्रतिशत रह गया तथापि राज्य की अपने चालू व्यय को पूरा करने हेतु उधारियों पर निर्भरता मुख्यतः इस तथ्य के कारण जारी रही कि वेतन (5258 करोड़ रुपये) ब्याज भुगतान (2502 करोड़ रुपये) तथा पेंशन (1083 करोड़ रुपये) पर ही वर्ष के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 66 प्रतिशत व्यय हुआ।

(क) उच्च वेतन व्यय

केवल वेतन पर ही राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 39 प्रतिशत लेखांकित किया गया। वेतन पर व्यय 2001-02 में 4669 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 5258 करोड़ रुपये हो गया जैसा कि निम्नांकित सारणी 8 में दर्शाया गया है:

सारणी 8

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
वेतन व्यय	6072	6662	5715	4669	5258
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	6.69	6.75	6.46	5.74	6.33
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में	53.52	50.45	44.51	41.65	39.27

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा दिये गये ब्यौरे

(ख) पेंशन भुगतानों पर व्यय

मुख्यतः अवकाश नगदीकरण लाभ इत्यादि पर अधिक व्यय के कारण पेंशन भुगतान 2001-02 में 1010.76 करोड़ रुपये से 7.12 प्रतिशत बढ़कर 2002-03 में 1082.68 करोड़ रुपये हो गया।

वर्ष 1998-99 से 2002-03 के दौरान पेंशन भुगतानों पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

सारणी 9

वर्ष	व्यय	कुल राजस्व का प्रतिशत
	करोड़ रुपये में	
1998-1999	1143.01	10
1999-2000	1195.74	9
2000-2001	962.65	7
2001-2002	1010.76	9
2002-2003	1082.68	8

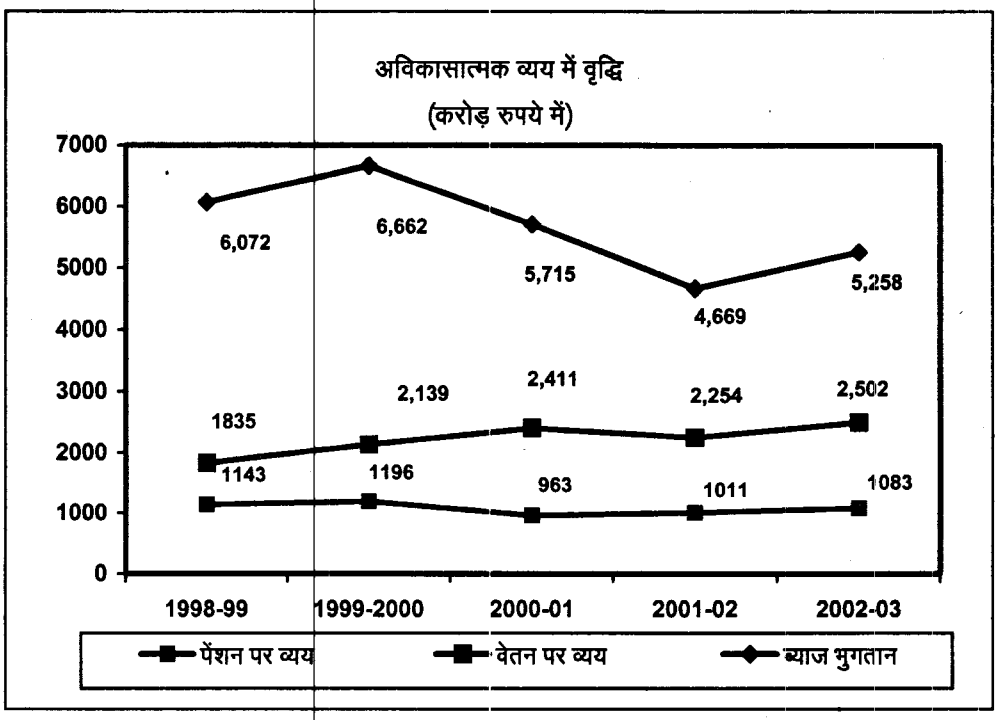
मध्यप्रदेश राज्य का पुनर्गठन (नवम्बर 2000) होने के कारण व्यय में 113.06 करोड़ रुपये की गिरावट आई। 2000-01 में सेवानिवृत्त जनों की संख्या में वृद्धि के साथ पेंशन देयताओं में भविष्य में और वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की तीव्रता से बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को पूरा करने हेतु कोई निधि गठित नहीं की है। जिस दर पर पेंशन देयताएं बढ़ रही हैं उसे ध्यान में रखते हुये वर्तमान पेंशन योजनाओं में सुधार विवेचनात्मक महत्व का परिलक्षित होता है।

(ग) ब्याज भुगतान

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है (अगस्त 2000) कि मध्यम अवधि के लक्ष्य के रूप में राज्य राजस्व प्राप्तियों के 18 प्रतिशत अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये तथापि यह देखा गया कि विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 19 और 20 प्रतिशत के मध्य रहा।

सारणी 10

वर्ष	ब्याज भुगतान (करोड़ रुपये में)	निवल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान
1998-1999	1835	16.17	12.91
1999-2000	2139	16.20	13.26
2000-2001	2411	18.78	16.09
2001-2002	2254	20.11	15.69
2002-2003	2502	18.68	17.18



यद्यपि उधारियों एवं ब्याजवाली देयताओं में वृद्धि के कारण ब्याज भुगतान में (2001-2002 को छोड़कर) तीव्र वृद्धि हुई तथापि ब्याज भुगतान की वृद्धि दर जो कि राज्य के पुनर्गठन (1999-2000) के पूर्व 17 प्रतिशत थी, देयताओं का कतिपय भाग छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित करने के कारण 2002-03 के दौरान यह घटकर 11 प्रतिशत रह गई। वर्ष दर वर्ष प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण योजनाओं पर व्यय की तुलना में बड़ी मात्रा में वर्ष प्रतिवर्ष ब्याज भुगतान बहुत अधिक बढ़ गया।

(घ) सरकार से आर्थिक सहायता

यद्यपि सरकार की वित्तीय स्थिति दबाव में है तथापि सरकार ने विभिन्न निगमों एवं निकायों को आर्थिक सहायता का भुगतान जारी रखा। विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने निम्नानुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता का भुगतान किया:-

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	434.89	1170.79	410.33	2037.08	938.88
2	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण परिवहन निगम	1.00	1.20	1.20	1.08	0.00
	योग	**435.89**	**1171.99**	**411.53**	**2038.16**	**938.88**
3	विगत वर्षों की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ह्रास(-)	--	(+)168.87	(-)64.89	(+)395.26	(-)53.93
4	कुल व्यय की तुलना में आर्थिक सहायता की प्रतिशतता *	2.86	6.86	2.56	12.87	5.52

* कुल व्यय में कर्जे एवं पेशगियाँ सम्मिलित नहीं हैं।

टिप्पणी:- अन्य निगमों एवं निकायों को भुगतान की गई आर्थिक सहायता के विवरण वित्त विभाग के पास तुरंत उपलब्ध नहीं।

प्रसंगवश, राज्य सरकार ने राज्य विद्युत मण्डल को 2002-03 में 979.77 करोड़ रुपये की सहायता/आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 2003-04 (दिसम्बर 2003 तक) में 3114.59 करोड़ रुपये कर दिया है।

(ड़) त्रुटिपूर्ण बजट पद्धति तथा व्यय का वर्गीकरण

नियमानुसार* परिसम्पत्तियों के सृजन के उद्देश्य के लिए भी स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिये गये सहायतानुदान पर व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में सामान्यतः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तथापि 2002-03 के दौरान राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिये गये 82.42 करोड़ रुपये के सहायतानुदान के रूप में व्यय को निम्नानुसार शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत पूंजीगत लेखा अनुभाग में पुस्तांकित किया:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	मुख्य/लघुशीर्ष	निम्न को/के लिये सहायतानुदान	बजट प्रावधान	व्यय
1	4217-60-191-0101-6072	आपदा प्रबंधन संस्थान	0.17	0.17
2	4217-01-191-1201-8294	भोज वेट लेण्ड संरक्षण	55.00	33.04
3	4217-60-191-1301-5866	शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं के लिए	39.07	39.07
4	4217-03-191-1301-5866	-- तदैव ---	4.12	4.12
5	4217-03-191-0701-1409	छोटे एवं मध्यम नगरों की एकीकृत विकास योजनाएँ	4.45	6.02
		योग	**102.81**	**82.42**

त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण केवल पूंजीगत परिव्यय 82.42 करोड़ रुपये बढ़ाकर ही नहीं बताया गया बल्कि राजस्व घाटा भी उस सीमा तक कम हो गया।

1.7 निर्धारित प्राथमिकताओं से व्यय

वित्त लेखे के विवरण पत्र 12 से प्रकट होने वाले आयोजना व्यय पूंजीगत व्यय तथा विकासात्मक व्यय के रूप में राज्य के वास्तविक व्यय से राज्य की निर्धारित प्राथमिकताएं दृष्टिगत होती हैं। कुल व्यय की तुलना में उपरोक्त घटकों के उच्च अनुपात से, व्यय की बेहतर गुणवत्ता मानी जाती है। निम्नलिखित सारणी 12 में राज्य के कुल व्यय में उपरोक्त व्यय के उपरोक्त घटकों के प्रतिशत अंश दिये गये हैं।

* सरकारी लेखा नियमावली 190 के नियम 30 एवं 31।

सारणी 12: व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय से प्रतिशत*)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
आयोजना व्यय	22.82	21.50	23.54	25.14	35.08
पूंजीगत व्यय	6.63	5.56	6.90	9.29	14.43
विकासात्मक व्यय	65.84	65.42	63.55	65.63	65.40

* कुल व्यय में कर्जे एवं अग्रिमों पर व्यय समाविष्ट नहीं है।

व्यय के गुणवत्तावार विश्लेषण से प्रकट हुआ कि आयोजना एवं पूंजीगत व्यय संघटकों में तदनुरूपी वृद्धि हुई थी। आयोजना व्यय 1999-2000 में (राज्य के पुनर्गठन से पूर्व की स्थिति) कुल व्यय के 21.50 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 35.08 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 5.56 प्रतिशत से 14.43 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सेवाओं पर अधिक व्यय (536 करोड़ रुपये) के कारण थी।

वर्ष के दौरान सामाजिक सेवाओं (5820 करोड़ रुपये) पर व्यय विकासात्मक व्यय (11128 करोड़ रुपये) का 52 प्रतिशत लेखांकित किया गया। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में से 40 प्रतिशत सामान्य शिक्षा पर, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पर, 16 प्रतिशत सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार पर, 14 प्रतिशत जल प्रदाय एवं स्वच्छता पर तथा 13 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय किया गया।

सारणी 13
सामाजिक क्षेत्र व्यय

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
सामान्य शिक्षा	2612 (2.88)	3059 (3.10)	2763 (3.12)	2126 (2.62)	2312 (2.84)
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	849 (0.94)	881 (0.89)	862 (0.97)	688 (0.85)	779 (0.90)
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	658 (0.73)	715 (0.72)	701 (0.79)	608 (0.75)	792 (0.97)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	1025 (1.13)	1121 (1.13)	1007 (1.14)	753 (0.93)	937 (1.15)
सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	556 (0.61)	534 (0.54)	547 (0.62)	501 (0.62)	911 (1.12)
योग	**5700**	**6310**	**5880**	**4676**	**5731**

कोष्ठक में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में

इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं पर व्यय (5308 करोड़ रुपये) विकासात्मक व्यय का 48 प्रतिशत लेखांकित किया गया जिसमें से उपभुक्त ऊर्जा 25 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप 24 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास पर व्यय 16 प्रतिशत था।

सारणी 14
आर्थिक क्षेत्र व्यय

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	1345	1424	1258	1131	1259
ग्रामीण विकास	977	788	970	768	855
ऊर्जा	535	1326	649	2210	1327
योग	**2857**	**3538**	**2877**	**4109**	**3441**

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(क) स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों सहित स्वशासी निकाय एवं प्राधिकरण सामान्यतः लोक उपयोगी सेवाओं के गैर वाणिज्यिक कार्य सम्पन्न करने हेतु स्थापित किये जाते हैं। ये निकाय/प्राधिकरण सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 एवं कम्पनी अधिनियम 1956 इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत जैसी अन्य संस्थाओं को भी सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है।

2002-03 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के दौरान नमूना जाँच किये गये विभागों द्वारा विभिन्न निकायों इत्यादि को उपलब्ध कराई गईं आर्थिक सहायता की मात्रा निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	निकायों/प्राधिकरणों इत्यादि का नाम	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1.	शिक्षण संस्थाएं	184.05	132.43	156.20	154.80	134.56
2.	नगर निगम एवं नगर पालिकाएं	419.12	105.02	190.72	430.72	506.00
3.	पंचायती राज संस्थाएं	386.99	238.52	218.89	431.90	526.29
4.	विकास अभिकरण	0.44	1.63	9.08	153.05	253.29
5.	अन्य संस्थाएं	159.51	1027.40	189.26	34.25	128.30
	योग	**1147.84**	**1504.83**	**745.25**	**1200.12**	**1541.36**
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी (-) की प्रतिशतता	24 (+)	31 (+)	संभव* नहीं	संभव** नहीं	28 (+)
	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता	10	11	संभव* नहीं	11	12

* राज्य के पुनर्गठन के कारण।

** राज्य के पुनर्गठन के उपरान्त प्रथम पूर्ण वित्तीय वर्ष होने के कारण।

(ख) उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुति में विलम्ब

मध्यप्रदेश वित्त संहिता खण्ड-1 के वित्तीय नियम 179-182 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान प्रदत्त निकायों से अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिये तथा सत्यापन के उपरान्त इन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की ओर अग्रेषित कर दिये जाने चाहिये।

छह विभागों के अंतर्गत 24 संस्थाओं से 1991-92 से 2002-03 की अवधि हेतु 2637.89 करोड़ रुपये के एक हजार चार सौ दो उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये:-

(ग) स्वशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

जनवरी 2004 की स्वशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	निकायों का नाम	लेखाओं की प्रस्तुति	वर्तमान स्थिति
1.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल	1998-99	1999-2000 से 2002-03 तक की अवधि के लेखे अप्राप्त
2.	मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग भोपाल	2000-2001	2001-02 एवं 2002-03 के लेखे अप्राप्त
3.	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल	2001-2002	2002-03 का लेखा अप्राप्त
4.	संचालक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश भोपाल	2000-2001	2001-02 से 2002-03 के लेखे अप्राप्त

(घ) अप्रयुक्त अनुदान

2001-02 एवं 2002-03 के दौरान आयुक्त नगरीय प्रशासन (61.62 करोड़ रुपये), आयुक्त पंचायत एवं समाज कल्याण (2001-02: 167.16 करोड़ रुपये तथा 2002-2003: 1.89 करोड़ रुपये) और विकास आयुक्त (23.28 करोड़ रुपये) ने 253.95 करोड़ रुपये आहरित किये तथा संबंधित संस्थाओं को अनुदान के रूप में राशियाँ उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें सिविल निक्षेप में जमा कर दिया।

1.7.2 दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि

राज्य सरकार ने सरकारी धन के दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि से संबंधित 5.61 करोड़ रुपये के 1111 प्रकरण सूचित किये। ये प्रकरण 1965-66 से मार्च 2003 तक की अवधि से संबंधित हैं, जिन पर दिसम्बर 2003 के अंत तक अंतिम कार्यवाही लंबित है। लंबित प्रकरणों के विभागवार/वर्षवार तथा संवर्गवार विवरण क्रमशः **परिशिष्ट VII और VIII** में दिये गये हैं।

1.7.3 हानियों इत्यादि का अपलेखन

जैसा कि लेखापरीक्षा को सूचित किया गया वर्ष 2002-03 के दौरान सक्षम प्राधिकारियों ने 63 प्रकरणों में चोरी, अग्नि एवं वसूली न हो सकने वाले राजस्व इत्यादि के कारण हानियों से संबंधित 12.13 लाख रुपये अपलेखित किये। संबंधित विवरण **परिशिष्ट IX** में दिये गये हैं।

1.8 परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं

सरकारी लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसम्पत्तियों अर्थात सरकार के स्वामित्व वाले भूमि, भवन का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता तथापि सरकारी लेखाओं में व्यय से सृजित सरकार की वित्तीय देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का लेखाकरण किया जाता है। वित्तीय लेखे के विवरण पत्र 17 के विवरणों के साथ पठित विवरण पत्र 16 में ऋण, निक्षेप एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत वर्ष के अंत के अधिशेष दर्शाये गये हैं जिनसे देयताएं एवं परिसम्पत्तियाँ संगणित की जाती हैं। **परिशिष्ट III** में 31 मार्च 2002 की ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों की तुलना में तत्संबंधी 31 मार्च 2003 की स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया गया है। इस विवरणपत्र में देयताओं में मुख्यतः सरकार के स्वत्व का धन जैसे कि आंतरिक उधारियाँ, भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियां सम्मिलित हैं जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा रोकड़ शेष समाविष्ट रहते हैं।

मध्यप्रदेश सरकार की देयताओं में, जो कि वर्ष के दौरान 14 प्रतिशत बढ़ गईं, इसमें कार्यरत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गईं गारंटियाँ/समाश्वासन पत्र समाविष्ट नहीं हैं। **परिशिष्ट VI** में संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की अप्रैल 1998 से 31 अक्टूबर 2000 तक तथा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य की नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2003 तक की अवधि हेतु राज्य सरकार के समय श्रंखला आंकड़े दर्शाये गये हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

वर्ष के दौरान 250.59 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के साथ 12 बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया कि 2002-03 के दौरान इन परियोजनाओं से वसूल किया गया राजस्व (35.22 करोड़ रुपये) राजस्व व्यय का 14.05 प्रतिशत था जो संधारण पर किये जाने वाले व्यय को पूरा करने में ही अत्यधिक कम था।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2003 के अनुसार 6459 करोड़ रुपये के संचयी निवेश सहित 301 अपूर्ण परियोजनाएं थीं। यह दर्शाता है कि सरकार अपने स्त्रोतों का विस्तार विरलता से कर रही थी जो कि कोई प्रतिलाभ प्राप्त करने में विफल रही।

1.8.3 निवेश एवं विवरणियाँ

31 मार्च 2003 के अनुसार सरकार ने सांविधिक निगमों, संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं में 1702.39 करोड़ रुपये का निवेश किया था तथापि इस निवेश पर सरकार का प्रतिलाभ अत्यल्प (एक प्रतिशत से कम) था जैसा कि निम्नांकित सारणी 17 में दर्शाया गया है। इनमें से 2002-03 तक कुल मिलाकर 529 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 3 सांविधिक निगम एवं 15 सरकारी कम्पनियाँ हानि वहन कर रही थीं तथा इन कम्पनियों द्वारा 2002-03 तक प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियाँ 3173 करोड़ रुपये की थीं (**परिशिष्ट X**)।

इस प्रकार सरकार को बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त करने हेतु उच्च लागत की उधारियों का अधिक विवेकपूर्ण निवेश करना ही आवश्यक नहीं बल्कि बीमार इकाईयों के संबंध में हानियों का समाधान भी, ऐसी इकाईयों का विनिवेश करते हुये करना चाहिये। 1996-98 के दौरान मध्यप्रदेश सांज्य विद्युत मण्डल में जिसका छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्यों में पुनर्गठन किया गया (नवम्बर 2000), 710 करोड़ रुपये का निवेश किया गया परन्तु इसकी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना और उनका पुनर्वितरण किया जाना है।

मार्च 2003 के अंत तक 1702.39 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के 1628.06 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश में रोके गये तथा अभी भी इसका मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य सांविधिक निगमों (944.07 करोड़ रुपये), सरकारी कम्पनियों (199.54 करोड़ रुपये), सहकारी बैंकों एवं समितियों (482.91 करोड़ रुपये) तथा संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों (1.54 करोड़ रुपये) के मध्य आबंटन किया जाना है।

सारणी 17 : निवेश पर प्रतिलाभ (करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिलाभ	प्रतिलाभ की प्रतिशतता	सरकारी उधारियों पर ब्याज दर *(प्रतिशत)*
1998-1999	1598.36	1.00	0.06	12.15, 12.50
1999-2000	1637.94	1.81	0.11	12.15, 11.85, 11.00
2000-2001	1679.09	0.31	0.02	10.52, 12.00, 10.82, 10.50
2001-2002	1687.08	1.64	0.10	10.35,9.55, 9.45, 8.50, 8.30, 8.00
2002-2003	1702.39	4.09	0.24	7.80,6.94,6.95, 6.75

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सरकार उक्त निवेशों के अतिरिक्त कई निकायों एवं गैर सरकारी संस्थाओं को कर्जे एवं अग्रिम भी उपलब्ध करा रही है। 31 मार्च 2003 के अनुसार कर्जे एवं अग्रिमों का कुल बकाया 2440 करोड़ रुपये था (सारणी 18), 2002-03 के दौरान मुख्यतः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कम प्राप्ति के कारण उक्त अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त कुल ब्याज 11.84 प्रतिशत से तीव्रता से कम होकर 0.98 प्रतिशत रह गया। इसके साथ ही अधिकांश प्रकरणों में सरकार के ऋण संस्वीकृति आदेशों में इन ऋणों की शर्तों और निबंधनों का उल्लेख नहीं किया गया है।

सारणी 18: सरकार द्वारा कर्जों एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
प्रारंभिक शेष	2570	2816	2845	2991	2002
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	302	343	295	599	481
वर्ष के दौरान प्रतिभुगतान की गई राशि	56	314	13	1588	43
अंतिम शेष	**2816**	**2845**	**2991*@**	**2002**	**2440**
निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	245	29	146	(-)989	438
प्राप्त ब्याज (करोड़ रुपये में)	147	247	157	237	24
कर्जे एवं अग्रिमों के बकाया के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	5.22	8.68	5.25	11.84	0.98
राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की औसत दर	8.36	8.24	10.69	8.51	8.25
प्रदत्त एवं प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर	(-)3.14	0.44	(-)5.44	3.33	(-)7.27

**** छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित 136 करोड़ रुपये का अंतर।***

@ उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य आगामी विभाजन हेतु मध्यप्रदेश में रोककर लंबित रखे गए 2191 करोड़ रुपये समाविष्ट हैं ।

2001-02 को छोड़कर प्रतिभुगतानों में 1998-2003 की अवधि के दौरान दिये कर्जे का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही समाविष्ट है। इन कर्जों पर प्राप्त ब्याज भी बहुत कम है जो न केवल अविवेकपूर्ण है अपितु खराब कर्ज संचालन का परिचायक भी है।

1.8.5 रोकड़ शेष का प्रबंधन

सामान्यतः यह अपेक्षित है कि राज्य के आर्थिक स्रोतों का प्रवाह इसके व्यय उत्तरदायित्वों के अनुरूप होना चाहिये तथापि स्रोतों के प्रवाह एवं व्यय उत्तरदायित्वों में किसी अस्थाई अंतर के संबंध में सावधानी बरतने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों की क्रियाविधि की व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश की 1 अप्रैल 2002 से 275 करोड़ रुपये एवं 3 मार्च 2003 से 345 करोड़ रुपये की अर्थोपाय पेशगियों की सीमा निर्धारित है। राज्य ने विगत 290 दिनों की तुलना में वर्ष के दौरान केवल 251 दिनों के लिये इस व्यवस्था का उपयोग किया यद्यपि इसने पाँच अवसरों पर बाजार से 1140 करोड़ रुपये की उधारियाँ लीं। अर्थोपाय पेशगियों की सीमा से अधिक अधिविकर्ष का सहारा प्राप्त करना नितांत अवांछित है। राज्य ने विगत वर्ष के 15 अवसरों पर 173 दिनों के अधिविकर्ष की सुविधाओं के उपयोग की तुलना में वर्ष के दौरान 22 अवसरों पर 176 दिनों के लिये इसका उपयोग किया। सारांश में राज्य के दिन प्रति दिन के व्यय की वित्तीय व्यवस्था हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष पर सरकार की निर्भरता में वृद्धि हो रही है।

सारणी 20: राज्य की अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष तथा उस पर भुगतान किया गया ब्याज (करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
अर्थोपाय पेशगियाँ					
वर्ष के दौरान ली गईं	2126.98	2926.03	2246.46	2491.64	2306.65
बकाया	192.54	171.62	--	--	--
भुगतान किया गया ब्याज	5.31	10.06	8.22	10.51	11.55
उन दिनों की संख्या जिन दिनों में राज्य ने अर्थोपाय पेशगियां लीं*	129	165	165	290	251
अधिविकर्ष					
वर्ष के दौरान लिए गए	1868.89	2273.74	1220.14	3722.79	4140.40
बकाया	--	--	--	--	--
भुगतान किया गया ब्याज	2.66	2.47	2.79	5.08	6.69
उन दिनों की संख्या जिन दिनों में राज्य अधिविकर्ष लिया	144	00	47	173	176

1.8.6 चुकता नहीं की गई देयताएं

राजकोषीय देयताएं सार्वजनिक ऋण एवं गारंटियाँ

भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई राज्य भारत की सीमा के अंदर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उन सीमाओं के अंतर्गत, यदि कोई हो, जैसी कि राज्य विधायिका ने पारित अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की हों, उधार ले सकता है तथापि राज्य विधायिका ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने हेतु कोई विधान पारित नहीं किया है। वित्त लेखे के विवरण पत्र 16 एवं 17 के साथ पठित विवरण पत्र 4 ऋण, निक्षेप एवं प्रेषण शीर्ष जिनसे देयताओं का परिगणन किया जाता है, के अंतर्गत वर्ष के अंत में शेष दर्शाते हैं।

यह दृष्टव्य है कि राज्य की 1999-2000 में 25948 करोड़ रुपये की कुल राजकोषीय देयताएं बढ़कर 2002-03 में 30340 करोड़ रुपये हो गईं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ये देयताएं 1998-99 में 24.20 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 36.55 प्रतिशत हो गईं तथा यह इसके स्वयं के कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का 2.27 गुना और इसके स्वयं के स्रोतों का 3.89 गुना हो गया। निम्नांकित सारणी 21 राज्य की राजकोषीय देयताएं, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियाँ एवं स्वयं के स्रोतों की तुलना में इन देयताओं का अनुपात दर्शाती है।

* भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार दी गई जानकारी।

सारणी 21: राजकोषीय असंतुलन - आधारभूत प्राचल (रुपये करोड़ में एवं अनुपात प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
राजकोषीय देयताएं *	21959	25948	22548	26487	30340
वृद्धि दर	22.18	18.17			14.55
निम्नांकित की तुलना में राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	24.20	26.27	25.49	32.58	36.55
राजस्व प्राप्तियाँ	193.54	196.52	175.62	236.26	226.57
स्वयं के स्रोत	318.71	313.99	306.19	421.70	388.97

* *राजकोषीय देयताएं- लोक ऋण एवं लघु बचतें, आरक्षित निधियों तथा निक्षेप इत्यादि जैसी अन्य देयताएं।*

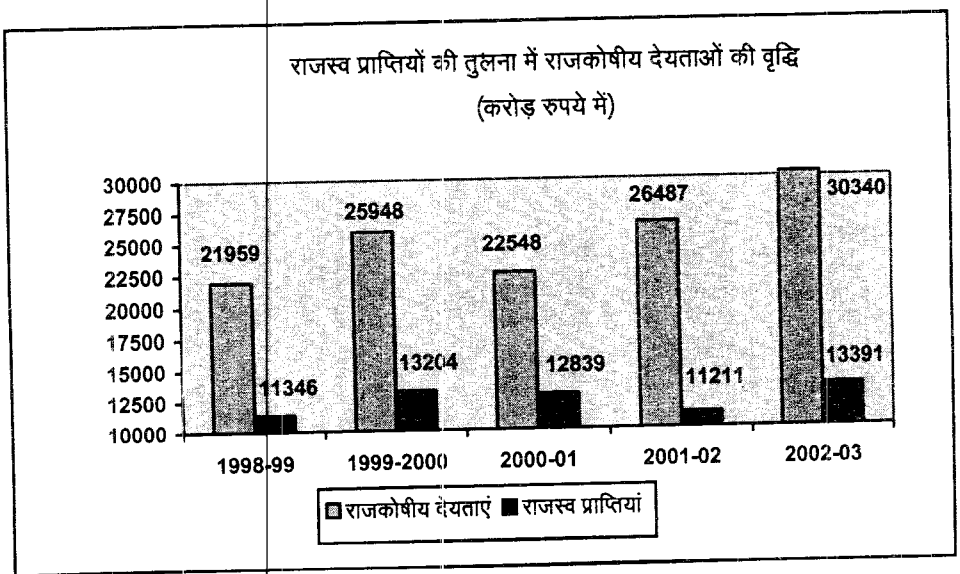
इन देयताओं के अतिरिक्त सरकार ने अपने विभिन्न निगमों एवं अन्यों के कर्जों पर गारंटियां दीं जो 2002-03 में 11572 करोड़ रुपये की रहीं। गारंटियाँ राज्य की आकस्मिक देयताओं के रूप में रहती हैं तथा कर्जों का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य का इन वचनबद्धताओं को पूर्ण करने का दायित्व बनता है। वर्तमान में आकस्मिक देयताओं सहित राजकोषीय देयताएं राज्य की राजस्व प्राप्तियों की तीन गुना से अधिक हो गईं। राज्य की प्रत्यक्ष राजकोषीय देयताएं इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ीं।

बढ़ती हुई देयताओं के कारण राज्य सरकार की पोषणीयता का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। राजकोषीय देयताएं तब पोषणीय मानी जाती हैं जब इन देयताओं पर भुगतान किया गया औसत ब्याज सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम रहता है।

सारणी 22 में अधिक ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर तथा बढ़े हुये ब्याज के संदर्भ में ऋण की पोषणीयता दर्शाई गई है।

सारणी 22: ऋण पोषणीयता- ब्याज दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	औसत
बढ़ी हुई ब्याज दर	9.19	8.93	9.94	9.19	8.81	9.21
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	11.96	8.85	(-)10.45	(-)8.09	2.12	(-)0.91
बढ़ा हुआ ब्याज	2.77	(-)0.08	(-)20.39	(-)17.29	(-)6.68	(-)10.12



ऋण पोषणीयता का अन्य महत्वपूर्ण संकेत पूर्ववर्ती अनुबंधित देयताओं तथा ब्याज के कारण मूलधन के भुगतान के उपरान्त निधियों की निवल उपलब्धता है। निम्नांकित सारणी 23 में विगत पाँच वर्षों में आंतरिक ऋणों की प्राप्तियों एवं प्रतिभुगतान की स्थिति दर्शाई गई है। 1998-2003 के दौरान आंतरिक ऋणों एवं भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के कारण ब्याज भुगतान एवं प्रतिभुगतान के उपरान्त उपलब्ध निवल निधियाँ 30 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गईं।

सारणी 23: उधार ली गईं निधियों की निवल उपलब्धता (करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
आंतरिक ऋण*					
प्राप्तियाँ	742	2104	1876	1830	3169
प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	543	692	843	906	1105
उपलब्ध निवल निधियां	199	1412	1033	924	2064
उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	27	67	55	50	65
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम					
प्राप्तियाँ	1862	1358	994	1451	1780
प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	1268	1527	1494	1368	2468
उपलब्ध निवल निधियां	594	(-)169	(-)500	83	(-)688
उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	32	(-)12	(-)50	6	(-)39
कुल लोक ऋण					
प्राप्तियाँ	2604	3462	2870	3281	4949
प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	1811	2219	2337	2274	3573
उपलब्ध निवल निधियां	793	1243	533	1007	1376
उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	30	36	19	31	28

* अर्थोपाय पेशगियों को छोड़कर आंतरिक ऋण

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 1139.88 करोड़ रुपये के बाजार ऋण लिये। वर्ष के दौरान उधारियों पर औसत ब्याज दर 7.11 प्रतिशत थी जबकि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि से 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 1608.30 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 1780 करोड़ रुपये उधार लिये। राज्य सरकार ने दर आमंत्रणों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर बाजार से उधारियाँ लेने के विकल्प का उपयोग नहीं किया। 31 मार्च 2003 के अनुसार राज्य सरकार के विद्यमान बाजार कर्जों के 70 प्रतिशत कर्जे 10 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर के कर्जे हैं। इस प्रकार उनके पूर्ववर्ती कर्जों पर उधारियों की प्रभावकारी लागत उस दर से बहुत अधिक है जिस पर सरकार बाजार से वर्तमान में स्रोत जुटाने में सक्षम है। राज्य सरकार के बाजार ऋणों की भुगतान तिथि की रूपरेखा दर्शाती है कि कुल बाजार ऋणों के लगभग एक तिहाई का आगामी पाँच वर्षों में भुगतान किया जाना है जबकि शेष दो तिहाई ऋणों का 5 से 10 वर्षों की अवधि में प्रतिभुगतान किया जाना वांछित है।

1.9 घाटे का प्रबंधन

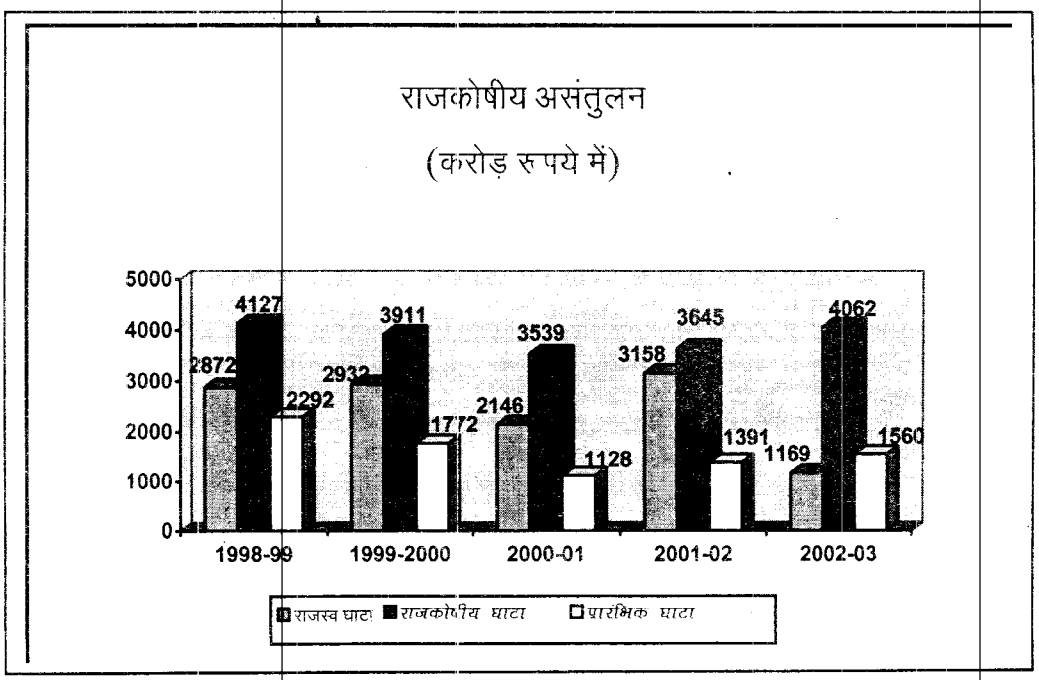
1.9.1 राजकोषीय असंतुलन

सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय में अंतर प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता दर्शाती है। इसके साथ ही घाटे का जिस प्रकार से वित्तपोषण किया जाता है तथा जिस प्रकार से जुटाये गये स्रोतों का उपयोग किया जाता है वे राजकोषीय सुदृढ़ता के महत्वपूर्ण परिचायक होते हैं।

राज्य का राजस्व घाटा (वित्त लेखे का विवरणपत्र 1) जो कि राजस्व प्राप्ति की तुलना में इसका राजस्व व्यय का आधिक्य होता है, 1998-99 में 2872 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 1169 करोड़ रुपये रह गया। राजकोषीय घाटा जो कि सरकार की कुल उधारियाँ एवं इसके कुल स्रोतों के अंतर को दर्शाता है वह भी 1998-99 में 4127 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 4062 करोड़ रुपये रह गया। सरकार का प्रारंभिक घाटा भी 1998-99 में 2292 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 1560 करोड़ रुपये रह गया जो कि सारणी 24 में दर्शाया गया है।

सारणी 24: राजकोषीय असंतुलन- आधारभूत मानदण्ड (मूल्य: करोड़ रुपये में तथा अनुपात प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
राजस्व घाटा	2872	2932	2146	3158	1169
राजकोषीय घाटा	4127	3911	3539	3645	4062
प्रारंभिक घाटा	2292	1772	1128	1391	1560
राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.17	2.97	2.43	3.89	1.41
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4.55	3.96	4.00	4.48	4.89
प्रारंभिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.53	1.79	1.28	1.71	1.88
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	69.59	74.97	60.64	86.64	28.78



राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा 1999-2000 में 75 प्रतिशत से घटकर 2002-03 में 29 प्रतिशत रह गया। 2002-03 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा घटकर 1.41 प्रतिशत, राजकोषीय घाटा घटकर 4.89 प्रतिशत तथा प्रारंभिक घाटा घटकर 1.88 प्रतिशत रह गया तथापि 2003-04 के दौरान घाटा पर्याप्त बढ़ने की संभावना है क्योंकि, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को आर्थिक सहायता/सहायता अत्यधिक बढ़कर 2002-03 में 979.77 करोड़ रुपये से 2003-04 (दिसम्बर 2003 तक) में 3114.59 करोड़ रुपए तक पहुँच गई।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य की वित्तीय व्यवस्था पोषणीय, लचीली एवं अभेद्य रहनी चाहिये। निम्नांकित सारणी 25 में कतिपय संदर्शकों के संदर्भ में 1998-2003 में सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया जो उपलब्ध स्त्रोतों की पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा उसकी प्रयोज्यता के आकलन में सहायक है तथा महत्व के क्षेत्रों पर प्रकाश डालता और अपने महत्वपूर्ण पहलुओं का अभिग्रहण करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों एवं सरकार के स्वयं के कर का अनुपात स्त्रोतों की पर्याप्तता दर्शाता है। ये अनुपात 1998-2003 के दौरान सतत सुधार दर्शाते हैं जो स्त्रोतों का जुटाना एवं इसकी पोषणीयता दर्शाते हैं।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात इनके स्त्रोत जुटाने संबंध में इनके व्यय की गुणवत्ता एवं पोषणीयता दर्शाते हैं। 1998-2003 के दौरान विकासात्मक व्यय कुल व्यय का लगभग दो तिहाई रहा जबकि कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय 1998-99 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 14 प्रतिशत हो गया।

सारणी 25: राजकोषीय क्षमता का अनुपात (*प्रतिशत में*)

राजकोषीय अनुपात	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	औसत
स्त्रोत जुटाना						
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	12.50	13.37	14.52	13.79	16.13	14.02
स्वयं के कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5.629	5.867	6.377	5.756	7.427	6.193
व्यय प्रबंधन						
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.12	17.65	18.53	20.23	21.08	18.83
राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय	73.06	75.76	78.33	68.18	76.54	74.43
राजस्व व्यय/कुल व्यय	91.55	92.58	91.42	87.38	83.22	89.17
पूंजीगत व्यय	6.63	5.56	6.90	9.29	14.43	8.61
विकास व्यय/कुल व्यय (राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय)	65.84	65.42	63.55	65.63	65.40	65.16
राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन						
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	2872	2932	2146	3158	1169	2455
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	4127	3911	3539	3645	4062	3857
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	2292	1772	1128	1391	1560	1629
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	69.59	74.97	60.64	86.64	28.78	63.66

राजकोषीय अनुपात	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	औसत
राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन						
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	24.20	26.27	25.49	32.58	36.55	28.78
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	193.54	196.52	175.62	236.26	226.57	205.32
उपलब्ध निवल निधि	30	36	19	31	28	29
अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता के संदर्शक						
निवेश पर प्रतिलाभ	0.10	0.06	0.11	0.02	0.39	0.14
चालू राजस्व का शेष (करोड़ रुपये में)	(-)1725	(-)1556	(-)793	(-)1811	791	(-)1019
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.81	0.73	0.80*	0.71*	0.71*	0.75

* परिसम्पत्तियों एवं कतिपय देयताओं का अभी विभाजन किया जाना है तथा छत्तीसगढ़ राज्य को इसका अंतरण किया जाना है।

इस वर्ष राज्य ने राजस्व घाटे को पर्याप्त रूप में कम करने हेतु बहुत अच्छा कार्य किया है। राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक आधारिक संरचना सहायता बढ़ाने तथा अतिरिक्त आय सृजन परिसम्पत्तियाँ सृजित करने हेतु इसे उधार लेना असामान्य नहीं है तथापि निवेश पर राज्य का कम प्रतिलाभ अस्पष्ट आर्थिक सहायता तथा निवेश हेतु बड़ी लागत वाली उधारियों का उपयोग दर्शाता है जिससे इसकी उपलब्धि अत्यधिक कम रही जो पोषणीय नहीं है। ।

दूसरा अध्याय

आबंटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

दूसरा अध्याय

आंबटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत. बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों से संबंधित विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हुए विनियोग लेखा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में है और संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला अपेक्षित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। विनियोग लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित करते हैं कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2002-03 के दौरान 97 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य(+)
दतमत	I. राजस्व	12227.97	1967.65	14195.62	12099.16	-2096.46
	II. पूंजीगत	3025.55	916.88	3942.43*	2511.10*	-1431.33
	III. कर्जे एवं पेशगियाँ	789.48	103.18	892.66	480.70	-411.96
कुल दत्तमत		**16043.00**	**2987.71**	**19030.71**	**15090.96**	**-3939.75**
प्रभारित	*IV.* राजस्व	*2514.96*	*246.01*	*2760.97*	*2629.74*	*-131.23*
	V. पूंजीगत	*0.93*	*0.12*	*1.05*	*0.41*	*-0.64*
	VI. लोकऋण	*4602.95*	*2962.35*	*7565.30*	*7940.73*	*+375.43*
कुल प्रभारित		***7118.84***	***3208.48***	***10327.32***	***10570.88***	***+243.56***
महायोग		**23161.84**	**6196.19**	**29358.03**	**25661.84**	**-3696.19**

** स्थानीय निकायों/संस्थाओं के सहायतानुदान से संबंधित 103.55 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा 82.42 करोड़ रुपये का व्यय सम्मिलित है जो राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में त्रुटिपूर्ण रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया गया।*

टिप्पणी: *- व्यय में, राजस्व व्यय के अंतर्गत 169.10 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 56.61 करोड़ रुपये व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित हैं।*

3696.19 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण बचत, अनुदानों एवं विनियोगों के 184 प्रकरणों में हुई 4120.98 करोड़ रुपये की बचत का निवल परिणाम थी जिसे अनुदानों एवं विनियोगों के 8 प्रकरणों में हुए 424.79 करोड़ रुपये के आधिक्य से प्रति संतुलित

किया गया। चूंकि दत्तमत अनुभाग के अधीन वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था इसलिये 2987.71 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

कतिपय नमूना जाँच किये गये अनुदानों के प्रकरण में व्यय एवं बजट नियंत्रण प्रणाली पर विस्तृत टिप्पणियाँ कंडिका 2.7 में समाविष्ट की गईं हैं।

आगे निम्नांकित तथ्य और प्रकाश में आये:

(क) व्यय अधिक बताया गयाः

व्यय न किये गये 390.64 करोड़ रुपये (राजस्व अनुभागः 316.93 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत अनुभागः 73.71 करोड़ रुपये) जो निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्यशीर्ष-8443 सिविल जमा, 800-अन्य जमाओं में अंतरित किये गये।

शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं से संबंधित 448.94 करोड़ रुपये (जमाः 1344.95 करोड़ रुपयों में से 896.01 करोड़ रुपये के संवितरण घटाकर) मुख्यशीर्ष 8443-सिविल जमा, 106 वैयक्तिक जमा खाते के शेष से अधिक थे। वर्ष के दौरान जमा 1344.95 करोड़ रुपयों में से 32.09 करोड़ रुपये निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से जमा किये गये।

संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर आहरित 3.90 करोड़ रुपये की यथार्थता प्रमाणित नहीं की जा सकी क्योंकि विस्तृत आकस्मिक व्यय देयक प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(ख) कुल व्यय का अधिक कथन इसके न्यून कथन के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गयाः

1.56 करोड़ रुपये तक का व्यय जो विभिन्न मुख्यशीर्षों के अंतर्गत किया गया, जिसके प्रमाणक वर्ष के दौरान कोषालयों से प्राप्त नहीं हुए, राशि तदनुसार लेखांकित नहीं हो सकी तथा इन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की आपत्ति पुस्तिकाओं में रखा गया।

बचतों/आधिक्यों के विवरण (विस्तृत विनियोग लेखा) नियंत्रण अधिकारियों को भेजे गये थे जिसमें उनसे महत्वपूर्ण भिन्नताओं का स्पष्टीकरण अपेक्षित था। विनियोग लेखे में कुल 1012 उपशीर्षों पर की गई अभ्युक्तियों में से बचतों/आधिक्यों के 838 उपशीर्षों (82.8 प्रतिशत) के संबंध में स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए अथवा तथ्यपरक नहीं थे।

2.3 आबंटनीय प्राथमिकताओं की पूर्ति

2.3.1 आबंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा विनियोग

आबंटनीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचतों के विश्लेषण से निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित हुएः

अनुदान संख्या 12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	470.00			
अनुपूरक	32.31	502.31	167.75	334.56

वर्ष के दौरान, शीर्ष 6801-विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण- विद्युत मंडलों को अन्य ऋण के अंतर्गत मूल प्रावधान (302.25 करोड़ रुपये) के 64 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई। फिर भी 32.31 करोड़ रुपये का पूरक अनुदान लिया गया। विभाग ने बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं।

अनुदान संख्या 30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	277.89			
अनुपूरक	23.28	301.17	46.29	254.88

बचतें मुख्यतः शीर्ष 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- केन्द्र प्रवर्तित योजनायें सामान्य- मध्यप्रदेश ग्राम्य सड़क विकास अधिकरण (254.69 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुईं।

अनुदान संख्या 41- जनजाति क्षेत्र उप योजना

(करोड़ रुपयो में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	478.10			
अनुपूरक	18.69	496.79	337.26	159.53

बचत मुख्यतः कृषि विभाग- 2401-फसल संरक्षण- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं- जनजाति उपयोजना- कृषि कार्यक्रम (वृहद प्रबंधन) (10.11 करोड़ रुपये), स्कूल शिक्षा विभाग- 2202-सामान्य शिक्षा- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं-जनजाति उपयोजना- सर्व शिक्षा अभियान (सभी के लिये शिक्षा) (76.89 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हुई 76.89 करोड़ रुपये की बचत, भारत सरकार द्वारा मिशन को सीधे रूप में केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण तथा केन्द्रीय अंश के अनुपात में राज्य अंश की आनुपातिक राशि संस्वीकृत किये जाने के कारण हुई । कृषि कार्यक्रम (वृहद प्रबंधन) के अंतर्गत हुई 10.11 करोड़ रुपये के बचत के संबंध में कारण सूचित नहीं किये गये।

अनुदान संख्या 41 -- जनजाति क्षेत्र उप योजना

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	306.25			
अनुपूरक	60.38	366.63	243.48	123.15

बचत मुख्यतः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग- 4225- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं- जनजाति उपयोजना- छात्रावास भवनों का निर्माण (16.87 करोड़ रुपये), आश्रम/शाला भवनों का निर्माण (18.58 करोड़ रुपये), 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं - जनजाति उपयोजना- लघु सिंचाई योजनाएं (21.50 करोड़ रुपये), जल संसाधन विभाग- 4701-वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य (माही परियोजना)

(14.24 करोड़ रुपये), के अंतर्गत हुई। छात्रावास भवन निर्माण तथा आश्रम/शाला भवन निर्माण के अंतर्गत हुई क्रमशः 16.87 करोड़ रुपये तथा 18.58 करोड़ रुपये की बचत सरकार से संस्वीकृति प्राप्त न होने के कारण थी। अन्य बचतों के लिये कारण सूचित नहीं किये गये।

अनुदान संख्या 48- नर्मदा घाटी विकास

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	632.66			
अनुपूरक	489.63	1122.29	645.77	476.52

बचत मुख्यतः शीर्ष 4701- वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य)- बरगी नहर डायवर्सन योजना (182.60 करोड़ रुपये), इंदिरा सागर परियोजना इकाई-I (9.81 करोड़ रुपये), 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय- इंदिरा सागर परियोजना (30.77 करोड़ रुपये), मशीनरी एवं उपकरण (14.97 करोड़ रुपये), भूमि अधिग्रहण तथा सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में अन्य कार्य पर व्यय (264.24 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। इन बचतों को शीर्ष 4701 वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य)- बांध एवं सम्बद्ध कार्य के अंतर्गत हुए 30.23 करोड़ रुपये के अधिक व्यय से प्रति संतुलित किया गया।

बरगी नहर डायवर्सन के अंतर्गत हुई 182.60 करोड़ रुपये की आंशिक बचत (15.74 करोड़ रुपये) तथा इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत 30.77 करोड़ रुपये की आंशिक बचत (27.77 करोड़ रुपये) तकनीकी कारण,आहरणों पर प्रतिबंध तथा मितव्ययी उपायों के कारण परियोजना एवं अभिकरण को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण होना बतायी गयी। अन्य बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये। बांध एवं सम्बद्ध निर्माण कार्य के अंतर्गत हुआ 30.23 करोड़ रुपये का अधिक व्यय योजना के पुनर्योजन तथा कार्य प्रगत्याधीन होने के कारण था।

अनुदान संख्या 81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	570.79			
अनुपूरक	123.26	694.05	553.47	140.58

बचत मुख्यतः शीर्ष 2202- सामान्य शिक्षा- ग्रामीण एवं शहरी निकायों को पोषाहार अनुदान (5.59 करोड़ रुपये), 3604-स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं अभिहस्तांकन- वाहनों पर कर की प्राप्ति से सड़क संधारण हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायतानुदान (11.26 करोड़ रुपये), प्रवेश कर से प्राप्त आय के समतुल्य शहरी स्थानीय निकायों को सहायतानुदान (52.71 करोड़ रुपये), वाणिज्य कर पर प्रभारित स्थानीय निकायों को अधिभार का भुगतान (56.56 करोड़ रुपये) तथा समाप्त किये गये यात्री कर के स्थान पर शहरी स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान (8.58 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई।

वाहनों पर कर की प्राप्ति से सड़कों के संधारण हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायतानुदान के अंतर्गत हुई 11.26 करोड़ रुपये की बचत का एक भाग 10.90 करोड़ रुपये मुख्यतः आहरणों पर प्रतिबंध के कारण होना बताया गया। अन्य बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।

कई अन्य शीर्षों में भी निम्नानुसार बचत/आधिक्य परिलक्षित हुआः-

- अन्य 73 अनुदान/विनियोग प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में 1 करोड़ रुपये से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक की कुल 2043.97 करोड़ रुपये की बचत हुई जैसाकि **परिशिष्ट XI** में दर्शाया गया है। इनमें से 3 प्रकरणों (क्रम संख्या 39, 43 एवं 47) में 21.30 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।

- 32 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में उपलब्ध कराया गया एक करोड़ रुपये और उससे अधिक कुल 257.78 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसका विवरण **परिशिष्ट XII** में दिया गया है।

- 8 अनुदानों एवं विनियोगों के अंतर्गत हुए 424.79 करोड़ रुपये के अधिक व्यय में से जिसका कि राज्य विधायिका द्वारा नियमन किया जाना अपेक्षित है, लोक ऋण के अंतर्गत ही 375.43 करोड़ रुपये राशि का आधिक्य था।

- 11 योजनाओं में से प्रत्येक प्रकरण में व्यय, स्वीकृत प्रावधान से 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक और कुल प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक अर्थात कुल 3225.09 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। विवरण **परिशिष्ट XIII** में दिये गये हैं।

- 62 योजनाओं में, 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक और प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी अधिक कुल 1407.53 करोड़ रुपये की सारभूत बचत परिलक्षित हुई। इनमें से 37 योजनाओं में सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इसके विवरण **परिशिष्ट XIV** में दिये गये हैं।

2.3.2 सतत बचतें

अनुदानों/विनियोगों के 35 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक और प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की सतत बचतें हुईं। सारभूत बचतें अयथोचित अनुमानों पर आधारित बजट का होना दर्शाती हैं। विवरण **परिशिष्ट XV** में दिये गये हैं।

2.3.3 अधिक व्यय का नियमितीकरण

(i) विगत वर्षों से संबंधित अधिक व्यय जिनके नियमन की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिये किसी अनुदान/विनियोग में हुए अधिक व्यय का राज्य विधायिका से नियमन कराया जाना अनिवार्य होता है तथापि 1990-91 से 2001-02 तक के वर्षों के 5144.25 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का अभी तक (अक्टूबर-2003) नियमन नहीं कराया गया है। यह विनियोगों पर विधायिका के नियंत्रण का उल्लंघन है।

विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि	राशि जिसके लिये लोक लेखा समिति के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये
1990-91	22	119.51	प्रस्तुत
1991-92	16	258.58	प्रस्तुत
1992-93	21	189.32	प्रस्तुत
1993-94	21	258.11	2.05
1994-95	15	407.46	0.39
1995-96	21	251.59	प्रस्तुत
1996-97	18	224.17	प्रस्तुत
1997-98	13	302.79	9.67
1998-99	17	1276.45	1.84
1999-2000	17	1584.94	प्रस्तुत
2000-2001	07	265.07	265.07
2001-2002	03	6.26	6.26
योग		**5144.25**	**285.28**

(ii) 2002-03 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष के दौरान अनुदानों एवं विनियोगों के 8 प्रकरणों के अंतर्गत 424.79 करोड़ रुपये के अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन कराये जाने की आवश्यकता है। विवरण नीचे दिये गये हैं:

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक व्यय
		राशि रुपयों में		
क- राजस्व (दत्तमत)				
1.	24- लोक निर्माण- सड़कें एवं पुल	1852876100	2219716999	366840899
2.	53- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना के अधीन शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	214300000	214331000	31000
3	67- लोक निर्माण-भवन	1853145900	1975076782	121930882
	योग (क) दत्तमत	**3920322000**	**4409124781**	**488802781**

ख- राजस्व (प्रभारित)				
4.	*44- उच्च शिक्षा*	*500000*	*3200000*	*2700000*
5.	*67- लोक निर्माण-भवन*	*500000*	*2506537*	*2006537*
	योग (ख)	***1000000***	***5706537***	***4706537***
ग-पूंजीगत-(प्रभारित)				
6	*लोक ऋण*	*75653001000*	*79407304328*	*3754303328*
7	*21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय*	*100000*	*133207*	*33207*
8	*23- जल संसाधन विभाग*	*2000000*	*2080985*	*80985*
	योग- (ग)	***75655101000***	***79409518520***	***3754417520***
	योग (ख+ग) प्रभारित	***75656101000***	***79415225057***	***3759124057***
	योग (क+ख+ग)	**79576423000**	**83824349838**	**4247926838**

सरकार ने अधिक व्ययों के लिये अक्टूबर 2003 तक कारण प्रस्तुत नहीं किये थे।

2.3.4 मूल बजट और अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान किये गये अनुपूरक प्रावधान (6196.19 करोड़ रुपये) विगत वर्ष में 43.8 प्रतिशत की तुलना में मूल प्रावधान (23161.84 करोड़ रुपये) के 26.75 प्रतिशत थे।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 65 प्रकरणों में किये गये 745.19 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान, 2772.58 करोड़ रुपये की कुल बचत (प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक बचत) के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक सिद्ध हुए जिनके विवरण **परिशिष्ट XVI** में दिये गये हैं ।

32 प्रकरणों में केवल 1381.74 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 2423.97 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान एवं विनियोग प्राप्त किये गये जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक की कुल 1042.23 करोड़ रुपये की बचतें हुईं। इन प्रकरणों के विवरण **परिशिष्ट XVII** में दिये गये हैं।

3 प्रकरणों में 2978.55 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे 424.30 करोड़ रुपये का अनावृत्त अधिक व्यय हुआ। विवरण **परिशिष्ट XVIII** में दिये गये हैं।

2.3.6 सतत आधिक्य

विनियोग के एक प्रकरण में सतत अत्यधिक व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विनियोग का विवरण	आधिक्य की राशि (रुपयों में) एवं प्रतिशत कोष्ठक में		
पूंजीगत (प्रभारित)	**2000-2001**	**2001-02**	**2002-03**
23- जल संसाधन विभाग	*1947969 (97.4)*	*573333 (28.7)*	*80985 (4)*

2.3.7 निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

पुनर्विनियोग एक अनुदान के भीतर विनियोग की उस इकाई से जिसमें बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को जिसमें निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता है, निधियों का अन्तरण है। वे प्रकरण जिनमें (क) पहले से ही अधिक व्यय हो चुका था ऐसे शीर्षों से निधियों के आहरण, (ख) उपलब्ध बचत से अधिक निधियों के आहरण तथा (ग) अधिक व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यकता से अधिक निधियों के आवर्द्धन करने के कारण प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की निधियों का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, **परिशिष्ट XIX** में दिये गये हैं।

2.3.8 प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित नहीं की गई

(क) नियमानुसार, व्यय करने वाले विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब भी बचतें प्रत्याशित हों, वे अनुदानों/विनियोगों की राशि अथवा उसका भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दें। तथापि वर्ष 2002-03 की समाप्ति पर अनुदानों/विनियोगों के 151 प्रकरणों में हुई बड़ी बचतें, विभागों ने अभ्यर्पित नहीं की जिनमें 2329.13 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्निहित थी। 41 प्रकरणों में उपलब्ध बचतों की प्रचुर राशियाँ (प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक) जो कुल 2242.52 करोड़ रुपये थीं, अभ्यर्पित नहीं की गईं। विवरण **परिशिष्ट XX** के अनुसार हैं।

(ख) इसके अतिरिक्त, 116 प्रकरणों में 1821.94 करोड़ रुपये के कुल अभ्यर्पण में से 1806.00 करोड़ रुपये (99.1 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2003 के अंतिम दिन किया गया जिससे व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रकट होता है।

2.3.9 निधियों का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

(क) 14 प्रकरणों में अभ्यर्पित की गई राशि, उपलब्ध बचत से अधिक थी जो बजट संबंधी नियंत्रण की अक्षम स्थिति का द्योतक है। 268.40 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध बचतों की तुलना में अभ्यर्पित राशि 298.48 करोड़ रुपये की थी, परिणामस्वरूप 30.08 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ। विवरण **परिशिष्ट XXI** में दिये गये हैं।

(ख) 2 प्रकरणों में 0.03 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किये गये यद्यपि इनमें 12.19 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हो गया था। विवरण **परिशिष्ट XXII** में दिये गये हैं।

2.3.10 बजट प्रावधान के बिना व्यय

बजट में निधियों का प्रावधान किये बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिये। तथापि यह देखा गया कि 2 प्रकरणों में किया गया 31200.28 लाख रुपये का व्यय मूल अनुमानों/पूरक माँग में प्रावधान किये बिना किया गया। विवरण **परिशिष्ट XXIII** में दर्शाये अनुसार है।

2.4 समाधान न किया गया व्यय

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि विभागीय नियंत्रण अधिकारियों को व्यय के विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा लेखांकित आंकड़ों से समयबद्ध रूप से मिलान करना चाहिये। तथापि कई विभागों में 10 मुख्य शीर्षों से संबंधित 3073.50 करोड़ रुपये के व्यय का जो कि कुल व्यय का 12 प्रतिशत था, वर्ष के दौरान मिलान करना बकाया था। विवरण **परिशिष्ट XXIV** में दिये गये हैं।

2.5 पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

राज्य सरकार के अनुदेशों (अगस्त 1996) तथा वित्तीय नियमों के अनुसार (i)पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों हेतु समस्त संस्वीकृतियाँ वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी कर दी जानी चाहिये और लेखाओं में उनके समाविष्टीकरण हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में समय सीमा के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिये, (ii) "कार्यालय व्यय" शीर्ष के अंतर्गत किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोग से बजट प्रावधान बढ़ाया नहीं जाना चाहिये, (iii) एक अनुदान से किसी दूसरे अनुदान में राशि का पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता, (iv) " वेतन एवं मजदूरी " शीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष में तथा विलोमतः 10 लाख रुपये से अधिक के पुनर्विनियोग वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना करना अनुमत्य नहीं हैं, (v) जिस शीर्ष से पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण संस्वीकृत किये गये हों, उसमें बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिये, (vi) जिन योजनाओं से अभ्यर्पण/विनियोग संस्वीकृत किये गये हों, उनके पर्याप्त विवरण दिये जाने चाहिये तथा पुनर्विनियोग संस्वीकृति के दोनों पक्षों का योग मेल खाना चाहिये। इन अनुदेशों का उल्लंघन कर वर्ष के दौरान 118.66 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण कये गये तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने लेखाओं में सम्मिलित करने हेतु इसे मान्य नहीं किया। इसके विवरण **परिशिष्ट XXV** में दिये गये हैं।

2.6 व्यय की अत्यधिकता

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि सरकारी व्यय को वर्ष के दौरान समान रूप से बांटा जाना चाहिये। व्यय की अधिकता, विशेषकर वित्त वर्ष के अंतिम माहों में होना वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। चार तिमाहियों से संबंधित व्यय तथा माह मार्च 2003 में किये गये व्यय से भी यह प्रकट होता है कि आठ प्रकरणों में मार्च 2003 में किया गया व्यय वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का 54 और 100 प्रतिशत के मध्य रहा जो वित्त वर्ष के अंत में बजट प्रावधान के उपयोग की प्रवृत्ति दर्शाता है। स्थिति **परिशिष्ट XXVI** में अंकित है।

2.7 बजट नियंत्रण

बजट प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा तथा आठ अनुदानों• के प्रकरण में अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नानुसार प्रकट हुआः

(क) मासिक व्यय विवरण पत्रक प्राप्त न होनाः

अनुदान संख्या 5, 44, 58, 67, 81 एवं 83 के मासिक व्यय विवरण पत्रक संबद्ध अधिकारियों को उनकी अधीनस्थ इकाईयों से नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुए अथवा मंगाये नहीं गये। इनमें से किसी भी कार्यालय में व्यय नियंत्रण पंजियाँ भी संधारित नहीं की गई थीं। अस्तु नियंत्रण अधिकारियों द्वारा माहवार व्यय के अद्यतन प्रगामी योग संगणित नहीं किये जा सके। इससे व्यय पर यथोचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण का अभाव प्रकट हुआ, जिसके कारण (क) कतिपय उपशीर्षों के अंतर्गत प्रावधान से बहुत अधिक व्यय/वृहद बचतें हुईं, (ख) अपर्याप्त/अनावश्यक/अत्यधिक पूरक प्रावधान किये गये, तथा (ग) अनियमित पुनर्विनियोग हुए और निधियों का अभ्यर्पण नहीं किया गया जैसा कि पूर्व में विवेचन किया गया है।

अनुदान संख्या 5, 90 और 58 के नियंत्रण अधिकारियों ने तथ्य स्वीकार किया और बताया कि भविष्य में व्यय नियंत्रण पंजी संधारित की जायेगी तथा अद्यतन रखी जायेगी। अन्य नियंत्रण अधिकारियों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

(ख) अवास्तविक बजट अनुमान

नमूना जाँच किये गए अनुदानों* में अपनाई गई प्रक्रिया तथा 2002-03 के विनियोग लेखे से प्रकट हुआ कि बजट अनुमानों हेतु माँगें तदर्थ आधार पर तैयार की गई थीं। बजट तैयार करने की एवं बजट प्रवर्तन की हीन गुणवत्ता के ये परिणाम हुएः

(i) राजस्व (दत्तमत) भाग के अंतर्गत 7 अनुदानों (5, 14, 44, 58, 81, 83 एवं 90) में 0.70 करोड़ रुपये से 140.58 करोड़ रुपये तक का अधिक प्रावधान किया गया पूंजीगत (दत्तमत) भाग में भी पाँच अनुदानों (14, 44, 58, 67 एवं 81) में 0.65 करोड़ रुपये से 37.95 करोड़ रुपये तक का अधिक प्रावधान हुआ। अनुदान संख्या 5 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि अधिक प्रावधान पद रिक्त रहने तथा वित्त विभाग द्वारा आर्थिक कटौती के कारण था, जबकि अनुदान संख्या 81 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि अधीनस्थ स्थानीय निकायों से कोई प्रस्ताव नहीं मंगाये गये थे तथा आयोजना के अंतर्गत प्रावधान आयोजनागत सीमा में किये गये थे जबकि योजनेत्तर के अंतर्गत प्रावधान प्रतिशतता के आधार पर किये गये थे। अनुदान संख्या 58 के नियंत्रण अधिकारी

• 5-जेल, 14-पशु पालन विभाग से संबंधित व्यय, 44-उच्च शिक्षा, 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय, 67-लोक निर्माण-भवन, 81-शहरी निकायों को वित्तीय सहायता, 83-जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता तथा 90-ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन प्रशासन का स्तरोन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।

ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन करना बहुत कठिन था, अस्तु जिला अधिकारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किये गये और तदर्थ अनुमान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमान न तो वास्तविक थे और न ही अधीनस्थ इकाईयों के मानदण्डों/प्रस्तावों पर आधारित थे। अन्य नियंत्रण अधिकारियों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

(ii) नमूना जांच किये गये अनुदानों की 15 योजनाओं के अंतर्गत 2002-03 के दौरान 2 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 30 प्रतिशत से भी अधिक कुल 156.36 करोड़ रुपये की, **परिशिष्ट XXVII** में दिये गये विवरण के अनुसार सारभूत बचतें हुईं (5 योजनाओं में सतत बचत हुई थी)। इनमें से 4 योजनाओं (क्रम संख्या 1, 2,8 एवं 10) में 2002-03 के दौरान कुल 53.16 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जबकि 11 योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में 2002-03 के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक कुल 85.85 करोड़ रुपये के प्रचुर आधिक्य होना पाया गया। (7 योजनाओं में सतत आधिक्य हुए थे) जैसा कि **परिशिष्ट XXVIII** में विवरण दिया गया है।

(ग) अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

नमूना जाँच किये गये अनुदानों की 12 योजनाओं में कुल 138.39 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहे एवं अनावश्यक सिद्ध हुए जबकि 6 योजनाओं में पूरक प्रावधान 26.68 करोड़ रुपये तक अधिक थे तथा 5 योजनाओं में 11.48 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान 18.20 करोड़ रुपये के आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त सिद्ध हुए। विवरण **परिशिष्ट XXIX** में दिये गये हैं।

(घ) नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

अनुदान संख्या 81 (राजस्व दत्तमत) के अंतर्गत 158.55 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण 140.58 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचत से अधिक था। यह दर्शाता है कि व्यय की आवश्यकताओं का उपयुक्त आंकलन किये बिना अभ्यर्पण किया गया था।

(ड.) वित्त वर्ष के अंतिम दिन आहरण

187.21 करोड़ रुपये वित्त वर्ष के अंतिम दिन आहरित किये गये और मुख्य शीर्ष 8443- सिविल जमा-800 अन्य जमाओं के अंतर्गत 31 मार्च 2003 को जमा किये गये तथा बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने हेतु व्यय के रूप में लेखाओं में दर्शाये गये। इसके परिणामस्वरूप भी उक्त सीमा तक व्यय में अनुचित वृद्धि हुई।

(करोड़ रुपयों में)

भाग	अनुदान संख्या	राशि
राजस्व दत्तमत	5	0.70
राजस्व दत्तमत	44	21.00
राजस्व दत्तमत	58	122.34
राजस्व दत्तमत	81	16.15
पूंजीगत दत्तमत	81	27.02
	योग	**187.21**

अनुदान संख्या 5 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि क्रय औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण राशि को सिविल जमाओं में रखा गया था, अनुदान संख्या 81 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि वित्त विभाग की संस्वीकृति के अंतर्गत राशि सिविल जमाओं में रखी गई थी, जबकि अनुदान संख्या 58 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि राशि मंत्री मंडल की उप समिति के निर्णयानुसार सिविल जमाओं में रखी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि अप्रयुक्त राशि वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व सरकार को अभ्यर्पित कर दी जानी चाहिये और अगले वित्त वर्ष में प्रावधान किया जाना चाहिये।

(च) बैंक खाते में निधियों का अवरोधन

2002-03 के दौरान 6403-109-0101-5038-दुग्ध संघ हेतु ऋण योजना के अंतर्गत अनुदान संख्या-14-पशुपालन विभाग को उपलब्ध कराई गई 4.35 करोड़ रुपये की राशि कोषालय से आहरित (26 मार्च 2003) की गई और इसे व्यय के रूप में लेखाओं में दर्शाया गया। जबकि उक्त राशि दुग्ध संघ भोपाल ने अपने बैंक खाते में रख ली और अभी तक इसका उपयोग नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाना तथा त्रुटिपूर्ण व्यय लेखांकन प्रदर्शित हुआ। विभाग ने बताया कि राशि सरकार की संस्वीकृति के अनुसार आहरित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों में आवश्यकता की प्रत्याशा में निधियों का आहरण करना वर्जित है।

(छ) व्यय आंकड़ों का मिलान न करना

अनुदान संख्या 5, 44, 58, 67, 81, 83 एवं 90 से संबद्ध नियंत्रण अधिकारियों ने वर्ष 2002-03 के विभागीय व्यय के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से नहीं किया जिसका परिणाम व्यय पर अप्रभावी नियंत्रण के रूप में प्रकट हुआ। नियंत्रण अधिकारियों ने तथ्य स्वीकार किया और बताया कि समाधान किया जायेगा/किया जा रहा है।

(ज) मार्च में व्यय की अत्यधिकता

विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत मार्च 2003 के दौरान व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार थाः

अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष/योजना	व्यय का प्रतिशत
14	2403 -पशुपालन (आयोजना)	36.3
58	2245-02-101-2018 -नकद दान	37.7
58	2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई साधनों एवं बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों का पुनर्स्थापन एवं मरम्मत	85.4
58	2245-01-800-7024-राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि	100
58	2702-80-3819-लघु सिंचाई कृषि	52.4
67	4059-01-051-7093-नये जिलों के जिला फोरम भवनों का निर्माण	100
67	4059-01-051-8739-जेल भवनों का निर्माण	100

अनुदान संख्या 58 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि जनवरी एवं फरवरी 2003 में पाला एवं ओला वृष्टि के कारण आर्थिक सहायता मार्च में वितरित की गई थी। इसके साथ ही रबी फसल के उपरान्त कामगारों एवं श्रमिकों की आवश्यकता थी, इसलिये मार्च में व्यय की अधिकता रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी एवं फरवरी 2003 में पाला एवं ओला वृष्टि के बाबजूद भी मार्च 2003 में व्यय होना औचित्यपूर्ण नहीं था । निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना, मार्च 2003 में व्यय की अधिकता को नकारा नहीं जा सकता।

(झ) आपदा राहत निधि का अनियमित व्यपवर्तन

केन्द्र सरकार ने मार्च 2003 में राज्य सरकार को अनुदान संख्या 58 शीर्ष 2245-01-800-7024-राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि के अंतर्गत 166.55 करोड़ रुपये की (अनुपूरक बजट) राशि उपलब्ध कराई थी। इसके विरुद्ध कृषकों को आर्थिक सहायता आदान के भुगतान हेतु अभिहित 143.93 करोड़ रुपये का व्यय लेखाओं में दर्शाया गया है। तथापि उक्त राशि में से 111.59 करोड़ रुपये की राशि कृषकों द्वारा 2001 एवं 2002 के दौरान सहकारी बैंकों से लिये गये ऋण/ब्याज के भुगतान/समायोजन हेतु राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्दिष्ट अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से आबंटित कर दी। सहकारिता विभाग को दिये गये 111.59 करोड़ रुपये के इस आबंटन में से 21.59 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जबकि 90.00 करोड़ रुपये का शेष बचाए रखा । इस प्रकार 143.93 करोड़ रुपये में से केवल 21.59 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय किया गया तथा 122.34 करोड़ रुपये की शेष राशि लेखाओं में व्यय के रूप में दर्शाते हुए 31 मार्च 2003 को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800 अन्य जमाओं में जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप अनियमित व्यय हुआ तथा बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु जमा शीर्ष को निधियों का अन्तरण हुआ।

अनुदान संख्या 58 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि आर्थिक सहायता आदान का कृषकों द्वारा बैंक ऋणों/ब्याज के समायोजन हेतु उपयोग किया गया तथा शेष राशि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री मंडलीय उप समिति के निर्णय (11 मार्च 2003) के अनुसार तदउद्देश्य हेतु राशि का आगे उपयोग करने के लिये सिविल जमाओं में जमा रखी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिये भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गई।

(ञ) राहत निधि का दुरुपयोग

सूखाग्रस्त घोषित न होने पर भी 12 जिलों को अनुदान संख्या 58 के अंतर्गत विभिन्न कार्यमदों के लिये राज्य सरकार द्वारा दिया गया 7.63 करोड़ रुपये का आबंटन भारत सरकार की संस्वीकृति के बिना किया गया था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

	मदें जिन पर आबंटन किया गया						
अप्रभावित जिलों की संख्या	पेयजल प्रबंधन (शहरी)	पेयजल प्रबंधन (ग्रामीण)	जल का परिवहन	राहत कार्य	पशुचारा, पशु चिकित्सा	अन्य कार्य	योग
							(लाख रुपयो में)
12 जिले	208.50	297.10	148.20	70.00	5.00	33.70	762.50

उपरोक्त आबंटन के विरुद्ध हुए व्यय के विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये। अनुदान संख्या 58 के नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि सूखे से अप्रभावित जिलों में राहत कार्य आरंभ करने का निर्णय मंत्रिमंडल की उप समिति द्वारा लिया गया था तथा आबंटन/व्यय तद्नुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आबंटन/व्यय राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से किया गया है, अस्तु अप्रभावित जिलों में धनराशि व्यय करने हेतु भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अभीष्ट था।

(ट) साख पत्र जारी करने में अनियमितताएं

मुख्य अभियंता राजधानी परियोजना, लोक निर्माण खण्ड भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच में अनुदान संख्या 67 के अंतर्गत आबंटन, साखपत्रों और व्यय के मध्य असमानता प्रकट हुई। दो प्रकरणों में आबंटन से अधिक साखपत्र जारी किये गये थे तथा दूसरे प्रकरण में आबंटन (38.07 लाख रुपये) से कम साखपत्र (20.02 लाख रुपये) जारी किया गया था जबकि वर्ष के दौरान किया गया व्यय (109.03 लाख रुपये) आबंटन से 186.4 प्रतिशत तक अधिक था। विवरण निम्नानुसार हैं:

लेखाशीर्ष	संभाग का नाम	कुल आबंटन	जारी साखपत्र	व्यय
				लाख रुपयो में
4059/1481	राजगढ़	38.07	20.02	109.03
4202/3490	रायसेन	12.08	29.70	13.53
4211	विदिशा	5.78	15.20	निरंक

आगे यह भी परिलक्षित हुआ कि किसी मुख्यशीर्ष विशेष के अंतर्गत साखपत्र जारी करते समय लघु/उपशीर्ष आदि के विवरण साखपत्रों में नहीं दर्शाये गये जिसके कारण एक लघु/उपशीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष में साखपत्रों के पुनर्विनियोग के लिये गुंजाइश बनी रही । प्रकरण सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2003), उत्तर अप्राप्त है।

तीसरा अध्याय

निष्पादन समीक्षाएं

तीसरा अध्याय
निष्पादन समीक्षाएं

इस अध्याय में 5 निष्पादन समीक्षाएं यथा 3.1 कृषि संचालनालय की कार्यप्रणाली, 3.2 औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम का क्रियान्वयन, 3.3 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, 3.4 अग्नि निवारण एवं नियंत्रण तथा 3.5 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

कृषि विभाग

3.1 कृषि संचालनालय की कार्यप्रणाली*

मुख्यांश

मुख्य फसलों के उत्पादन तथा उपज में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार ने विभिन्न फसल विकास योजनाएं आरंभ की थीं । इन योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत बहुत शिथिल रहा क्योंकि 2000-2003 के दौरान दलहनों/तिलहनों एवं खाद्यान्नों के उत्पादन में सारभूत रूप से कमी हुई । जिला अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निदर्शनों का परिवीक्षण, बीज मिनीकिटों का वितरण तथा वैज्ञानिकों द्वारा पर्यवेक्षण का नितान्त अभाव रहा । समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक भूमि सर्वेक्षण, मिट्टी परीक्षण आदि संबंधी निष्पादन उपलब्ध क्षमता से अत्यल्प था । कृषकों को अवमानक आदान उपलब्ध कराये गये जिसके कारण उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

2002-03 के दौरान 0.53 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा 71.89 करोड़ रुपये की बचतें 2000-03 में वित्त वर्ष के नितांत अंत में अभ्यर्पित की गईं जिससे हीन बजट प्रक्रिया प्रकट हुई।

(कंडिका 3.1.4 क(i) एवं (iii))

3.62 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता राशि अनियमित रूप से राज्य राजस्व को व्यपगत होने दी गई ।

(कंडिका 3.1.4 क(iv))

दलहनों, तिलहनों और खाद्यान्नों के उत्पादन में 1998-99 की तुलना में 2002-03 के दौरान 35 से 37 प्रतिशत तक की कमी रही तथा क्षेत्र समावेशन भी 18 से 23 प्रतिशत तक कम हो गया ।

(कंडिका 3.1.5)

भारत सरकार द्वारा यथाअनुमोदित सहायता राशि की बढ़ी हुई दरें लागू न करने से राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को बीज पर 33.01 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई सहायता के लाभ से वंचित रखा गया।

(कंडिका 3.1.5 (क)(ii))

---

* *कृषि विभाग में औद्यानिकी एवं कृषि यांत्रिकी के दो अन्य संचालनालय भी हैं । प्रस्तुत समीक्षा में केवल कृषि संचालनालय ही समावृत्त है ।*

क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि बीज मिनीकिटों का वितरण बोनी मौसम के पर्याप्त पूर्व किया गया था तथा क्षेत्र प्रदर्शनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

(कंडिका 3.1.5 (ख) एवं 3.1.5 (च))

गहन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार से एक करोड़ रुपये की सहायता की उपलब्धता के बावजूद राज्य सरकार कपास बीज औटन (उपचार संयंत्र) की स्थापना करने में विफल रही।

(कंडिका 3.1.5 (ङ.)(i))

कृषकों को अवमानक बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों का विक्रय किया गया। भू-सर्वेक्षणों के साथ ही मिट्टी परीक्षणों में भी सारभूत कमी देखी गई।

(कंडिका 3.1.5 (ज)(iii))

वर्षा विहीन क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना के अंतर्गत संरचनाओं के निर्माण पर किया गया 53.91 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित सीमा से 19 प्रतिशत अधिक था।

(कंडिका 3.1.6 (ख))

निष्क्रिय एवं संयोजित किये गये कर्मचारी अमले के वेतन एवं भत्तों पर 2.68 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय किया गया।

(कंडिका 3.1.8 (ज)(i) (ii) एवं 3.1.8(ग))

3.1.1 प्रस्तावना

कृषि विभाग (विभाग) केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु उत्तरदायी है जिनका उद्देश्य भूमि, जल प्रबंधन एवं लघु सिचांई कार्यक्रम, आधुनिक तकनीकियों के विकास और कृषकों के मध्य उनके प्रसार तथा उन्नत आदानों यथा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर इनके माध्यम से सभी फसलों का उत्पादन एवं उपज बढ़ाना है।

मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र 307.55 लाख हेक्टेयर है। 2001-02 के दौरान निवल बोनी क्षेत्र 149.62 लाख हेक्टेयर था, साथ ही सिंचित क्षेत्र 47.35 लाख हेक्टेयर (32 प्रतिशत) था। राज्य की मुख्य फसलों मे चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर (दालें), सोयाबीन, सरसों, तिल्ली, मूंगफली (तिलहनें), गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा (अनाज) तथा कपास (वाणिज्यिक फसल) प्रमुख हैं।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

कृषि संचालक (संचालक) मुख्य नियंत्रण अधिकारी हैं जो सरकार के प्रमुख सचिव के समग्र पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन कृषि विस्तार, प्रशिक्षण, उन्नत उपकरणों आदि की उपलब्धता के माध्यम से कृषि उत्पादन का संवर्द्धन करने हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं। संचालक की सहायता के लिये संभाग स्तर पर कृषि जलवायु क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा जिला स्तर पर कृषि उप संचालक सहायक होते हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन उप संभाग, विकास खण्ड तथा ग्राम्य स्तर पर क्रमशः उपसंभागीय कृषि अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी तथा

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी करते हैं। भूमि संरक्षण योजनायें संबंधित कृषि उपसंचालकों के अधीन कार्यरत सहायक भू-सरंक्षण अधिकारियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं ।

3.1.3 लेखापरीक्षा समावेशन

कृषि संचालनालय द्वारा 2000-2003 अवधि में क्रियान्वित की गई योजनाओं की भोपाल स्थित सचिवालय तथा संचालनालय और (45 में से) 11* जिलों के अधीनस्थ कार्यालयों की नवम्बर 2002 एवं जून 2003 के मध्य समीक्षा की गई। परिणामों का विवेचन आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

3.1.4 वित्तीय व्यवस्थापन एवं नियंत्रण

(क) बजट प्रावधान तथा व्यय

10 अनुदानों में दर्शाये गये संचालक के बजट प्रावधानों तथा व्यय के विवरण निम्नानुसार हैं।

(करोड़ रुपये में)

अनुदान संख्या	2000-2001			2001-2002			2002-2003		
	प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत(-)	प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत(-)	प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत(-)
13	217.14	208.50	(-)8.64	204.25	201.87	(-)2.38	259.78	204.28	(-)55.50
15	3.26	3.44	(+)0.18	2.91	2.77	(-)0.14	7.10	4.33	(-)2.77
41	45.88	44.25	(-)1.63	32.64	31.32	(-)1.32	58.58	43.01	(-)15.57
45	9.03	9.74	(+)0.71	11.91	8.65	(-)3.26	18.75	8.39	(-)10.36
52	4.40	4.07	(-)0.33	3.83	3.86	(+)0.03	5.20	3.27	(-)1.93
54	44.18	45.62	(+)1.44	34.67	36.75	(+)2.08	41.82	41.77	(-)0.05
64	11.63	11.60	(-)0.03	19.85	19.22	(-)0.63	29.19	19.25	(-)9.94
67	0.09	--	(-)0.09	0.54	0.34	(-)0.20	0.16	0.10	(-)0.06
80	11.08	11.47	(+)0.39	7.69	7.46	(-)0.23	16.77	8.44	(-)8.33
82	3.70	4.13	(+) 0.43	3.20	3.08	(-)0.12	6.06	3.10	(-)2.96
योग	**350.39**	**342.82**	**(-) 7.57**	**321.49**	**315.32**	**(-) 6.17**	**443.41**	**335.94**	**(-)107.47**

बजट प्रावधान में निम्नांकित कमियाँ प्रकट हुईं:

3 करोड़ रुपये अनुपूरक प्रावधान वश्यक सिद्ध ।

(i) **अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानः** अनुदान संख्या 52 में डेनेडा की राष्ट्रीय स्रोत प्रबंधन परियोजना से वित्त सहायित जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं राष्ट्रीय स्रोत प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत 2002-03 के दौरान किया गया 0.53 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

ाब बजट प्रक्रिया के गामस्वरूप 124.70 ड़ रुपये की बचतें

(ii) **सारभूत बचतें :** 2000-01 के दौरान अनुदान संख्या 13 (8.64 करोड़ रुपये) एवं अनुदान संख्या 41 में (1.63 करोड़ रुपये) तथा 2001-02 के दौरान अनुदान संख्या 45 (3.26 करोड़ रुपये), अनुदान संख्या 13 (2.38 करोड़ रुपये) और अनुदान संख्या

---

* 1.बैतूल 2. छिंदवाड़ा 3. धार 4. ग्वालियर 5. होशंगाबाद 6. जबलपुर 7. खरगौन 8. मुरैना 9. रतलाम 10. सतना 11. सीहोर ।

41 में (1.32 करोड़ रुपये) की सारभूत बचतें परिलक्षित हुईं। 2002-03 के दौरान सभी अनुदानों में 107.47 करोड़ रुपये की बचत हुई । उक्त बचतें, निधियों की मांग का श्रेयस्कर अनुमान करने की आवश्यकता दर्शाती हैं।

71.89 करोड़ रुपये वित्त वर्ष के नितान्त अंत में अभ्यर्पित किये गये।

(iii) बचतों का विलम्ब से अभ्यर्पण: 2000-01 के दौरान 18.32 करोड़ रुपये (अनुदान संख्या 13) एवं 0.93 करोड़ रुपये (अनुदान संख्या 52) तथा 2001-02 में 44.15 करोड़ रुपये (अनुदान संख्या 13), 1.89 करोड़ रुपये (अनुदान संख्या 52) एवं 6.00 करोड़ रुपये (अनुदान संख्या 54) तथा 2002-03 के दौरान 0.60 करोड़ रुपये (अनुदान संख्या 13) की हुई बचतें वित्त वर्षों के नितान्त अंत में अभ्यर्पित की गईं, जिनसे वैकल्पिक उपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रही। इससे व्यय पर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का अभाव प्रकट हुआ।

3.62 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि राज्य राजस्व में व्यपगत हो गई।

(iv) निधियों का सिविल जमाओं में अंतरण: नियमों* में व्यवस्था है कि कोई राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिये जब तक कि उसके त्वरित संवितरण की आवश्यकता न हो फिर भी 1996-99 की अवधि के दौरान 6.59 करोड़ रुपये आहरित किये गये और उन्हें सिविल जमा लेखे के अंतर्गत जमा रखा गया तथा 5.40 करोड़ रुपये 3 वर्ष से अधिक समय तक बिना उपयोग के रहते हुये राज्य राजस्व में व्यपगत हो गये:-

(लाख रुपयों में)

आहरण-संवितरण अधिकारी का नाम	सिविल जमाओं में जमा रखने का वर्ष	योजना	राशि	आहरित राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उपयोग की गई		शेष राशि	सरकारी लेखे में व्यपगत हुई राशि	अंतर्निहित केन्द्रीय सहायता
			रुपये	वर्ष	राशि	रुपये	रुपये	रुपये
संचालक भोपाल	1996-97	अवर्षा क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना	481.33	1997-1999	119.33	362.00	362.00	362.00
संचालक भोपाल	1998-99	राज्य योजनायें	99.36	--	--	99.36	99.36	--
उप संचालक कृषि मुरैना	1996-97	लघु सिचांई	22.60	--	--	22.60	22.60	--
	1998-99	नल/खात कूप	54.90	--	--	54.90	54.90	--
उप संचालक कृषि बैतूल	1998-99	अमृतधारा	1.13	--	--	1.13	1.13	--
	योग		**659.32**		**119.33**	**539.99**	**539.99**	**362.00**

निधियों को राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति का आधार सुदृढ़ बनाने के लिये सिविल जमाओं के अंतर्गत रखा गया। इन राशियों में 3.62 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि भी सम्मिलित थी, जिसे यदि उपयोग नहीं किया जाता है तो भारत सरकार को वापस करनी पड़ती हैं।

(ख) व्यय पर नियंत्रण

(i) व्यय नियंत्रण पंजी संधारित न करना: संचालनालय में विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों से प्राप्त मासिक व्यय विवरण पत्रकों को संकलित नहीं किया गया था और

---

* मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 का नियम 284

व्यय नियंत्रण पंजी भी संधारित करना नहीं पाई गई। संचालक ने अद्यतन प्रगामी व्यय का माहवार विवरण तैयार नहीं किया जो व्यय पर परिवीक्षण का अभाव एवं अयथोचित नियंत्रण दर्शाता है।

संचालक ने बताया (जनवरी 2003) कि आँकड़े कम्प्यूटर में संकलित किये गये हैं तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि आँकड़ों में बिना बजट प्रावधान आदि किये केवल व्यय आँकड़े समाहित थे अतः अधिक उपयोगी नहीं थे। फिर भी संचालक ने भविष्य में व्यय नियंत्रण पंजी संधारित करने का आश्वासन दिया।

132.63 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र अभिवांछित थे।

(ii) अभिवांछित उपयोग प्रमाण पत्रः 2000-03 के दौरान तीन अभिकरणों को 132.63 करोड़ रुपये के सहायतानुदान दिये गये थे जिनके समर्थन में उपयोग प्रमाण पत्र संचालनालय में प्राप्त होना नहीं पाये गये। संचालक ने इस संबंध में की गई कार्रवाई यदि कोई हो, के विवरण सूचित नहीं किये।

संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर आहरित 1.74 करोड़ रुपये की निधियाँ समायोजित नहीं की गईं।

(iii) बकाया विस्तृत आकस्मिक व्यय देयकः नियमों में यह व्यवस्था है कि संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर निधियों का आहरण करने के पूर्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिये कि पूर्व में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित राशियों से संबंधित विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत कर दिये गये हैं। नमूना जाँच किये गये जिलों में 1991-2003 अवधि के 1.74 करोड़ रुपये के विस्तृत आकस्मिक देयक अभी भी वांछित हैं जिनके विवरण **परिशिष्ट XXX** में दिये गये हैं।

लेखे की प्राप्ति में विलम्ब, कार्यों के अभिवांछित भौतिक सत्यापन की लंबित विभागीय जाँच एवं न्यायालयीन प्रकरणों के कारण विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत नहीं किये बताये गये। निधियों के दुरुपयोग आदि के कारण तथा अन्य दुराचरणों के पता न लगने से लंबित रहे विस्तृत आकस्मिक देयकों के कारण सरकार को हुई हानि की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

3.1.5. योजना/कार्यक्रम प्रबंधन

विभाग वृहद प्रबंधन योजना (अंतरित की गई 5 में से 2 मुख्य योजनाओं सहित) का विनिर्माण करने हेतु संविलीनीकृत 5* मुख्य केन्द्रीय योजनाओं तथा 13 केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है जैसा कि **परिशिष्ट XXXI** में दिया गया है। योजनाओं में बीज, मिनीकिट, कीटनाशक, कीटमार औषधि वितरण, प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से कृषकों के शिक्षण, प्रशिक्षण आदि जैसे घटक सम्मिलित हैं।

सभी केन्द्र प्रवर्तित योजनायें 75:25 के व्यय अनुपात में तथा वृहद प्रबंधन योजना 90:10 के व्यय अनुपात में वित्त पोषित होती हैं जो 80 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत ऋण के रूप में होती हैं। 2000-03 के दौरान भारत सरकार द्वारा योजनावार वित्त विमोचन, राज्य बजट में प्रावधान और व्यय के विवरण **परिशिष्ट XXXII** में दिये अनुसार हैं तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य में लक्षित एवं वास्तविक क्षेत्र, मुख्य फसलों का उत्पादन एवं उपज **परिशिष्ट XXXIII** में दर्शाये विवरणानुसार हैं।

---

* (1) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (2) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (3) गहन कपास विकास कार्यक्रम (4) एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम -मोटा अनाज तथा (5) एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम- चावल

उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये जाने थे ताकि 10 वर्षों के अंदर खाद्यान्न उत्पादन चरम लक्ष्य से दुगना प्राप्त हो सके। 2000-03 के दौरान क्षेत्र समावेशन के साथ ही उत्पादन के लक्ष्य 10 वर्षों में उत्पादन दुगुना करने के लिए अपेक्षित स्तर से अत्यधिक कम थे ।

2000-03 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में सारभूत कमी हुई।

इसके अतिरिक्त दलहनों, तिलहनों तथा खाद्यान्नें के उत्पादन में वृद्धि होने की अपेक्षा 1998-99 की उपलब्धि के स्तर को भी प्राप्त नहीं कर सका तथा 1998-99 की तुलना में 2002-03 के दौरान उत्पादन में 35 से 37 प्रतिशत तक की तीव्र कमी दृष्टिगत हुई जिसके विवरण नीचे दर्शाये अनुसार हैं:

(उत्पादन-लाख टनों में)

फसल		वर्षवार उत्पादन			1998-99 की तुलना में उत्पादन में कमी का प्रतिशत		
	1998-99	2000-01	2001-02	2002-03 (अंतिम पूर्वानुमान)	2000-01	2001-02	2002-03*
दलहन	33.74	22.81	32.17	21.91	32	5	35
तिलहन	55.47	40.97	45.69	34.86	26	18	37
खाद्यान्न	119.34	79.09	103.70	75.22	34	13	37
योग	**208.55**	**142.87**	**181.56**	**131.99**	**31**	**13**	**37**

* *अंतिम पूर्वानुमान*

मुख्य फसलों के क्षेत्र समावेशन में कमी 18 और 23 प्रतिशत के मध्य रही। उत्पादन में कमी के कारण उपज प्राप्ति में भी सारभूत कमी हुई।

संचालक ने कम उत्पादन के लिये राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सूखा, बाढ़ तथा अनियमित वर्षा का होना बताया। इसमें कोई संदेह नहीं कि 2002-03 के दौरान मुख्य फसलों के कम उत्पादन में बुरे मानसून की बड़ी भूमिका थी किन्तु यह भी प्रकट होता है कि पिछले पाँच दशकों में सरकार ने मानसून की त्रासदी पर कृषकों की निर्भरता कम करने हेतु कुछ विशेष नहीं किया। इसके अतिरिक्त एक तथ्य यह भी है कि कम उत्पादन के लिये केवल बुरा मानसून ही उत्तरदायी नहीं था अपितु भू-सर्वेक्षण, मिट्टी-परीक्षण, उन्नत किस्म के उच्च उपजाऊ प्रमाणित बीज एवं उर्वरकों का प्रदाय, आश्वस्त सिंचाई सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षण, सहायक विस्तार गतिविधियों आदि के क्षेत्र में उदासीनतापूर्ण निष्पादन भी कम उत्पादन एवं मुख्य फसलों की कम उपज के लिये उतने ही उत्तरदायी थे।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम, एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम- मोटा अनाज तथा एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम- चावल) के घटकवार क्रियान्वयन निम्नानुसार हैं:

(क) बीज- उत्पादन एवं वितरण

उपजाऊ बीज आधार बीज में तथा बाद में प्रमाणक बीज में बहुगुणित किये जाते हैं। बीज उत्पादक अभिकरणों तथा सरकारी कृषि फार्मों की माँग पर संचालक भारत सरकार से उपजाऊ बीज की आवश्यकता प्रतिपादित करता है। 2000-03 अवधि के दौरान

क्रयों एवं वितरण के योजनावार लक्ष्यों तथा उपलब्धियों/कमियों के विवरण **परिशिष्ट XXXIV** में दिये अनुसार हैं।

यह देखा गया कि बीज की अधिप्राप्ति त्रुटिपूर्ण थी, कृषकों को सहायता राशि का भुगतान बढ़ी हुई दरों पर नहीं किया गया था तथा चयनित हितग्राहियों को सहायता का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया जैसा कि नीचे विवेचन किया गया है:

(i) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपजाऊ बीज की अधिप्राप्ति में कमी 27 प्रतिशत (एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम- चावल- 2002-03) से 82 प्रतिशत (एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम–मोटा अनाज- 2001-02) के मध्य रही, आधार बीज के उत्पादन में कमी 36 प्रतिशत (राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना-2000-01 एवं एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम- चावल- 2002-03) से 91 प्रतिशत (तिलहन उत्पादन कार्यक्रम-2001-02) के मध्य, प्रमाणित बीज के उत्पादन में कमी 30 प्रतिशत (राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना- 2000-01) से 98 प्रतिशत (तिलहन उत्पादन कार्यक्रम-2001-02) के मध्य तथा प्रमाणित बीज के वितरण में 6 प्रतिशत (एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम- चावल-2002-03) से 78 प्रतिशत (गहन कपास विकास कार्यक्रम-2000-01) के मध्य कमी रही। बीजों की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य अवास्तविक थे और परिणामस्वरूप उनकी तुलना में उपलब्धियाँ अत्यंत अनियमित थीं। चूंकि बीज एक अनिवार्य आदान होता है अस्तु इसकी कमी से न केवल उत्पादन कम हुआ अपितु इसने कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित भी किया। बीज के उत्पादन और वितरण में कमी के लिये कोई कारण नहीं बताये गये।

कृषकों को 33.01 करोड़ रुपये की सहायता से वंचित रखा गया।

(ii) यह भी पाया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2000-01 से आधार बीज, प्रमाणित बीज के उत्पादन (बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत) पर सहायता राशि की दरों में वृद्धि की थी तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित बीज के वितरण पर तदनुसार वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी। तथापि राज्य सरकार ने पुरानी दरों पर ही सहायता राशि का भुगतान करना जारी रखा। इस प्रकार कृषकों को 2000-03 के दौरान 33.01 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई सहायता के लाभ से वंचित रखा गया । संचालक ने बताया(जनवरी 2003) कि योजनाओं में समावेशित क्षेत्र में विस्तार की दृष्टि से तथा अधिकतम संख्या में हितग्राहियों को लाभ देने के लिए बढ़ी हुई दरें लागू नहीं की गई थीं ।

प्रत्युत्तर भारत सरकार के निर्देशों के समनुरूप नहीं है और कम वितरित की गई सहायता राशि अप्रयुक्त रही।

(iii) राज्य सरकार के आदेशों (दिसम्बर 2000) के अनुसार प्रमाणित बीज ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा चयनित एवं जनपद पंचायतों द्वारा अनुमोदित हितग्राहियों को आर्थिक सहायता दरों पर वितरित किया जाना था। ऐसे अनुमोदन प्राप्त हितग्राहियों की सूचियाँ वरिष्ठ विकास अधिकारियों द्वारा बीज प्रदायक अभिकरणों को सहायता का भुगतान करने के लिये कृषि उप संचालकों को भेजी जानी थीं।

बीज प्रदायक अभिकरणों को 1.38 करोड़ रुपये की सहायता का तदर्थ भुगतान

छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद एवं खरगोन जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में परिलक्षित हुआ कि कृषि उप संचालकों ने बीज वितरण अभिकरणों को योजना के अंतर्गत सहायता का भुगतान अनुमोदित हितग्राहियों को बीज का वितरण सुनिश्चित किये बिना किया। हितग्राहियों की सूचियाँ न तो कृषि उप संचालकों के पास उपलब्ध

थीं और न ही बीज प्रदायक अभिकरणों की बीजक पर्चियों के साथ संलग्न पाई गईं। इसलिये यह संदेहास्पद है कि 2000-03 अवधि के दौरान 46512.42 क्विंटल बीज की मात्रा पर 1.38 करोड़ रुपये की सहायता वास्तव में लक्ष्यित हितग्राहियों तक पहुंची।

कृषि उप संचालक छिंदवाड़ा, होशंगाबाद एवं खरगोन ने भविष्य में तदर्थ आधार पर भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया वहीं कृषि उप संचालक, धार ने उत्तर दिया (जून 2003) कि हितग्राहियों का चयन संभव नहीं था क्योंकि बीज की प्राप्ति बोनी के चरम काल में हुई थी। कृषि उप संचालक धार का उत्तर यह दर्शाता है कि विभाग को हितग्राहियों का चयन बोनी मौसम के पूर्व सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

(iv) आर्थिक सहायता 10 वर्षों के अंदर अधिसूचित बीज की अद्यतन किस्मों पर स्वीकार्य थी। यह पाया गया कि 2001-03 अवधि में एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम- मोटा अनाज के अंतर्गत छिंदवाड़ा (151.20 क्विंटल) और खरगोन (1331.07 क्विंटल) जिलों में 2.97 लाख रुपये की आर्थिक सहायता 10 वर्ष से भी अधिक पुराने बीज की किस्मों पर दी गई थी।

कृषि उप संचालक, खरगोन ने उत्तर दिया कि चूंकि बीज प्रदायक अभिकरण ने 10 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्म के बीज के रूप में प्रमाणित किया था इसी के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीजकों में उल्लेखित बीजों की किस्में गेहूँ राज- 3077, मंगला-हाई-1077 नवम्बर 1989 में अधिसूचित तथा गुजरात गेहूँ- 496 अगस्त 1990 में अधिसूचित की गई थी। कृषि उप संचालक, छिंदवाड़ा से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) बीज मिनीकिटों का वितरण

अद्यतन उच्च उपज वाली बीज किस्मों को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बीजोपचार रसायन, राइजोबियम कल्चर कृषि और उससे संबंधित पद्धतियों पर मुद्रित साहित्य के साथ ही अच्छी किस्म के बीजयुक्त मिनीकिटें अभिज्ञापित कृषकों को निशुल्क वितरित की गई थीं। भारत सरकार ने 2000-01 से बीज मिनीकिटें तिलहन, दलहन प्रोद्यौगिकी मिशन, राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य कृषि प्रक्षेत्र निगम के माध्यम से राज्य को सीधे रूप में प्रदाय करने का निर्णय किया। राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य कृषि प्रक्षेत्र को बीज मिनीकिटों के मूल्य का भुगतान तिलहन, दलहन प्रोद्योगिकी मिशन द्वारा किया गया था।

7536 बीज मिनीकिटें सामान्य बोनी अवधि के उपरान्त वितरित की गईं और परिणाम संग्रहीत नहीं किये गये।

छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, ग्वालियर, खरगोन व रतलाम जिलों के अभिलेखों में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा बीज मिनीकिटों की प्राप्ति की वास्तविक तिथि तथा कृषकों को उनका तिथि सहित वितरण दर्ज नहीं था। इसके परिणामस्वरूप यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या उनको बीज मिनिकिटों का वितरण बोनी मौसम के पूर्व किया गया था तथापि 7536 बीज मिनीकिटें बोनी अवधि समाप्ति के उपरान्त वितरित की गईं क्योंकि वे जिलों में तब प्राप्त हुई थीं जब बोनी अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी थी, जिनके विवरण नीचे दिये अनुसार हैं:

जिला	वर्ष	बीज	सामान्य बोनी अवधि	जिला कार्यालय में मिनीकिटों की प्राप्ति तिथि	वितरित की गई मिनीकिटों की संख्या	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा बताई गई वास्तविक बोनी अवधि
1. छिंदवाड़ा	2002-03	उड़द टी.-9 उड़द टी.ए.यू.-1 तिल जी.टी.-1	जून के अंतिम सप्ताह एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह के मध्य जुलाई का प्रथम सप्ताह	14 अगस्त 19 अगस्त 19 अगस्त	1000 600 900	26-8-2002 से 22.9.2002
				योग	**2500**	
2. धार	2001-02 2002-03	अरंडी --तदैव-	---- तदैव --- ----तैदव----	8 अगस्त 7 अगस्त 4 अक्टूबर 21अक्टूबर	10 30 46 50	उपलब्ध नहीं कराई गई
				योग	**136**	
3. होशंगाबाद	2002-03	चना आर.एस.जी. 44	15 अक्टूबर एवं 15 नवम्बर के मध्य	13 नवम्बर 4 दिसम्बर	500 1000	उपलब्ध नहीं कराई गई
				योग	**1500**	
4. रतलाम	2002-03	उड़द टी.ए.जी.-1 उड़द टी-9 उड़द टी.यू.-94-2 तिल जी.टी.-1	जून के अंत्मि सप्ताह व जुलाई के प्रथम सप्ताह के मध्य जुलाई क प्रथम सप्ताह	13 अगस्त 24 अगस्त 24 अगस्त 25 अगस्त	600 1900 200 700	उपलब्ध नहीं कराई गई
				योग	**3400**	
				महायोग	**7536**	

बोनी अवधि के पश्चात बीज मिनीकिटों के वितरण से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। विलम्ब से वितरण के परिणामस्वरूप कम उत्पादन हुआ तथा नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य बुरी तरह प्रभावित हुआ।

कृषि उप संचालक, छिंदवाड़ा एवं रतलाम सहमत हुए (मई एवं जून 2003) कि बीज मिनीकिटों की प्राप्ति एवं वितरण में विलम्ब के कारण कम उपज हुई।

संचालक ने मिनीकिटों के वितरण के परिणाम संकलित एवं प्रकाशित नहीं किये जिसके कारण उनका प्रभाव हितग्राहियों को प्रदर्शित नहीं किया जा सका। संचालक ने उत्तर दिया (मार्च 2003) कि परिणामों का संधारण विकास खण्ड/जिला स्तर पर किया गया था तथापि छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं खरगोन जिलों के अभिलेखों के

सत्यापन में प्रकट हुआ कि कुछ मामलों को छोड़कर परिणाम संधारित नहीं किये गये थे।

(ग) स्प्रिंकलर सेटों का वितरण

स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करना उपलब्ध जल के अत्यधिक मितव्ययी उपयोग के साथ अधिकतम क्षेत्र समावेशित करने हेतु फसल जीवन रक्षक सिंचाई प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। कृषकों को स्प्रिंकलर सेटों के वितरण पर सहायता हितग्राही की श्रेणी तथा स्प्रिंकलर सेट के मूल्य की सीमा शर्त पर आधारित थी।

नमूना जाँच किये गये छः* जिलों में 1998-2003 के दौरान 6977 स्प्रिंकलर सेट वितरित किये गये और 6.04 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया तथापि कृषि उप संभागीय अधिकारियों और कृषि उप संचालक ने बैतूल और छिंदवाड़ा में तथा कृषि उप संचालक धार, ग्वालियर, होशंगाबाद व खरगोन जिलों में कृषकों के खेतों में स्प्रिंकलर सेटों का वस्तुतः स्थापन सुनिश्चित करने के लिये कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया।

हितग्राहियों को इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था कि स्प्रिंकलर सेटों का केवल सिंचाई के लिये ही उपयोग किया जायेगा और आगामी पाँच वर्षों में उनका विक्रय/अंतरण नहीं किया जायेगा अन्यथा आर्थिक सहायता राशि ब्याज के साथ वसूली योग्य थी। पाँच वर्षों तक स्प्रिंकलर सेट का स्थापन सुनिश्चित करने हेतु कोई अनुपालन कार्रवाही नहीं की गई।

(घ) प्रोद्यौगिकी का विस्तार

कृषि फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये योजनाओं में कृषकों को प्रशिक्षण देकर प्रोद्यौगिकी का हस्तांतरण करना परिकल्पित था। प्रशिक्षण सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से विभाग के विषयवस्तु विशेषज्ञों और कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की सहायता से दिया जाना था। क्षेत्रीय प्रशिक्षण हेतु अध्ययन दौरे भी आयोजित करना अपेक्षित थे।

2000-03 अवधि में प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने वाले कृषकों के 2613 समूहों की तुलना में सभी योजनाओं के अधीन केवल 2318 समूह ही समावेशित किये गये। इसके अतिरिक्त आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ड.) कपास बीज ओटन संयंत्र तथा जैविक प्रयोगशाला सुविधा का स्थापन न होना

संयंत्र/प्रयोगशाला की स्थापना न करना/ आरंभ न होना

(i) भारत सरकार ने कृषकों के अपने कपास बीज ओटन हेतु सहायता के लिये गहन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2000-01 के दौरान राज्य में एक संयंत्र की स्थापना के लिये एक करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत (मई 2000) की थी तथापि मार्च 2003 तक संयंत्र स्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार विगत तीन वर्षों के दौरान आधारभूत संरचना की यह महत्वपूर्ण मद सृजित करने में विफल रही।

---

* बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद व खरगौन

इसके परिणामस्वरूप कपास उत्पादक संयंत्र के अभिकल्पित लाभों से वंचित रहे । संचालक ने उक्त संयंत्र स्थापित न होने संबंधी कारण सूचित नहीं किए ।

(ii) भारत सरकार ने कपास की फसल में मुख्यतः उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक खाद के उत्पादन हेतु एकीकृत कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक खाद प्रयोगशाला की स्वीकृति (जनवरी 2000) दी थी, इसकी स्थापना एक करोड़ रुपये प्रति प्रयोगशाला की सीमा तक वास्तविक लागत मूल्य के आधार पर 1999-2000 के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में अंशभाजन पर आधारित थी। मार्च 2001 में आहरित एक करोड़ रुपये की सहायता राशि रतलाम जिले में प्रयोगशाला की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (बोर्ड) को जारी की गई। बोर्ड ने अक्टूबर 2002 तक 80 लाख रुपये का व्यय होना बताया किन्तु कार्य की वास्तविक प्रत्यक्ष प्रगति का लेखा संचालक के पास उपलब्ध नहीं था। संचालक ने बताया (जनवरी 2003) कि कार्य की प्रगति का विवरण बोर्ड से प्रतीक्षित है। संयंत्र का अभी तक (जनवरी 2003) स्थापन एवं आरंभ नहीं हुआ है।

(च) क्षेत्र प्रदर्शन

योजनाओं में उच्च उपज की प्राप्ति हेतु नवीन प्रोद्यौगिकियाँ लागू कर जनोपयोगी बनाने के लिये कृषकों के खेतों में बीज की आधुनिक किस्मों के उपयोग का प्रदर्शन करना परिकल्पित है। विभागीय अधिकारियों को प्रदर्शन प्रक्षेत्रों का भ्रमण एवं कृषि वैज्ञानिकों को इसका पर्यवेक्षण करना था। पारम्परिक पद्धतियों का उपयोग करने वाले पड़ोस के क्षेत्रों (नियंत्रण क्षेत्रों) की तुलना में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करने के लिये ये संकलित एवं अधिसूचित/प्रकाशित किये जाने थे तथा उन्नत तकनीकियों के प्रभाव का प्रसार किया जाना था। बीज एवं अन्य आदानों हेतु विभिन्न दरों पर फसलवार आर्थिक सहायता ग्राह्य थी।

2000-03 अवधि के दौरान योजनावार लक्ष्य, उपलब्धियाँ तथा प्रदर्शनों की कमी **परिशिष्ट XXXV** में दिये गये विवरणों के अनुसार हैं।

(i) प्रदर्शनों में 2000-03 के दौरान औसत योजनावार कमी लक्ष्यों की 12 एवं 52 प्रतिशत के बीच रही।

प्रदर्शनों में पुराने किस्म के बीजों का उपयोग किया गया और परिणाम सुनिश्चित नहीं किये गये।

(ii) प्रदर्शनों के परिणाम संचालनालय में प्राप्त नहीं हुए और उनका संकलन एवं प्रसारण नहीं किया गया। संचालक ने दावा किया (मई 2003) कि विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर परिणामों का संधारण और प्रकाशन किया गया था तथापि छिंदवाड़ा धार, होशंगाबाद और खरगोन जिलों के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि कृषि उप संचालकों ने ऐसा नहीं किया था।

(iii) विभागीय अधिकारियों ने प्रदर्शन क्षेत्रों का यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रदर्शन अनुशंसित पद्धतियों के पैकेज अनुसार किये गये थे, इनका अनुवीक्षण नहीं किया। कृषि वैज्ञानिकों ने भी उनका पर्यवेक्षण नहीं किया जैसा कि परिकल्पित था।

(iv) 2000-01 के दौरान प्रदर्शनों में एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम-मोटा अनाज के अंतर्गत धार जिले में (4 क्विंटल) और 2001-03 के दौरान खरगोन जिले में (12 क्विंटल) तथा 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत

धार जिले में (15.60 क्विंटल) 10 वर्ष से भी अधिक पुरानी किस्म के बीज का उपयोग किया गया।

उपरोक्त निष्कर्षों से यह मुख्यतः प्रकट हुआ कि योजना के प्रदर्शन घटक पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जिसमें 2000-03 के दौरान 2.12 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। अस्तु इस घटक पर व्यय बड़ी मात्रा में निष्फल सिद्ध हुआ प्रतीत होता है।

(छ) वृहद प्रबंधन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान

भारत सरकार ने दसवीं योजना के दौरान वृहद प्रबंधन योजना को इस शर्त पर जारी रखने की स्वीकृति (जुलाई 2002) दी कि आर्थिक सहायता प्रति कृषक प्रति क्रियाकलाप के अनुसार लागत के 25 प्रतिशत से अनधिक अथवा वर्तमान आर्थिक सहायता स्तर, दोनों में से जो कम हो। इस सीमा संबंधी अधिसूचना राज्य ने नवम्बर 2002 में परिचालित की थी।

24.37 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान

चार जिलों में अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि वृहद प्रबंधन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता लागत के 25 प्रतिशत तक के सीमाबंधन के बिना भुगतान की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 10531 प्रकरणों में कृषि यंत्रों, संयंत्र सुरक्षा उपकरणों, स्प्रिंकलर सेटों आदि पर नवम्बर 2002 के उपरान्त 24.37 लाख रुपये राशि की आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान हुआ। कृषि उप संचालकों ने उत्तर दिया कि प्रकरण, राज्य सरकार के उक्त आदेश प्राप्त होने के पूर्व स्वीकृत किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के आदेश (नवम्बर 2002) जारी करने के उपरान्त आर्थिक सहायता जारी की गई थी।

(ज) गुणवत्ता नियंत्रण

अच्छी गुणवत्ता के आदानों (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक) की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्रमशः बीज अधिनियम, उर्वरक नियंत्रण आदेश तथा कीटनाशक अधिनियम के अंतर्गत राज्य में एक बीज प्रयोगशाला (ग्वालियर), चार उर्वरक प्रयोगशालाओं (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर व जबलपुर) तथा एक कीटनाशक औषधि प्रयोगशाला (जबलपुर) की स्थापना की थी। विधिक नियमों में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को आदानों के नमूने लेने और उनका प्रयोगशालाओं में परीक्षण करने के अधिकार दिये गये थे।

2000-03 अवधि में लिये जाने वाले लक्षित नमूनों, वस्तुतः लिये गये एवं परीक्षण किये गये तथा अवमानक पाये गये नमूनों के विवरण निम्नानुसार हैः

आदान	वर्ष	नमूनों की संख्या		कमी का प्रतिशत	परीक्षण किये गये नमूनों की संख्या	निरस्त* किये गये नमूनों की संख्या	पाये गये नमूनों की संख्या		अवमानक नमूनों का प्रतिशत
		लिये जाने हेतु लक्षित	वस्तुतः लिये गये				मानक	अवमानक	
(I) बीज	2000-01	निर्धारित नहीं	2918	अनुपलब्ध	2918	--	2745	173	6
	2001-02	3500	2438	30	2438	--	2141	297	12
	2002-03	3500	2929	16	2893	36	2473	420	15
	योग	**7000**	**5367**	**23**	**8249**	**36**	**7359**	**890**	**11**

* लिये गये नमूनों की विधिक नियमों के अनुरूप पुष्टि नहीं हुई।

(II) उर्वरक	2000-01	9145		6146	33	5830	316	4470	1360	23
	2001-02	7575		5550	27	4536	1014	3191	1345	30
	2002-03	7600		5936	22	5330	606	3913	1417	27
	योग	**24320**		**17632**	**28**	**15696**	**1936**	**11574**	**4122**	**26**
(III) कीटनाशक	2000-01	3000		634	79	624	10	518	106	17
	2001-02	1500		591	61	581	10	481	100	17
	2002-03	1500		721	52	718	3	625	93	13
	योग	**6000**		**1946**	**68**	**1923**	**23**	**1624**	**299**	**16**

उपर्युक्त सारिणी से दृष्टव्य है कि:

(i) बीज के नमूने लेने हेतु 2000-01 के दौरान लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

(ii) 2000-03 अवधि में नमूने लेने में कमी 16 एवं 30 प्रतिशत के मध्य (बीज के संबंध में), 22 एवं 33 प्रतिशत (उर्वरक) तथा 52 एवं 79 प्रतशित के मध्य (कीटनाशक) की कमी रही।

(iii) विश्लेषित किये गये नमूनों में से बीजों, उर्वरक एवं कीटनाशकों के क्रमशः 6 से 15 प्रतिशत, 23 से 30 प्रतिशत एवं 13 से 17 प्रतिशत नमूने अवमानक पाये गये।

नमूनों का परीक्षण करने के लिये (60 दिन) और परिणाम संचारित करने हेतु (30 दिन) तीन माह का समय दिया गया था तथापि यह देखा गया कि 3 माह की दीर्घ अवधि के दौरान परिणामों की प्रतीक्षा किये बिना ही कृषकों को आदानों का विक्रय किया जाता रहा। नमूना जाँच किये जिलों (जबलपुर और सतना को छोड़कर) में कृषि उप संचालकों ने उस स्टाक का विक्रय बंद करने के आदेश जारी किये जिनके नमूने अवमानक पाये गये । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को प्रत्यक्ष सत्यापन करने के उपरान्त अवमानक स्टॉक की मात्रा की जानकारी भेजने के अनुदेश दिये गये। उक्त अधिकारियों से वांछित जानकारी प्राप्त हुई नहीं पाई गई। इसप्रकार विक्रय बंदी आदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया गया। 2000-03 अवधि में नमूने लेने के दिनांक के उपरान्त अवमानक पाये गये स्टॉक की मात्रा निम्नानुसार है:

कृषकों को अवमानक बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों का विक्रय किया गया।

क्रम संख्या	जिला	बीज (क्विंटल)	उर्वरक (टन)	कीटनाशक	
				चूरा (टन)	तरल (लीटर)
1.	बैतूल	244.10	1196.100	0.086	17.150
2.	छिंदवाड़ा	315.60	3200.850	--	48.200
3.	धार	938.35	3454.250	9.201	131.900
4.	ग्वालियर	अनुपलब्ध	778.800	1.044	6.000
5.	होशंगाबाद	5184.63	2868.251	35.157	934.750
6.	जबलपुर	--	1016.000	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7.	खरगौन	1223.29	4618.450	0.098	440.750
8.	मुरैना	अनुपलब्ध	7183.600	0.040	0.100
9.	सतना	1471.10	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	सीहोर	862.80	814.989+ 7872 बोरियाँ	17.300	97.200
	योग	**10239.87**	**25131.29 टन + 7872 बोरियाँ**	**62.926**	**1676.05**

इसप्रकार कृषि उप संचालक अवमानक स्टॉक की उपर्युक्त मात्रा का विक्रय रोकने में असफल रहे जिससे नमूनों के संग्रहण एवं विश्लेषण का अभीष्ठ उद्देश्य विफल हो गया। कृषि उप संचालक ग्वालियर सहमत हुये (जून 2003) कि विश्लेषण प्रतिवेदनों के प्राप्त होने के मध्य ही स्टॉक का विक्रय किया गया था।

(झ) अनुचित वित्तीय सहायता

अग्रिम भुगतान किये गये 1.52 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई ।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ मर्यादित को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत आधार बीज एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु 1990-2000 के दौरान दी गई आर्थिक सहायता के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध 1.52 करोड़ रुपये बकाया थे। अग्रिम भुगतान की गई आर्थिक सहायता, उसके समायोजन तथा वर्ष के अंत में बकाया के वर्षवार विवरण संचालक ने लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये। उसने आर्थिक सहायता की वसूली अथवा बकाया का समायोजन भी नहीं किया जबकि 2002-03 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत आधार बीज एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु तिलहन उत्पादक संघ को 52.59 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का और भुगतान किया गया।

तथापि संचालक ने जून 2003 में बताया कि बकाया राशि का यथाशीघ्र समयोजन किया जायगा ।

3.1.6 वर्षा आश्रित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना का क्रियान्वयन

वर्षा आश्रित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना राज्य में वर्षा आश्रित क्षेत्रों में सद्भावपूर्ण एवं एकीकृत पद्धति से भूमि, जल, वनस्पति, पशु तथा मानव संसाधनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और उपयोग के उद्देश्य से 1990-91 से आरंभ की गई थी। इसका प्रयोजन प्राकृतिक संसाधन आधार का विकास करना, उनकी उत्पादकता बनाये रखना और निर्धन एवं भूमिहीन कृषकों का जीवन स्तर सुधारना तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखना था। भारत सरकार ने 14 नवम्बर 2000 से योजना जलग्रहण क्षेत्रों के क्रियान्वयन, परिवीक्षण एवं संधारण में सामुदायिक भागीदारी पर बल देते हुये जलग्रहण क्षेत्र वर्षा आश्रित कृषि प्रणाली उपागमन जन सहभागिता के रुप में संशोधित की।

(क) लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ: नौंवी योजना में तथा 2002-03 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्नानुसार बताई गईं:

वित्तीय- लाख रुपयो में भौतिक- हेक्टेयर

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियाँ		भौतिक उपलब्धियों में कमी का प्रतिशत
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1997-98	60000	3325.00	53836	1208.00	10
1998-99	100000	2499.56	90230	1819.89	10
1999-00	100000	2500.00	90082	2622.37	10
2000-01	75000	1750.00	62158	1541.14	17
2001-02	75000	1750.00	38044	1079.30	49
2002-03	55500	1100.00	32797	1097.98	41
महायोग	**465500**	**12924.56**	**367147**	**9368.68**	**21**

नौंवी योजना के दौरान भौतिक उपलब्धियों में 10 प्रतिशत (1997-2000) एवं 49 प्रतिशत (2001-02) के मध्य तथा 2002-03 के दौरान 41 प्रतिशत की कमी रही। संचालक ने कमियों का कारण भारत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करना बताया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध केन्द्रीय सहायता राशि 3547.89 लाख रुपयों (1 अप्रैल 2000 को 17.78 लाख रुपये के अव्ययित शेष सहित) की तुलना में 2000-03 की अवधि में 3465.85 लाख रुपये व्यय किये गये थे जबकि मार्च 2003 को 82.04 लाख रुपये का अव्ययित शेष रहा।

(ख) दोषपूर्ण निष्पादन: योजना के प्रत्येक घटक का निष्पादन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाना था। 1997-2003 अवधि में योजना पर 91.62 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। 1997-2003 के दौरान घटकवार निर्धारित मानदण्ड, वस्तुतः व्यय की गई राशि तथा कुल व्यय के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रतिशत निम्नानुसार है:

ग्रामीण जन समुदाय को लाभान्वित करने हेतु अन्य क्रियाकलापों की अपेक्षा संरचना के निर्माण पर अधिक बल दिया गया ।

घटक	निर्धारित मानदंड (कुल व्यय के संदर्भ में प्रतिशत)	किया गया व्यय (लाख रुपयो में)	व्यय का प्रतिशत
आधारपरक क्रियाकलाप	35	2714.04	30
भूमि एवं जल संरक्षण उपाय	40	5391.04	59
उत्पादन पद्धति एवं पौधारोपण कार्य	20	743.11	8
घरेलू उत्पादन प्रणाली	5	313.60	3
योग	**100**	**9161.79**	**100**

इसप्रकार भूमि एवं जल संरक्षण उपायों के अंतर्गत संरचना के निर्माण पर मुख्यरूप से बल दिया गया तथा भूमिहीन एवं सीमांत कृषकों को घरेलू आवश्यकता हेतु आधारपरक क्रियाकलापों जैसे अन्य घटक यथा प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, अनुसंधान सहायता परियोजना पौधशालाओं के स्थापन, कृषि वानिकी, चरागाह विकास, जीवन यापन सहायता आदि आंशिक रूप से ही समाविष्ट किये गये, परिणाम यह हुआ कि आय सृजन अवसर, ईंधन, चारा, कपड़ा आदि ग्रामीण जनसमुदाय को उपलब्ध नहीं कराये जा सके जैसी कि परिकल्पना थी।

(ग) अधिक व्यय: हितग्राहियों को कृषि वानिकी के अंतर्गत 7.50 रुपये प्रति पौधा, शुष्क भूमि बागवानी के अंतर्गत 15 रुपये प्रति पौधा तथा आवास क्षेत्र उद्यान के अंतर्गत 250 रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जानी थी। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उनकी तुलना में उपलब्धियाँ, किया गया व्यय तथा निर्धारित इकाई लागत से हुआ अधिक व्यय निम्नानुसार है:

वित्तीय- (लाख रुपयों में) भौतिक- संख्या में

उप घटक	भौतिक		वित्तीय		अनुमोदित इकाई लागत	अनुमोदित इकाई लागत के अनुसार व्यय	अधिक व्यय
	लक्ष्य	*उपलब्धियाँ*	*लक्ष्य*	*उपलब्धियाँ*			
1.कृषिवानिकी	786683	759223	59.00	67.72	7.50 प्रति पौधा	56.94	10.78
2.शुष्कभूमि बागवानी	285714	387332	41.00	60.29	15.00 प्रति पौधा	58.10	2.19
3.आवासीय उद्यान	32480	26704	87.68	79.64	250.00 प्रति परिवार	66.76	12.88
				207.65	**योग**	**181.80**	**25.85**

इसप्रकार उपरोक्त उप घटकों के अंतर्गत व्यय अनुमोदित मानदण्डों की तुलना में 25.85 लाख रुपये तक अधिक हुआ।

3.1.7 राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन

संचालनालय ने राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन किया था। उक्त योजनाओं के नमूना जाँच परिणाम निम्नानुसार हैं

(क) विभागीय स्वामित्व वाले प्रक्षेत्रों का प्रबंधनः

कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु विभाग के पास 43 कृषि प्रक्षेत्रों का स्वामित्व है। 4 प्रक्षेत्रों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 2000-2003 के दौरान बीज उत्पादन लक्ष्य की उपलब्धियों में 26 प्रतिशत (कृषि विस्तार प्रशिक्षण पवारखेड़ा, होशंगाबाद) से 60 प्रतिशत (डेलाखेड़ी, छिंदवाड़ा) के मध्य कमी रही जिसके विवरण **परिशिष्ट XXXVI** में दिये गये हैं। कमी का कारण अपर्याप्त एवं अनियमित वर्षा का होना बताया गया।

राज्य बीज निगम से 1.83 करोड़ रुपये के बीज के मूल्य की वसूली नहीं की गई ।

इसके अतिरिक्त प्रक्षेत्रों में उत्पादित बीज का मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं प्रक्षेत्र विकास निगम को विक्रय किया गया किन्तु 1.83 करोड़ रुपये की विक्रय मूल्य राशि मार्च 2003 को उक्त निगम से वसूली/उगाही हेतु बकाया थी। बकाया राशि की वसूली हेतु अथवा योजनाओं के अंतर्गत राज्य बीज एवं प्रक्षेत्र विकास निगम को प्रदत्त आर्थिक सहायता में से उसके समायोजन के लिये संचालक ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की।

(ख) भूमि सर्वेक्षणः

भूमि की गुण विशिष्टता, विभिन्न उपयोगों हेतु उसका वर्तन एवं ग्राह्यता तथा प्रबंधन प्रणालियों में व्याख्यायित नियमों के अंतर्गत उसकी उत्पादकता जानने के लिये भूमि सर्वेक्षण आवश्यक होते हैं।

राज्य में आठ* भू-सर्वेक्षण इकाईयों जिनमें प्रत्येक में एक सहायक भू-सर्वेक्षण अधिकारी प्रमुख होता है, द्वारा भू-सर्वेक्षण हेतु निर्धारित 5.56 लाख हैक्टेयर के लक्ष्य में विरुद्ध 2000-03 अवधि में केवल 3.27 लाख हेक्टेयर का ही सर्वेक्षण किया गया तथा कमी निर्धारित लक्ष्य की 35 से 46 प्रतिशत के मध्य रही।

भू-सर्वेक्षण न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय ।

ग्वालियर, होशंगाबाद और जबलपुर इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि ग्वालियर इकाई ने 2000-03 अवधि में कोई भू-सर्वेक्षण नहीं किया जिससे इकाई पर हुआ 71.52 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय निष्फल हो गया। इसीप्रकार होशंगाबाद इकाई में जहां 2000-03 के दौरान सर्वेक्षणों में कमी की सीमा 52 प्रतिशत थी, 2000-01 अवधि में बिल्कुल भी कोई उपलब्ध नहीं हुई जिससे इकाई पर वर्ष के दौरान हुआ 32.23 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। सहायक भूमि सर्वेक्षण अधिकारी, होशंगाबाद ने सहमति व्यक्त की (दिसम्बर 2001) कि कर्मचारी अमला निष्क्रिय रहा।

संचालक तथा सहायक भू-सर्वेक्षण अधिकारी ग्वालियर एवं होशंगाबाद ने कमी के लिये निधियों का विलम्ब से जारी होना और/अथवा निधियों का अभाव तथा वाहनों का उपलब्ध न होना बताया।

---

* *1. छतरपुर (नौगाँव) 2. ग्वालियर 3. होशंगाबाद 4. इंदौर 5. जबलपुर 6. खण्डवा 7. 7. रीवा और 8. सागर।*

(ग) मिट्टी परीक्षणः

मिट्टी परीक्षण का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु उर्वरकों के संतुलित एवं एकीकृत उपयोग की अनुशंसा प्रतिपादित करना है। राज्य में 16* मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में से वर्तमान समीक्षा अवधि में छः (छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, खरगोन, मुरैना व सीहोर) की नमूना जांच की गई । यह पाया गया कि प्रत्येक प्रयोगशाला को दो अथवा इससे अधिक जिले आबद्ध कर आबंटित किये गये थे। मिट्टी के नमूने लेने हेतु लक्ष्य संचालक ने जिलेवार तथा कृषि उप संचालकों ने विकास खंडवार निर्धारित किये थे। यद्यपि लक्ष्य प्राप्ति में विफल रहने पर संचालक ने संबंधित कर्मचारियों की एक वेतनवृद्धि रोकने के अनुदेश (मई 2002) जारी किये थे तथापि नमूना संग्रहण में कमी 43 प्रतिशत (खरगोन) एवं 64 प्रतिशत (छिंदवाड़ा) के मध्य रही जो कार्यक्रम का अल्प क्रियान्वयन तथा अधोसंरचना एवं जनशक्ति का न्यून उपयोग करना दर्शाता है। कमी के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कृषि उप संचालक छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, ग्वालियर खरगोन, मुरैना व सीहोर द्वारा कार्रवाई करना नहीं पाया गया। 2000-03 के दौरान छः नमूना जाँच की गई प्रयोगशालाओं के वर्षवार लक्ष्य, उपलब्धियाँ एवं कमियाँ **परिशिष्ट XXXVII** में वर्णित हैं।

(घ) प्रशिक्षण केन्द्रः

कर्मचारियों एवं कृषकों तक प्रशिक्षण का विस्तार करने हेतु 19 प्रशिक्षण केन्द्रों (कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र) की स्थापना की गई थी। एक दिन से तीन माह तक के सत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। नमूना जाँच किये गये 8** प्रशिक्षण केन्द्रों में 2000-2003 के दौरान लक्ष्य, उपलब्धियों और कमियों के विवरण **परिशिष्ट XXXVIII** में दिये अनुसार हैं:

प्रशिक्षण केन्द्रों पर किया गया 5.18 करोड़ रुपये का व्यय अत्यधिक कम उपयोगी था।

यह पाया गया कि वर्ष भर में कुल 273 कार्य दिवसों में से औसतन 135 कार्य दिवसों (भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, बैतूल और कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, पवारखेड़ा होशंगाबाद) से 256 कार्य दिवसों तक (कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, आंतरी ग्वालियर) केन्द्र निष्क्रिय रहे। कर्मचारी अमले को प्रशिक्षण देने में कमी 12 प्रतिशत (भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर) और 34 प्रतिशत (भूमि सरंक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, बैतूल) के मध्य रही तथा कृषकों के प्रशिक्षण में 2 प्रतिशत (कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, मुरैना) एवं 54 प्रतिशत (कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, पवारखेड़ा होशंगाबाद) तक की कमी रही।

प्रशिक्षण केन्द्रों (जबलपुर को छोड़कर) ने कमी का कारण प्रशिक्षणार्थियों की अनुपलब्धता, कृषकों को अपर्याप्त मानदेय राशि तथा निधियों का अभाव होना बताया तथापि वस्तुस्थिति यह थी कि प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना जिस पर 2000-03

---

* *1. बालाघाट, 2. भिण्ड, 3. भोपाल, 4. छतरपुर(नौगांव), 5. छिन्दवाड़ा, 6. धार, 7. होशंगाबाद, 8. खण्डवा, 9. खरगौन, 10. मंदसौर, 11. मुरैना, 12. नरसिंहपुर, 13. रीवा, 14. सागर, 15. सीहोर एवं 16. उज्जैन ।*

** 1. बैतूल 2. ग्वालियर (कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र एवं भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र) 3. होशंगाबाद (कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र) 4. जबलपुर 5. खरगोन 6. मुरैना

अवधि में 5.18 करोड़ रुपये का और भी व्यय किया गया था, अत्यधिक कम उपयोगी रही।

3.1.8 जनशक्ति प्रबंधन

(क) संस्वीकृत कर्मचारी संख्या एवं कार्यरत कर्मचारी:

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरान्त कर्मचारियों की 15,747 की संस्वीकृत संख्या की तुलना में संचालक के नियंत्रणाधीन 15,115 कर्मचारी कार्यरत हैं। 632 कर्मचारियों की कुल कमी में से तकनीकी कर्मचारियों की कमी 623 (कृषि उप संचालक: 13 (16 प्रतिशत), सहायक कृषि संचालक: 190 (31 प्रतिशत) तथा कृषि विकास अधिकारी: 416 (34 प्रतिशत) की है जिससे क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संभवतः बुरी तरह प्रभावित हुआ।

(ख) निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय:

समाप्त प्रायः बीहड़ सुधार योजना के निष्क्रिय कर्मचारियों एवं वाहन चालकों के वेतन एवं भत्तों पर 2.18 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।

(i) चंबल संभाग में दस्यु उन्मूलन के उद्देश्य से बीहड़ भूमि के सुधार हेतु 1987-88 के दौरान आरंभ की गई तथा कार्यपालन यंत्री, बीहड़ सुधार योजना, मुरैना द्वारा क्रियान्वित की गई एक केन्द्र प्रवर्तित संवाहक योजना राज्य सरकार ने जनवरी 1992 में स्थगित कर दी थी अतः सरकार ने भी निष्क्रिय हुए कर्मचारी अमले को अन्यत्र समायोजित करने हेतु संचालक तथा वन विभाग को निर्देशित किया। तथापि संचालक ने पाँच वर्ष के उपरान्त फरवरी 1997 में उपकरणों एवं कर्मशाला सहित कर्मचारियों का स्थानांतरण कृषि यंत्री, ग्वालियर को करना स्वीकृत किया। उक्त आदेश भी मई 2003 तक क्रियान्वित नहीं किये गये।

सरकार ने 11 अधिकारियों का स्थानांतरण सागर संभाग में संचालक, कृषि यांत्रिकी के अधीन करना संस्वीकृत किया (अप्रैल 1997) किन्तु केवल दो ही अधिकारी (एक कार्यपालन यंत्री और एक सहायक यंत्री) कार्यमुक्त किये गये। मुरैना के निष्प्रभावी कार्यालय में अभी भी 27 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 15 कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों यथा जिलाध्यक्ष कार्यालय, जिला पंचायत, स्थानीय निकायों आदि में संलग्न किया गया किन्तु उनके वेतन एवं भत्ते निष्प्रभावी कार्यालय के प्रभारी सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा आहरित किये जा रहे हैं।

निष्प्रभावी कार्यालय के वेतन एवं भत्तों पर 1997-2003 अवधि में किया गया 1.62 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त ट्रक, ट्रैक्टर, खनन मशीनें, डीजल पम्प आदि जैसे कुल 30 उपकरण (मूल्य उपलब्ध नहीं) भी 1997 से निष्क्रिय पड़े थे।

कार्यपालन यंत्री ने उत्तर दिया (मई 2003) कि वैयक्तिक स्थानांतरण आदेशों के अभाव में कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया तथा कृषि यंत्री, ग्वालियर ने उपकरण स्वीकार नहीं किये।

(ii) वस्तुतः चलित वाहनों पर कार्यरत वाहन चालकों के संबंध में संचालक के पास जानकारी उपलब्ध नहीं थी, तथापि नमूना जाँच किये गये 6 जिलों (बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद एवं सीहोर) में 16 चलित वाहनों की तुलना में 53 वाहन चालक कार्यरत थे। इस प्रकार वाहनों की अनुपलब्धता के कारण 37 वाहन चालक निष्क्रिय थे। 2000-03 अवधि के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर हुआ 55.85 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा।

(ग) कर्मचारियों का अन्य विभागों में अनियमित पुनर्संयोजनः

अन्य विभागों में संयोजित कर्मचारियों पर 0.50 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय।

सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों को अन्यत्र संयोजित करने की प्रक्रिया को समाप्त करने हेतु अनुदेश (जनवरी 2000) जारी किये थे। संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नमूना जाँच किये गये नौ जिलों (बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन, मुरैना, रतलाम व सीहोर) में 34 कर्मचारी अन्य विभागों में संयोजित किये गये किन्तु उनके वेतन एवं भत्ते कृषि विभाग ने आहरित करना जारी रखा। उक्त कर्मचारी अमले के वेतन एवं भत्तों पर कुल 50.24 लाख रुपये राशि का व्यय हुआ। उनकी लम्बे समय तक संलग्नता जारी रखने पर उक्त जिलों में कर्मचारी अमले की आवश्यकता का पुनरांकलन करना अपेक्षित है।

(घ) परिवीक्षण एवं मूल्यांकनः

(i) आंतरिक नियंत्रण: अधीनस्थ कार्यालयों की यथोचित कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने की दृष्टि से सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण हेतु प्रतिवर्ष रोस्टर तैयार करने के लिये अनुदेश (मई 1999) जारी किये। संचालक ने 2000-03 अवधि के दौरान रोस्टर तैयार किया। लक्षित निरीक्षणों की वर्षवार संख्या, वस्तुतः किये गये निरीक्षण तथा कमियाँ निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	किये गये निरीक्षणों की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
2000-01	493	253	240	49
2001-02	910	374	536	59
2002-03	664	477	187	28

इसप्रकार कमी 28 प्रतिशत (2002-03) एवं 59 प्रतिशत (2001-02) के मध्य रही। आगे यह भी देखा गया कि 22, 13 एवं 10 अधिकारी जिन्हें क्रमशः 200, 118 एवं 108 कार्यालयों का निरीक्षण करना अपेक्षित था, उन्होंने 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किये।

यह बताया गया कि चूककर्ताओं को कारण बताओ नोटिस और चेतावनियाँ जारी की गईं हैं तथापि तथ्य यह हैं कि संचालक के नियंत्रणाधीन सीधे रूप में कार्य कर रही आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की क्रियाशीलता अपेक्षाकृत अत्यधिक क्षीण थी।

(ii) योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुचारू एवं परिणाममूलक परिवीक्षण सामान्यतः अच्छा नहीं था। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों में यथाअवधारित जिला अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों तथा वैज्ञानिकों द्वारा पर्यवेक्षण के माध्यम से क्रियाकलापों के गहन क्षेत्र परिवीक्षण का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से आधुनिक उत्पादन तकनीकों के अंतरण के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया तथा बीज मिनीकिटों एवं क्षेत्र प्रदर्शनों के परिणाम और उक्त तकनीकों को कृषकों के मध्य प्रसार करने हेतु मूल्यांकन तथा प्रचार नहीं किया गया।

3.1.9 निष्कर्ष

भारत सरकार ने 10 वर्ष के अंदर उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य (1998) निर्धारित किया था तथापि सभी प्रमुख फसलों के अंतर्गत 1997-98 की तुलना में 1998-2003

अवधि में मुख्यतः गम्भीर सूखे की स्थिति जिससे 2002-03 में राज्य बुरी तरह प्रभावग्रस्त हुआ, के कारण औसत वृद्धि दर में 5.94 प्रतिशत (दलहन), 15.41 प्रतिशत (तिलहन), 4.16 प्रतिशत (खाद्यान्न) तथा 22.79 प्रतिशत (कपास) तक कमी हुई। इससे कृषि फसलों की मानसून पर निरंतर निर्भरता प्रकट होती है। क्षेत्रों में भू-सर्वेक्षण, मिट्टी परीक्षण, प्रशिक्षण, विस्तार सहायता तथा उत्पादन वृद्धि एवं उपज का निष्पादन निर्धारित लक्ष्यों से अपेक्षाकृत बहुत कम था। नमूना जाँच किये गये जिलों में कई प्रकरणों में अवमानक आदान उपलब्ध कराये गये थे जिससे उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। फसल विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्पादन समृद्ध करने तथा उत्पादकता बढ़ाने में विफल रहे क्योंकि 1998-99 की तुलना में 2000-03 अवधि के दौरान दलहनों, तिलहनों एवं खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उपज में कमी देखी गई।

3.1.10 अनुशंसाएं

⇒ उत्पादक बीज का प्रतिपादन करने, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन करने और उनके वितरण के लिये फसल मौसम के पर्याप्त पूर्व कृषकों को प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सम्यक योजनाबद्धता की आवश्यकता है। सभी अभिहित कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीजों की समयानुकूल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

⇒ प्रदर्शनों एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने हेतु प्रचार करते हुए जनजागृति उत्पन्न की जानी चाहिये।

⇒ कृषकों को वितरित करने हेतु आदानों के परीक्षण प्रतिवेदन पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त किये जाने चाहिये।

⇒ समुचित निधियां उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा कृषकों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करते हुए उन्हें प्रशिक्षण से जोड़ने हेतु प्रेरित करना चाहिए ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.2 औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम का क्रियान्वयन

मुख्यांश

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एक महत्वपूर्ण सामाजिक विधान है तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने का प्रभावकारी साधन है । लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उपभोक्ताओं को उचित एवं समर्थनीय मूल्यों पर मानक एवं सुरक्षित औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन कराने हेतु उत्तरदाई है । तथापि विभाग के पास विनियामक क्रियाकलापों को प्रभावकारी रूप से प्रवर्तित कराने के लिए पर्याप्त रूप में कुशल जनशक्ति नहीं है । इस आवश्यक उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु प्रभावकारी कार्यवाही करने का लगभग नितान्त अभाव है परिणामतः निर्माताओं एवं फुटकर विक्रेताओं ने अवमानक नकली एवं मिलावटी औषधियों की आपूर्ति एवं संवितरण किए। राज्य में निरीक्षण एवं प्रयोगशाला कर्मचारियों की अत्यधिक कमी और विद्यमान औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की अत्यंत सीमित क्षमता के कारण इन अवमानक औषधियों की आपूर्ति एवं वितरणों की जांच भी नहीं हो सकी ।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन आवश्यक निरीक्षण कर्मचारियों के एक तिहाई से भी कम कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहा है ।

(कंडिका 3.2.4)

निर्माता/विक्रय इकाइयों की अनुज्ञप्तियों का समय पर नवीकरण नहीं किया गया तथा चूककर्ता इकाइयों के विरुद्ध उचित रूप से एवं तत्परतापूर्वक सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई ।

(कंडिका 3.2.5 ख)

1998-2003 के दौरान निर्माण एवं विक्रय परिसरों का निरीक्षण क्रमशः 40 से 66 प्रतिशत एवं 24 से 78 प्रतिशत कम हो गया ।

(कंडिका 3.2.5 घ एवं ङ)

औषधियों के नमूनों का लक्ष्य की तुलना में संग्रहण 23 और 39 प्रतिशत के मध्य कम रहा । आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के नमूनों के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए । ग्रामीण क्षेत्रों से नमूनों के संग्रहण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया ।

(कंडिका 3.2.5 च एवं छ)

जिला कार्यालयों में भण्डारण सुविधा के अभाव में रक्तोदक, टीका एवं रक्तोत्पादों के नमूने संग्रहीत ही नहीं किए गए तथा उनका परीक्षण भी नहीं किया गया इसके कारण मरीजों में एच.आइ.वी., हेपेटाइटिस इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम पैदा हो गया ।

(कंडिका 3.2.5 ग)

औषधि निर्माताओं अथवा जाली, नकली एवं मिलावटी औषधियों के विक्रय के विरुद्ध दायर न्यायालय प्रकरणों की पंजी संधारित नहीं की गई । अभियोजन एवं अनुवर्तन की कार्यवाही की गति धीमी एवं कम थी ।

(कंडिका 3.2.5 ञ)

नमूना प्रतिवेदन जारी करने में असामान्य विलंब हुआ, 72 प्रतिशत प्रकरणों में नमूना प्रतिवेदन 45 दिनों के उपरांत जारी किए गए जिनमें से 40 प्रतिशत प्रतिवेदन 200 दिवस से एक वर्ष के उपरांत तक जारी किए गए ।

(कंडिका 3.2.6)

अनुसूचित औषधियों का राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर विक्रय रोके जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 का उद्देश्य ही विफल हो गया ।

(कंडिका 3.2.7)

3.2.1. प्रस्तावना

(i) **भूमिकाः** बीसवीं सदी के आरंभ में विदेशों से औषधियों का आयात होता था । प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत भारत एवं विदेश दोनों के ही निर्माता उपक्रम आयातित उत्पादों से स्पर्धा करने के लिए सस्ती दरों पर औषधियों का उत्पादन करने हेतु कूद पड़े। इनमें से कतिपय उत्पाद घटिया एवं हानिप्रद थे अतः सरकार ने औषधियों एवं दवाओं के निर्माण, वितरण एवं विक्रय को नियंत्रित करने हेतु एक विधान लागू करने का निश्चय किया । 1937 में नियुक्त केन्द्रीय विधान सभा ने औषधियों के निर्माण एवं वितरण के साथ ही आयात पर समान नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों की अनुशंसा की और अंततः 10 अप्रैल 1940 को औषधि अधिनियम* अधिनियमित किया गया ।

वर्तमान में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अलावा वे नियम तथा अधिनियम जिनसे भारत में औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, विक्रय, आयात निर्यात एवं चिकित्सीय अनुसंधान नियंत्रित किया जाता है फार्मेसी अधिनियम 1948 ऐन्द्रजालिक उपचार (आपत्ति जनक विज्ञापन) अधिनियम 1954, स्वापक औषधि एवं मनोअनुवर्ती पदार्थ अधिनियम 1985, चिकित्सीय एवं प्रसाधन सामग्री संपाक(उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1956, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (आवश्यक सौंदर्य

सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण एवं अवमानक एवं गलत ब्रांड के सौंदर्य प्रसाधनों के आयात एवं विक्रय को रोकने हेतु विनियम उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 1961 में औषधि अधिनियम 1940 में संशोधन किया गया ।

प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत) हैं तथापि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 मुख्य अधिनियम के रूप में जारी है ।

ii) अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन, नैदानिकी एवं साधनों के मानक सुनिश्चित करना ।
- आयातित, निर्मित वितरित एवं विक्रीत औषधि तथा दवा की गुणवत्ता का परिवीक्षण करना ।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दण्डात्मक उपाय करना ।
- चिकित्सीय अनुसंधान तथा भारतीय औषधि कोष के प्रकाशन को नियमित करना ।

iii) सांविधिक क्रियाकलापः यह केन्द्रीय अधिनियम है एवं समस्त राज्यों पर लागू होता है । केन्द्र सरकार औषधि, सौंदर्य प्रसाधन एवं नैदानिकी के विनियामक उपाय तथा मानक निर्धारित करती है व अधिनियम एवं नियमों में संशोधन करती है । यह नई औषधियों के विपणन प्राधिकार एवं आयातित औषधियों के मानक का नियमन करती है। ब्लड बैंक, बड़ी मात्रा में आंत्रेतरों, टीका एवं रक्तोत्पादों के लिए केन्द्रीय अनुज्ञप्ति स्वीकृति प्राधिकरण है । औषधि तकनीकी परामर्श बोर्ड, औषधि परामर्शदाता समिति तथा केन्द्रीय औषधि प्रयोगशालाएं केन्द्र सरकार के नियंत्रण में रहती हैं ।

राज्य सरकार के मुख्य क्रियाकलाप (क) औषधि निर्माण एवं विक्रय इकाइयों को लायसेंस देना (ख) औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को लायसेंस देना (ग) औषधि निर्माण हेतु औषधि संविन्यास का अनुमोदन करना (घ) निर्मित औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता का परिवीक्षण (ड.) विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में जांच तथा अभियोग लगाना (च) आयातित औषधियों के मानकों का नियमन (छ) निरीक्षण एवं अवमानक औषधियों की वापसी संबंधी कार्यवाही करना है ।

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 (2002 के संशोधन का अनुमोदन प्रतीक्षित है) जो कि एक अधीनस्थ विधान है, मुख्य रूप से मूल्य नियंत्रण और परिसीमन मूल्य निर्धारण के अधीन रखी जाने वाली/आने वाली औषधियों के अभिज्ञापन हेतु कसौटी निर्दिष्ट करता है ।

अधिनियम औषधियों के आयात तथा निर्माण एवं विक्रय इकाइयों हेतु लायसेंस जारी करने, आवधिक निरीक्षण, नमूना प्राप्त करने, औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के परीक्षण तथा मानक गुणवत्ता की न पाई जाने वाली अथवा नकली या मिलावटी औषधियों के प्रकरणों में अभियोग दायर करने के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है ।

3.2.2. संगठनात्मक व्यवस्थाएं

अधिनियम राज्य स्तर पर औषधि नियंत्रक की सहायता से सरकार के स्तर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग(विभाग) के प्रमुख सचिव द्वारा परिपालित करवाया जाता है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो कि जिला स्तर पर पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन रहते हैं जिनकी सहायतार्थ वरिष्ठ औषधि निरीक्षक रहते हैं, ये निर्माण इकाइयों के निरीक्षण के लिए तथा औषधि निरीक्षक विक्रय परिसरों के निरीक्षण हेतु उत्तरदाई रहते हैं । वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षकों को नमूने को संग्रहीत करना तथा राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल से उनका परीक्षण करवाना होता है व अवमानक, नकली एवं गलत ब्रांड की औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के संबंध में अभियोग दायर करना होता है ।

3.2.3. लेखापरीक्षा समावेशन

अधिनियम एवं नियमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के आकलन हेतु नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक तथा 45 जिलों में से 10* में उप संचालक खाद्य एवं औषधि(उप संचालक) के 1998-99 से 2002-03 की अवधि के अभिलेखों की दिसंबर 2002 से नवम्बर 2003 के दौरान नमूना जांच की गई । अधिनियम के क्रियान्वयन में दृष्टिगत हुई कमियों का आगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है ।

3.2.4 जनशक्ति की अत्यधिक कमी

क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी 68 प्रतिशत थी ।

राज्य में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कर्मचारियों एवं सुविधाओं का ढांचा पहले से कार्यरत था जो 1978 में लोक स्वास्थ्य विभाग से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था । राज्य में औषधि उद्योग के तीव्र विकास के साथ 1982 में 200 से कुछ अधिक निर्माण इकाइयां बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 14741 कुल उपलब्ध विक्रय परिसरों के साथ 2002-03 में 693 हो गईं । तथापि 25 वर्ष पूर्व संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या यथावत रही तथा वह वर्तमान कार्यभार निभाने में नितांत अपर्याप्त थी । संस्वीकृत पदों को पूर्णतः भरा तक नहीं गया ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नवम्बर 2000 में राज्य के पुनर्गठन से पूर्व इसमें 36 वरिष्ठ औषधि नियंत्रक एवं 130 औषधि नियंत्रक होने चाहिए थे जबकि पुनर्गठन के पूर्व केवल 7 वरिष्ठ निरीक्षक एवं 46 औषधि नियंत्रक थे तथा इसके उपरांत क्रमशः 4 एवं 41 रह गए कर्मचारियों की कमी से अधिनियम के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

3.2.5. अधिनियम का क्रियान्वयन

अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन अनेक कमियों से दुष्प्रभावित हुआ जैसे कि समय पर लायसेंसों का नवीकरण न होना, निर्माण एवं विक्रय परिसरों का अपर्याप्त निरीक्षण, नमूनों का कम संग्रहण, नकली तथा मिलावटी औषधियों को जब्त न करना तथा अभियोग दायर न करना आदि रहा ।

बेतूल, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खरगौन, मंदसौर, रतलाम, सतना एवं उज्जैन ।

क. अधिनियम में कमियां

अधिनियम में अनुज्ञप्ति, बचाव, अभियोग के लिए समय सीमा के अभाव इत्यादि के संबंध में अपर्याप्त प्रावधानों के कारण इसमें कई कमियां थीं ।

नवीकरण हेतु अपर्याप्त प्रावधान

नियमावली के नियम 72 के अंतर्गत जारी की गई लायसेंस अथवा नवीकरण प्रमाणपत्र इनके जारी किए जाने के दिनांक से 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे परंतु मूल लायसेंस की अवधि समाप्ति के पूर्व अथवा अवधि समाप्ति दिनांक से छः माह के भीतर एक बार नवीकरण हेतु यदि आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो लायसेंस अधिकारी द्वारा आवेदन पर आदेश दिए जाने तक मूल लायसेंस प्रवर्तित रहेगा जब तक कि लायसेंसिंग अधिकारी द्वारा आवेदन पर आदेश पारित नहीं कर दिये जाते । तथापि लायसेंस के नवीकरण हेतु अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । इस प्रकार उन प्रकरणों में जिनमें किसी कारण परिसरों के निरीक्षण में विलंब हो जाता है एवं बाद में नवीकरण हेतु लायसेंस अनुपयुक्त पाया जाता है, संबंधित इकाई इस अंतराल के दौरान निरापद रूप में कार्य कर सकती है ।

छोटे एवं बड़े अपराधों का विभेदीकरण न करना

अधिनियम/नियमों में छोटे एवं बड़े अपराधों का कोई विभेदीकरण नहीं है । अतः विभागीय कार्यवाही अथवा अभियोग का निर्णय औषधि नियंत्रक अथवा औषधि निरीक्षक के विवेक पर छोड़ दिया गया है और वे वाह्य खींचतान एवं दबाव के अधीन रहते हैं ।

नमूनों के निःशुल्क अभ्यर्पण हेतु प्रावधान का अभाव

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, औषधि निरीक्षकों को औषधियों के मूल्य का भुगतान कर ही औषधि नमूनों का संग्रहण करना चाहिए । वित्तीय कठिनाई को देखते हुए इस उद्देश्य हेतु आवंटित निधियां सामान्यतः अपर्याप्त रहती हैं इस प्रकार नियमावली के प्रावधान गुणवत्ता विश्लेषण हेतु पर्याप्त संख्या में नमूनों के संग्रहण में अवरोध के रूप में कार्य करते हैं ।

अभियोग हेतु समय सीमा का न होना

अधिनियम में न्यायालय में विभाग द्वारा अभियोग दायर करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलंब हुआ ।

औषधि विश्लेषण की कोई समय सीमा न होना

औषधि नमूनों के विश्लेषण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके कारण बाजार में अवमानक/नकली औषधियों का विक्रय जारी है ।

(ख) लायसेंस देने की प्रक्रिया

लायसेंसों के नवीकरण के वर्षवार विवरण संधारित नहीं किए गए ।

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम 72 के अनुसार निर्माताओं के लायसेंसों का उनकी चालू अवधि पूर्ण होने से पूर्व नवीनीकरण किया जाना चाहिए तथापि अवधि समाप्ति के छः माह के भीतर यदि कोई लायसेंस धारक नवीकरण हेतु आवेदन करता है तो लायसेंस वैध बना रहेगा । निर्माताओं हेतु लायसेंस की वैधता आगामी वर्ष के 31 दिसंबर तक (अगस्त 2001 से आवेदन की तिथि से पांच वर्ष तक) थी ।

नियंत्रक के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि प्रत्येक माह नवीकरण हेतु प्रयुक्त इकाइयों तथा नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाली इकाइयों के संबंध में न तो वर्षवार, संवर्गवार तथा अकारादि क्रम में मास्टर लायसेंस रजिस्टर संधारित किया गया था और न कोई प्रभावकारी नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करने हेतु मानकीकृत प्रारूप तैयार किया गया था । नियंत्रक के पास नवीकरण हेतु प्राप्त निर्वर्तित एवं बकाया लायसेंस आवेदन पत्रों की संख्या के वर्षवार विवरण भी उपलब्ध नहीं थे ।

यह इंगित किए जाने पर नियंत्रक ने उत्तर दिया(मई 2003) कि आगे पंजी व्यवस्थित ढंग से संधारित की जावेगी ।

लायसेंस जारी करने एवं उनके नवीकरण की वर्षवार स्थिति के संबंध में नियंत्रक द्वारा यथाप्रस्तुत जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-02		2002-03	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1. निर्माण इकाइयों की संख्या	567	434	685	431	634	483	667	502	693	539
2. नवीकृत लायसेंस	247	72	327	289	232	157	361	170	273	179
3. दिये गये नवीन लायसेंस	75	46	85	39	101	52	96	44	63	40
4. निरस्त लायसेंस	1	28	30	36	13	--	18	8	11	--
5.नवीकरण हेतु लंबित लायसेंस	198	119	53	76	27	23	33	38	85	80

क- एलोपैथी/होम्योपैथी औषधियां एवं सौंदर्य प्रसाधन ख- आयुर्वेदिक औषधि पद्धति

टिप्पणी:- दी गई जानकारी के सत्यापन हेतु नियंत्रक ने उपर्युक्त जानकारी के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए ।

उपर्युक्त विवरणों से दृष्टव्य है कि 2002-03 के अंत में 1232 निर्माण इकाइयों में से 165 इकाइयां लायसेंस का नवीनीकरण कराये बिना कार्य कर रही हैं ।

वैधता के दिनांक की समाप्ति के 3 से 5 वर्ष के उपरांत लायसेंस निरस्त किए गए ।

नियंत्रक के अभिलेखों में प्रकट हुआ कि लायसेंसों के नवीकरण हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति की स्थिति का प्रतिवर्ष समय पर आकलन नहीं किया गया तथा लायसेंसों की वैधता अवधि की समाप्ति दिनांक से 3 से 5 वर्षों तक की अवधि के उपरांत विभिन्न कारणें से लायसेंस निरस्त किए गए । ऐसे 50 प्रकरणों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि नवीकरण आवेदन पत्र प्राप्त न होने (31), प्रमुख इकाइयों द्वारा सहमति वापस लिए जाने (5) फर्मों के संविधान में परिवर्तन (4) तथा फर्म बंद होने (10) के कारण लायसेंस

निरस्त किए गए । निरस्तीकरण नस्तियों में उपलब्ध वरिष्ठ निरीक्षकों के प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि लायसेंसों की समाप्ति दिनांक के 3 से 5 वर्षों की अवधि के उपरांत निरीक्षण किए गए । इस ओर इंगित किए जाने पर नियंत्रक ने अपनी अभ्युक्तियां प्रस्तुत नहीं कीं ।

इस प्रकार लायसेंस अवधि की समाप्ति के उपरांत छः माह में नवीकरण हेतु आवेदनों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित प्रावधान ने लायसेंस नवीकरण हेतु समय पर कार्यवाही न करने हेतु प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई जिसके बदले में निर्माताओं ने वैध लायसेंस की अवधि के उपरांत भी उत्पादन एवं विक्रय करना जारी रखा ।

(ग) फुटकर विक्रय परिसरों की जांच का अभाव

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम 65(2) में व्यवस्था है कि पंजीकृत चिकित्सकों के औषधि पत्रों के आधार पर केवल पंजीकृत औषधि कारकों के पर्यवेक्षण में औषधियों का फुटकर विक्रय किया जाना चाहिए । राज्य औषधि निर्माण परिषद औषध कारकों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी है । यह देखा गया कि नियंत्रक ने यह जांच करने के लिए कि फुटकर विक्रेताओं के पास वैध औषध कारक प्रमाणपत्र हैं, पंजीकृत औषध कारकों की सूची कभी भी प्राप्त नहीं की।

औषध कारकों के पंजीयन की वैधता का सत्यापन नहीं किया गया ।

कितने लायसेंसों की जांच की गई एवं जाली पंजीयन प्रमाणपत्रों के कारण निरस्त किए गए इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर नियंत्रक ने बताया(मार्च 2003) कि औषधि निर्माण परिषद से जाली पंजीयन धारक व्यक्तियों की कोई सूची प्राप्त नहीं हुई । उत्तर क्षुब्ध करने वाला था क्योंकि (1) नियंत्रक को परिषद द्वारा पंजीकृत औषध कारकों की सूची प्राप्त कर उसकी आवश्यक जांच करनी थी । (2) राज्य आर्थिक अपराध शाखा 1997-98 के दौरान जारी किए गए जाली पंजीयन क्रमांकों (6924 से 14463) की जांच पड़ताल कर रही है । इस प्रकार नियंत्रक अनधिकृत फुटकर औषधि विक्रय गतिविधियों को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने में विफल रहे ।

नियंत्रक ने लेखापरीक्षा द्वारा चूक इंगित किए जाने पर मई 2003 में 1998-2003 की अवधि के दौरान निरस्त पंजीयनों की सूची मंगाई थी, आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा है।

(घ) निर्माण परिसरों का निरीक्षण

निर्माण परिसरों के निरीक्षण में कमी 40 से 66 प्रतिशत के मध्य थी ।

जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों से निरीक्षणों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किए गए ।

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम 52 एवं नियम 162 में यह व्यवस्था है कि आधुनिक औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के समस्त निर्माण परिसरों का निरीक्षण वरिष्ठ औषधि निरीक्षक तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी निर्माण इकाइयों का निरीक्षण अधीक्षक एवं आयुर्वेदिक अधिकारी करेंगे । निरीक्षकों को 27 सितंबर 2001 तक प्रत्येक वर्ष में दो बार तथा तदुपरांत वर्ष में एक बार एलोपेथिक एवं आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) अथवा यूनानी औषधियों के निर्माताओं का निरीक्षण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि औषधि निर्माता लायसेंसों में निहित शर्तों का पालन करते हैं एवं नियमों में यथा निर्धारित समुचित निर्माण प्रक्रिया संधारित करते हैं । लायसेंस दिए जाते समय अथवा उसके नवीकरण के समय निरीक्षण अनिवार्य रहता है ।

तथापि यह देखा गया कि 1998-2002 के दौरान नियत 5799 निरीक्षणों में से केवल 3225 निरीक्षण किए गए । परिणामतः 40 से 66 प्रतिशत की कमी रही(**परिशिष्ट XXXIX**) । निर्धारित निरीक्षणों की संख्या 50 प्रतिशत कम किए जाने के उपरांत ही 2002-03 के दौरान कमी निरंक रह गई । नियंत्रक ने जिला आयुर्वेदिक अधिकारी से आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माता इकाइयों के निरीक्षण से संबंधित आंकड़े संग्रहीत नहीं किए ।

नियंत्रक ने निरीक्षणों में कमी का कारण क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी का होना बताया (जुलाई 2003) ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी इकाइयों के निरीक्षण के संबंध में नियंत्रक का उत्तर सुसंगत नहीं है क्योंकि उन्होंने इनके लिए भी निरीक्षणों के वर्षवार विवरण संग्रहीत नहीं किए । निर्माण परिसरों का नियमित निरीक्षण करने में विफलता के कारण नकली एवं मिलावटी औषधियों का निर्माण एवं आपूर्ति हो सकती है ।

(ड.) विक्रय परिसरों का निरीक्षण

विक्रय परिसरों के निरीक्षण में 24 से 78 प्रतिशत के मध्य कमी रही ।

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम 51 के अंतर्गत औषधि निरीक्षकों को स्वतः इस तथ्य से संतुष्ट होने हेतु कि औषधि विक्रय लायसेंसों की शर्तों का अभिलेखों के संधारण सहित पूर्णतः पालन किया जा रहा है । 27 सितंबर 2001 तक वर्ष में दो बार तथा तदुपरांत वर्ष में एक बार औषधि विक्रय परिसरों का निरीक्षण करना आवश्यक था । नियंत्रक द्वारा यथासूचित वर्ष 1998-99 से 2002-2003 के दौरान किए गए निरीक्षणों से संबंधित जानकारी में नीचे दर्शाए अनुसार बड़ी मात्रा में कमियां पाई गईं ।

वर्ष	विक्रय परिसरों की संख्या	किए जाने वाले अपेक्षित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षण	लायसेंसों की शर्तों को पूर्ण न करने वाले लायसेंस	निरीक्षण किए गए विक्रय परिसरों की प्रतिशतता	कमी की प्रतिशतता
1998-99	17250	34500	9000	700	26	74
1999-00	17691	35382	11360	359	32	68
2000-01	15531	31062	6814	327	22	78
2001-02	13206	26412	9064	416	34	66
2002-03	14741	14741	11218	519	76	24

टिप्पणीः आयुर्वेदिक, यूनानी औषधि विक्रय परिसरों के लिए लायसेंस एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं ।

विक्रय परिसरों का 1998-2000 के दौरान वर्ष में एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया तथा कमी 66 से 78 प्रतिशत के मध्य रही । 2002-03 के दौरान जब निरीक्षण की मात्रा को आधा किया गया तब भी यह 24 प्रतिशत रहा । नियंत्रक ने निरीक्षण की कमी का कारण क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी होना बताया(मार्च 2003) । निर्धारित निरीक्षण किए जाने में विफलता अनधिकृत लोगों को नकली, जाली एवं मिलावटी औषधियों के विक्रय में संलिप्त रहने के अवसर प्रदान करती है ।

(च) औषधि नमूनों का संग्रहण

नमूनों के संग्रहण में 23 से 39 प्रतिशत की कमी रही ।

नियंत्रक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार (मई 1999) प्रत्येक वरिष्ठ औषधि निरीक्षक/औषधि निरीक्षकों को प्रतिमाह औषधियों के विभिन्न संवर्गों के 10 नमूने संग्रहीत करना आवश्यक है जिनके लिए राज्य औषधि प्रयोगशाला में प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता की ओर भेजा जाना आवश्यक होता है । यह देखा गया कि अभिवांछित मात्रा में नमूनों का संग्रहण नहीं किया गया तथा केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता की ओर भेजे जाने वाले नमूने भेजे नहीं गए । आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों की जांच हेतु मानक निर्धारित नहीं किए गए ।

एलोपैथी एवं होम्योपैथी औषधियों के संग्रहीत नमूनों के वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	कार्यशील वरिष्ठ औषधि निरीक्षक/ औषधि निरीक्षकों की संख्या	नमूनों के संग्रहण के वार्षिक मानक	नमूने संग्रहण की आवश्यक मात्रा	संग्रहीत नमूने*	कमी	कमी की प्रतिशतता
1998-99	53	--	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए	2380	--	--
1999-00	53	120	6360	3974	2386	38
2000-01	47	120	5640	3437	2203	39
2001-02	45	96	4320	3180	1140	26
2002-03	45	96	4320	3334	986	23

नियंत्रक ने बताया(मार्च 2003) कि भोपाल स्थित प्रयोगशाला की क्षमता अत्यंत सीमित है अतः निर्धारित मानकों के अनुसार नमूनों के संग्रहण का आग्रह नहीं किया गया । केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता भी इसी समस्या का सामना कर रही थी तथा उसने नमूने न भेजने का अनुरोध किया था (नवम्बर 1999)तथा तदनुसार विभाग ने कलकत्ता को भी नमूने भेजना रोक दिया था । सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप समन्वय करने हेतु न तो राज्य औषधि प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने हेतु किसी कार्यवाही की पहल की न अन्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु ही कोई कार्यवाही की ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के संबंध में उदुप समिति प्रतिवेदन** से यह प्रकट हुआ कि स्वर्ण, कस्तूरी, मोती एवं केशर जैसा महंगा कच्चा माल जो कि विभिन्न आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों में आवश्यक घटक होते हैं वे या तो उपयोग में नहीं लाए गए अथवा उनके बदले में कृत्रिम उत्पादों का उपयोग किया गया ।

नियंत्रक ने पुष्टि की(अगस्त 2003) कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी उत्पादों के नमूनों के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था तथा महंगे कच्चे माल वाली औषधियों के नमूनों का भी संग्रहण नहीं किया गया । इस प्रकार स्पष्ट मानकों के अभाव में तथा महंगे कच्चे माल युक्त औषधियों के नमूनों के संवर्गवार संग्रहण के निर्देश न होने के कारण उपभोक्ताओं को निर्माता, व्यापारियों एवं व्यवसाइयों की दया पर छोड़ दिया गया।

इनके अतिरिक्त इन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के नाममात्र 16,12,19,74 एवं 22 नमूने भी संग्रहीत किए गए ।

जैसा कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की भूमिका में व्यक्त किया गया है ।

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में फुटकर व्यापारियों से नमूनों का कम संग्रहण

ग्रामीण क्षेत्रों से वांछित अनुपात में नमूनों का संग्रहण नहीं किया गया ।

नियंत्रक द्वारा जारी किए गए निर्देशनों के अनुसार (मई 1999) शहरी क्षेत्रों से दो तिहाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों से एक तिहाई औषधि/सौंदर्य प्रसाधनों के नमूनों का संग्रहण करना था, तथापि उनके पास ग्रामीण फुटकर व्यापारियों के विवरण उपलब्ध नहीं थे । निम्नांकित आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र, जिनमें सामान्यतः अवमानक नकली ब्रांड की तथा मिलावटी औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों की आपूर्ति की संभावना अधिक होती है, से निर्धारित अनुपात में नमूनों का संग्रहण नहीं किया गया:

वर्ष	फुटकर व्यापारियों से संग्रहीत कुल नमूने	कुल नमूनों का दो तिहाई (शहरी क्षेत्र)	कुल नमूनों का एक तिहाई (ग्रामीण क्षेत्र)	ग्रामीण क्षेत्र से वस्तुतः संग्रहीत नमूने	नमूनों की कमी की संख्या	कमी की प्रतिशतता
1998-99	1654	1103	551	249	302	55
1999-00	3159	2106	1053	551	502	48
2000-01	2668	1779	889	531	358	40
2001-02	2308	1539	769	400	369	48
2002-03	1504	1003	501	283	218	44

इस ओर इंगित किए जाने पर नियंत्रक ने बताया(मई 2003) कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी/कम संख्या में दुकानें होने के कारण वांछित मात्रा में नमूने उपलब्ध नहीं थे । उत्तर अभिलेखों से पुष्ट नहीं होते तथा उनके स्वतः के आदेशों की भावना के विपरीत हैं ।

(ज) रक्तोदक, टीका एवं रक्त तथा रक्तोत्पादों के परीक्षण न करना

रक्त एवं रक्त उत्पादों, टीका तथा रक्तोदक के नमूनों का संग्रहण न करना ।

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 23 के अनुसार यदि औषधि अथवा सौंदर्य प्रसाधनों के नमूने इस प्रकार के हों कि उनके खुले रहने के कारण उनके खराब होने की अथवा अन्य प्रकार से उनके बिगड़ने की संभावना लगती हो तो ऐसी स्थिति में औषधि निरीक्षक को निर्माता के आधानों(कंटेनरों) में औषधियों के तीन अथवा चार नमूने लेना चाहिए । रक्तोदक, टीका, रक्त एवं रक्तउत्पादों के नमूनों के आधानों को विशिष्ट भण्डारण स्थितियों में रखा जाना आवश्यक होता है जिससे वे खराब न हो जाएं । 1998-2003 की अवधि में वृहद मात्रा में आंत्रेतर रक्तोदक, टीका एवं रक्त बैंक के लिए निर्माताओं को जारी किए गए लायसेंस तथा संग्रहीत नमूनों की स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	वृहद मात्रा में आंत्रेतर निर्माताओं की संख्या	संग्रहीत नमूनों की संख्या	टीका एवं रक्तोदक निर्माताओं की संख्या	संग्रहीत नमूनों की संख्या	रक्तोत्पाद निर्माताओं की संख्या	संग्रहीत नमूनों की संख्या
1998-99	10	31	01	निरंक	76	निरंक
1999-00	09	15	01	निरंक	78	निरंक
2000-01	10	37	01	निरंक	84	निरंक
2001-02	12	46	01	निरंक	90	निरंक
2002-03	12	अनुपलब्ध	01	निरंक	97	निरंक

रक्त एवं रक्तोत्पाद तथा टीका एवं रक्तोदकों के नमूनों के संग्रहण न करने तथा परिणामतः इन उत्पादों का परीक्षण न करने के कारण ऐसी उत्पाद एच.आई.वी.,

हेपेटाइटिस बी/सी एवं एड्स इत्यादि जैसे गंभीर संक्रामकों की जोखिम हेतु रोगियों को अवग्राही बना सकते हैं ।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर नियंत्रक ने बताया(मार्च 2003) कि जिला कार्यालयों में भण्डारण सुविधा अनुपलब्ध रहने के कारण नमूने संग्रहीत नहीं किए गए, यह दुर्भाग्य की बात है कि अधिनियम के अंतर्गत रक्तउत्पादों को औषधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है इस तथ्य के बावजूद विभाग ने भण्डारण जैसी महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई ।

(झ) अवमानक एवं नकली औषधियों को जब्त न करना

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 किसी भी ऐसी औषधि के निर्माण अथवा विक्रय के लिए भण्डारण अथवा वितरण हेतु निषेध करती है जो मानक गुणवत्ता के नहीं हैं अथवा नकली ब्राण्ड के, मिलावटी या नकली हैं । अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि यदि न्यायालय निरीक्षक के अनुरोध पर अथवा अन्य प्रकार से इस तथ्य से संतुष्ट होता है कि औषधि/सौंदर्य प्रसाधन अवमानक गुणवत्ता के हैं तो ऐसी औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों को जब्त किया जाना चाहिए । यह भी देखा गया कि 722 प्रकरणों (1998-99 में 241, 1999-2000 में 170, 2000-01 में 125, 2001-02 में 96 तथा 2002-03 में 90) में औषधियां प्रयोगशाला परीक्षण में मानक गुणवत्ता की नहीं पाई गईं । निम्नांकित औषधियां जिनके प्रत्येक के समक्ष निर्माताओं के नाम दिए गए हैं, नकली पाई गईं:

क्रम संख्या	औषधियों का नाम एवं बेच नंबर	निर्माता
1.	एनाल्जिन(बेच नंबर 01) पेरासिटामोल आई.पी.(बेच नंबर 01)	ग्वालियर का मेसर्स-घ
2.	प्रेमाथाइजिन आई.पी(बेच नंबर 99019)	इंदौर का मेसर्स-ख
3.	एनाल्जिन आई.पी. 500 एम.जी(बेच नंबर 11)	भिंड का मेसर्स-ध
4.	ब्रूफेन प्लस(बेच नंबर 21)	संबलपुर(उडीसा) का मेसर्स-त
5.	क्लोरोक्विन इंजेक्शन(बेच नंबर सी.एच.12)	इंदौर का मेसर्स-छ
6.	एमोक्सिलिन ट्रायहायड्रेट(बेच नंबर 190)	उज्जैन का मेसर्स-ध

तथापि नकली/अवमानक गुणवत्ता की पाई गई औषधियों को जब्त करने हेतु न्यायालय में जाने संबंध में की गई पहल बाबत कोई कार्यवाही दृष्टिगत नहीं हुई ।

इंगित किए जाने पर नियंत्रक ने बताया(दिसंबर 2002) कि न्यायालयों द्वारा दोषी पाए जाने के उपरांत ही जब्ती की कार्यवाही की जा सकेगी । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि नियंत्रक ने धारा 31(ii) के प्रावधान की उपेक्षा की जिसमें निरीक्षक द्वारा विशेष अनुरोध किए जाने पर न्यायालय अवमानक/मिलावटी/नकली औषधियों की जब्ती का आदेश दे सकता है परंतु ऐसा कोई आवेदन न्यायालय(यों) के समक्ष प्रस्तुत किया गया नहीं पाया गया । परिणामतः अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध बाजार में नकली एवं अवमानक औषधियों का विक्रय किया जाना जारी है ।

(ञ) अभियोजन दायर किए जाने का कम निष्पादन

विलंब से किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप 78 प्रतिशत प्रकरण छोड़ दिए/निरस्त कर दिए गए ।

अधिनियम की धारा 18 में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी अवमानक गुणवत्ता अथवा नकली ब्रांड की/नकली औषधि के विक्रय हेतु भण्डारण अथवा प्रदर्शन करता है तो वह अभियोजन के लिए उत्तरदाई होगा । नियंत्रक के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1997-98 के पूर्व विभिन्न न्यायालयों में दायर किए गए न्यायालय प्रकरणों/बकाया प्रकरणों की सूची की पंजी संधारित नहीं की गई थी । वर्ष 1998-2003 में दायर किए गए, निर्णीत एवं बकाया न्यायालय प्रकरणों के वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया प्रकरण	वर्ष के दौरान आदेश प्रदत्त नवीन अभियोजन	वर्ष के दौरान वस्तुतः दायर प्रकरण	प्रकरणों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निर्णीत प्रकरण व उसके परिणाम			वर्ष के अंत में बकाया प्रकरण
					कारावास	दण्ड	दोष मुक्ति	
1998-99	425	19	9	434	3	1	25	405
1999-00	405	19	22	427	1	--	10	416*
2000-01	341	20	17	358	5	--	3	350
2001-02	350	14	13	363	3	--	4	356
2002-03	356	6	10	366	--	--	3	363
योग		**78**	**71**		**12**	**1**	**45**	

* *75 प्रकरण छत्तीसगढ़ को अंतरित किए गए ।*

यह देखा गया कि अभियोग दायर करने की गति अत्यंत धीमी थी । प्रकरणों की अनुवर्तन कार्यवाही अत्यंत धीमी थी । क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा न्यायालय में बकाया प्रकरणों की प्रगति भी सूचित नहीं की जा रही थी । नियंत्रक ने बताया(मई 2003) कि निर्माताओं एवं व्यापारियों से मूल दस्तावेज प्राप्त किए जाने में विलंब के कारण देरी हुई। विलंब से किए जाने वाले अभियोजन एवं धीमी अनुवर्तन कार्यवाही के परिणामस्वरूप न्यायालयों में 58 प्रकरणों में से अधिकांशतः 78 प्रतिशत प्रकरण छोड़ दिए गए/निरस्त कर दिए गए ।

(ट) गुप्तचर सह विधिक प्रकोष्ठ तथा नकली औषधि रोधक दलों की स्थापना न करना ।

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 के नियम 51 के अंतर्गत औषधि निरीक्षकों को नियंत्रक से नकली/जाली औषधियों के विक्रय संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच पड़ताल करना चाहिए । इस उद्देश्य हेतु भारत सरकार द्वारा नकली औषधियों/जाली औषधियों के निर्माण एवं विक्रय के अभिशाप के नियंत्रण हेतु उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु गठित समिति ने अनुशंसा की थी(जुलाई 2002) कि प्रत्येक राज्य को नकली औषधियों के प्रकरणों की जांच पड़ताल, समन्वय एवं अनुवर्तन कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत एक गुप्तचर सह विधिक प्रकोष्ठ एवं नकली औषधि रोधक दलों की स्थापना करना चाहिए । यह देखा गया कि गुप्तचर एवं संनिरीक्षण शाखा का गठन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप जाली औषधियों/सौंदर्य प्रसाधन निर्माताओं के संबंध में शिकायतों की सूचनाओं की जांच पड़ताल नहीं की जा रही थी । **परिशिष्ट-XL** में 2000-03 के दौरान नियंत्रक कार्यालय में प्राप्त गंभीर प्रकृति की परंतु जांच पड़ताल नहीं की गई शिकायतों/समाचार

सामग्रियों की सूची दी गई है । प्राप्त शिकायतों एवं उनकी जांच पड़ताल के वर्षवार विवरण न तो नियंत्रक स्तर पर न जिला स्तर पर ही संधारित किए गए थे ।

यद्यपि नियंत्रक ने इस तथ्य की पुष्टि की (मई 2003) कि जिला पुलिस प्राधिकारियों ने छापे डाले थे तथा उन्होंने औषधियों का बड़ा भण्डार जब्त किया था तथापि तथ्य यह है कि इन प्रकरणों का विभागीय तौर पर पता नहीं लगाया जा सका । आवश्यकतानुसार गुप्तचर प्रकोष्ठ भी गठित नहीं किए गए ।

(ठ) प्रतिबंधित औषधियों के संबंध में सूचनाओं का प्रचार

भारत सरकार ने कतिपय औषधियों से मानव जाति एवं पशुओं को जोखिम होने के कारण उनका निर्माण, विक्रय एवं वितरण प्रतिबंधित कर दिया था । नियंत्रक को इस तथ्य से समस्त व्यापार संगठनों, जिला अस्पतालों, उपचार ग्रहों, चिकित्सा संगठनों इत्यादि को परिचित कराना था जिससे आगे से प्रतिबंधित औषधियों के उपयोग को रोका जा सके । यह देखा गया कि नियंत्रक ने भारत सरकार की अधिसूचनाओं को प्रसारित करने की कार्यवाही नहीं की जिससे प्रतिबंधित औषधियों के दीर्घकाल तक राज्य में उपयोग में सहायता मिली है ।

इंगित किए जाने पर नियंत्रक ने मई 2003 में एक परिपत्र जारी किया ।

(ड) अवमानक औषधियों के संबंध में सूचनाओं के प्रसारण की अप्रभावकारी कार्यवाही

बाजार से जाली, मिलावटी एवं नकली ब्रांड की औषधियों के समूहों को वापस न लिया जाना ।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि अवमानक औषधियाँ बेची अथवा प्रदाय तो नहीं की जा रही हैं । अधिनियम में प्रत्येक निर्माता के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपने उत्पाद के प्रत्येक समूह का अपनी स्वयं की अथवा खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रयोगशाला में प्रयोगशाला जांच कराये । अन्य राज्यों के औषधि नियंत्रकों द्वारा पता लगाई गई तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश को समूहों के वापस लिए जाने हेतु सूचित औषधियों के प्रकरण में नमूना जांच में पाया गया कि औषधियां वापस लिए जाने हेतु सूचनाएं दो माह से पंद्रह माह तक के विलंब के उपरांत जारी की गईं । निर्माताओं ने बाजार से अवमानक औषिधियों के समूहों को वापस लेने तथा उन्हें नष्ट करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की । इस प्रकार विक्रीत संपूर्ण भण्डार का अस्पतालों एवं अन्य संस्थाओं ने उपभोग कर लिया । कतिपय दृष्टांतों का **परिशिष्ट XLI** में विवरण दिया गया है ।

नियंत्रक ने उत्तर दिया(नवम्बर 2002) कि मानक गुणवत्ता की न होना सूचित की गई औषधियों के समूहों का निर्माताओं ने पूर्णतः विक्रय कर दिया था अतः उन्हें जब्त नहीं किया जा सका । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि समय पर कार्यवाही करने में उसकी स्वयं की विफलता के कारण निर्माताओं द्वारा अवमानक गुणवत्ता की आषधियों का वितरण एवं विक्रय संभव हुआ ।

(ढ) नकली औषधियों के कारण अस्पतालों एवं उपचार ग्रहों में होने वाली मृत्युओं के आंकड़ों का संग्रहण न करना

1998-99 से 2002 के दौरान नियंत्रक द्वारा भारत सरकार को प्रेषित क्रियाकलापों के वार्षिक प्रतिवेदनों से प्रकट होता है कि जाली/नकली औषधियां खाने के कारण राज्य में कोई मृत्यु नहीं हुई । लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि न तो जिला अस्पतालों एवं

उपचार गृहों से इस संबंध में कोई विवरणियां/प्रतिवेदन संग्रहीत किए गए थे और न नियंत्रक ने ऐसे प्रतिवेदन/विवरणियों का निर्धारण ही किया था तथापि एक समाचार पत्र (दैनिक भास्कर दिनांक 28 दिसंबर 2002) ने ग्वालियर जिले में नकली औषधियों के कारण हुई मृत्यु के प्रकरण की सूचना दी थी । भारत सरकार को इस प्रकार प्रेषित प्रतिवेदनों के लिए अस्पतालों से तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं की गई थी ।

3.2.6 *राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली*

(क) अपर्याप्त क्षमता: निर्माता एवं विक्रय परिसरों से संग्रहीत औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के नमूनों का परीक्षण अधिनियम का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में निर्णायक रहता है । भोपाल स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में प्रतिवर्ष 1800 से 2000 नमूनों के विश्लेषण की क्षमता है । राज्य औषधि प्रयोगशाला का इसका स्वयं का भवन नहीं है तथा इसका आधुनिकीकरण भी नहीं हुआ । हाय परफार्मेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफ/फोरियर ट्रांसफोर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (एच.पी.एल./एफ.टी.आर.) जैसे उपकरणों के अभाव में बन्ध्यत्व एवं ज्वर के सामान्य परीक्षणों की भी सुविधा नहीं है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न संवर्गों की 57 महत्वपूर्ण औषधियों के नमूनों का परीक्षण नहीं किया जा सका । केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कलकत्ता से यह अपेक्षा थी कि वह उक्त 57 औषधियों के नमूनों का परीक्षण करे परंतु उसने अपने स्वयं के कार्यभार के कारण परीक्षण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की । इस प्रकार राज्य में औषधि परीक्षण की सुविधाएं कुल मिलाकर अपर्याप्त हैं । जुलाई 2001 एवं जुलाई 2002 में क्रमशः प्राप्त फोरियर ट्रांसफोर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर/हाय परफार्मेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफ उपकरण मई 2003 तक प्रतिष्ठापित नहीं किए गए ।

प्रयोगशाला में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण संग्रहीत नमूनों में से 15 प्रतिशत का परीक्षण नहीं किया जा सका ।

(ख) कर्मचारियों की कमी: प्रयोगशाला आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों के साथ कार्यरत थी । ये कर्मचारी वर्ष के दौरान वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों/औषधि निरीक्षकों द्वारा कतिपय संग्रहीत नमूनों का परीक्षण करने में भी सक्षम नहीं थे । प्राप्त एवं परीक्षण किए गए नमूनों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों की संख्या		परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या				निरस्त नमूनों की संख्या		बकाया नमूनों की संख्या	
	एलोपैथी/ होम्योपैथी	आयुर्वेदिक/ यूनानी, सिद्ध	एलोपैथी/होम्योपैथी		आयुर्वेदिक/ यूनानी, सिद्ध		एलोपैथी/ होम्योपैथी	आयुर्वेदिक / यूनानी, सिद्ध	एलोपैथी/ होम्योपैथी	आयुर्वेदिक/ यूनानी, सिद्ध
			मानक	अवमानक	मानक	अवमानक				
1998-99	2380	16	1926	241	16	--	213	--	--	--
1999-00	3974	12	1834	170	3	--	539	9	1431	--
2000-01	3437	19	1916	125	18	--	1137	1	259	--
2001-02	3180	74	1859	96	45	--	377	5	848	24
2002-03	3334	22	1846	90	--	--	218	1	1180	21
योग	16305	143	9381	722	82	--	2484	16	3718	45

इस प्रकार संग्रहीत 16448 नमूनों में से 2500(15 प्रतिशत) नमूनों का या तो परीक्षण सुविधाओं के अभाव में अथवा परीक्षण पूर्व कालातीत हो जाने के कारण परीक्षण नहीं किया जा सका ।

परीक्षण प्रतिवेदन भेजे जाने में 45 से 365 दिवस तक का असामान्य विलंब हुआ ।

(ग) **परीक्षण परिणाम सूचित करने में विलंबः** नियंत्रक द्वारा जारी किए गए निर्देशों(अक्टूबर 2001) के अनुसार खाद्य सामग्रियों के नमूनों के परीक्षण परिणाम इनकी प्राप्ति के दिनांक से 40 दिवस के भीतर क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाने चाहिए परंतु औषधियों के नमूनों हेतु कोई समय तालिका निर्दिष्ट नहीं की गई । राज्य औषधि प्रयोगशाला में संधारित नमूना पंजी की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 1998-99 से 2002-03 के दौरान प्राप्त औषधियों के नमूने और उनके विश्लेषण के परिणाम क्षेत्रीय कार्यालयों को 46 दिवस से लेकर 365 से अधिक दिवस के विलंब से सूचित किए गए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	अवमानक नमूनों की संख्या	45 दिवस में सूचित	46-100 दिवस	101-200 दिवस	201-365 दिवस	365 दिवस से अधिक
1998-99	241	50	88	85	14	4
1999-00	170	3	20	67	58	22
2000-01	125	32	5	23	38	27
2001-02	96	39	7	10	25	15
2002-03	90	76	4	5	4	1
योग	722	200	124	190	139	69

इस प्रकार 72 प्रतिशत परीक्षण परिणाम 45 दिवस के उपरांत सूचित किए गए जिनमें से 40 प्रतिशत 200 दिवस के उपरांत सूचित किए गए ।

3.2.7 नियत नुस्खों का भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर विक्रय

नियत औषधियों का अधिक दरों पर विक्रय ।

जन सामान्य को नियत औषधियां उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 प्रवर्तित किया तथा समय-समय पर औषधियों का फुटकर मूल्य/अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखा । औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत एक बार निर्धारित फुटकर मूल्य को भारत सरकार से पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी निर्माता बढ़ा नहीं सकता । औषधि निरीक्षकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों की जांच करने में सक्षम बनाने हेतु निर्माताओं द्वारा राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन को स्वीकृत दर सूची की प्रतियां उपलब्ध कराई जानी थीं ।

भारत सरकार ने नियंत्रक को सूचित किया(जनवरी 2001) कि मेसर्स रसेल इंडिया लिमिटेड एवं मेसर्स हॉथ मेरिअन रसेल लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादों का राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर विक्रय किया जा रहा है जो नीचे दर्शाया गया है:

उत्पाद का नाम	पैक का आकार	निर्धारित मूल्य (रुपये)	प्रभारित अधिकतम फुटकर मूल्य (रुपये) एम.आर.पी.
एविल-इंजेक्शन	10 एम.एल-एम्प्यूल	7.11	10.95
एविल-इंजेक्शन	10×2 एम.एल-एम्प्यूल	27.59	39.94
सोफ्राडेक्स-एफ क्रीम	15 ग्राम ट्यूब	17.03	28.00
सोफ्राडेक्स-एफ क्रीम	20 ग्राम ट्यूब	20.13	27.65 (15 ग्राम ट्यूब)

एम.आर.पी.: अधिकतम फुटकर मूल्य जो दर्शाया जाना आवश्यक होता है ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त प्रकरणों के अलावा राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित औषधियों के मूल्यों की बाजार मूल्यों से जांच नहीं की जा रही है तथा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत यदि कोई प्रकरण दायर किए गए हों तो वे उपलब्ध नहीं है । नियंत्रक अथवा उनके क्षेत्रीय अधिकारियों के पास भारत सरकार की स्वीकृत दर सूचियां भी उपलब्ध नहीं हैं ।

इंगित किए जाने पर उप संचालक औषधि प्रशासन इंदौर और ग्वालियर ने बताया (मई 2003) कि मूल्य निर्धारण एवं निर्माताओं द्वारा अधिक मूल्यों की वसूली के संबंध में कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व नियंत्रक का है ।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि नियंत्रक ने उक्त आदेश का अनुपालन करने हेतु राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण की मूल्य सूचियों की प्रति समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को अग्रेषित की थीं तथापि नियंत्रक ने भी इसका अनुपालन नहीं किया । जिला मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत यदि कोई प्रकरण अंकित किए गए हों तो उनकी संख्याओं के वर्षवार विवरण की प्रतीक्षा(दिसंबर 2003) है । इस प्रकार नियंत्रक एवं उनके क्षेत्रीय अधिकारी उनकी जानकारी में लाए जाने पर निर्माताओं द्वारा औषधियों का अधिक मूल्य वसूला जाना रोकने में विफल रहे जिससे जिला मूल्य नियंत्रण आदेश का उद्देश्य ही व्यर्थ हो गया ।

3.2.8 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण

क्षेत्रीय एवं तकनीकी कर्मचारियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी संबंधी विकास के अनुरूप बनाए रखने हेतु उन्हें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण आवश्यक होता है । यह देखा गया कि नियंत्रक ने क्षेत्रीय/प्रयोगशाला कर्मचारियों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जिन्होंने यह बताया(नवम्बर 2002) कि क्षेत्रीय/तकनीकी कर्मचारियों के पास पहले से ही आवश्यक योग्यता थी अतः उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी में निरंतर होने वाले आधुनिकीकरण के संदर्भ में क्षेत्रीय एवं तकनीकी कर्मचारियों की जानकारी को निरंतर समयानुरूप बनाए रखने की आवश्यकता रहती है ।

3.2.9 अन्य ध्यानाकर्षक विषय

क) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से अवमानक अंतः क्षेपीय औषधियों का क्रय

जिला स्वास्थ्य सेवा ने 54.86 लाख रुपए की अंतक्षेपीय औषधियों* की आपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को एक आदेश प्रस्तुत किया(मार्च 1999), प्रत्युत्तर में उसने 4 फर्मों को आदेश प्रस्तुत किए । लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि (1) आपूर्तिकर्ताओं में से एक मेसर्स कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स प्रायवेट लिमिटेड भोपाल जिससे कि औषधियां क्रय की गईं तथा संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से जिनका वितरण किया गया उस व्यापारी का अस्तित्व नहीं पाया गया (2) औषधि निरीक्षक नरसिंहपुर द्वारा जिला अस्पताल नरसिंहपुर से लिए गए औषधियों के

** इंजेक्शन बेनाझिल पेंसिलिन-5 लाख इकाइयां, इंजेक्शन बेनाझिल पेंसिलिनि-10 लाख इकाइयां, प्रोकेन पेंसिलिन-4 लाख इकाइयां तथा इंजेक्शन स्टेप्टोमाइसिन-0.75 ग्राम ।*

नमूने अवमानक पाए गए । निरीक्षक ने संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर से फर्मो द्वारा आपूर्ति औषधियों के आपूर्ति प्रमाणक एवं मात्राओं के विवरण मांगे जिससे कि आवश्यक जांच पड़ताल करने हेतु निर्माता एवं कुल उत्पादन तथा राज्य में उसकी आपूर्ति के मध्य संबंध स्थापित किया जा सके । संभागीय संयुक्त संचालक ने वांछित प्रमाणक(जून 2003) प्रस्तुत नहीं किए जिससे अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना हुई, इससे अवमानक औषधि समूहों को वापस नहीं किया जा सका । अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा अन्य प्रकार से संभागीय संयुक्त संचालक के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही नहीं की गई ।

(ख) अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल औषधियों एवं दवाओं का क्रय

मौसमी संक्रामक रोग नियंत्रण हेतु दवाओं के क्रय में अनियमितताएं ।

अधिनियम में प्रावधान है कि औषधियों के आपूर्ति के समस्त देयकों एवं प्रमाणकों में निर्माता का नाम समूह क्रमांक, निर्माण दिनांक एवं औषधि के कालातीत होने का दिनांक इत्यादि समाविष्ट रहना चाहिए ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि जिला स्वास्थ्य सेवा इंदोर ने 2000-01 के दौरान मौसमी संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु 1.13 करोड़ रुपए मूल्य की दवाओं की आपूर्ति के लिए मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को आदेश प्रस्तुत किए । ये दवाइयां जिला अस्पतालों में आपूरित की जानी थीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर, जबलपुर, मंदसोर एवं उज्जैन की भंडार पंजी की समीक्षा में प्रकट हुआ कि निर्धारित विवरण यथा निर्माण दिनांक कालतीत होने का दिनांक इत्यादि इनमें अंकित नहीं किए गए थे । पूर्ण विवरण के अभाव में औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधियों के नमूनों का संग्रहण नहीं किया जा सका ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया (मई 2003) कि निर्माताओं ने वांछित विवरणों की आपूर्ति नहीं की । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इस तथ्य की भी पुष्टि की कि औषधि निरीक्षकों ने भी नमूनों का संग्रहण नहीं किया । इस प्रकार नकली/जाली, गलत ब्रांड वाले तथा कालातीत दिनांक की औषधियों की प्राप्ति की संभावना को नकारा नहीं जा सकता ।

3.2.10 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

औषधि नियंत्रण प्रशासन के समग्र निष्पादन का परिवीक्षण एवं मूल्यांकन न करना।

नियंत्रक, राज्य स्तर पर मुख्य नियामक अधिकारी हैं । उन्हें सौंपे गए विभिन्न नियामक कार्यों में संगठन के उद्देश्यों को प्रभावकारी रूप में प्राप्त किया जा रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिए सधन परिवीक्षण करना आवश्यक है । नमूनों के संग्रहण, विक्रय परिसरों के निरीक्षण, न्यायालयीन प्रकरणों की प्रगति तथा अवमानक, मिलावटी अथवा नकली पाई गई औषधियों के प्रकरणों की जांच पड़ताल के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक विवरणियों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि व्यावहारिक रूप में परिवीक्षण अस्तित्व में नहीं है क्योंकि जिला अधिकारियों ने विवरणियों में निर्धारित विभिन्न जानकारियां यथा 31 मार्च को विक्रय परिसरों की संख्या, न्यायालयों में बकाया प्रकरणों की संख्या इत्यादि प्रस्तुत नहीं की । नियंत्रक ने प्रत्येक प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया कि जिलों से जानकारी की प्रतीक्षा है तथा प्राप्त होने पर वह दी जाएगी । यह राज्य में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के कार्यान्वयन का शिथिल परिवीक्षण दर्शाता है ।

लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु नियंत्रक की अध्यक्षता में नियतकालिक राज्य स्तरीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं और न नकली औषधियां दिए जाने के कारण होने वाली मौतों के संबंध में अस्पतालों/उपचार ग्रहों से जानकारी के संग्रहण हेतु नियंत्रक ने कोई प्रतिवेदन/विवरणियां ही निर्धारित कीं जिसके कारण जाली एवं अवमानक औषधियों के उपयोग की मात्रा का मूल्यांकन करने में वह विफल रहे ।

3.2.11 निष्कर्ष

जिन लायसेंसों के नवीकरण को स्वीकृत नहीं किया उन लायसेंसों के निरस्तीकरण में असामान्य विलंब, निर्माता/विक्रय इकाइयों के निरीक्षण में बड़ी मात्रा में कमी, संग्रहीत नमूनों के परीक्षण में विलंब तथा अवमानक औषधियों के निर्माण/विक्रय को रोके जाने हेतु त्वरित कार्यवाही के अभाव जैसी बड़ी कमियों से अधिनियम के क्रियान्वयन में क्षति उठानी पड़ी । यद्यपि अधिनियम में अवमानक जाली एवं मिलावटी औषधियों को जब्त किए जाने का प्रावधान है तथापि क्षेत्रीय कर्मचारियों को जब्ती का आदेश प्राप्त करने हेतु न्यायालय में पहुंचना आवश्यक बनाए जाने के लिए कोई विशिष्ट विभागीय अनुदेश नहीं हैं । नकली/जाली एवं मिलावटी पाई गई औषधियों का संपूर्ण देश में विक्रय प्रभावकारी रूप में रोका जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकारी विश्लेषक द्वारा इस प्रकार की घोषित औषधियों की जानकारी का अन्य राज्यों में प्रचार करने हेतु नियमों एवं प्रक्रिया में प्रावधान नहीं किया गया ।

3.2.12 अनुशंसा

⇒ लायसेंसों की वैधता की समाप्ति के पूर्व लायसेंसों का नवीकरण सुनश्चित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

⇒ अवमानक अथवा जाली/नकली पाए जाने वाले उत्पादों के संबंध में निर्माताओं/व्यापारियों को तुरंत नोटिस दिए जाने चाहिए जिससे बाजार से ऐसी औषधियों का समय पर वापस लिया जाना सुनिश्चित किया जा सके ।

⇒ निर्धारित समय सीमा में प्रयोगशाला विश्लेषण पूर्ण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नमूने लिए जाने एवं उनके परीक्षण विश्लेषण में कम समय लगना अवमानक/नकली/जाली/गलत ब्रांड की औषधियों के उत्पादन एवं प्रसार को रोकने के लिए परम आवश्यक है ।

⇒ राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है इसके साथ ही ज्ञान और दक्षता को अद्यतन करने हेतु इसमें उपयुक्त कार्मिक होने चाहिए एवं उनका नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण होना चाहिए ।

⇒ जिला कार्यालयों में नियमित रूप में विवरणियों की प्रस्तुति एवं लायसेंसों के आवधिक नवीकरण पर प्रभावकारी परिवीक्षण तथा नियंत्रण सहित निर्माताओं/व्यापारियों को लायसेंस जारी करने/नवीकरण पर निगरानी रखने हेतु एक मुख्य नियंत्रक पंजी संधारित की जानी चाहिए ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

मुख्यांश

शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में 1987 में आरंभ किया गया राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अब तीन चरणों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है । एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार को कम करने और दीर्घकालीन अवधि के आधार पर एच आई वी/एड्स के विरुद्ध देश की क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिए तृतीय चरण में (1999-2004) में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2 1999 में आरंभ किया गया । दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण कार्यक्रम 1998-2003 के दौरान 19.18 करोड़ रुपये व्यय करने के उपरांत भी एड्स को बहुत अधिक आघात नहीं पहुंचा पाया ।

सबसे प्रमुख मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति 1998-2003 के दौरान एड्स नियंत्रण कार्यान्वयन के लिए अपने पास उपलब्ध राशि का मात्र 36 से 64 प्रतिशत ही प्रयुक्त कर सकी । विभिन्न 90 क्रियान्वयन अभिकरणों के पास मार्च 2003 को 4.10 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रह गए थे ।

(कंडिका 3.3.4)

एड्स रोगियों की संख्या में 1998 से जून 2003 तक की अवधि के दौरान 234 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए राज्य में एड्स के रोगियों की संख्या में 303 से 1011 तक वृद्धि हुई ।

(कंडिका 3.3.5)

उच्च जोखिम समूह के अंग के रुप में व्यक्तियों के स्थान निर्धारण एवं संख्या अभिज्ञापित करने के लिए सर्वेक्षण अभी तक पूर्ण नहीं किया गया । उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए लक्ष्यबद्ध हस्तक्षेप से संबंधित परियोजना कार्यान्वयन में अशासकीय संगठनों की भागीदारी नगण्य थी ।

(कंडिका 3.3.6(i)(क))

कण्डोम प्रोत्साहन कार्यक्रम अत्यधिक अपूर्ण था । एस.टी.डी. क्लीनिकों पर परीक्षण एवं उपचार सुविधाएं 52 प्रतिशत रोगियों को उपलब्ध नहीं कराई गई ।

(कंडिका 3.3.6(i)(ख) एवं (ग))

राज्य में 22400 स्वास्थ्य रक्षा कर्मियों में से केवल 46 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को ही संलक्षण रोगी प्रबंधन (सिंट्रोसेमिक केस मैनेजमेंट) और कण्डोम उपयोग के परामर्श में प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

(कंडिका 3.3.6(ii))

राज्य में स्थित 8383 उच्चतर तथा वरिष्ठ उच्चतर विद्यालयों में से 11 जिलों के 1360 विद्यालयों (16 प्रतिशत) में ही 2002-03 में केवल प्रथम बार एड्स शिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया ।

(कंडिका 3.3.6(iii)(ग))

3.3.1 प्रस्तावना

एड्स के प्रसार के निवारण तथा नियंत्रण के लिए 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया था और अब उसका तीन चरणों में संचालन किया जा रहा है। प्रथम चरण(1986-92)में भारत में एच.आई.वी. के नकारात्मक दबाव को विशेष महत्व दिया गया था। द्वितीय चरण (1992-99) जिसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-1 नाम दिया गया था, का कार्यान्वयन विश्व वैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से करना था । दीर्घकालीन अवधि के आधार पर महामारी का सामना करने का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने के लिए तृतीय चरण में 5 वर्षों(1999-2004) की अवधि के लिए 1999 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2 आरंभ किया गया । इस परियोजना को अक्टूबर 2004 तक पूर्ण किए जाने की आशा की गई थी ।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2 का मुख्य उद्देश्य (क) एच.आइ.वी. संक्रमण के प्रसार को कम करना और (ख) दीर्घकालीन अवधि के आधार पर एच.आई.वी./एड्स का सामना करने के लिए देश की क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना था ।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति का पंजीयन प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में 14 जुलाई 1998 को किया गया था । दिन प्रति दिन के कार्यों के लिए इसके सचिव के रूप में परियोजना संचालक के साथ राज्य स्तर पर एक कार्य पालन समिति का गठन किया गया था ।

जिले के मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिले के स्तर पर जिला एड्स नियंत्रण समितियां कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं ।

3.3.3 लेखापरीक्षा समावेशन

परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, 45 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों में से 9[δ] तथा 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में से 3[@] के 1998-2003 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच जून 2002 तथा दिसंबर 2003 के मध्य की गई थी । प्रकाश में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

3.3.4 वित्तीय प्रबंधन

परियोजना शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है ।

जुलाई 1998 के पश्चात अनुदान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समितियों को सीधे विमोचित किए गए । विमोचित अनुदान तथा किए गए व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:

δ *बड़वानी, भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, इंदौर, सतना, शहडोल तथा उज्जैन*

@ *भोपाल, ग्वालियर, तथा इंदौर*

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना	आरंभिक शेष	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से प्राप्त अनुदान	विविध प्राप्तियां	उपलब्ध कुल निधियां	व्यय	अंत शेष	निधियों की उपलब्धता के प्रतिशतता के रूप में व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1998-99	6.47	0.00	3.15	1.58	4.73	1.77	2.96	37
1999-00	7.14	2.96	3.55	0.65	7.16	4.55	2.61	64
2000-01	5.30	2.61	5.42	0.01	8.04	3.61	4.43	45
2001-02	12.38	4.43	7.80	0.08	12.31	4.71	7.60	38
2002-03	10.03	7.60	4.82	0.01	12.43	4.54	7.89**	36
योग	**41.32**		**24.74**	**2.33**		**19.18**		

1. *राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-1(1998-99) तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2(1999-2003) के अधीन निधियों के उपयोग की घटक बार स्थिति का सारांश* ***परिशिष्ट-XLII*** *में दिया गया है ।*
2. *विविध प्राप्तियों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-1 1.58 करोड़ रुपये, वस्तु के रूप में प्राप्तियां (वाहन, स्केनर आदि): 31.27 लाख रुपये, राज्य एड् प्रकोष्ठ से हस्तांतरित निधियां:14.87 लाख रुपये, ब्याज प्राप्तियां:15.91 लाख रुपये, विविध समायोजन एवं प्राप्तियां13.28 लाख रुपये सम्मिलित है ।*

29 प्रतिशत निधियां अप्रयुक्त रहीं

3. *अप्रयुक्त राशि में से 4.10 करोड़ रुपये 90* विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों के पास थे(मार्च 2003) ।*

यह पाया गया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा निर्देश जारी करने के उपरांत भी राज्य/ जिला स्तरीय एड्स नियंत्रण समितियों ने परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियानों के लिए पृथक व्यय लेखे तैयार नहीं किए । जिला एड्स नियंत्रण समिति छिंदवाड़ा एवं शहडोल ने पृथक बैंक लेखे संधारित नहीं किए और उसके स्थान पर कार्यक्रम के अधीन प्राप्त निधियां अन्य कार्यक्रम निधियों के साथ मिला दीं ।

29 प्रतिशत निधियां लेखाओं में असमायोजित पड़ी हुई थीं ।

नमूना जांच की गई इकाइयों में लेखे उचित रुप से संधारित नहीं पाए गए । 3.54 करोड़ रुपये का व्यय 8 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी* तथा अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर द्वारा किए गए व्यय के रुप में दर्शाया गया तथापि मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने ***परिशिष्ट-XLIII*** में दिए गए ब्योरो के अनुसार 1.02 करोड़ रुपये का अंतर छोड़ते हुए 1998-2003 के दौरान अपनी लेखा पुस्तिकाओं में केवल 2.51 करोड़ रुपये ही समायोजित किए ।

** *इसमें 0.86 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जिनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से हैं ।*

* *जिलाध्यक्ष:29, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी:45, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय:5, आर.एच.एफ.डब्ल्यू.टी.सी.3, सिविल सर्जन:2, आर.एम.आर.सी., जबलपुर, सर्जीकल स्पेशलिस्ट, बुरहानपुर, अधीक्षक एम.वाई. हास्पीटल, इंदौर एवं मेडीकल कालेज रीवा, प्राचार्य एस.एम.एस. मेडीकल कालेज, जलयपुर तथा प्रधान नियंत्रक, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर*

* *बड़वानी, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, धार, इंदौर, सतना तथा उज्जैन*

परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने सूचित किया(नवम्बर 2003) कि नवीन राज्य/जिलास्तरीय एड्स नियंत्रण समितियों के गठन नवीन कार्य योजना, कर्मचारियों की अनुपलब्धता तथा बजट एवं दिशानिर्देशों की विलंब से प्राप्ति के कारण आंरभिक वर्षों के दौरान निधियां अप्रयुक्त रहीं । यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र अशासकीय संगठनों की अनुपलब्धता के कारण उच्च जोखिम समूहों के लिए लक्ष्यबद्ध हस्तक्षेप के अधीन सीमित योजनाएं आरंभ की गई थीं । 2002-03 में संस्वीकृत 14 बी.सी.टी.सी. कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रदत्त निधियां भी कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण उपयोग नहीं की जा सकीं ।

3.3.5 राज्य के एड्स के रोगियों की स्थिति

47 प्रतिशत एड्स रोगी केवल दो जिलों में थे ।

2002 के अंत में देश में 45.80 लाख (अनुमानित) एच.आई.वी./एड्स रोगी थे जिसमें से दिसंबर 1998 के अंत में राज्य में संसूचित 303 रोगियों के विरुद्ध मई 2003 तक मध्यप्रदेश में 1011 प्रमाणित एड्स रोगी थे । एच.आई.वी./एड्स की व्यापकता मालवा-निमाड़ क्षेत्र के 12[⊗] जिलों में संकेन्द्रित होनी पाई गई जहां 70 प्रतिशत रोगी विद्यमान थे । 47 प्रतिशत रोगी (477) उज्जैन एवं इंदौर 2 जिलों में संसूचित किए गए थे ।

इनमें से 836 रोगी(83 प्रतिशत) 21-45 वर्षों के आयु वर्ग के थे और 593 एच.आई.वी. रोगियों(59 प्रतिशत) में यौन संबंधों के माध्यम से तथा 208 रोगी (21 प्रतिशत) रक्त चढ़ाने के कारण पीड़ित हुए ।

पंजीकृत हुए तथा मृत रोगियों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	पंजीकृत एड्स रोगियों की संख्या	मृत रोगियों की संख्या
1997 तक	201	42
1998	102	2
1999	211	1
2000	127	4
2001	156	6
2002	156	3
2003 (मई 2003 तक)	58	2
योग	**1011**	**60**

3.3.6 कार्यक्रम क्रियान्वयन

(i) उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप का लक्ष्य

कार्यक्रम का उद्देश्य लक्ष्य जन समुदाय की पहचान द्वारा उच्च जोखिम समूहों में एच.आई.वी. के प्रसार को कम करना और युगल विचार विमर्श, कण्डोम प्रोत्साहन, यौन संबंध सम्प्रेषित संक्रमण एवं ग्राहकों[#] का उपचार कार्यक्रम था । 1999-2003 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समितियों को 8.53 करोड़ रुपये प्रदान किए थे जिन्होंने इस घटक पर केवल 3.93 करोड़ रुपये (46 प्रतिशत) ही व्यय किए ।

⊗ *बड़वानी, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर एवं उज्जैन*

\# *व्यावसायिक यौन कर्मियों के साथ संपर्क में आने वाले व्यक्ति*

(क) लक्ष्य जन समुदाय की पहचान

उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान के लिये सर्वेक्षण पूर्ण नहीं किया गया ।

राज्य में व्यावसायिक यौन कर्मी, ट्रक ड्राइवर, प्रवासी औद्योगिक श्रमिक, गलियों के बच्चे तथा गंदी बस्ती में रहने वाले समुदाय का उच्च जोखिम समूह के रुप में वर्गीकरण किया गया था । यह देखा गया कि मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समितियों ने उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के स्थान तथा संख्या की पहचान के लिए सर्वेक्षण नहीं किया । परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने सूचित किया(नवम्बर 2003) कि उस अभिकरण जिसे यह कार्य सौंपा गया था, ने अपना प्रारुप प्रतिवेदन 20 फरवरी 2003 को प्रस्तुत कर दिया था । आगे की कार्यवाही राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को करनी थी ।

सर्वेक्षण के अभाव में मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने 1998-2003 के दौरान **परिशिष्ट-*XLIV*** में दिए विवरणों के अनुसार (ट्रक ड्राइवरः40,000, गंदी बस्तियों में रहने वाला समुदायः16,000, व्यावसायिक यौन कर्मीः3200 एवं गलियों के बच्चेः2000) 61,200 व्यक्तियों को समाविष्ट करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, महिला एवं बाल कल्याण, श्रम तथा पुलिस विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर लक्ष्यित हस्तक्षेपों के लिए 57 परियोजनाएं योजित कीं ।

लक्ष्यित हस्तक्षेप में अशासकीय संगठनों की भागीदारी केवल 11 प्रतिशत थी ।

इन 57 परियोजनाओं के विरुद्ध केवल 12 परियोजनाएं जिनमें आबद्ध 6795 व्यक्ति (गंदी बस्तियों में रहने वालेः5129, व्यावसायिक यौन कर्मीः410 एवं गलियों में रहने वाले बच्चेः1256) अर्थात् 11 प्रतिशत ही समाविष्ट कर सके । 1999-2000 से 7 उच्च जोखिम समूहों के लक्ष्यित हस्तक्षेप हेतु दस अशासकीय संगठन नियुक्त किये गए और मार्च 2003 तक उन्हें 63.38 लाख रुपये संवितरित किए गए । भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अशासकीय संगठनों द्वारा एक से तीन वर्षों के भीतर परियोजनाएं पूर्ण करनी थीं और परियोजना पूर्ण होने के एक माह के भीतर लेखे का लेखापरीक्षित विवरण पत्र तथा पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन के साथ उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना थे ।

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि मार्च 2002 तक 6 अशासकीय संगठनों को सहायता अनुदान के रुप में संवितरित 26.85 लाख रुपये के विरुद्ध मार्च 2002 तक केवल 15.40 लाख रुपये के उपयोग प्रमाणपत्र ही प्राप्त हुए । यह भी पाया गया कि इन अशासकीय संगठनों (छः) में 3[$] द्वारा किया गया कार्य मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने संतोषजनक नहीं पाया और उन्हें स्वतंत्र मूल्यांकन के अधीन रखने का निर्णय लिया गया ।

कुछ परियोजनाओं में लक्ष्यित हस्तक्षेप के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के प्रकरणों का उल्लेख लेखापरीक्षा में किया गया था, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अशासकीय संगठन परामर्शदाता ने इसका कारण अशासकीय संगठनों के चयन की दीर्घ प्रक्रिया एवं पात्र अशासकीय संगठन अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न होना बताया ।

[$] 1. *बी.आर. अम्बेडकर समाज कल्याण एवं शोध समिति भोपाल*

2. *मालवांचल विकास परिषद, भोपाल और*

3. *आरंभ भोपाल*

(ख) कण्डोम उपयोग को प्रोत्साहन

एच.आई.वी. के प्रसार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम समूहों के मध्य कम से कम 90 प्रतिशत तक कण्डोम के उपयोग के प्रोत्साहन के माध्यम से प्राप्त किया जाना था । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न माध्यमों से कण्डोम निःशुल्क वितरित किए जाने थे । यह पाया गया कि 1998-2000 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन कण्डोम वितरित नहीं किए गए ।

त्रुटिपूर्ण कण्डोम प्रोत्साहन कार्यक्रम

तथापि 2000-03 के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा वितरण हेतु प्राप्त 23 लाख कण्डोमों (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से 8 लाख और राज्य सरकार से 15 लाख) में से केवल 18.96 लाख ही वितरित किए गए । परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल ने सूचित किया(नवम्बर 2003) कि 1998-2003 के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पूर्व में ही कण्डोम वितरित कर दिए गए थे । उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि कार्यक्रम के अधीन कण्डोम उच्च जोखिम समूह के मध्य अशासकीय संगठनों के माध्यम से वितरित किए जाने थे ।

(ग) यौन संबंध से प्रेषित रोग चिकित्सालय

चूंकि यौन संबंध संप्रेषित रोगों से एच.आई.वी.संक्रमण की संभावनाओं में वृद्धि होती है इसलिए यौन संबंध सम्प्रेषित रोग नियंत्रण को कार्यक्रम योजना में प्रमुख भूमिका सौंपी गई है । यौन संबंध सम्प्रेषित रोग के रोगियों के उपचार देने और एड्स से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर मुख्य रुप से ध्यान केन्द्रित किया गया था क्योंकि यौन संबंध सम्प्रेषित रोग ठीक हो सकते हैं जबकि एड्स ठीक नहीं हो सकता ।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक, जिला अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में यौन संबंध सम्प्रेषित रोग चिकित्सालय खोले जाने थे । सभी 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में यौन संबंध सम्प्रेषित रोग चिकित्सालय थे जबकि 4 जिला अस्पतालों (डिण्डोरी, हरदा, श्योपुर तथा उमरिया) में ये चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी । इन 4 जिला अस्पतालों में यौन संबंध सम्प्रेषित रोग चिकित्सालय न खोलने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप उक्त क्षेत्रीय यौन संबंध सम्प्रेषित रोग के रोगियों का पता नहीं लगाया जा सका, उन्हें उपचार और परामर्श नहीं दिया जा सका ।

रोगी जिन्होंने यौन रोग संबंध सम्प्रेषित रोग चिकित्सालय में चिकित्सा कराई, की संख्या और उपचारित रोगियों की संख्या की राज्य स्तरीय स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	उन रोगियों की संख्या जिन्होंने यौन रोग सम्प्रेषण रोग चिकित्सालय में चिकित्सा कराई	संसूचित एवं उपचारित रोगियों की संख्या	रोगियों की संख्या जिनका उपचार नहीं कराया गया
1998	5204	4108	1096
1999	11606	11107	499
2000	15069	8827	6242
2001	19209	9129	10080
2002	49242	15205	34037
योग	**1,00,330**	**48,376**	**51,954**

इसके अतिरिक्त 51,954 रोगियों ने पंजीयन के पश्चात् उपचार नहीं कराया और परीक्षण एवं उपचार कराने हेतु अपनी अनिच्छा प्रकट की । परियोजना संचालक ने नवम्बर 2003 में सूचित किया कि इन रोगियों को अन्य विशेषज्ञों के पास भेजा गया क्योंकि वे यौन संबंध सम्प्रेषित रोग से पीड़ित न होकर अन्य रोगों से ग्रस्त थे ।

यौन सम्प्रेषित रोग चिकित्सालयों में आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे ।

दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक यौन संबंध सम्प्रेषित रोग चिकित्सालय के लिए सात उपकरण अनिवार्य निर्धारित किये गये थे । अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि अनेक यौन संबंध संप्रेषण रोग चिकित्सालयों में ये उपकरण (मायक्रोस्कोपः8 चिकित्सालय, रोटेटिंग केन के साथ हॉट एयर ओवनः 11 चिकित्सालय, वॉटर बाथसैरोलॉजिकलः8 चिकित्सालय, टाइमर क्लॉकः8 चिकित्सालय, बी.डी.आर.एल.[@] रोटेटरः9 चिकित्सालय, रेफ्रीजरेटरः.20 चिकित्सालय एवं औटोक्लेवः45 चिकित्सालय) उपलब्ध नहीं थे ।

परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने सूचित किया(जुलाई 2003) कि 2002-03 में इन उपकरणों के क्रय के लिए 7.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे परंतु तकनीकी कारणों से निवदाएं जारी नहीं की गई । इस प्रकार ये चिकित्सालय अक्टूबर 2003 तक भी पूर्णतः कार्यशील नहीं थे जिसके परिणामस्वरुप यौन संबंध सम्प्रेषित रोग के रोगी अपने उपचार के लिए उचित जांच परीक्षण सुविधाओं से वंचित रहे ।

(ii) स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों को प्रशिक्षण

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं को सिण्ड्रोमिक केस मैनेजमेंट तथा कण्डोम के उपयोग में परामर्श देने का प्रशिक्षण दिया जाना था और चिकित्सा कर्मचारियों/समानान्तर चिकित्सा कर्मचारी बी.डी.आर.एल.(सिफलिस) परीक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रशिक्षित किए जाने थे ।

केवल 46 प्रतिशत स्वास्थ्य परिचर्या कर्मी सिण्ड्रोमिक केस मैनेजमेंट में प्रशिक्षित थे ।

मार्च 2003 तक राज्य के 22400 स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों में से केवल 10283(46 प्रतिशत) ही सिण्ड्रोमिक केस मैनेजमेंट और कण्डोम के उपयोग मे परामर्श हेतु प्रशिक्षित किए गए थे ।

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने प्रशिक्षण में कमी का कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त होना बताया परिणामस्वरुप अधिकारियों तथा समानान्तर चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका । प्रत्येक वर्ष बहुत अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना पड़ा ।

अधिक कार्य के कारण अस्पतालों में आकस्मिक कार्य प्रभार बढ़ा तथा रुचि में कमी आई । तथापि मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने इन बाधाओं से उबरने के लिए किए जाने वाले कोई उपाय अथवा प्रस्तावित कार्यवाही निर्दिष्ट नहीं की ।

@ *स्त्री रोगों के संदर्भ में प्रयोगशाला(सिफिलिस परीक्षण)*

(iii) सामान्य समुदाय के लिए निरोधक हस्तक्षेप(न्यून जोखिम समूह के मध्य निवारण)

इस घटक के अंतर्गत आरंभ की जाने वाली गतिविधियों में (1)सूचना, शिक्षण एवं संचार तथा परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियान (2) स्वेच्छा से परीक्षण एवं परामर्श देना और (3) रक्त आधान तथा व्यावसायिक प्रदर्शन द्वारा रोग सम्प्रेषण कम करना था ।

इस घटक के अंतर्ग 1999-2003 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से प्राप्त 18.14 करोड़ रुपये के अनुदान के विरुद्ध केवल 8.40 करोड़ रुपये (46.29 प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया । कम उपयोग के कारण सूचित नहीं किए गए ।

(क) सूचना, शिक्षण तथा संचार और जागरुकता अभियान

सूचना, शिक्षण तथा संचार गतिविधियों में व्यापक जागरुकता और जनसंचार माध्यम, समाचार पत्र विज्ञापनों, विज्ञापन पटलों, ग्लोशाइन बोर्डों, आकाशवाणी/दूरदर्शन पर विज्ञापनों दीवाल लेखन आदि के माध्यम से समाज को प्रेरित करना सम्मिलित है ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2001-02 के दौरान इस घटक के लिए आवंटित राशि (2.14 करोड़ रुपये) का मात्र 22 प्रतिशत (46.04 लाख रुपये) ही व्यय किया गया ।

(ख) परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी जनसंख्या के अन्य असुरक्षित समूहों में प्रजनन अंग संक्रमणों/यौन संबंध संप्रेषित रोगों तथा एच.आइ.वी./एड्स पर जागरुकता के स्तरोन्नयन और प्रजनन अंग संक्रमण/यौन संबंध सम्प्रेषित रोगों की त्वरित खोज एवं उपचार को सुविधाजनक बनाने के लिए एवं कण्डोम के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 15-49 वर्ष आयु समूहों का समावेशन करते हुए 7-15 दिनों की अवधि के परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में आयोजित किए जाने थे ।

आयोजित परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियानों, वस्तुतः शिविरों में भाग लिए व्यक्तियों की संख्या, उपचार इकाइयों को भेजे गए रोगियों की संख्या और जननांग संक्रमण/यौन संबंध सम्प्रेषित रोग के रोगी जिन्हें वस्तुतः उपचार दिया गया, निम्नानुसार हैं:

(संख्या लाख में)

	1999 1-12 से 15-12	2000 (1-6 से15-6)	2001 (1-6 से 15-6)	2002 (11-2 से 28-2)	योग
1. कुल अनुमानित लक्ष्य जनसंख्या	186.61	285.64	190.27	198.45	-
2. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वस्तुतः शिविरों में भाग लिया	22.41	57.32	32.16	33.88	145.77
3. उन व्यक्तियों का प्रतिशत जिन्होंने, वस्तुतः शिविरों में भाग लिया	12.01	20.07	16.90	17.07	--
4. उपचार इकाइयों को वस्तुतः भेजे गए रोगियों की संख्या	1.59	3.84	2.61	3.01	11.05

5. वस्तुतः उपचारित रोगियों की संख्या	1.32	2.14	1.39	1.81	6.66
6.वस्तुतः उपचारित व्यक्तियों की संख्या	83.01	55.72	53.25	60.13	--

परिवार स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले रोगियों के संबंध में अनुपालन कार्यवाही नहीं की गई ।

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के पास न तो 4.39 लाख (11.03 लाख-6.66 लाख) रोगी जिनका उपचार नहीं किया गया के संबंध में की गई उपचारात्मक कार्यवाही अथवा जननांग संक्रमण/यौन संबंध सम्प्रेषित रोग चिकित्सालयों को संदर्भित 11.05 लाख रोगियों में कितने एच.आइ.वी. सकारात्मक रोगी थे, के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी ।

इनके संचालन के लिए परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियान, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने वार्षिक कार्ययोजना के अधीन अनुमोदित निधियों से भी अधिक पृथक निधियां विमोचित की थीं । यद्यपि परिवार स्वास्थ्य जागरुकता अभियान के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना से निधियों के व्यपवर्तन की अनुमति नहीं थी तथापि यह पाया गया कि परिवार स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम के आवंटन के विरुद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया व्यय सामान्य कार्यक्रम घटकों/गतिविधियों के साथ मिला दिया गया परिणामस्वरुप परिवार स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम पर किया गया व्यय स्पष्ट रुप से सत्यापन योग्य नहीं था ।

(ग) शालेय शिक्षा

राज्य में शालेय एड्स शिक्षण कार्यक्रमों का विलंब से आरंभ

शालेय एड्स शिक्षण दिशा निर्देशों की राष्ट्रीय योजना के अनुसार समस्त शालाएं विशेष रुप से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की दर से सम्मिलित किये जाने थे जिससे कि 5 वर्षों में समस्त शालाएं समाविष्ट की जा सकें । शालेय एड्स शिक्षण 9 वीं एवं 11 वीं कक्षाओं में प्रारंभ किया जाना था ताकि विद्यार्थी एच0आई.वी./एड्स के बढ़ते हुए भय से परिचित हो सकें । समस्त प्राचार्य/प्रधान अध्यापक एवं अभिज्ञापित शिक्षक एवं विद्यार्थी (प्रत्येक शाला से 2 अध्यापक एवं 2 समकक्षी शिक्षक) को प्रमुख प्रशिक्षक द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना था । प्रत्येक शाला को शाला स्तरीय गतिविधियां संचालित करने के लिए 1100 रुपये दिए जाने थे । कार्यक्रम का कार्यान्वयन कराने वाले अशासकीय संगठनों द्वारा नियमित परिवीक्षण किया जाना था ।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कार्य योजना तथा निधियों की अप्राप्ति के कारण परियोजना के प्रथम तीन वर्षों (1998-2001) के दौरान शालेय एड्स शिक्षण कार्यक्रम आरंभ नहीं किया गया । 2001-02 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 25.90 लाख रुपये प्रदान किए गए और मात्र 0.61 लाख रुपये व्यय करके 8 जिलों की 18 शालाओं में प्रायोगिक आधार पर कार्यक्रम आरंभ किया गया । 2002-03 में कार्यक्रम प्रथम बार विस्तार से उस समय आरंभ किया गया जब 2718 शालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध 11 जिलों की 1360 शालाओं का चयन किया । राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा प्रदत्त 80 लाख रुपये के विरुद्ध इन 11 जिलों को 78.41 लाख रुपये आवंटित किये गये । वस्तुतः किये गये व्यय के विषय में मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के पास नवम्बर 2003 तक जानकारी उपलब्ध नहीं थी ।

इस प्रकार 2002-03 में केवल प्रथम वार ही राज्य के कुल 8383 माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शालाओं में से 1360 शालाओं (16 प्रतिशत) में ही शालेय एड्स शिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया । 2720 शिक्षक एवं 2720 विद्यार्थी जिन्हें प्रशिक्षित करना था, के विरुद्ध केवल 1745 शिक्षक (64.15 प्रतिशत) तथा 1767 विद्यार्थी (64.96 प्रतिशत) 2002-03 के दौरान वस्तुतः प्रशिक्षित किए गए ।

(घ) स्वेच्छा से परीक्षण एवं परामर्श

14 स्वैच्छिक परीक्षण एवं परामर्श केन्द्र कार्यशील नहीं बनाए गए ।

इस गतिविधि में (1) स्वेच्छा से परीक्षण विशेष रुप से युगलों के संयुक्त परीक्षण हेतु बढ़ती हुई उपलब्धता एवं मांग, (2) एच.आई.वी./एड्स परामर्श में आधारमूल स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और राज्य में समस्त ब्लड बैंकों तथा योन संबंध सम्प्रेषित रोग चिकित्सालयों के माध्यम से परामर्श सेवा प्रदान करना सम्मिलित है ।

स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों के गठन एवं उनके निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	स्वीकृत स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों की संख्या	कार्यशील स्थलों की संख्या (संचयी)	वर्ष	निष्पादन				परामर्श प्राप्त रोगी
				रक्त परीक्षण		निम्न में से सकारात्मक पाए गए रोगी		
				नैधानिक रुप से संदेहास्पद एच.आइ.वी./ एड्स रोगियों हेतु	स्वैच्छिक एच.आई.वी. परीक्षण हेतु	नैधानिक रुप से संदेहास्पद	स्वैच्छिक परीक्षण	
1998-99	3	3	1998	6334	9239	258	25	1852
1999-2000	--	3	1999	4693	10342	376	31	1864
2000-01	--	3	2000	4805	9714	462	30	1970
2001-02	16	19	2001	3695	9143	527	29	2207
2002-03	14	19	2002	4800	1447	496		3552

यह पाया गया कि 2002-03 में स्थापित 14 स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र कार्यशील नहीं बनाए जा सके क्योंकि आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी और राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आवश्यक उपकरण भी प्रदाय नहीं किए गए थे ।

(ड.) रक्त आधान एवं व्यावसायिक प्रदर्शन के माध्यम से एच.आई.वी. सम्प्रेषण कम करना

राष्ट्रीय रक्त सुरक्षा नीति के अनुसार संक्रामक रोगों जैसे हेपीटाइटस, सिफलिस, मलेरिया एवं एच.आई.वी./एड्स का पता लगाने के लिए रक्त की प्रत्येक इकाई की जांच करना अनिवार्य है । ऐसी जांच करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा आवश्यक उपकरण, उपभोग्य वस्तुओं के क्रय तथा प्रयोगशाला तकनीशियनों के वेतन के लिए ब्लड बैंकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है । इस गतिविधि के अंतर्गत नवीन आधुनिक ब्लड बैंकों की स्थापना, विद्यमान प्रमुख ब्लड बैंकों का उन्नयन तथा नवीन जिला स्तरीय ब्लड बैंकों की स्थापना का कार्य हाथ में लिया गया है ।

आधुनिक ब्लड बैंकों की स्थापना की स्थिति निम्नानुसार है:

	जिला स्तर पर	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	वृहद ब्लड बैंक
1.4.1998 को राज्य में विद्यमान ब्लड बेंकों की संख्या	39	06	03
छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित संख्या	5	1	1
1998-2002 के दौरान स्थापित नवीन ब्लड बैंकों की संख्या	1	--	--
दिसंबर 2002 तक आधुनिकीकृत ब्लड बैंकों की कुल संख्या	35	5	2

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ किः

(1) 42 ब्लड बेंकों में से 5 (जिला अस्पताल दतिया, होशंगाबाद, पन्ना, रायसेन एवं राजगढ़) 2002-03 के दौरान राज्य नियंत्रक खाद्य एवं औषधि से वैध लायसेंस के बिना कार्य कर रहे थे । परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने सूचित किया(नवम्बर 2003) कि सक्षम अधिकारी से लायसेंस के पुनर्बंधीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

5 जिला स्तरीय ब्लड बैंकों के पास वैध लायसेंस नहीं थे ।

(2) यद्यपि परियोजना कार्यान्वयन योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि 2002 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक आधुनिकीकृत ब्लड बैंक होगा तथापि राज्य के 5 जिलों (डिण्डोरी, हरदा, नीमच, श्योपुर तथा उमरिया) में मार्च 2003 तक कोई ब्लड बैंक अवस्थित नहीं था ।

(3) मार्च 2003 तक 35 जिला स्तरीय एवं 2** प्रमुख ब्लड बैंकों में कुछ आवश्यक उपकरण (एयर कण्डीशनरः25, रेफ्रीजरेटर17, रेफ्रीजिरेटेड वाटर बाथः36, इलीसा रीडरः20 तथा ट्यूब सीलरः35 नहीं थे ।

(4) प्रयोगशाला तकनीशियनों के संस्वीकृत 50 पदों में से 24(48 प्रतिशत) पद मार्च 2003 तक रिक्त थे जिसकी रिक्ति अवधि-1 से 2 वर्षों के मध्य थी ।

(च) रक्त पृथक्करण इकाइयों की स्थापना

रक्त घटक पृथक्करण सुविधाएं एवं रक्त विखण्डन सुविधाओं की स्थापना करके रक्त एवं रक्तोत्पादों के तर्कसंगत उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर स्थित 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में 3 रक्त घटक पृथक्करण इकाइयां स्थापित की गई थीं ।

यह पाया गया कि यद्यपि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने जुलाई 1995 से जुलाई 2000 के दौरान उपकरण प्रदान किए थे और 2000-03 के दौरान मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने तीनों रक्त घटक पृथक्करण इकाइयों को 16 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान भी दिया था तथापि समस्त इकाइयां जून 2003 तक राज्य नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि से वैध लायसेंस प्राप्त किए बिना कार्य कर रहीं थी । यद्यपि भोपाल एवं इंदौर स्थित इकाइयों ने क्रमशः दिसंबर 2002 एवं जून 2001 से कार्य करना बंद कर दिया

** *जिला अस्पताल, उज्जैन और जे.पी. अस्पताल, भोपाल.*

था तथापि ग्वालियर की इकाई ने वैध लायसेंस जो कि औषधि एवं प्रसाधन नियम 1945 तथा भारत सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 5 अप्रैल 1999 के अधीन ब्लड बैंक स्थापना के लिए एक पूर्वापेक्षित शर्त है, के बिना जून 2003 तक कार्य जारी रखा।

परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने सूचित किया(नवम्बर 2003) कि भोपाल एवं इंदौर इकाइयों को राज्य नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि ने लायसेंस दे दिया था जबकि ग्वालियर इकाई लायसेंस प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील थी ।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 2 रक्त पृथक्करण इकाइयों को प्रदत्त उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे ।

रक्त घटक पृथक्करण इकाई इंदौर एवं भोपाल में 55.38 लाख रुपये (27.69.×2) मूल्य के उपकरण क्रमशः जुलाई 2001 एवं जनवरी 2003 से निष्क्रिय पड़े हुए थे । इस प्रकार बड़े पैमाने पर रोगियों के लिए रक्तोत्पादों के तर्कसंगत उपयोग के लिए सृजित सुविधाओं के सृजन पर 87.38 लाख रुपये व्यय करने के उपरांत भी अप्रयुक्त पड़ी रही ।

(iv) मितव्ययी एड्स परिचर्या

मितव्ययी एड्स परिचर्या के अंतर्गत गतिविधियों का उद्देश्य एड्स रोगियों को प्रायः हो जाने वाले सामान्य समयानुवर्ती संक्रमणों के लिए व्यय पर प्रभाव डालने वाले हस्तक्षेपों की उपलब्धता में वृद्धि सहित परिवार एवं समुदाय आधारित निधि व्यवस्था करना थी आरंभ किये गये विशिष्ट कार्य(1) जिला अस्पतालों में सामान्य समयानुवर्ती संक्रमण का उपचार करने के लिए उचित औषधियां प्रदान करना, (2) परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को चयनित राज्य स्तरीय अस्पतालों में प्रशिक्षण देना है ।

एड्स रोगियों को परिवार आधारित परिचर्या प्रदान नहीं की गई ।

(1) यह पाया गया कि मार्च 2003 तक राज्य में ऐसे अस्पताल/केन्द्र स्थापित नहीं किए गए थे । परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने सूचित किया(नवम्बर 2003) कि मध्यप्रदेश कम रोग व्यापकता वाला राज्य होने के कारण परिवार आधारित कार्यक्रम आरंभ नहीं किया गया ।

(2) 1999-2003 के दौरान जिला अस्पतालों में अवसरपरक संक्रमणों के उपचार के लिए उचित औषधियां प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमोदित 32.10 लाख रुपये के विरुद्ध परियोजना संचालक मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने सूचित किया कि उचित औषधियां क्रय करने के लिए 2001-02 में जिला अस्पतालों को 8.19 लाख रुपये आवंटित किये गये थे परंतु नवम्बर 2003 तक उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए ।

(3) परामर्श सेवा के प्रावधान के लिए चयनित राज्य स्तरीय अस्पतालों पर मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया ।

(v) निगरानी के परिणाम

जनसंख्या के विभिन्न समुदायों के मध्य भौगोलिक रुप से महामारी की वृद्धि पर विवेचनात्मक आंकड़ों के लिए और सम्यक रणनीति बनाने के लिए गहन निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके निगरानी की गई थी । इस प्रकार संग्रहीत आंकड़ों का एच.आई.वी. संक्रमण का फैलाव निकालने के लिए राज्य की वृहद जनसंख्या पर वर्हिकलन किया जाना था ।

1998-2002 के दौरान प्रसव पूर्व केन्द्रों पर जाने वाली माताओं और 1998-99 में 10 जिलों में स्थित यौन संबंध सम्प्रेषित रोग चिकित्सालयों जाने वाले रोगी जो 2002-03में प्रत्येक क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए क्रमशः राज्य के 23 जिलों तक फेल गए थे, की निगरानी के पांच चक्र संचालित किए गए थे । निगरानी के परिणाम निम्नानुसार हैं:

अवधि	प्रहरी समूह	स्थलों की संख्या	परीक्षण हेतु लक्ष्य	वस्तुतः किए गए परीक्षण	सकारात्मक संख्या	राज्य स्तरीय एच.आई.वी. की प्रसार दर
अगस्त 1998 से सितंबर 1998	यौन संबंध सम्प्रेषित रोग	4	1000	665	15	2.25
	प्रसव पूर्व केन्द्र	6	2400	1807	2	0.11
अगस्त 1999 से अक्टूबर 1999	यौन संबंध सम्प्रेषित रोग	4	1000	1000	6	0.60
	प्रसव पूर्व केन्द्र	6	2400	2400	6	0.25
अगस्त 2000 से अक्टूबर 200	यौन संबंध सम्प्रेषित रोग	8	2000	1569	26	1.65
	प्रसव पूर्व केन्द्र	6	2400	2400	4	0.16
अगस्त 2001 से नवम्बर 2001	यौन संबंध सम्प्रेषित रोग	6	1500	1170	24	2.05
	प्रसव पूर्व केन्द्र	10	4000	4000	13	0.32
अगस्त 2002 से नवम्बर 2002	यौन संबंध सम्प्रेषित रोग	10-	2500	1784	39	2.18
	प्रसव पूर्व केन्द्र	13	5200	5200	6	0.11

तालिका दर्शाती है कि यौन संबंध सम्प्रेषित रोग प्रकरणों में उच्च जोखिम समूहों में एच.आई.वी. की व्यापकता की पृवृत्ति वृद्धि पर है ।

(vi) अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग

सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों के मध्य सहयोग में वृद्धि के उद्देश्य से केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य मंत्रालयों एवं विभागों के भीतर अन्य कार्यक्रमों के साथ गतिविधियों में समन्वय किया जाना था । सहयोग में (1) उन अभिनव एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रमों से जो अन्य क्षेत्रों में चल रहे हैं-शिक्षा लेना और (2) जागरुकता सर्जन के कार्य में हाथ बटाना, हस्तक्षेप करते समय पक्ष समर्थन पर ध्यान केन्द्रित किया जायगा ।

यह पाया गया कि मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि के लिए विस्तृत योजना तक तैयार नहीं की यद्यपि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने 1999-2003 के दौरान इस गतिविधि का आरंभ करने के लिए 36.80 लाख रुपये की एक राशि संस्वीकृत और प्रदान की थी । इस गतिविधि पर 1999-2003 के दौरान मात्र 2.10 लाख रुपये(5.70 प्रतिशत) ही व्यय किए गए थे । परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने सूचित किया(नवम्बर 2003) कि दिशानिर्देश प्राप्त न होने के कारण राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से प्राप्त निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका ।

(vii) कार्यक्रम के परिवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए योग्यता पैदा करना

कार्यक्रम का मूल्याँकन नहीं किया गया ।

दिशानिर्देशों के अनुसार आधारभूत, मध्यवर्ती तथा अंतिम वर्ष में किसी वाह्य अभिकरण द्वारा परिवीक्षण तथा मूल्यांकन किया जाना था । अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के पास आधारभूत, मध्यवर्ती तथा अंतिम मूल्यांकन करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ये गतिविधियां राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा संचालित की जानी थी ।

3.3.7. निष्कर्ष

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन अभी भी नवजात अवस्था में है । लक्ष्यित हस्तक्षेप अवैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित है और लक्ष्यित हस्तक्षेप में अशासकीय संगठनों की भागीदारी नगण्य है । यौन संबंध सम्प्रेषित रोग के रोगी पति एवं पत्नी दोनों की जांच नहीं की गई थी यद्यपि दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई थी । विमोचित किए गए 24.74 करोड़ रुपयों में से 7.89 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के स्तर पर तथा विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अप्रयुक्त पड़े रहे । सामान्य अवसर परक संक्रमणों के उपचार के लिए उचित औषधियां प्रदान नहीं की गई । एड्स रोगियों की छोटे समुदाय आधारित अस्पतालों, मिलन केन्द्रों तथा परिवार आधारित परचर्या नहीं की गई । अनेक ब्लड बैंक/रक्त घटक पृथक्करण इकाइयां राज्य औषधि नियंत्रक से लायसेंस प्राप्त करने में विफल रहे । शालेय एड्स शिक्षण कार्यक्रम विलंब से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-2 के चतुर्थ वर्ष से आरंभ किया गया । इस प्रकार कार्यक्रम के प्रभाव अभी अनुभव किया जाना है ।

3.3.8. अनुसंशाएं

⇒ उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के स्थान तथा संख्या की जानकारी के लिए प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण पूरा किया जाना चाहिए जिससे कि लक्ष्यित हस्तक्षेप के लिए उच्च जोखिम समूहों की पहचान की जा सके ।

⇒ जनसंचार माध्यमों, समाचार पत्र, विज्ञापनों, विज्ञापन पटलों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के सहयोग से सामान्य जागरुकता तथा सामाजिक संघटन के लिए क्रमबद्ध तथा सम्पोषित अभियान की आवश्यकता है ।

⇒ राज्य में स्थापित समस्त ब्लड बैंकों/रक्त पृथक्करण इकाइयों के लिए राज्य नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि से वैध लायसेंस प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए और प्रयोगशाला तकनीशियनों तथा परामर्शदाताओं के रिक्त पद भरे जाने चाहिए ।

⇒ एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अशासकीय संस्थाओं की भागीदारी में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है ।

⇒ एच.आई.वी./एड्स रोगियों की उचित परिचर्या के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सहयोग दिए जाने तथा सर्वसुविधायुक्त करने की आवश्यकता है ।

नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग एवं गृह (पुलिस) विभाग

3.4 अग्नि निवारण एवं नियंत्रण

मुख्यांश

राज्य में अग्नि शमन सेवा स्थानीय शासन के अधीन नगर पालिकाओं द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में इंदौर(5), भोपाल(1) तथा मालनपुर (1) स्थित 7 प्रमुख अग्नि शमन को छोड़कर प्रदान की जाती है । इसके लिए गृह (पुलिस) विभाग (मुख्य अधीक्षक, पुलिस अग्नि शमन वाहिनी, इंदौर) द्वारा अग्नि शमन सेवा प्रदान की जाती है । 336 नगरीय स्थानीय निकायों तथा 11 औद्योगिक क्षेत्रों में से अग्नि शमन सेवा केवल 102 नगरीय स्थानीय निकायों एवं 4 औद्योगिक नगरों में ही उपलब्ध हैं तथापि राज्य में उपलब्ध अग्नि शमन केन्द्रों तथा अग्नि शमन वाहनों के विवरण नगरीय विकास संचालनालय के पास उपलबध नहीं थे । राज्य में अग्नि निवारण तथा सुरक्षा उपायों के अंगीकरण के विनियमन से संबंधित अग्नि शमन बल विधेयक निगमित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त खतरनाक जोखिम का विश्लेषण नहीं किया गया और अग्नि की दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अधिकतम प्रतिक्रिया समय भी निर्धारित नहीं किया गया ।

नमूना जांच किये गये 26 स्थानीय निकायों में 164 अग्नि शमन केन्द्रों तथा 210 अग्नि शमन वाहनों के मानदण्ड के विरुद्ध केवल 31 अग्नि शमन केन्द्र तथा 122 अग्निशामक वाहन उपलब्ध हैं । इनमें से 5 स्थानों पर अग्नि शमन केन्द्र भवन उपलब्ध नहीं हैं जबकि 7 अग्नि शमन केन्द्रों के अग्नि शमन केन्द्र परिसरों में पानी के संसाधन भी उपलब्ध नहीं है ।

(कंडिका 3.4.5(i)(क)(ख))

अग्नि शमन केन्द्र देवास के लिए निर्मित भवन पूर्ण होने के उपरांत भी उसे सौंपा नहीं गया और मार्च 2000 में उला(रायपुर) स्थित भवन के निर्माण के लिए दिए गए 60.00 लाख रुपये निष्पादन अभिकरण से वापस प्राप्त नहीं किए गए यद्यपि कार्य आरंभ नहीं किया गया था ।

मार्च 2000 में इन अग्नि शमन केन्द्रों के लिए 12 अग्नि शमन वाहन क्रय किए गए थे यद्यपि अग्नि शमन केन्द्रों ने अभी तक कार्य आरंभ नहीं किया था ।

(कंडिका 3.4.5 (ii))

अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किया गया और 10 वें वित्त आयोग के अधीन विमोचित 77.98 लाख रुपये की राशि अग्नि शमन वाहनों की बॉडी के निर्माण के लिए व्यपवर्तित की गई थी ।

(कंडिका 3.4.5 (iv))

3.4.1 प्रस्तावना

अग्नि निवारण तथा तत्संबंधी सुरक्षा उपाय नगर नियोजन तथा भवन निर्माण का अभिन्न अंग है । किसी भी प्रकार की अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए प्रथम प्रतिक्रिया दिखाने वाले के रुप में अग्नि शमन

सेवाओं का गठन किया गया है । अग्नि शमन सेवा भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगर पालिका कार्य के रुप में सम्मिलित की गई है और भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि इससे किसी भी प्रकार का विचलन केवल उसी स्थिति में उचित माना जा सकता है जहां नगर पालिका के अधिकारी उस पैमाने पर अग्नि का सामना करने की सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ पाए जाते हैं जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक मानती है । भारत सरकार ने विशेषज्ञ समिति की इस आशय की अनुशंसाएं स्वीकार की थीं कि समस्त राज्यों में एक समान अग्नि शमन विधान होना चाहिए परंतु राज्य सरकार द्वारा उन्हें अभी स्वीकार करना है । स्थायी अग्नि शमन परामर्शदात्री समिति ने भी यह अनुशंसा की थी कि प्रत्येक राज्य में अग्नि शमन परामर्शदाता अथवा एक राज्य अग्नि शमन प्रमुख होना चाहिये जिसे अग्नि शमन सेवाओं का निरीक्षण करने एवं निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो तथापि अग्नि शमन विधान के अभाव में किसी भी अग्नि शमन परामर्शदाता अथवा राज्य अग्नि शमन प्रमुख की नियुक्ति नहीं की गई ।

3.4.2 संगठनात्मक संरचना

गृह पुलिस विभाग द्वारा इंदौर नगर, भोपाल स्थित मंत्रालय (बल्लभ भवन) एवं राज्य के 11 औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि शमन सेवा प्रदान करना अपेक्षित है । अग्नि शमन सेवाओं के प्रमुख सचिव गृह(पुलिस) विभाग राज्य स्तर के प्रमुख और पुलिस महानिदेशक एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अग्नि शमन सेवा), इंदौर पुलिस द्वारा प्रबंधित अग्नि शमन सेवाओं के कार्यपालन प्रमुख हैं । मुख्य अधीक्षक, पुलिस अग्नि शमन वाहिनी, इंदौर (अधीक्षक) पुलिस अग्नि शमन सेवा के संपूर्ण प्रभारी हैं । शेष नगरीय क्षेत्रों में अग्नि शमन सेवा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाती है । संभागीय स्तर पर उनकी सहायता स्थानीय निकायों के शीर्षस्थ अधिकारी संचालक नगरीय प्रशासन तथा विकास (संचालक) तथा 7 उप संचालक करते हैं। इसी प्रकार राज्य में स्थित 336 नगरीय स्थानीय निकायों में से 102 द्वारा अग्नि शमन सेवा प्रदान की जा रही है जबकि गृह(पुलिस) विभाग 4 औद्योगिक नगरों[@] में अग्नि शमन सेवा प्रदान कर रहा है ।

3.4.3 लेखापरीक्षा समावेशन

अग्नि का सामना करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं की कुशलता के परीक्षण की दृष्टि से 1998-2003 तक की अवधि के लिए संचालक, अधीक्षक पुलिस अग्नि शमन केन्द्र, इंदौर एवं बल्लभ भवन तथा 26 नगरीय स्थानीय निकायों[*] के अभिलेखों की नमूना जांच नवम्बर 2002 से नवम्बर 2003 के दौरान की गई थी । नमूना जांच के परिणाम निम्नानुसार हैं:-

3.4.4 वित्त व्यवस्था

1998-2003 के दौरान बजट आवंटन, व्यय तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान और उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है:

@ *इंदौर, मानपुर(भिण्ड), पीथमपुर(धार) तथा बल्लभ भवन(भोपाल)*

* *भोपाल, बुरहानपुर, बेतूल, बड़वानी, दमोह, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, जौरा, झाबुआ, कटनी, खरगौन, मुलताई, मंदसौर, रायसेन, रतलाम, शिवपुरी, सागर, शहडोल, सीहोर, सतना तथा उमरिया*

(लाख रुपयों में)

वर्ष	विभाग	वेतन एवं भत्ते तथा अन्य व्यय		भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		बचत(-)/ आधिक्य(+)	योजनाएं जिनके अधीन भारत सरकार से अनुदान प्राप्त किया गया
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1998-99	गृह(पुलिस)	179.91	167.57	200.00	200.00	(-) 12.34	दसवां वित्त आयोग
	नगरीय प्रशासन	--	--	--	--	--	
1999-2000	गृह(पुलिस)	423.75	160.21	200.00	200.00	(-) 263.54	दसवां वित्त आयोग
	नगरीय प्रशासन	--	--	--	--	--	--
2000-01	गृह(पुलिस)	520.00	203.55	--	--	(-)316.45	--
	नगरीय प्रशासन	--	--	826.40	415.48	(-)410.92	ग्यारहवां वित्त आयोग
2001-02	गृह(पुलिस)	257.58	219.82	--	---	(-)37.76	--
	नगरीय प्रशासन	--	--	413.20	413.20	--	ग्यारहवां वित्त आयोग
2002-03	गृह(पुलिस)	592.97	284.25	Nil	Nil	(-)308.72	--
	नगरीय प्रशासन	--	--	412.00	412.00	--	ग्यारहवां वित्त आयोग
योग	गृह(पुलिस)	1974.21	1035.40		--	(-)938.81	--
	नगरीय प्रशासन	--	--	1651.60	1240.68	(-)410.92	--

शीर्ष नगरीय प्रशासन के अधीन बचतें मुख्य रुप से कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण बताई गई । उत्तर यह इंगित करता है कि राज्य के वित्त संबंधी नियमों के प्रतिकूल रिक्त पदों के लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा था ।

वित्त प्रबंधन में निम्नांकित कमियां पाई गईः

(क) निधियां सिविल निक्षेपों/बैंक खातों में जमा करना

सिविल निक्षेप/बैंक खातों में जमा 14.41 करोड़ रुपये में से 4.12 करोड़ रुपये अभी भी सिविल निक्षेप में पड़े हुए हैं ।

नियमों* में व्यवस्था है कि कोई भी धन कोषालय से उस समय तक आहरित नहीं किया जायगा जब तक कि उसे अविलंब संवितरित न किया जाना हो तथापि अग्नि शमन सेवा के लिए अभिप्रेत 14.41 करोड़ रुपये की निधियां 1998-2003 के दौरान आहरित की गई और बजट आवंटन व्यपगत न हो इसलिए सिविल निक्षेप/बैंक खातों में रखी गई । इसमें से आहरण के आगामी वर्ष में केवल 10.29 करोड़ रुपये का ही 7 से 13 माह तक के विलंब के साथ उपयोग/संवितरण किया जा सका और 4.12 करोड़ रुपये की शेष राशि सिविल निक्षेपों में अभी तक अप्रयुक्त पड़ी हुई है(जनवरी 2004) ।

संचालक तथा अधीक्षक ने स्वीकार किया(दिसंबर 2002, अप्रैल 2003 तथा जनवरी 2004) कि राशियां सिविल निक्षेपों एवं बैंक खातों में रखी गई थी परंतु सूचित किया कि यह राज्य सरकार के निर्देशानुसार और ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार कार्य योजना को अंतिम रुप देने में विलंब के कारण किया गया ।

(ख) ब्याज की हानि

बैंक उचंत में 4.15 करोड़ रुपये रखे जाने के परिणामस्वरूप 31.58 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

संचालक ने मार्च 2001 में कोषालय से 4.15 करोड़ रुपयों (वाहनों के क्रय के लिए) का आहरण किया तथा उसे भारतीय स्टेट बैंक, इंदौर, भोपाल में जमा कर दिया । स्थानीय निकायों को राशि का संवितरण मई 2002 में किया गया । राशि बैंक उचन्त खाते में अप्रैल 2001 से अप्रैल 2002 तक जमा रही जिसके परिणामस्वरुप राज्य

---

* *मध्यप्रदेश कोषालय संहिता खण्ड 1 का नियम 284*

सरकार द्वारा अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दरों पर परिगणित 31.58 लाख रुपये ब्याज हानि हुई।

संचालक ने सूचित किया(जनवरी 2004) कि राशि उचन्त खते में इसलिए रखी गई क्योंकि विभाग के नाम से कोई बैंक खाता नहीं था । उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि आहरण तत्काल संवितरण हेतु आवश्यक न होने के कारण स्वयं में अनियमित था और परिणामस्वरुप ब्याज की हानि हुई ।

(ग) नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आर्थिक सहायता का उपयोग न करना

स्थानीय निकायों को संवितरित 8.29 लाख रुपये की आर्थिक सहायता में से 7.94 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़े रहे ।

8.29 करोड़ रुपये की एक राशि संचालक ने मई 2002 (4.16 करोड़ रुपये तथा अक्टूबर 2002)(4.13 करोड़ रुपये) में क्रमशः 6 एवं 3 माहों के भीतर अग्नि शमन वाहनों के क्रय के लिए 95 स्थानीय निकायों को संवितरित की । निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग न करने की स्थिति में राशि वापस की जानी थी परंतु केवल तीन स्थानीय निकायों ने जनवरी 2004 तक 35.07 लाख रुपये के उपयोग की सूचना दी । शेष 92 नगरीय निकायों द्वारा उपयोग/वापसी में असामान्य विलंब के कारण उन्नत अग्नि शमन सेवाओं के परिकल्पित लाभ से अत्यधिक नगरवासी वंचित रहे ।

3.4.5 कार्यक्रम प्रबंधन

स्थाई अग्नि शमन परामर्शदात्री समिति ने अग्नि शमन केन्द्रों की स्थापना, उपकरणों के प्रावधान तथा जनसंख्या समावेशन के आधार पर जनशक्ति तथा खतरनाक जोखिम के लिए कतिपय मानदंडों की अनुशंसा की थी । नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अग्नि शमन केन्द्र/संरचना एवं उपकरणों की संख्या तथा जनशक्ति की चर्चा नीचे की गई है ।

(i) आधार संरचना की सर्जना

(क) स्थाई अग्नि शमन परामर्शदात्री समिति ने समावेशित जनसंख्या के आकार के आधार पर 10 किलोमीटर क्षेत्र के लिए अग्निशमन केन्द्र की स्थापना, जनशक्ति स्रोतों के साथ पानी फैंकने तथा बचाव वाहनों के रखरखाव का सुझाव दिया था । नगरीय स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध ब्यौरे की तुलना में राज्य के लिए वस्तुतः पूर्णरुपेण आवश्यक अग्नि शमन केन्द्र संरचना एवं अग्नि शमंन वाहनों से संबंधित जानकारी संचालक के पास उपलबध नहीं थी । गृह (पुलिस) विभाग एवं नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों के पास अग्नि शमन केन्द्रों तथा अग्नि शमन वाहनों की वस्तुतः उपलब्धता की तुलना में उनकी आवश्यकता निम्नानुसार हैः

विभाग का नाम	अग्नि शमन केन्द्र			अग्नि शमन वाहन		
	आवश्यकता	वस्तुतः	कमी	आवश्यकता	वस्तुतः	कमी
नगरीय प्रशासन(26 स्थानीय निकाय)	101	24	77	109	74	35
गृह(पुलिस)	63	7	56	101	48	53
योग	**164**	**31**	**133**	**210**	**122**	**88**

स्थानीय निकायों ने यह सूचित किया(सितंबर 2003) कि वे अपनी प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण अग्नि शमन केन्द्रों की स्थापना और अग्नि शमन वाहनों का अर्जन नहीं कर सके । गृह (पुलिस) विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2004) कि निधियों एवं

कर्मचारियों की कमी के कारण अग्नि शमन केन्द्रों तथा अग्नि शमन वाहनों का संधारण नहीं किया जा सका । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार से प्राप्त 7.94 करोड़ रुपये की निधियां विभाग के पास अप्रयुक्त रही ।

(ख) यद्यपि दमोह, झाबुआ, मुलताई, सागर तथा उमरियां के स्थानीय निकायों के पास अग्नि शमन वाहन उपलब्ध थे तथापि अग्नि शमन केन्द्र भवनों का निर्माण नहीं किया गया था परिणामस्वरुप अग्नि शमन वाहनों को कार्यालय भवन के पास रखा जाता रहा । इसी प्रकार फतेहगढ़ एवं पुलबोगदा(भोपाल), शिवपुरी, ग्वालियर(2 केन्द्र) मालनपुर तथा टिम्बर मार्केट(इंदौर) स्थित अग्नि शमन केन्द्रों के परिसर में पानी के संसाधन उपलब्ध नहीं थे । निधियों के अभाव में स्थानीय निकायों द्वारा अग्नि शमन केन्द्र भवनों का प्रावधान न करने तथा परिसर में पानी के संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण जन समुदाय की सेवा का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ ।

248 कर्मचारियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका ।

(ग) अग्नि शमन सेवा के समस्त सदस्यों को आकस्मिक स्थिति से निबटने के लिए तत्काल उपलब्धता हेतु अग्नि शमन केन्द्रों के परिसर के भीतर निःशुल्क आवास व्यवस्था प्रदान करना अपेक्षित था तथापि पुलिस अग्नि शमन सेवा में कार्यरत 233 कर्मचारियों के विरुद्ध मात्र 97 कर्मचारियों को ही निःशुल्क आवास व्यवस्था प्रदान की गई थी । जहां तक नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों का संबंध है, 199 कर्मचारियों में से अग्नि शमन निरोधी सेवा पर तैनात 7 कर्मचारियों को ही अग्नि शमन केन्द्रों के परिसर के भीतर निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलबध कराई गई थी ।

(घ) जहां तक नमूना जांच इकाइयों में संचार सुविधा का संबंध है, समस्त अग्नि शमन केन्द्रों पर केवल दूरभाष ही उपलब्ध है । ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं देवास में ही स्थायी अग्नि शमन परामर्शदात्री समिति के दिशानिर्देशों/परिकल्पित अनुसार अग्नि शमन अधिकारियों को वॉकी-टाकी सेट्स एवं मोबाइल सेट्स प्रदान किए गए थे । गृह (पुलिस) के अग्नि का सामना करने वाले दलों को मोबाइल आदि से सज्जित नहीं किया गया था । राज्य के समस्त अग्नि निरोधी दलों को वॉकी टाकी एवं मोबाइल सेट प्रदान न करने के कारण नगरीय स्थानीय निकायों की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति का होना सूचित किया गया ।

(ii) अग्नि शमन केन्द्र स्थापित न करना तथा वाहनों का व्यपवर्तन

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अग्नि शमन सेवा), इंदौर ने मार्च 2000 में देवास तथा उरला (रायपुर) में अग्नि शमन केन्द्र, गेरेज, कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम (निगम) को 1.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया । यद्यपि निमाण कार्य 3-4 माहों के भीतर पूर्ण किये जाने थे तथापि निगम ने 12.85 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के भुगतान न करने के कारण जानवरी 2004 तक देवास में निर्मित भवन का हस्तांतरण नहीं किया । इसके अतिरिक्त निगम जिसने उरला में निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया था, ने उरला में निर्माण कार्यों के लिए उसको अग्रिम दिए गए 60 लाख रुपये की राशि वापस नहीं की । अधीक्षक ने सूचित किया (जनवरी 2004) कि उसे निगम से वसूल कर लिया जायगा ।

भवनों के हस्तांतरण/ निर्माण आरंभ न करने के परिणामस्वरुप वाहनों के व्यपवर्तन के अतिरिक्त अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना नहीं हुई ।

गृह (पुलिस) विभाग ने 1.53 करोड़ रुपये (देवास:83 लाख रुपये तथा उरला:70 लाख रुपये) की कुल लागत पर देवास एवं उरला स्थित पुलिस अग्नि शमन केन्द्र के लिए मार्च 2000 में 12 अग्नि शमन वाहन तथा 2 जिप्सी वाहनों के क्रय के लिए एक साथ

ही कार्यवाही आरंभ की । चूंकि अग्नि शमन केन्द्र स्थापित नहीं किए जा सके थे इसलिए वाहन पुलिस अग्नि शमन केन्द्र, इंदौर को व्यपवर्तित कर दिए गए जो पुलिस अग्नि शमन सेवा का मुख्यालय है ।

भवनों के निर्माण में तीन वर्षों के असामान्य विलब के परिणामस्वरुप निगम को 60 लाख रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता के अतिरिक्त देवास स्थित अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना तथा अधिष्ठापन नहीं हुआ । तत्काल आवश्यकता के बिना वाहनों के क्रय से वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था ।

(iii) अग्नि शमन प्रबंधन

(क) संचालक ने नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सूचित अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं, किए गए प्रयास, जनजीवन हानि संपत्ति/हानि तथा बचाव के संबंध में जानकारी का परिवीक्षण नहीं किया । नमूना जांच किए गए 26 नगरीय स्थानीय निकायों में से 24 इकाइयों ने उपरोक्त विवरण सहित अभिलेखों का संधारण नहीं किया । ग्वालियर तथा भोपाल में 1998-2003 के दौरान 7233 अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं में सम्पत्ति हानि, बचाई गई संपत्ति तथा जन मृत्यु क्रमशः 20.46 करोड़ रुपये, 55.44 करोड़ रुपये तथा 26 थीं । गृह (पुलिस) विभाग के नियंत्रण में अग्नि शमन केन्द्रों की 1998-2002 के दौरान 4044 अग्नि संबंधी दुर्घअनाओं में तदनुरुपी स्थिति 95.69 करोड़ रुपये, 382.75 करोड़ रुपये तथा मृत्यु संख्या 162 थी ।

नष्ट हुई तथा बचाई गई संपत्ति के मूल्य के अंकन की एक समान प्रक्रिया नहीं है ।

नष्ट हुई तथा सुरक्षित संपत्ति के रुप में क्रमशः सूचित संपत्ति और दावे की राशि की सत्यता का मूल्यांकन की निर्धारित पद्धति के अभाव में लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका । गृह (पुलिस) विभाग सुरक्षित बचाई गई संपत्ति के अंकन के लिए चार के गुणांक के साथ पंचनामा के आधार पर बचाई गई संपत्ति का मूल्य अंकित करता है जबकि स्थानीय निकाय संपत्ति धारकों द्वारा आपूरित जानकारी तथा अग्निशामक द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार मूल्य अंकित करते हैं । इस प्रकार इस उद्देश्य के लिए दो पृथक पद्धतियां अपनाई जाती हैं । किए गए बीमे के दावे एवं निराकृत बीमे के दावों की संख्या के विषय में पूछताछ करने पर यह उत्तर दिया गया (दिसंबर 2002) कि जानकारी का पृथक से संकलन नहीं किया गया है ।

(ख) पुलिस अग्नि शमन केन्द्र इंदौर, बल्लभ भवन (भोपाल) तथा नगर पालिका निगम, ग्वालियर के अभिलेखों की संवीक्षा से आगे प्रकट हुआ कि नष्ट तथा बचाई गई सूचित संपत्ति की राशि में आग लगने की दुर्घटना से संबंधित क्रमशः 1.33 करोड़ रुपये तथा 4.61 करोड़ रुपये (इंदौरः73.03 लाख रुपये एवं 2.92 करोड़ रुपये एवं 118 करोड़ रुपये और ग्वालियर 30.46 लाख रुपये एवं 51.00 लाख रुपये) सम्मिलित हैं जिनमें अग्नि शमन केन्द्र के दल के पहुंचने से पूर्व और अग्नि का सामना करने के कार्यक्रम के किसी प्रकार के योगदान के बिना आग पहले ही बुझ चुकी थी ।

उत्तर में यह सूचित किया गया कि आग संबंधी दुर्घटना में हानि "राष्ट्रीय हानि" है और इसलिए राष्ट्रीय हानि सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित की गई है ।

(ग) स्थायी अग्नि शमन परामर्शदात्री समिति की अनुशंसाओं के अनुसार खतरनाक जोखिम का विश्लेषण किया जाना और तदनुसार खतरनाक जोखिम विश्लेषण के आधार पर एक नगर को 3 प्रमुख समूहों में विभक्त करना, अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं का सामना

करने के लिए अधिकतम प्रतिक्रिया समय निर्धारित करना अपेक्षित था तथापि न तो नगरों को खतरनाक जोखिम के विश्लेषण के अनुसार इस प्रकार विभक्त किया गया और न अधिकतम प्रतिक्रिया समय ही निर्धारित किया गया । इस विफलता के कोई कारण सूचित नहीं किए गए ।

(iv) प्रशिक्षण एवं जागरुकता

निधियों के व्यपवर्तन के कारण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना नहीं हुई ।

(क) गृह(पुलिस) विभाग अथवा नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग के अधीन कोई भी अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत नहीं है । मार्च एवं मई 2000 में सरकार ने दसवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 77.78 लाख रुपये विमोचित किए और अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र के लिए पुलिस मुख्यालय के अधिकार में राशि रखी तथापि राशि अग्नि शमन वाहनों की बाडी बनाने के लिए व्यपवर्तित कर दी गई और मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को भुगतान कर दी गई । नगरीय स्थानीय निकायों के केवल 39 फायरमेनों को अन्य प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाया गया जबकि गृह(पुलिस) विभाग के अधीन कार्यरत किसी भी फायर मेन को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया ।

(ख) ऊंचे भवनों में अग्नि के खतरों, रसायनों के कारण आग लगने, औद्योगिक/कारखानों के सायबानों में आग लगने से संबंधित कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं चलाया गया और न आग से भारी जोखिम वाले अनारक्षित समूह जैसे धनी वस्तियों/बहुमंजिले भवनों/कार्यालयों/वाणिज्यक क्षेत्रों सहित जनता/अन्य अभिकरणों को उपलब्ध आधुनिक उपकरण तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कोई प्रशिक्षण/जागरुकता कार्यक्रम ही चलाए गए ।

3.4.6. जनशक्ति

स्थायी अग्नि शमन परामर्शदात्री समिति की अनुशंसाओं के अनुसार प्रति शिफ्ट प्रति वाहन अपेक्षित कार्यचालन कर्मचारी एक परिचालक, चार फायरमेन एक प्रमुख फायरमेन तथा एक अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध 25 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत अधिकारी संवर्ग के विरुद्ध अवकाश हेतु नियत(लीव रिजर्व) थे । गृह (पुलिस) तथा नगरीय स्थानीय निकायों में वाहनों की कुल संख्या क्रमशः 48 एवं 74 थी ।

नगरीय स्थानीय निकायों में अग्नि शमन केन्द्रों तथा अग्नि शमन वाहनों के लिए अपेक्षित कर्मचारी तथा कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति संचालक के पास उपलब्ध नहीं थी । लेखापरीक्षा में पाया गया कि 6 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अग्नि शमन केन्द्रों के लिए एकान्तिक रुप से कोई कर्मचारी प्रदान नहीं किया गया और अग्नि शमन वाहनों के लिए अभिप्रेत कर्मचारियों द्वारा ही अग्नि शमन केन्द्रों का प्रबंधन किया गया ।

तथापि स्थायी अग्नि शमन परामर्शदात्री समिति के मानदण्डों के अनुसार अग्नि शमन वाहनों के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की स्थिति तथा गृह(पुलिस) विभाग में तथा नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में उपलब्ध कर्मचारी निम्नानुसार हैं:

स्थायी अग्निशमन परामर्शदात्री समिति के मानदण्डों के अनुसार आवश्यकता के विरुद्ध बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त थे ।

क्रम संख्या	विभाग	पद	अपेक्षित पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारी	कमी	कमी का प्रतिशत
1	गृह (पुलिस)	परिचालक	180	46	134	74

2.	गृह (पुलिस)	फायरमेन	720	185	535	74
3	गृह (पुलिस)	प्रमुख फायरमेन	180	--	180	100
4	गृह (पुलिस)	अधिकारी	216	--	216	100
5	नगरीय स्थानीय निकाय	परिचालक	283	154	129	46
6	नगरीय स्थानीय निकाय	फायरमेन	1002	268	734	73
7	नगरीय स्थानीय निकाय	प्रमुख फायरमेन	373	28	345	92
8	नगरीय स्थानीय निकाय	अधिकारी	341	18	323	95

कमी का कारण (क) नगरीय स्थानीय निकायों की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति और (ख) गृह (पुलिस) विभाग में सरकार द्वारा मानदण्डों के अनुसार पदों को स्वीकृत न करना बताया गया ।

विभिन्न संवर्गों में जन शक्ति की असमानता मुख्य रुप से इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि सरकार अभी भी स्थायी अग्नि शमन परामर्शदात्री समिति के मानदण्डों का परीक्षण कर रही है और मानक अभी अंगीकृत करना है ।

3.4.7. अन्य उल्लेखनीय तथ्य

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि छः नगरीय स्थानीय निकायों (गुना, हरदा, होशंगाबाद, सागर, शहडोल एवं ग्वालियर) के अग्नि शमन वाहन अधिकारियों के आवास हेतु जल आपूर्ति एवं क्रीड़ा स्थलों आदि पर पानी छिड़कने के लिए प्रयुक्त किये जा रहे थे । अग्नि शमन वाहनों के व्यपवर्तन/दुरुपयोग के परिणामस्वरुप अग्नि शमन वाहनों आदि की परिहार्य टूटफूट के अतिरिक्त अग्नि शमन सेवा पर 6.74 लाख रुपये (डीजल) का परिहार्य भार पड़ा ।

यह सूचित किया गया (अप्रैल 2003) कि स्थलों का छिड़काब किया गया था और अधिकारियों तथा अन्य अशासकीय कर्मचारियों को पानी की कमी के कारण उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार जल प्रदाय किया गया था ।

3.4.8 निष्कर्ष

राज्य में अग्नि शमन बल विधेयक का प्रवर्तन न किये जाने के कारण उँचे भवनों, गोदामों, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, पब्लिक हॉल, कार्यालयों, विस्फोटक निर्माता इकाइयों, वृहद तेल अधिष्ठापन विद्युत संयंत्रों, कार्यशालाओं आदि के अग्नि निवारण तथा सुरक्षा उपायों के अंगीकरण तथा सुरक्षा उपायों के अंगीकरण हेतु कोई विधान, नियम, विभागीय अनुदेश नहीं थे । अग्नि का सामना करने के उपायों की पर्याप्तता के संबंध में सार्वजनिक परिसरों/उँचे भवनों/औद्योगिक स्थापनाओं के निर्माता/स्वामियों/उपयोगकर्ताओं को लायसेंस जारी नहीं किए गए थे । अत्यधिक अग्नि संबंधी जोखिम वाले असुरक्षित भवनों, सिनेमा हालों, औद्योगिक संपदा तथा अन्य परिसरों के नियतकालिक निरीक्षण के लिए कोई अग्निनिवारण प्रभाग की स्थापना नहीं की गई थी । विद्यालयीन बच्चों, औद्योगिक, कार्यालय स्थापनाओं के कर्मचारियों/कार्मिकों, तथा ऊंचे भवनों में रहने वालों के लिए अग्नि शमन अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रणाली नहीं है । अग्निशमन कर्मचारियों को वॉकी टॉकी तथा मोबाइल सेट प्रदान नहीं किये गये ।

3.4.9 अनुशंसाएं

⇒ स्थायी अग्नि शमन परामर्शदात्री समिति की अनुशंसाओं का परीक्षण किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मानदण्डों को विचारपूर्वक तय करना चाहिए । रिक्त पद भरने, नवीन अग्नि शमन केन्द्रों की स्थापना, पर्याप्त अग्नि शमन परिचारक प्रदाय कर विद्यमान अग्नि शमन केन्द्रों का अविलंब उन्नयन करने और इस प्रकार प्रतिक्रिया समय घटाने संपत्ति/जन जीवन की हानि कम करने की आवश्यकता है ।

⇒ अग्नि शमन बल विधेयक के प्रवर्तन के संबंध में अनुशंसाओं का क्रियान्वयन और उसके अधीन नियम राज्य में सुनिश्चित किए जाना चाहिए ।

⇒ अग्नि सुरक्षा मानदण्ड अंगीकृत करने के लिए सामान्य जनता के मध्य जागरुकता सृजन हेतु एक पृथक अग्नि निवारण प्रभाग की स्थापना करने की आवश्यकता है । ऊंचे भवनों, सिनेमा हॉल, औद्योगिक भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों के लिए प्रतिरक्षा उपाय निर्धारित किए जाने चाहिए और प्रभावी ढंग से पालन किये जाने चाहिए ।

⇒ अग्नि शमन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को पर्याप्त निधियां प्रदाय की जानी चाहिए ।

जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग

3.5 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (त्व.सि.ला.का.)

विशेषताएँ

चल रही परियोजनाओं, जो निर्माण के अग्रिम चरण में थीं, से सिंचाई क्षमता विकसित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा एक योजना ''त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम'' (त्व.सिं.ला.का.) आरम्भ की गई (1996-97)। परियोजना आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर 4.84 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 3565.74 करोड़ रुपये प्राक्कलित लागत पर ग्यारह परियोजनाओं का चयन किया गया (1996-2001) । सात वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने एवं 1764.79 करोड़ रुपये (प्राक्कलित लागत का 49.49 प्रतिशत) के व्यय के उपरान्त भी मार्च, 2003 तक मात्र 39888 हैक्टेयर (परियोजित क्षमता का 8 प्रतिशत) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता ही सृजित की गई थी। इस निराशाजनक प्रदर्शन हेतु परियोजनाओं का त्रुटिपूर्ण चयन, अपर्याप्त आयोजना और निधियों का अनुचित उपयोग तथा पर्यवेक्षण में कमी मुख्यतः कारणस्वरूप थे ।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुपाती (मैचिंग) अंश में 222.21 करोड़ रुपये तक की कमी के परिणामस्वरूप परियोजनाएँ वर्ष के दौरान स्वीकृत हुई केन्द्रीय ऋण सहायता हेतु अयोग्य हो गईं ।

(कंडिका 3.5.4)

1996-03 के दौरान, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के परे, कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी अमले पर किया गया 125.06 करोड़ रुपये का व्यय, मिट्टी/मेसनरी कार्य को प्रभारित किया गया था। अन्य 3.41 करोड़ रुपये वाहनों की खरीदी एवं अन्य अस्वीकार्य मदों को व्यपवर्तित किये गये थे ।

(कंडिका 3.5.4.(ब) (I))

बाणसागर परियोजना में, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों के अंश को सम्मिलित करते हुए 317.82 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण व्यय पर आधारित 203.59 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता के विरुद्ध, मध्यप्रदेश शासन ने, 1996-2002 के दौरान, 174.69 करोड़ रुपये का व्यय किया । 75.48 करोड़ रुपये के अपने अंश के साथ-साथ शेष राशि 28.90 करोड़ रुपये का अन्य उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तन किया गया । 1996-01 के दौरान, बाणसागर परियोजना की नहर प्रणाली पर किया गया 49.19 करोड़ रुपये का व्यय भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र के बाहर था ।

(कंडिका 3.5.4(अ)(I),3.5.4. (ब)(I) एवं 3.5.7 (द))

भू-अर्जन एवं उच्च दाब (एच.टी.)/निम्नदाब (एल.टी.) लाइन के स्थानान्तरण के लिए अग्रिम के 52.99 करोड़ रुपये भू-अर्जन अधिकारी (भू.अ.अ.) एवं मध्यप्रदेश राज्य वि.मं. के पास मार्च 2003 तक पड़े हुए थे ।

(कंडिका 3.5.4.(स)(I)और(II))

तीन वर्षों(1999-2002) के दौरान सृजित क्षमता का वास्तविक उपयोग 37 प्रतिशत से 46 प्रतिशत के मध्य था ।

(कंडिका 3.5.6)

दायीं तट नहर (दा.त.न.) सिंध चरण-II एवं बरुआ एक्वाडक्ट, जिसके लिए एजेन्सी का निर्धारण नहीं हुआ था (अगस्त 2002), के आगे समोहा पिक अप वियर पर मार्च, 2003 तक 20.47 करोड़ का व्यय बरुआ एक्वाडक्ट के पूर्ण होने तक निष्फल सिद्ध हुआ ।

(कंडिका 3.5.6 (II))

मड़ीखेड़ा पर वन-कटाई-अनुज्ञा के बिना मिट्टी एवं मेसनरी बांध का कार्य अविवेकपूर्ण एवं अनियमित ढंग से सौंपे जाने के कारण 7 वर्ष की समय-वृद्धि हुई एवं 57.82 करोड़ रुपये की परिहार्य लागत आई ।

(कंडिका 3.5.7 (अ))

शासन के हितों की सुरक्षा के लिए, ठेके की शर्तों के अनुरूप, बरगी डायवर्सन परियोजना के अन्तर्गत ठेकेदारों के देयकों से 5.18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सुरक्षा-निधि की वसूली नहीं की गई ।

बरगी डायवर्सन परियोजना "फास्ट ट्रैक" के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विफलता के कारण केन्द्रीय ऋण सहायता के 50.34 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया जा सका; राशि को अन्य उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित किया गया जिससे 5.79 करोड़ रुपये ब्याज का अतिरिक्त दायित्व सृजित हुआ ।

(कंडिका 3.5.7(ई))

3.5.1 प्रस्तावना

2 वर्ष की नियत अवधि के विरुद्ध सात वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी मध्यप्रदेश शासन परियोजनाओं को पूर्ण करने में विफल रहा

मध्यप्रदेश राज्य में "8 वीं" योजना (1992-97) के अंत में 19 वृहद् एवं 22 मध्यम परियोजनाएँ निर्माण के विभिन्न चरणों में चल रही थीं । इनमें से 1308.43 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत वाली 8 वृहद् एवं 16 मध्यम परियोजनाएँ 4.52 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने हेतु 9 वीं योजना के अंत तक पूर्ण करने हेतु अभिज्ञापित की गई थीं । इन परियोजनाओं पर पूर्व में ही किए गए भारी पूंजी-निवेश के बावजूद प्रायोजित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका । इन प्रगामी सिंचाई एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं, जो कि मुख्यतः राज्य सरकारों के सम्मुख आई वित्तीय विवशताओं के चलते एक से दूसरी योजना में अंतरित होती रही थीं, की पूर्णता को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1996-97 के दौरान इन परियोजनाओं से आगामी चार कार्य-अवधियों अर्थात 2 वर्षों में सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य से राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के लिए "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" प्रारम्भ किया गया था ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-97 से 2000-01 के दौरान 3565.74 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर 4.84 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 11 परियोजनाएँ (10 वृहद् एवं 1 मध्यम) निर्माण हेतु चयनित की गई थीं । मार्च 2003 तक, 1764.79 करोड़ रुपये (49.49 प्रतिशत) व्यय करके, परियोजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध मात्र 39888 हैक्टेयर (8 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता ही सृजित की गई थी। 2 वर्ष की नियत अवधि के विरुद्ध 7 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी मध्यप्रदेश शासन, इन परियोजनाओं को (एक वृहद् एवं एक मध्यम को छोड़कर) पूरा करने में विफल रहा ।

3.5.2 संगठनात्मक स्वरूप

प्रधान सचिवों की अध्यक्षता में राज्य के जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग क्रमशः नौ एवं दो परियोजनाओं का निष्पादन कर रहे थे। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 4 पूर्णकालिक सदस्यों वाले एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय) का उनके क्षेत्राधिकार में आने

वाली योजनाओं के योजनाकरण एवं कार्यान्वयन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायित्व था। क्षेत्रीय स्तर पर, अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता के दिशानिर्देश एवं नियंत्रण के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए कार्यपालन यंत्री उत्तरदायी थे ।

3.5.3 नमूना लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

यह समीक्षा 11 परियोजनाओं में से छः[δ] परियोजनाओं, जो 1996-97 से 2000-03 तक की अवधि से संबंधित कार्यक्रम के 1764.79 करोड़ रुपये के कुल व्यय के 94 प्रतिशत व्यय के लिए उत्तरदायी थीं, के प्रमुख अभियंता, एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण यंत्री एवं जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के 12 संभागों के कार्यालयों में अभिलेखों की दिसम्बर 2002 से जून 2003 तक की गई नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित है । सूचनाएँ एवं आंकड़े राज्य के जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग से भी एकत्रित किए गए थे ।

इस समीक्षा में लेखापरीक्षा का उद्देश्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत् केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए परियोजनाओं के चयन की प्रणाली, कार्यान्वयन प्रक्रिया की कारगरता और व्यय की प्रभावकारिता, जिसे परियोजनाओं की पूर्णता के लिए मूल अवयव के रूप में दर्शाया गया था, का आकलन करना था ।

3.5.4 वित्तीय लागत एवं व्यय

अपेक्षित अनुरूपी अंश का अंशदान न करने के कारण मध्यप्रदेश शासन, 1326.81 करोड़ रुपये की स्वीकृत केन्द्रीय ऋण सहायता के विरुद्ध मात्र 936.60 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता ही प्राप्त कर सका

योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता, ऋण के रूप में अनुरूपी अंश के आधार पर दी जानी थी । समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 1996-99, 1999-2002 एवं 2002-2003 के दौरान भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के मध्य अंश का अनुपात क्रमशः 1:1, 2:1 एवं 4:1 था । फास्ट ट्रैक परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता सम्पूर्ण व्यय के लिए स्वीकार्य थी । केन्द्रीय ऋण सहायता, 1996-97 के दौरान त्रैमासिक रूप से तथा 1997-98 और उससे आगे दो समान किस्तों में जारी की जानी थी । द्वितीय किस्त, राज्य अंश सहित 70 प्रतिशत से अधिक व्यय किए जाने के उपरान्त ही जारी की जानी थी । 1999-2002 की अवधि के दौरान स्थापना लागत हेतु किसी केन्द्रीय ऋण सहायता पर विचार नहीं किया गया था । तथापि, वर्ष 2002-

[δ] छः परियोजनाएँ- बाणसागर, अपर वैनगंगा, सिन्ध-चरण-II; बरियारपुर, इन्दिरासागर एवं बरगी डायवर्सन (फास्ट-ट्रेक)

2003 के दौरान, फास्ट ट्रैक परियोजनाओं के अतिरिक्त, राज्य अंश के समायोजन के अध्याधीन 15 प्रतिशत तक स्थापना लागत केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए स्वीकार्य थी ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा, पिछले वर्ष की केन्द्रीय ऋण सहायता के शेष को घटाकर किए गए बजट प्रावधानों के आधार पर, केन्द्रीय ऋण सहायता की माँग की गई थी । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा माँग पर विचार किया गया तथा प्रथम किस्त जारी करने के लिए अनुशंसा की गई । तथापि, व्यय, बजट अनुमानों के अनुरूप नहीं था ।

1996-03 के दौरान परियोजनानुसार वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	बजट प्रावधान (1996-03)	स्वीकृत केंद्रीय ऋण सहायता	केंद्रीय अंश (केंद्रीय ऋण सहायता)	राज्य अंश	कुल	व्यय		समान अंश में कमी
						वास्तविक	स्वीकार्य	
1	2	3	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	5 (अ)	5 (ब)	6=(4(स)-5(ब))
बाणसागर	483.99	256.34	203.59	150.42	354.01	463.31	229.88	124.13
अपर वैनगंगा	113.44	68.02	49.09	31.90	80.99	106.46	79.31	1.68
राजघाट	46.05	45.40	27.81	19.65	47.46	46.00	46.00	1.46
सिंध फेस-I	14.06	12.90	6.82	2.83	9.65	12.63	12.63	0
सिंध फेस-II	246.25	142.57	105.96	42.31	148.27	214.40	202.67	0
बरियारपुर	30.28	21.87	12.06	4.27	16.33	28.30	25.78	0
उर्मिल	7.25	3.20	1.93	0.82	2.75	7.24	3.84	0
बंजर	2.64	2.80	1.40	0.60	2.00	2.45	2.45	0
माही	42.61	53.62	21.87	6.48	28.35	37.87	37.87	0
इंदिरा सागर	1023.53	394.01	343.01	216.00	559.01	798.41	705.37	0
बरगी डायवर्शन	259.93	326.06	163.06	0	163.06	47.72	47.72	115.34
कुल	2270.03	1326.81	936.60	475.28	1411.88	1764.79	1393.52	222.21

म.प्र. शासन का अनुरूपी अंश, भारत सरकार से कम करके प्राप्त हुई 936.60 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता के विरुद्ध 222.21 करोड़ रुपये कम था

अनुरूपी अंश का अंशदान करने में विफल रहने के कारण, मध्यप्रदेश शासन 1326.81 करोड़ रुपये की स्वीकृत केन्द्रीय ऋण सहायता के विरुद्ध मात्र 936.60 करोड़ रुपये ही प्राप्त कर सका । परिणामस्वरूप, तीन परियोजनाएँ-सिंध चरण-I (2000-01), बरियारपुर तथा बंजर (2001-02), स्वीकृत केन्द्रीय ऋण सहायता की संपूर्ण राशि हेतु अयोग्य ठहरा दीं गईं । इसके अतिरिक्त, 1996-03 के दौरान कम से कम दो या अधिक वित्तीय वर्षों में सभी परियोजनाएँ केन्द्रीय ऋण सहायता की द्वितीय किस्त के लिए अयोग्य ठहरा दी गईं ।

(अ) केन्द्रीय ऋण सहायता की अधिक प्राप्ति

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह प्रकट हुआ कि मध्यप्रदेश शासन ने स्वीकार्य से इतर व्यय के आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता की माँग निम्नानुसार की थी:

(i) 1996-02 के दौरान, 143.13 करोड़ रुपये के उत्तरप्रदेश एवं बिहार राज्यों के अंश को सम्मिलित करते हुए त्रुटिपूर्ण ढंग से 317.82 करोड़ रुपये का व्यय प्रतिवेदित कर बाणसागर परियोजना के लिए 99.21 करोड़ रुपये की अनुमत्य राशि के बदले 203.59 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त कर ली गई, परिणामस्वरूप 104.38 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त हुई ।

(ii) 1996-99 के दौरान स्थापना लागत हेतु केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं थे, तथापि, राज्य शासन द्वारा निर्माण व्यय का 15 प्रतिशत, जो 51.92 करोड़ रुपये होता है, को केन्द्रीय ऋण सहायता हेतु गणना में लिया गया ।

(ब) निधियों का व्यपवर्तन एवं कम उपयोग

दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधानित था कि केन्द्रीय ऋण सहायता एवं राज्य के अनुरूपी अंश का अनन्य रूप से, परियोजना के केवल उन्हीं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम संघटकों पर उपयोग होना चाहिए जिनके लिए वह स्वीकृत हुई थी तथा उन्हें किसी अन्य परियोजना/उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित नहीं किया जाना चाहिए ।

299.75 करोड़ रुपये की राशि अन्य परियोजनाओं/ उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित की गई

तथापि, अभिलेखों की नमूना जाँच में यह प्रकट हुआ कि केन्द्रीय ऋण सहायता एवं राज्य के अनुरूपी अंश के 299.75 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं/उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित किए गए थे और 68.14 करोड़ रुपये, निम्न विवरणानुसार, कम उपयोग किए गए थे:

(i) व्यपवर्तन

- 1996-2003 के दौरान 9 परियोजनाओं पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के क्षेत्र से परे 125.06 करोड़ रुपये** का विशाल व्यय मिट्टी एवं मेसनरी कार्य पर प्रभारित करते हुए कार्य भारित एवं दैनिक वेतन भोगी अमले पर किया गया।

** बाणसागर;65.17 करोड़ रुपये, बरियारपुर; 2.79 करोड़ रुपये, अपर वैनगंगा; 20.19 करोड़ रुपये, सिंध चरण-I; 0.44 करोड़ रुपये, सिंध चरण-II: 7.77 करोड़ रुपये; बंजरः 0.40 करोड़ रुपये, इन्दिरा सागर परियोजनाः 27.02 करोड़ रुपये, बरगी डायवर्सनः 0.17 करोड़ रुपये और माहीः 1.11 करोड़ रुपये ।

इसके अतिरिक्त मई 1999 से मई 2003 के दौरान, 3.41 करोड़ रुपये की राशि अपर वैनगंगा, सिंध चरण-II, बरियारपुर और बाणसागर परियोजनाओं में वाहनों की प्राप्ति (0.94 करोड़ रुपये) तथा अन्य अस्वीकार्य मदों (2.47 करोड़ रुपये) पर व्यपवर्तित एवं उपयोग की गई थी ।

- मार्च, 2002 में 98.06 करोड़ रुपये (प्रथम किस्त) की केन्द्रीय ऋण सहायता बरगी डायवर्सन परियोजना, चरण-I के लिए जारी की गई थी, जिसमें से मात्र 60 करोड़ रुपये परियोजना को आवंटित किए गए थे। तथापि, वर्ष 2002-03 के दौरान कार्य पर मात्र 47.72 करोड़ रुपये उपयोग किए जा सके। 50.34 करोड़ रुपये की शेष राशि वर्ष के दौरान, अन्य परियोजनाओं/उद्देश्यों पर उपयोग की गई ।

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1996-2002 के दौरान, बाणसागर परियोजना में 203.59 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय ऋण सहायता के विरुद्ध 174.69 करोड़ रुपये (मध्यप्रदेश राज्य अंश) का व्यय किया गया था । इस प्रकार 75.48 करोड़ रुपये के अपने अनुरूपी अंश को रोक रखने के अतिरिक्त 28.90 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता अन्य उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित की गई ।

- 1997-98 के दौरान बाणसागर परियोजना के लिए जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता के 54 करोड़ रुपये में से 15.50 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत उत्पादन हेतु, हैड रेग्यूलेटर और संयुक्त जल वाहक (कामन वाटर केरियर) के निर्माण के लिए सौंप दिए गए, जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के क्षेत्र से परे था ।

(ii) उपयोग न किया जाना/कम उपयोग

- भारत सरकार द्वारा "फास्ट ट्रैक" के अन्तर्गत बरगी डायवर्सन परियोजना चरण-II के लिए 65 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता, उसके उपयोग की योजना की छानबीन किए बिना जारी कर दी गई (मार्च 2003) क्योंकि परियोजना सर्वेक्षण के चरण में थी और कार्य के लिए एजेन्सियों तक का

निर्धारण नहीं हुआ था फलस्वरूप, जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का उपयोग नहीं किया जा सका ।

- यद्यपि, 1.68 करोड़ रुपये का अनुरूपी अंश मध्यप्रदेश शासन के पास पड़ा था, और परियोजना अपूर्ण थी, अपर वैनगंगा को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से हटा लिया गया(मार्च 2003) इसलिए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से परियोजना को समयपूर्व हटाया जाना न्याय संगत नहीं था ।

- बेतवा नदी परिषद् (बे.न.परि.) को, 1999-2003 के दौरान, मार्च 2003 तक अनुरूपी अंश के 1.46 करोड़ रुपये विमोचित नहीं किए गए थे।

उपर्युक्त कमियां एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम निधियों का व्यपवर्तन कार्यक्रम में निहित भावना को अपनाने में सरकार की असफलता दर्शाता है ।

(स) अग्रिम भुगतान

(i) संहितीय प्रावधानों में यह निर्धारित था कि निजी भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिकारी को किये गए अग्रिम भुगतानों को उचन्त (सस्पेन्स) शीर्ष ''भू-अर्जन'' के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जाना था, जिसे भू-अर्जन अधिकारी से लेखा प्राप्त होने पर, समाशोधित किया जाना था ।

मार्च 2003 तक 52.99 करोड़ रुपये की राशि भू-अर्जन अधिकारियों एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के पास पड़ी हुई थी

उपरोक्त प्रावधानों के होते हुए भी, 5493.297 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जन के लिए भू-अर्जन अधिकारियों को 65.63 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान किए गए तथा जिन्हें 2001-03 के दौरान, उचन्त शीर्ष के बजाए, अंतिम(फाइनल) शीर्ष को प्रभारित किया गया । इसमें से भू-स्वामियों को मात्र 13.47 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और 52.16[#] करोड़ रुपये की शेष राशि, मार्च 2003 तक, भू-अर्जन अधिकारियों के पास पड़ी थी । परियोजना प्राधिकारियों और भू-अर्जन अधिकारियों ने यथासमय भू-अर्जन हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं की एवं 5493.297 हैक्टेयर भूमि में से अंततः मात्र 1756.031 हैक्टेयर भूमि अर्जित की गई ।

[#] इंदिरा सागर परियोजना (नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 सनावद एवं नर्मदा विकास संभाग क्र. 24 खरगोन) 8.99 करोड़ रुपये
बरगी डायवर्शन परियोजना (नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, क्रमांक 7 एवं आर.बी.सी. क्र.1) 14.02 करोड़ रुपये
बरियारपुर 13.54 करोड़ रुपये
सिंध चरण-II 15.61 करोड़ रुपये
कुल 52.16 करोड़ रुपये

अभिलेखों की आगे, संवीक्षा में यह भी प्रकट हुआ कि भू-अर्जन के लिए निधियों की आवश्यकताओं की गणना करते समय यथार्थपरक निर्धारण का स्पष्ट अभाव था । लेखापरीक्षा में ध्यान में आए कुछ उदाहरण संक्षेप में, नीचे दिए गए हैं:

(1) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.- 24, खरगोन द्वारा भू-अर्जन अधिकारियों को, 2.17 करोड़ रुपये की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध, 3.62 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप 1.45 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

(2) बरगी डायवर्सन परियोजना में भू-अर्जन के लिए 1.53 करोड़ रुपये के प्रावधानों के विरुद्ध भू-अर्जन अधिकारी को 15.72 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम दी गई थी ।

(ii) इसी प्रकार, 2002-2003 के दौरान कार्यपालन यंत्रियों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को, उच्चदाब (एच.टी.) तथा निम्नदाब (एल.टी.) लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए भी 82.50[##] लाख रुपये की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया था, जिसके विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से मई, 2003 तक, लेखा प्रतीक्षित था ।

इसे इंगित किये जाने पर, कार्यपालन यंत्रियों ने तथ्यों को स्वीकारा और बताया कि भुगतान भू- अर्जन अधिकारियों एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की माँग पर किए गए थे; और प्रकरण मार्च 2003 तक की स्थिति में प्रक्रिया में थे । तथापि, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.-24, खरगोन ने बताया कि अन्य गांवों की शेष रही भूमि के अर्जन में अधिक भुगतान को समायोजित किया जाएगा ।

[##] इंदिरा सागर परियोजना (नर्मदा विकास संभाग क्र. 14 सनावद) 55.93 लाख रुपये
बरगी डायवर्शन परियोजना (नर्मदा विकास संभाग क्र. 4 एवं 7 तथा आर.बी.सी. क्र. 1) 26.57 लाख रुपये
कुल 82.50 लाख रुपये

3.5.5 परियोजना चयन

परियोजनाओं का चयन निर्धारित मानदण्डों के विपरीत था । चयनित परियोजनाएँ परियोजित लाभ उपार्जित करने में विफल रहीं

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत् केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए परियोजनाओं के चयन के मानदण्डों में परिकल्पित था कि:

(अ) सिर्फ वे ही वृहद/मध्यम् परियोजनाएँ, जिन्हें योजना आयोग का निवेश अनुमोदन(क्लियरेंस) प्राप्त था तथा जो पूर्ण होने की अग्रिम अवस्था में थीं अर्थात् उन पर परियोजित लागत का 75 प्रतिशत या उससे अधिक व्यय हो चुका था, अभिज्ञापित की जानी थीं । 1999-2000 से यह सीमा 50 प्रतिशत अथवा अधिक तक शिथिल कर दी गई;

(ब) परियोजनाएँ जो थोड़े से अतिरिक्त संसाधनों से, आगामी चार कृषि ऋतुओं (अर्थात, 2 वर्षों) में से एक में परियोजित सिंचाई लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्ण की जा सके;

(स) उन बड़ी परियोजनाओं को, जो निधि के अभाव के कारण पिछड़ रही थीं, तुलनात्मक रूप से अल्पतर निवेश से लाभ प्राप्त करने हेतु, चरण-बद्ध रूप से पूर्ण करना:

(द) अतिरिक्त निवेश की प्रति इकाई अधिक बड़े सिंचित क्षेत्र वाली परियोजना; और

(ई) परियोजनाओं, जो पूर्व से ही घरेलू एजेन्सियों से सहायता प्राप्त कर रहीं थीं, पर विचार नहीं किया जाना था ।

(फ) परियोजनाएँ, जो अग्रिम चरण में थीं, और एक वर्ष में पूर्ण की जा सकती थीं, को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाले ''फास्ट ट्रैक'' के अर्न्तगत चयनित किया जाए।

तथापि यह देखा गया कि निर्धारित मानदण्डों की पूर्ण अवहेलना कर परियोजनाओं का चयन किया गया। पाँच परियोजनाओं यथा, इन्दिरा सागर चरण-I, बाणसागर , माही, बरियारपुर तथा सिंध चरण-II, जो निर्माण के आरम्भिक चरणों में थीं, एवं जिन पर उनके चयन के समय, किया गया व्यय 75/50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा(स्टेज) के विरुद्ध, परियोजित लागत का क्रमशः 35 प्रतिशत, 38 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 34 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही था, पर विचार किया गया।

चयन के समय इन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति निम्नानुसार थी:

(i) **सिंध परियोजना चरण-II:** परियोजना के बाँध एवं नहरें प्रारम्भिक अवस्था में थे, एवं भारत सरकार से अंतिम वन-कटाई-अनुज्ञा (फारेस्ट क्लियरेन्स) भी प्राप्त नहीं की गई थी।

(ii) **इन्दिरा सागर परियोजना:** बाँध, नींव कार्य की प्रारम्भिक अवस्था में था, जिसे पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्य पूर्ण न होने के कारण, ऊँचा नहीं उठाया जा सका । इन्दिरा सागर मुख्य नहर का 58 कि.मी. से आगे का संरेखण (एलाइनमेन्ट) अनुमोदित नहीं हुआ था तथा नियंत्रण संरचना भी, जिसके बिना सिंचाई संभव नहीं थी, आरम्भ नहीं हुई थी ।

(iii) **बाणसागर परियोजना:** यद्यपि योजना आयोग द्वारा बाँध का अनुमोदन (क्लियरेन्स) 1978 में दे दिया गया था, नहर प्रणाली, जिसके बिना सिंचाई संभव नहीं थी, योजना आयोग से अत्यधिक विलम्ब से, अक्टूबर 2001 में ही, अनुमोदित कराई जा सकी। तथापि, बाँध को बिना नहर प्रणाली के ही केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए चयनित कर लिया गया । इसके अतिरिक्त, बाँध एवं नहर दोनों ही निर्माण की आरम्भिक अवस्थाओं में थे ।

(iv) **राजघाट परियोजना:** राजघाट बाँध, एक अन्तर्राज्यीय (मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश) परियोजना का निर्माण कार्य, भारत सरकार द्वारा गठित बेतवा नदी परिषद् को सौंपा गया। यद्यपि योजना आयोग द्वारा बांध (सिविल कार्य) को, अनुमोदित नहीं किया गया था, तथापि इसे बाँध के शेष कार्य एवं भूमि तथा सम्पत्ति के अर्जन पर व्यय के अंश के अंशदान हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत् केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए सम्मिलित (1998-99) कर लिया गया ।

(v) 89.03 करोड़ रुपये एवं 71.78 करोड़ रुपये की शेष लागत वाली दो परियोजनाएँ नामशः **बावनथड़ी** एवं **महान** क्रमशः 29,412 हैक्टेयर एवं 19740 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2003-04 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसित की गईं थीं । ऐसी छोटी परियोजनाएँ, जो तुलनात्मक रूप से अल्पतर निवेश से, अधिक सिंचाई लाभ दे सकती थीं का चयन आरम्भिक अवस्था में ही किया जा सकता था ।

(vi) **बरगी डायवर्सन परियोजनाः** बरगी बाँध (1988 में निर्मित), की दायीं तट नहर (16 से 63 कि.मी.) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम- ''फास्ट ट्रैक'' के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए एक वर्ष (मई 2003 तक) में पूर्ण करने हेतु चयनित (मार्च 2002) एक मात्र परियोजना थी। परियोजना, योजना आयोग द्वारा 1101.23 करोड़ रुपये के लिए अनुमोदित (जुलाई 1998) की गई थी । दायीं तट नहर को, 16 किलोमीटर तक की प्रारंभिक रीचों में, उसकी वितरण प्रणाली सहित नाबार्ड से ऋण सहायता के अन्तर्गत, मार्च 2004 तक, दो वर्षों में पूर्ण करने की योजना थी । इस प्रकार 16 कि.मी. तक की आरम्भिक रीचों के पूर्ण होने तक वांछित सिंचाई लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा । बरगी डायवर्सन परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो नाबार्ड द्वारा 16 कि.मी. तक पूर्व में ही वित्त पोषित थी, अतः ऐसी परियोजना का चयन और समावेश निर्धारित मानदण्डों का उल्लंधन था । इतना ही नहीं, निर्धारित पूर्णता अवधि समाप्ति तक मात्र 25 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आगामी वित्त वर्ष 2003-04 हेतु सामान्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत् अनुशंसित की गई है । परियोजना का ''फास्ट ट्रैक'' के अन्तर्गत् चयन गलत था ।

इस प्रकार, चयनित परियोजनाएँ, ''त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम'' के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों और निर्दिष्ट मानदण्डों को *प्रथम-दृष्टया* पूरा नहीं करती थीं, परिणामस्वरूप, निर्धारित समय सीमा में परियोजित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका ।

तालिका-1

स.क्र.	परियोजना का नाम	प्राक्कलित लागत/वर्ष	त्व.सिं.ला.का. संघटकों की लागत	त्व.सिं.ला.का. के अंतर्गत स्वीकृति का वर्ष	त्व.सिं.ला.का.के अंश को पूर्ण करने की नियत तिथि	त्व.सिं.ला.का.के अंश को पूर्ण करने की पुनरीक्षित तिथि	अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र (रूपांकित) (हैक्टेयर में)	वास्तविक निर्मित सिंचाई क्षमता			उपयोग
			(राशि करोड़ रुपयों में)					त्व.सिं.ला.का. से पूर्व	त्व.सिं.ला.का. के दौरान	कुल	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
	जल संसाधन विभाग										
1	बाण सागर परियोजना	1281.00 (1991)	794.33	1996-97	इकाई-I 3/98 इकाई-II 6/05	इकाई-I-6/04 इकाई-II चरण-I 6/04 चरण -II 6/06	193359 (193359)	0	350	350	350
2	अपर वैनगंगा (हटाई गई)	207.57 (4/96)	56.62	1996-97	6/2000	6/2003	35253 (105253)	70000	28253	98253	40810
3	सिंध चरण-I	56.42 (11/91)	17.97	1999-00	6/2002	6/2004	10577 (13627)	3050	0	3050	0
4	सिंध चरण -II	607.67 (11/91)	329.29	1998-99	3/2005	6/2005	83084 (162100)	4162	8998	13160	8000
5	बरियारपुर बाँयी तट नहर परियोजना	190.87 (8/2002)	144.90	2000-01	3/2005	3/2005	43850 (43850)	0	0	0	0
6	उर्मिल परियोजना(पूर्ण)	27.62 (2000)	3.00	2000-01	6/2002	3/2003	1192 (7692)	6500	1192	7692	4098
7	बंजर परियोजना(पूर्ण)	8.55 (1998)	3.00	2000-01	6/2002	3/2003	1095 (2024)	1334	1095	2429	1133
8	माही परियोजना	265.75 (1998)	179..36	2000-01	3/2003	3/2006	26429 (26429)	0	0	0	0
9	राजघाट परियोजना	उपलब्ध नहीं	46.21	1998-99	6/2001	3/2003	0	0	0	0	0
	नर्मदा घाटी विकास विभाग										
1	इंदिरा सागर परियोजना चरण -I	2167.67 (11/90)	1500.00	1996-97	3/2001 फेस-I	6/2005	36100 (123000)	0	0	0	0
2	बरगी डायवर्सन परियोजना चरण -I चरण -II	2604.50 (4/2001)	196.06 295.00	2001-02 2002-03	5/2003 3/2004	3/2004	(245010) 21194 31900	651	0	651	651
	कुल	7417.62	3565.74	-	-	-	484033 (922344)	85697	39888	125585	55034

3.5.6 आयोजना और कार्यान्वयन

3565.74 करोड़ रुपये की शेष प्राक्कलित लागत वाली 11 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएँ जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक/दो वर्षों में 4.84 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, 1996-97 से 2001-02 के दौरान, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए स्वीकृत की गई थीं । मार्च 2003 तक परियोजनाओं के लक्ष्य एवं प्राप्ति, तालिका - 1 में दर्शाये गए हैं ।

दो परियोजनाएँ (उर्मिल और बंजर) एक वर्ष की निर्धारित अवधि के विरुद्ध, उनकी स्वीकृति से तीन वर्ष बाद मार्च 2003 में पूर्ण हुईं । एक अन्य नई परियोजना को सम्मिलित करने की दृष्टि से एक अपूर्ण परियोजना (अपर वैनगंगा) 80 प्रतिशत परियोजित सिंचाई क्षमता के सृजन के उपरान्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा वापिस ले ली गई (मार्च, 2003) ।

1764.79 करोड़ रुपये(49.49 प्रतिशत) व्यय करने के उपरांत भी मात्र 39888 हैक्टेयर(8 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकी

मध्य प्रदेश शासन परियोजित सिंचाई क्षमता के अपने लक्ष्यों को प्रति वर्ष पुनरीक्षित करता रहा । 7 वर्षों से अधिक की अवधि में हुआ 1764.79 करोड़ रुपए (49.49 प्रतिशत) का व्यय मात्र 39888 हैक्टेयर (8 प्रतिशत) सृजित क्षमता के अनुरूप नहीं था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि लक्ष्यों की प्राप्ति न हो पाने के कारणों में, परियोजनाओं का गलत चयन, दोषपूर्ण आयोजना, वन भूमि के अनुमोदन में विलम्ब, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्य में विलम्ब, एजेन्सियों के निर्धारण में विलम्ब, यंत्रियों का बारम्बार परिवर्तन एवं अपर्याप्त बजट परिव्यय सम्मिलित थे, जिसके परिणामस्वरूप परियोजित सिंचाई लाभ की प्राप्ति के बिना ऋण और उस पर ब्याज का दायित्व उत्पन्न हुआ, और कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित हुए, जैसी कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त 1999-2000 से 2001-2002 के वर्षों के दौरान, 20 लाख हैक्टेयर, 20.31 लाख हैक्टेयर एवं 20.59 लाख हैक्टेयर की समग्र सिंचाई क्षमता में से, मार्च 2002 तक, क्रमशः 9.25 लाख हैक्टेयर (46.25 प्रतिशत), 7.37 लाख हैक्टेयर (36.85 प्रतिशत) एवं 9.91 लाख हैक्टेयर (44.63 प्रतिशत) का ही वास्तविक उपयोग हुआ था। पर्याप्त वर्षा जिससे कृषकों की आवश्यकता पूरी हो जाने के कारण शासकीय

साधनों से पानी लेने में उनकी अनिच्छा, अल्पवर्षा के चलते प्रशासन द्वारा पीने एवं अन्य उददेश्यों के लिए पानी का संचयन और विद्युत की कमी को, विभाग द्वारा, उपयोग में कमी का कारण बताया गया ।

विभाग का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि परियोजनाओं का परिकल्पन एवं निर्माण उनके अपने सैच्य क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता के आधार पर ही किया गया था। अतः, कृषकों से कम माँग अथवा माँग न होने के आधार पर 50 प्रतिशत से कम की आंशिक सृजित क्षमता का भी उपयोग करने में असमर्थता एक चौंकाने वाली स्थिति थी और परियोजना के पूर्ण होने पर उसकी उपयोगिता पर ही प्रश्न-चिन्ह लगाएगी ।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपर्याप्त आयोजना और भारी चूकें थीं, जैसी कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) बाण सागर परियोजना उसकी 5 नहरों से, जून 2000 तक, 13500 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने हेतु आयोजित की गई थी । यद्यपि, बाँध पूर्ण हो गया था (जून 2000), नहर प्रणाली का निर्माण कार्य, योजना आयोग द्वारा अनुमोदन (क्लियरेन्स) न मिलने के कारण साथ-साथ प्रारम्भ नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप, नहर को जून 2004 तक पूर्ण करने के लिए, विभाग पुनर्आयोजन करने के लिए बाध्य हुआ ।

कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए, केन्द्रीय जल आयोग ने, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, 5 मूल नहरों के बजाय एक समय में एक नहर के विकास का सुझाव दिया (जुलाई, 1998) । विभागीय प्राधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई और सभी पाँच नहरों पर कार्य जारी रहा; तथा, मार्च 2003 तक, मात्र 350 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता ही सृजित की जा सकी ।

इसे इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता ने कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की (मई, 2003) ।

बरुआ एक्वाडक्ट के आगे दायीं तट नहर के निर्माण कार्य पर किए गए 20.47 करोड़ रुपये के व्यय से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई

(ii) महुअर नदी और समोहा पिक अप वियर से आगे सिंध चरण-II की दाँयी तट नहर की रीचों में जो बरुआ एक्वाडक्ट (12.75 कि.मी) से आगे थीं, संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जबकि बरुआ एक्वाडक्ट के शेष कार्य के लिए अगस्त, 2002 तक एजेन्सियों का निर्धारण नहीं हुआ था । जब तक बरुआ एक्वाडक्ट पूर्ण नहीं होता पानी उससे आगे नहीं पहुंच सकता, अतः महुअर नदी (4.71 करोड़ रुपये) एवं समोहा पिक अप वियर (15.76 करोड़ रुपये) के आगे दायीं तट नहर पर मार्च 2003 तक किये गये 20.47 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल था तथा उससे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई ।

1546.67 करोड़ रुपये का व्यय करने के उपरांत भी, मध्य प्रदेश शासन सिंचाई क्षमता सृजित करने में असफल रहा

(iii) चरण-I के अन्तर्गत 36,100 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था करने के लिए क्रस्ट स्तर तक इंदिरा सागर परियोजना बाँध[1] एवं 81 कि.मी0 तक नहर प्रणाली के लक्ष्य एवं निर्माण कार्यक्रम, उन वर्षों में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता के कारण, समय-समय पर पुनरीक्षित किए गए और अंततः मार्च, 2001 तक पूर्ण करने की आयोजना की गई । नहर प्रणाली में, अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य नहर की नियंत्रण संरचना, नहरों की लाईनिंग, अन्य संरचनाओं एवं सुरंगों का निर्माण परिकल्पित था। इन कार्यों को सुनियोजित ढंग से प्रारम्भ नहीं किया गया एवं मार्च 2003 तक उनकी प्रगति नगण्य थी ।

इस प्रकार 1546.67 करोड़ रुपये (705.37 करोड़ रुपये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत) का समग्र व्यय करने के बावजूद विभाग 7 वर्षों के उपरान्त भी 36,100 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन करने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में असफल रहा ।

3.5.7 निष्पादन

परियोजनाओं को उनकी चरण-बद्ध पूर्णता के लिए इस प्रकार आयोजित किया जाना था कि लाभ आसानी से प्राप्त हो सके, तथा प्राथमिकता उन संघटकों को दी जानी थी जो कम निवेश से अधिक सिंचाई क्षमता शीघ्रता से सृजित करें ।

तथापि, यह देखा गया कि परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय एवं उनके कार्यान्वयन की आयोजना बनाते समय न केवल त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के

[1] नर्मदा जल विद्युत (इलेक्ट्रिक) विकास निगम लिमिटेड, जो राष्ट्रीय जल विद्युत (पॉवर) निगम एवं मध्य प्रदेश शासन का एक संयुक्त उपक्रम (वेन्चर) है, को सितम्बर 2000 से स्थानांतरित

उददेश्यों को ही नज़रअंदाज़ कर दिया गया, वरन् उत्साहहीन रवैये के कारण निष्पादन भी प्रभावित हुआ, यथा वितरण प्रणाली के निर्माण की बांध कार्य से, व इसके विलोमतः, समय-संगति नहीं रखी गयी । बांध की नहरों, जिनके बिना सिंचाई संभव नहीं थी, के निर्माण को छोड़ते हुए, मात्र बांध कार्य पर बड़ी राशि व्यय की गई ।

लेखापरीक्षा के ध्यान में आए कुछ उदाहरणात्मक दृष्टान्त नीचे दिए गए हैं :

(अ) सिन्ध चरण-II

- 62.72 करोड़ रुपए की लागत से, 2000-2001 तक, 40838 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के उददेश्य से परियोजना संघटक, 1998-99 में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किये गये । 266.57 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत से 42248 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता हेतु क्रस्ट स्तर तक मड़ीखेड़ा बांध एवं नहरों की शेष रीचें भी, बाद में (2000-2001) , त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत ले ली गईं ।

- 2002-2003 तक 83086 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च 2003 तक 214.40 करोड़ रुपये (65 प्रतिशत) का व्यय करने के उपरांत भी मात्र 8998 हैक्टेयर (11 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता ही सृजित की जा सकी थी ।

- नहर कार्य में धीमी प्रगति, बाँध कार्य पर अधिक ध्यान देने, वनभूमि के अनुमोदन(क्लियरेन्स) के बिना बाँध कार्य सौंपने और नहर प्रणाली के लिए एजेन्सियों के निर्धारण में विलम्ब के कारण लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई ।

- मोहनी पिक अप वियर एवं उकालिया एनीकट, जो पूर्व में निर्मित हो चुके थे, में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से, बायीं तट दोआब नहर(12548 हैक्टेयर) एवं उकालिया नहर (1724 हैक्टेयर) के शेष कार्य को, पूरा कर 14272 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता(मात्र 15.10 करोड़ रुपये का निवेश कर) सृजित की जा सकती थी । यद्यपि, यह कार्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंग थे, तथापि, केन्द्रीय जल आयोग की विशिष्ट अनुशंसा(मार्च, 2001) के बावजूद भी, इन लागत-प्रभावी(कास्ट-इफेक्टिव) कार्यों के पूर्ण करने को प्राथमिकता नही दी

गई। नहर निर्माण में विभाग के उत्साहहीन रवैये ने कृषकों को सिंचाई लाभ से वंचित कर दिया ।

अपर्याप्त आयोजना के कारण 57.82 करोड़ रुपये का परिहार्य लागत-आधिक्य

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वांछित, भारत सरकार की वनभूमि की अन्तिम पूर्व स्वीकृति (क्लियरेन्स) के बिना, मड़ीखेड़ा मिट्टी एवं मेसनरी बाँध का कार्य दो ठेकेदारों को क्रमशः 25.91 करोड़ रुपये एवं 122.87 करोड़ रुपये की लागत पर, वर्षाकाल सहित 5 वर्ष की नियत अवधि में पूर्ण किए जाने हेतु सौंपे गए(जनवरी,1994 एवं नवम्बर, 1993) । वन-कटाई की अंतिम स्वीकृति भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में प्रदान की गयी । इसके अतिरिक्त, बाँध-धुरी के लिए निजी भूमि, कार्य सौंपने की तिथि से 7 वर्ष बाद अधिग्रहित की गई ।

परिणामस्वरूप, मिट्टी और मेसनरी बाँध की प्रगति, उनके पूर्ण होने की नियत अवधि (जनवरी,1999 और अक्टूबर, 1998) तक अत्यल्प, क्रमशः 0.5 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत थी; दोनों ठेकेदारों को 7 वर्ष की समय-वृद्धि स्वीकृत की गई, जो नियत समयावधि से भी अधिक थी । इस प्रकार, वन-कटाई अनुमोदन (फारेस्ट क्लियरेन्स) के बिना कार्य सौंपे जाने एवं विभाग द्वारा उचित आयोजना के अभाव के परिणामस्वरूप, अवांछित समयाधिक्य के कारण नियत समयावधि के बाद मूल्यवृद्धि हेतु भुगतान योग्य 57.82 करोड़ रुपये (मेसनरी बाँधः 43.23 करोड़ रुपये , मिट्टीबाँधः 14.59 करोड़ रुपये) की परिहार्य लागत आई ।

इसे इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया (दिसम्बर, 2002) कि भारत सरकार से वन-कटाई स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली गई थीं, तथापि संहितीय प्रावधानों के प्रकाश में उत्तर मान्य नहीं था ।

(ब) बरियारपुर बायीं तट नहर परियोजना

केन नदी पर, पुरानी बरियारपुर पिक अप वियर (1906 में निर्मित) से प्रारम्भ होने वाली 49 कि.मी लम्बी, बरियारपुर बांयी तट नहर, 144.90 करोड़ रुपये की शेष लागत से 43850 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने हेतु भारत सरकार द्वारा परियोजना को

2004-2005 तक पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 2000-2001 में स्वीकृति प्रदान की गई ।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग परियोजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की आयोजना में असफल रहा । वास्तव में कोई ठोस आयोजना नहीं थी, क्योंकि सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर बने रहने हेतु, प्रतिवर्ष पुनरीक्षित[2] किए गए। तीन वर्ष व्यतीत होने और 28.30 करोड़ रुपये व्यय करने के उपरांत भी मार्च, 2003 तक उपलब्धि निरंक थी । यह मुख्यतः, कार्य निष्पादन के लिए एजेन्सियों के निर्धारण में विलम्ब एवं भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण था । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विभाग/मध्य प्रदेश शासन को बारम्बार सूचित करने पर भी कार्य की समय पर पूर्णता के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए ।

(स) अपर वैनगंगा परियोजना

207.57 करोड़ रुपये (अप्रैल 1996) की अनुमानित लागत वाली परियोजना पर 1996-97 तक 150.98 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था । इसके उपरान्त परियोजना, जून, 2000 तक 35253 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए, 56.62 करोड़ रुपये की अपनी शेष लागत सहित, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत ले ली गई । राज्य द्वारा 1997-2001 के दौरान अनुरूपी निधियों के अपर्याप्त आवंटन के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित 56.62 करोड़ रुपये की शेष लागत के विरुद्ध, मार्च 2003 तक, अपूर्ण परियोजना पर 106.46 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। मार्च, 2003 तक 28253 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन के उपरान्त परियोजना को, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से वापिस ले लिया गया । लागत वृद्धि मुख्यतः आरम्भिक

---

[2]

प्रस्ताव का वर्ष	लक्ष्य(आंकड़े हेक्टेयर में)				
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
2000-01	1000	15850	22350	4650	43850
2001-02		10000	25000	8850	43850
2002-03			25000	18850	43850
2003-04			13920	29930	43850

वर्षों में कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी । परिणामतः, परियोजना की लागत पुनरीक्षित कर 243.48 करोड़ रुपए कर दी गई लेकिन परियोजना की लागत में यथेष्ट वृद्धि (481 प्रतिशत) हो जाने के बावजूद भी योजना आयोग से निवेश अनुमोदन (इन्वेस्टमेन्ट क्लियरेंस) प्राप्त नहीं किया गया था ।

(द) बाण सागर परियोजना

बाणसागर परियोजना को, 193359 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के उददेश्य से 1996-97 के दौरान 794.33 करोड़ रुपए की शेष लागत (बाँधः 526.25 करोड़ रुपये और नहरः 268.08 करोड़ रुपए) के साथ, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था, जिसे 1998 के मूल्य स्तर पर 1665.29 करोड़ रुपये (बाँध-1054.96 करोड़ रुपए और नहर-610.33 करोड़ रुपए) तक पुनरीक्षित कर दिया गया। तथापि, योजना आयोग द्वारा पुनरीक्षित लागत मार्च, 2003 तक अनुमोदित नहीं की गई थी।

1990-91 के मूल्य-स्तर पर 1281 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के संदर्भ में 384.29 करोड़ रुपये का लागत-आधिक्य, समयाधिक्य के कारण था, जो पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब के परिणामस्वरूप था, जिसके फलस्वरूप योजना आयोग से यूनिट-II नहर हेतु निवेश की स्वीकृति लेने में विलम्ब, अपर्याप्त बजट प्रावधान, निविदाएं जारी करने एवं अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ और ठेकेदारों द्वारा कार्य की प्रगति धीमी हुई। इस प्रकार, 7 वर्ष व्यतीत हो जाने और 463.31 करोड़ रुपए (28 प्रतिशत) का व्यय करने के उपरान्त भी मात्र 350 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता ही सृजित की जा सकी । योजना आयोग की स्वीकृति के बिना, 1996-2001 के दौरान, परियोजना की नहर प्रणाली पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत, 49.19 करोड़ रुपए का व्यय, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के क्षेत्र से परे था ।

(ई) बरगी डायवर्सन परियोजना

1987-88 में पूर्ण हुए बरगी बाँध के दायें तट से प्रारम्भ हुई 2.45 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य सैच्य क्षेत्र (सीसीए) वाली 194 कि.मी. लम्बी दायीं तट नहर का निर्माण, जो "बरगी डायवर्सन परियोजना" के रूप में अभिज्ञापित किया गया, मध्यप्रदेश शासन और भारत सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के द्वारा फास्ट ट्रैक कार्यक्रम (मार्च,2002) के अन्तर्गत ले लिया गया ।

21194 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए 16 से 63 कि.मी. में दायीं तट नहर को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा 196.06 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई (मार्च, 2002)। समझौता ज्ञापन के अनुसार, फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य 31 मई 2003 तक पूर्ण होने थे । विभिन्न कार्यों के लिए एजेन्सियां मई 2003 तक विलम्ब से नियत की गई थीं। परिणामस्वरूप, विभाग, 98.06 करोड़ रुपये की विमोचित प्रथम किस्त के विरुद्ध मात्र 47.72 करोड़ रुपये का ही उपयोग कर सका एवं 50.34 करोड़ रुपये की उपयोग नहीं की गई केन्द्रीय ऋण सहायता पर ब्याज के कारण शासन को 5.79 करोड़ रुपये की हानि हुई, इसके अतिरिक्त, कृषक सिंचाई लाभ से वंचित रहे ।

निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, लाइनिंग एवं नहर संरचनाओं के कार्य, मिट्टी-कार्य के साथ-साथ निष्पादित किए जाने थे । तथापि, यह देखा गया कि रूपांकित नहर खंड को पूर्ण किए बिना, संपूर्ण रीचों में, नहर खंड का मिट्टी-कार्य अस्त-व्यस्त ढंग से किया गया था । ठेकेदार की निविदा दरें असंतुलित थीं एवं कार्य की प्रगति से प्रकट हुआ कि ठेकेदारों ने मात्र खुदाई एवं मिट्टी-कार्य में रुचि ली, जिनके लिए उद्धृत दरें, उन्हें अधिक लाभप्रद थीं जबकि सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग (1393 रुपये से 1633 रुपये प्रति घनमीटर की एकीकृत दर अनुसूची की प्रचलित (रूलिंग) दरों के विरुद्ध 800-900 रुपये प्रति घनमीटर) एवं संरचनाओं की मदों के लिए दरें अव्यवहार्य थीं । ठेकेदार को नियत कार्यक्रम के अनुसरण की सलाह नहीं दी गई। विभाग, समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट निर्माण अनुसूची की शर्तों के अनुसार, प्रगति के परिवीक्षण एवं समय-संगति में विफल रहा ।

संविदात्मक प्रावधान का कार्यान्वयन न करने के कारण ठेकेदार को 5.18 करोड़ रुपये की अदेय वित्तीय सहायता

आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ठेकेदारों के चल-देयकों के समय-समय पर भुगतान करने के लिए अनुबंध की शर्त 3.26 लागू नहीं की गई । शर्त के अनुसार कुछ मदों हेतु उद्धृत दरों का असमानुपातिक रूप से ऊँची होने या निविदा के असंतुलित होने की दशा में ऐसी मदों के भुगतान को, प्राक्कलित दरों में कुल प्रतिशतता जोड़ या घटाकर, जैसी भी स्थिति हो, परिसीमित किया जायेगा । ऐसी मदों का शेष भुगतान, शासन के हित को संरक्षित करने हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति की भाँति रोका जाना था, जो केवल सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही विमोचित की जानी थी । यदि ठेकेदार किसी कारण से कार्य अपूर्ण छोड़ते, तब इस प्रकार काटी गई अतिरिक्त प्रतिभूति शासन के प्रति जब्त मानी जानी थी । तथापि, कार्यपालन यंत्री शासन के हितों को संरक्षित करने हेतु

अतिरिक्त प्रतिभूति काटने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 5.18[3] करोड़ रुपये राशि की अनियमित/अदेय वित्तीय सहायता मिली ।

इसे इंगित किए जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया (जून 2003) की निविदा स्वीकर्ता प्राधिकारी के कोई विशिष्ट आदेश नहीं थे इसलिए शर्त प्रयुक्त नहीं की गई । संविदात्मक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है ।

3.5.8 परिवीक्षण (मॉनिटरिंग)

दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय नियतकालिक परिवीक्षण के साथ ही कार्यक्रम का समग्र परिवीक्षण जल संसाधन मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा किया जाना था । स्वीकृत केन्द्रीय ऋण सहायता की किस्तों का विमोचन करना, केन्द्रीय जल आयोग की अनुशंसा पर आधारित किया जाना था ।

समय, लागत, गुणवत्ता, सामाजिक और आर्थिक लाभ से सम्बंधित विभिन्न लक्ष्य प्राप्त होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्यक्रम के क्रियान्वयन का परिवीक्षण, राज्य स्तर पर, प्रमुख अभियंता एवं परियोजनाओं के मुख्य अभियंताओं द्वारा किया जाना अपेक्षित था।

तथापि, यह देखा गया कि यद्यपि, निर्धारित स्थिति(स्टेटस)- प्रतिवेदन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा नियमित रूप से प्रस्तुत किये जा रहे थे, तथापि परियोजना के निष्पादन को गति देने एवं गत्यावरोध, विशेषतः निर्माण गतिविधियों के योजनाकरण से संबंधित, को दूर करने और उसकी प्रगति के लिए सी.पी.एम./पी.ई.आर.टी. चार्ट[4] द्वारा प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता ने प्रभावी कदम नहीं उठाए ।

आगे, यद्यपि केन्द्रीय जल आयोग ने कार्यान्वयन एवं आयोजना की कमियों की तरफ ध्यान दिलाया, फिर भी उनका अनुपालन सुनिश्चित किए बिना परियोजनाएँ केन्द्रीय ऋण सहायता जारी करने के लिए अनुशंसित की गईं । परिणामस्वरूप, केन्द्रीय जल आयोग का परिवीक्षण निष्प्रभावी रहा तथा कार्यों का निष्पादन अनियोजित ढंग से, अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति के बिना किया गया ।

3.5.9 उपसंहार

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत (सामान्य/फास्ट ट्रैक) ली गईं 11 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं में 970.93 करोड़ रुपये का निवेश करने और पूर्णता अवधि अत्यधिक बढ़ जाने के बावजूद भी, लक्ष्यित 1.70 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के विरुद्ध, मार्च 2003 तक, थोड़ी भी सिंचाई क्षमता सृजित नहीं की जा सकी । शेष रही 5 परियोजनाओं में, 793.86 करोड़ रुपए के व्यय के बावजूद भी लक्ष्यित 3.14 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के विरुद्ध त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अतंर्गत, अतिरिक्त सृजित सिंचाई क्षमता मात्र 39888 हैक्टेयर थी।

---

[3] दायीं तट नहर संभाग क्र.1 बरगी हिल्स, जबलपुरः 2.46 करोड़ रुपये
नर्मदा विकास संभाग क्र.4 जबलपुरः 0.79 करोड़ रुपये
नर्मदा विकास संभाग क्र.7 बरगी हिल्स, जबलपुरः 1.93 करोड़ रुपये

[4] क्रिटिकल पाथ मेथड/परियोजना मूल्यांकन समीक्षा तकनीक

लगभग पूर्ण होने की स्थिति में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई अपर वैनगंगा परियोजना की 28253 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को यदि ध्यान में न रखा जाए तो शेष 10 परियोजनाओं में सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निराशाजनक थी।

उत्पादकता, निर्धारित संकेतकों के संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक लाभ वृद्धि की सीमा, विशेष रूप से, छोटे कृषकों को प्राप्त लाभ के मूल्यांकन हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई प्रभाव-मूल्यांकन (इम्पैक्ट असेसमेन्ट) अध्ययन नहीं कराया गया ।

3.5.10 अनुशंसाएँ

- मध्यप्रदेश शासन को, केन्द्रीय ऋण सहायता अनुकूलतम करने और कार्यक्रम के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित अनुरूपी अंश का समय पर प्रावधान एवं विमोचन करना सुनिश्चित करना चाहिए ।
- मध्यप्रदेश शासन को सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषकों को अभिप्रेरित करने हेतु समुचित कार्यवाही करनी चाहिए ।
- केन्द्रीय ऋण सहायता और उसके ब्याज सहित पुनर्भुगतान के लेखे परियोजनावार संधारित किये जाने चाहिए एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग द्वारा पुनर्मिलान किया जाना चाहिए ।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन, जिसमें इस समय प्रभावी परिवीक्षण का अभाव है, को गतिशील किया जाना आवश्यक है ।
- निधियों के उचित उपयोग और उनका व्यपवर्तन रोकना सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2003), उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2003) ।

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

चौथा अध्याय
लेनदेन लेखापरीक्षा

4.1 दुर्विनियोग/हानियां

कृषि विभाग

4.1.1 निधियों का दुरुपयोग

सूखाग्रस्त क्षेत्र के कृषको हेतु बीज उत्पादन तथा समाश्वास्ति गुणवत्ता वाले बीजो की आपूर्ति के लिए एक परिक्रामी निधि की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम को प्रदत्त 1.35 करोड़ रुपये का उसने अन्य उददेश्यों में व्यय करके दुरुपयोग किया ।

सरकार ने परिक्रामी निधि खोलने के लिए मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम को सूखाग्रस्त क्षेत्र हेतु विमोचित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र बीज उत्पादन योजना के अधीन 1.35 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी(जनवरी 1998) । फरवरी 1998 में निगम द्वारा प्राप्त राशि को परिक्रामी निधि से निकाल कर विक्रय धन के साथ सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों को प्रजनक/प्रमाणित/आधार बीजों की आपूर्ति के लिए उत्पादन हेतु कार्यचालन पूंजी के रूप में प्रयुक्त करना था । निगम द्वारा सरकार को प्रत्येक वर्ष के अंत में निधि का एक पृथक तुलनपत्र तैयार एवं प्रस्तुत करना अपेक्षित था ।

निगम के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2000) और जून 2001 एवं जून 2003 में संग्रहीत जानकारी से प्रकट हुआ कि योजना की शर्तों का घोर उल्लंधन करके निगम ने स्वयं बीज उत्पादन करने के स्थान पर प्राधिकृत अभिकरणों से खरीफ 1998 के लिए 4.04 करोड़ रुपये मूल्य के 26273 क्विंटल बीज क्रय किये । इस मात्रा में से कृषकों को केवल 13693.91 क्विंटल बीज 1.84 करोड़ रुपये में बेचे गये । शेष 12629 क्विंटल बीज जिन्हें आगामी फसल के लिए नहीं रखा जा सकता था, नगण्य मूल्य पर अर्थात् 84.51 लाख रुपये में बेच दिया परिणामस्वरूप सरकार को 1.36 करोड़ रुपये की हानि हुई । हानि परिक्रामी निधि की स्थापना के लिए अभिप्रेत निधि के विरुद्ध प्रभारित की गई ।

इसका उल्लेख करने पर निगम ने सूचित किया(जून 2001) की चूंकि प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए तीन वर्षों की अवधि चाहिये इसलिए 1998 के दौरान बीज क्रय करने के लिए निधि का उपयोग किया गया तथापि व्यापार में हानि होने के कारण परिक्रामी निधि के निरंतर चालन के लिए कोई निधि उपलब्ध नहीं थी और हानि दिखलाने वाला तुलन पत्र जनवरी 1999 में सरकार को भेज दिया गया था । निगम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बीजों का उत्पादन करने के स्थापन पर क्रय करने से पूर्व उसने सरकार का अनुमोदन क्यों नहीं लिया । वित्त विभाग ने कृषि विभाग से मामले की जांच करने और ब्याज सहित 1.35 करोड़ रुपये की राशि सरकारी कोषालय में जमा करने को कहा(फरवरी 2002) ।

कृषि विभाग ने सूचित किया(जून 2003) कि निगम से उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है । उन्होंने यह भी सूचित किया कि दुरुपयोग के प्रकरण की उनके द्वारा गठित समिति जांच कर रही है । इस प्रकार पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी सरकार परिक्रामी निधि स्थापित करने में विफल रही परिणामस्वरूप राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कृषक परिकल्पित लाभों से अभी तक वंचित हैं ।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

4.1.2 प्रायवेट मिल से ऋण तथा ब्याज वसूल न करना

इंदौर की एक प्रायवेट मिल जिसके पास मात्र 20 करोड़ रुपये अनुमानित मूल्य की परिसंपत्तियां थीं से नवम्बर 2003 तक 27.79 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 15.26 लाख रुपये वसूली हेतु अधिदेय थे ।

सरकार ने इदौर स्थित राजकुमार मिल्स नाम की एक प्रायवेट मिल जो 1998 में बंद हो गई थी, को हानि (3.76 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति और उसके श्रमिकों को सेवा निवृत्ति उपदान एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान (13.56 करोड़ रुपये) के लिए 1997-98 से 2002-03 के दौरान 17.32 करोड़ रुपये* के 12 ऋण संस्वीकृत किए थे । ऋणों का भुगतान 8 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना था और उस पर 19.5 रुपये प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय था । इसके अतिरिक्त भुगतान करने पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष दाण्डिक ब्याज लगना था ।

आयुक्त उद्योग विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2002) और संग्रहीत जानकारी (जून एवं दिसम्बर 2003) से प्रकट हुआ कि मिल के विरुद्ध अधिदेय कुल 15.26 करोड़ रुपये (अधिदेय किस्तें:4.79 करोड़ रुपये, ब्याज 9.07 करोड़ रुपये तथा दाण्डिक ब्याज 1.40 करोड़ रुपये) न तो ऋणगृहीता ने जमा किए और न नवम्बर 2003 तक आयुक्त द्वारा वसूल किए गए थे । यह भी पाया गया कि ऋण का भुगतान जैसा कि अपेक्षित था अनुबंध पंजीकृत किए बिना किया गया क्योंकि मिल पंजीयन प्रभार (ऋण राशि का 4 प्रतिशत) तक वहन करने योग्य नहीं थी ।

सरकार ने सूचित किया(दिसंबर 2003) कि मिल चलाने के लिए राज्य सरकार ने 1986 में प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था और अपने श्रमिकों को वैध दायित्वों की पूर्ति हेतु मण्डल के अनुमोदन के उपरांत मिल को ऋण का भुगतान किया गया था । यह भी सूचित किया गया कि ऋण की वसूली मिल की लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि को बेच कर की जायगी जिसके लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था परंतु स्टेट बैंक आफ इंदौर द्वारा दायर प्रकरण में इंदौर ऋण वसूली पंचाट ने मिल की परिसंपत्तियों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक डिक्री जारी की है ।

** 1997-98 में 2.54 करोड़ रुपये, 1998-99 में 1.52 करोड़ रुपये, 1999-2000 में 0.81 करोड़ रुपये, 2000-01 में 0.50 करोड़ रुपये, 2001-02 में 7.60 करोड़ रुपये एवं 2002-03 में 4.35 करोड़ रुपये*

इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि मिल की भूमि का सरकार का 20 करोड़ रुपये का अनुमानित मूल्य 27.79 करोड़ रुपये की देयताओं (नवम्बर 2003 को) की तुलना में बहुत कम था, सरकार की समस्त वसूलियों की संभावना, विशेष रूप से उस स्थिति में जब बैंकों सहित अनेक अन्य लेनदार हों, बहुत कम दिखाई देती है ।

4.2 निष्फल/निरर्थक व्यय तथा अधिक भुगतान

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.2.1 अतिरिक्त मदों के लिए त्रुटिपूर्ण दरों के कारण एक ठेकेदार को अधिक भुगतान

नियंत्रित ब्लास्टिंग द्वारा कड़ी चट्टान की खुदाई का भुगतान बिना ब्लास्टिंग से खुदाई के लिए लागू उच्चतर दर से किया गया । इसके कारण ठेकेदार को 29.80 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

बरगी दायीं तट नहर के 16 कि.मी. से 20 कि.मी. के निर्माण का कार्य, जिसकी प्राक्कलित लागत 17.39 करोड़ रुपये थी, एक ठेकेदार को 11.01 करोड़ रुपये (प्राक्कलित लागत से 36.67 प्रतिशत कम) में 12 माह में पूर्ण करने हेतु मद-दर-संविदा पर दिया गया (जून 2002) । कार्य, यद्यपि प्रगति पर था तथा ठेकेदार द्वारा अगस्त 2003 तक मात्र 44.47 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा सका था । ठेकेदार को, अगस्त 2003 में, 4.90 करोड़ रुपये के 9 वें चल देयक का भुगतान किया गया था । लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नानुसार प्रकट हुआः

ठेके के भाग के रूप में निहित, मात्राओं की अनुसूची में 120 रुपये प्रति घनमीटर की दर से 365138.68 घनमीटर कड़ी चट्टान की खुदाई का प्रावधान था तथा नियंत्रित ब्लास्टिंग से खुदाई की मद के विरुद्ध निरंक मात्रा दर्शाई गई थी । तथापि, निष्पादन के दौरान, यद्यपि 182394.82 घनमीटर (अगस्त 2003 के 9 वें चल देयक तक) की संपूर्ण मात्रा अभिलिखित मापों के अनुसार नियंत्रित ब्लास्टिंग द्वारा खोदी गई थी फिर भी ठेकेदार को बिना ब्लास्टिंग की खुदाई के लिए लागू 120 रुपये प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया ।

ठेके के अनुसार अतिरिक्त मदों के लिए दरें, प्रचलित एकीकृत दर अनुसूची (ए.द.अ.) में दी गई दरों में समग्र निविदा प्रतिशत जोड़ने या घटाने के पश्चात निर्धारित की जानी चाहिए थीं । तदनुसार, नियंत्रित ब्लास्टिंग से खुदाई के लिए भुगतान योग्य दर, ठेकेदार को भुगतान की गई दर 120 रुपये प्रति घनमीटर के विरुद्ध, मात्र 103.66 रुपये प्रति घनमीटर निकलती है । इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण दर के परिणामस्वरूप ठेकेदार को 29.80 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जून 2003) कि निविदा दस्तावेज बनाते समय, मुद्रण त्रुटि के कारण, कड़ी चट्टान की संपूर्ण मात्रा " नियंत्रित ब्लास्टिंग से प्रतिबंधित खुदाई " की मद के अंतर्गत ले ली गई थी । उत्तर मान्य नहीं था

क्योंकि ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें बिना ब्लास्टिंग की खुदाई के लिए थीं जो, वास्तव में क्रियान्वित की गई मद पर लागू नहीं थीं । मामले की और संवीक्षा (जनवरी 2004) में प्रकट हुआ कि ठेकेदार ने 4.90 करोड़ रुपये राशि (अगस्त-2003) का कार्य क्रियान्वित करने के बाद छोड़ दिया और उसका अनुबंध शर्त 4.3.3.3 (डेबिटेबिल क्लॉज) के अंतर्गत समाप्त (नवम्बर 2003) कर दिया गया । अधिक भुगतान की वसूली करने की कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी (जनवरी 2004) ।

प्रकरण शासन को जुलाई 2003 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004) ।

4.2.2 मिट्टी-कार्य से संकुचन छूट नहीं घटाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान हुआ

संहतिकरण के जाँच परिणामों की उपेक्षा करते हुए, नहर तटबंध के मिट्टी के कार्य में से, संकुचन-छूट (श्रिन्केज एलाउंस) निर्धारित प्रतिशत से नहीं घटाई गई, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 1.29 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ

आर.डी. (-) 43 मीटर से 12 कि.मी. तक की बरगी दायीं तट नहर (दा.त.न.), जिसकी लागत 64.37 करोड़ रुपये प्राक्कलित की गई थी, के निर्माण का कार्य 24 माह में पूर्ण करने के लिए, एक ठेकेदार को, 2001-02 से 2002-03 के दौरान 4 समूहों में 42.20 करोड़ रुपये (28.09 प्रतिशत से 39.49 प्रतिशत कम) में दिया गया । कार्य प्रगति पर थे तथा मई 2003 तक ठेकेदार को, 22.19 करोड़ रुपये के चल भुगतान किए गए थे । लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नानुसार प्रकट हुआ;

मद की अनुबंधों में निर्धारित नामावली के साथ ही मिट्टी-कार्य की विशिष्टियों में अपेक्षित था कि अनुकूलतम आर्द्रता धारिता (ओ.एम.सी.) पर अधिकतम शुष्क घनत्व (एम.डी.डी.) के 90 प्रतिशत से अन्यून शुष्क घनत्व प्राप्त करने के लिए मिट्टी कार्य का संहतिकरण, शीप फुट रोलर द्वारा किया जाना था । और भी, जबकि मिट्टी कार्य का जल-सिंचन व रोलिंग किया जाता है, मिट्टी-कार्य के समंजन (सेटलमेंट) के लिए 11 प्रतिशत की प्रतिशतता वृद्धि की जानी थी । ठेकेदार को भुगतान करते समय अनुप्रस्थ-काट मापों के आधार पर निकाली गई मिट्टी-कार्य की मात्राएँ 10 प्रतिशत से कम की जावेंगी। यदि माप क्रमशः एक,दो तथा तीन वर्षाकालों के बाद लिए जाते हैं तो प्रतिशतता कटौती क्रमश 50,30 एवं 12.50 प्रतिशत तक और कम हो जाएगी ।

उपरोक्त प्रावधानों के होते हुए भी, विभाग द्वारा, 90 प्रतिशत शुष्क घनत्व प्रदर्शित कर रहे जाँच परिणामों की उपेक्षा करते हुए संकुचन छूट की कटौती नाममात्र की दरों (2 से 4 प्रतिशत) पर की गई। और आगे, अनुवर्ती चल चेयकों में पूर्ववर्ती देयकों से घटाई गई, उपयोग में आई मिट्टी की, मात्रा की उपेक्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 1.29 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता ने अधिक भुगतान स्वीकार किया (सितम्बर 2003)। यद्यपि, इन ठेकेदारों को मई 2003 के बाद 1.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, तथापि अधिक भुगतान की कोई वसूली नहीं की गई थी (जनवरी 2004) ।

प्रकरण जुलाई 2003 में शासन के ध्यान में लाया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004) ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.2.3 स्ट्रेटा के गुप्त एवं विलंबित पुनर्वर्गीकरण के कारण अधिक भुगतान

44107 घनमीटर रेड-बोल जो सही ढंग से वर्गीकृत एवं माध्यस्थम में नरम-चट्टान के रूप में अधिनिर्णित था, बाद में उत्तरवर्ती कार्यपालन यंत्री द्वारा कड़ी चट्टान के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप एक ठेकेदार को 37.05 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ

सागर जल प्रदाय (आवर्धन)योजना का कार्य एक ठेकेदार को 18.10 करोड़ रुपये में, वर्षाकाल सहित 32 माह में पूर्ण करने के लिए, सौंपा गया था (फरवरी 1998) । कार्य अभी प्रगति पर था (अप्रैल 2003) तथा 16.27 करोड़ रुपये के 51 वें चल देयक का भुगतान हो चुका था (अप्रैल 2003) ।

कार्यपालन यंत्री ने, ठेकेदार के अनुरोध, एवं अधीक्षण यंत्री के निर्देश पर 18316.62 घनमीटर नरम चट्टान[1] (रेड-बोल) को कड़ी चट्टान के रूप में, विलंबित रूप से, फरवरी 1999 में पुनर्वर्गीकृत किया तथा एक प्रस्ताव, अनुमोदन हेतु अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत किया । अधीक्षण यंत्री ने यह कहते हुए कि, कार्यपालन यंत्री निर्णय लेने में सक्षम हैं, स्वीकृति प्रदान करने से मना कर दिया (फरवरी 1999) ।

जब लेखापरीक्षा में, विलंबित पुनर्वर्गीकरण के औचित्य के बारे में पूछा गया (जून 1999) तो, कार्यपालन यंत्री ने पुनर्वर्गीकरण को रद्द कर दिया (जुलाई 1999) । नरम चट्टान के रूप में किए गए मूल वर्गीकरण को प्रत्यावर्तित कर दिया और बताया (अप्रैल 2000) कि पुनर्वर्गीकरण के कारण ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया था । तत्पश्चात्, अधीक्षण यंत्री ने भी अपने एक-पक्षीय निर्णय (अक्टूबर 2001) में ठेकेदार के दावे को रद्द कर दिया तथा " रेड-बोल " के नरम चट्टान के रूप में सही वर्गीकरण जिसका ठेकेदार को भुगतान किया गया था, को ही माना ।

तथापि अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 2002) कि 44107 घनमीटर रेड-बोल, जो पूर्ववर्ती कार्यपालन यंत्री द्वारा नरम चट्टान के रूप में सही वर्गीकृत किया गया तथा जिसका 36 रुपये प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया था, उत्तरवर्ती कार्यपालन यंत्री द्वारा बिना किसी औचित्य के कठोर चट्टान के रूप

---

[1] *अनुबंध की शर्त 5.3.5 के अनुसार मृदु चट्टान की परिभाषा है, ऐसे बोल्डर जिनका आयतन 0.5 घनमीटर से अधिक न हो या कोई चट्टान जो खोदी जा सके या नैमित्तिक ब्लास्टिंग सहित, सम्बल से तोड़ी जा सके ।*

में पुनर्वर्गीकृत किया गया(अगस्त 2002) जिसके परिणामस्वरूप, ठेकेदार को 37.05 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2003) । शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार केया (दिसम्बर 2003) तथा बताया कि आवश्यक कार्यवाही अलग से की जा रही है । आगे का घटनाक्रम प्रतीक्षित था (जनवरी 2004) ।

लोक निर्माण विभाग

4.2.4 उचित आयोजना के अभाव में निष्पादित कार्य निष्फल सिद्ध हुआ

अपर्याप्त आयोजना के कारण 24.19 लाख रुपये की लागत से निष्पादित हार्ड शोल्डर का कार्य निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि चौड़ीकरण कार्य के लिए, 5.66 लाख रुपये की लागत से, इसकी पुनः खुदाई करना पड़ी

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 12 के 67/4 से 94 कि.मी. तक सड़क-सतह की गुणवत्ता मे सुधार का कार्य जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.एवं रा.मं.) द्वारा तकनीकी रूप से 3.18 करोड़ रुपये हेतु स्वीकृत (मार्च 2000) था, एक ठेकेदार को ठेके की 2.70 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के विरुद्ध प्रतिशत-दर-निविदा पर दर-अनुसूची (दर-अनुसूची अगस्त 1999) से 0.16 प्रतिशत कम पर दिया गया(जून 2000)। कार्य, 2.88 करोड़ रुपये की लागत, पर 15 मार्च 2001 को पूर्ण किया गया । लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नानुसार प्रकट हुआः

कार्यक्षेत्र में हार्ड शोल्डर का निर्माण सम्मिलित था। जब यह कार्य प्रगति पर था, कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, करेली ने इन्हीं कि.मी. में चौड़ीकरण के कार्य हेतु 6.68 करोड़ रुपये का एक अन्य प्राक्कलन तैयार किया तथा इसे अनुमोदन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किया (फरवरी 2001)। मंत्रालय ने संसूचित किया (मार्च 2001) कि चूंकि चौड़ीकरण का प्राक्कलन सक्रिय विमर्श में था अतः निष्फल व्यय टालने हेतु पूर्व प्राक्कलन में स्वीकृत हार्ड शोल्डर का निर्माण चालू नहीं किया जाना चाहिये ।

कार्यपालन यंत्री 1989 से इस स्थिति से अवगत थे कि सड़क एकल-मार्ग है तथा चौड़ीकरण की आवश्यकता है । अतः, हार्ड शोल्डर के निर्माण सहित, सड़क सतह की गुणवत्ता में सुधार का कार्य तद्नुसार योजनाबद्ध किया जाना चाहिए था । हार्ड शोल्डर के निर्माण पर किया गया 24.19 लाख रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ, क्योंकि एकल मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य हेतु एक अन्य अनुबंध के माध्यम से उसी ठेकेदार द्वारा चौड़ीकरण कार्य के लिए 5.66 लाख रुपये की लागत से इसकी पुनः खुदाई की गई ।

इस प्रकार हार्ड शोल्डर के निर्माण तथा सड़क के चौड़ीकरण के लिए इसकी पुनः खुदाई के परिणामस्वरूप 29.85 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ ।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2002) मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने बताया (जनवरी 2003) कि चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने (मई 2002) के समय तक हार्ड शोल्डर का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका था तथा एकल-मार्ग सड़क पर परिवहन की निरंतरता के लिए हार्ड शोल्डर का निष्पादन आवश्यक था । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यपालन यंत्री तथा अन्य प्राधिकारियो द्वारा हार्ड शोल्डर का निर्माण तथा इसकी पुनः खुदाई पर अतिरिक्त व्यय टालने हेतु सड़क के चौड़ीकरण के पश्चात् ही सड़क-सतह में सुधार के कार्य को योजनाबद्ध किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए था । यह समुचित आयोजना तथा दूरदृष्टि के अभाव का सूचक था ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

4.2.5 मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान

विलोपित की गई मूल्यवृद्धि शर्त को मुख्य अभियन्ता द्वारा अप्राधिकृत तथा अनियमित रूप से पुनर्स्थापित करने के परिणामस्वरूप 27.15 लाख रुपये का अस्वीकार्य भुगतान हुआ

झोतेश्वर (जिला-नरसिंहपुर) में 100 बिस्तर वाले अस्पताल भवन के निर्माण का कार्य, कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर द्वारा ठेकेदार " अ " को दर अनुसूची से 34.27 प्रतिशत अधिक दर पर सौंपा गया (अगस्त 1998) । इस कार्य की प्राक्कलित लागत 87.50 लाख रुपये थी। 10 माह में कार्य की पूर्णता के लिए कार्यादेश 6 अगस्त 1998 को जारी किया गया था । चूंकि कार्य पूर्ण होने की नियत अवधि 12 माह से कम थी, अतः निविदा आमंत्रित (दिसम्बर 1997) तथा स्वीकार (अगस्त 1998) करते समय मूल्यवृद्धि शर्त 11- सी को हटा दिया गया ।

कार्य वास्तव में 3.36 करोड़ रुपये की लागत (सितम्बर 2001) से पच्चीस माह (जुलाई 2001) में पूर्ण हुआ । लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि कार्य की पूर्णता में विलंब मुख्य अभियंता, आर.डी.डी., लो.नि.वि. भोपाल द्वारा रेखांकन एवं रूपांकन के विलंबित अनुमोदन के कारण हुआ, जो ठेकेदार को जुलाई 1999 में ही प्रदान किये जा सके जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध की शर्त 5 के अंतर्गत 30 जुलाई 2001 तक समयवृद्धि प्रदान की गई । मुख्य अभियंता लो.नि.वि. (मध्यक्षेत्र) जबलपुर ने अनुबन्ध की शर्त 11-सी, जो पहले ही हटा दी गई थी, को लागू करते हुए मूल्यवृद्धि के भुगतान की अनुज्ञा दी (14 दिसम्बर 2000) । एक बार शर्त हटा दिये जाने के बाद न तो मुख्य अभियंता न ही शासन इसे लागू करने हेतु सक्षम थे । मुख्य अभियन्ता के इस कार्य से न केवल वैध ठेके की शुचिता प्रभावित हुई बल्कि इसके परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि का 27.15 लाख रुपये का अस्वीकार्य भुगतान भी हुआ ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2002) कार्यपालन यंत्री ने बताया कि मूल्यवृद्धि का भुगतान मुख्य अभियंता के आदेशों के अनुसार किया गया ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

4.2.6 ठेकेदार को अमान्य एवं अधिक भुगतान

बिटुमेन के मूल्य समायोजन का 22.45 लाख रुपये राशि का भुगतान अस्वीकार्य था। टेक कोट का 4.85 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी देखा गया ।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 के किलोमीटर 310 से 314 के डामरीकृत नवीकरण का कार्य, कार्यपालन यंत्री रा.रा संभाग ओबेदुल्लागंज द्वारा एक ठेकेदार को प्रतिशत दर ठेके पर, दर-अनुसूची (दर अनुसूची - अगस्त 1999) से 4.8 प्रतिशत अधिक पर सौंपा गया(जनवरी,2000)। कार्य प्रारंभ करने तथा 31 मार्च 2000 तक पूर्ण करने का आदेश 10 जनवरी 2000 को जारी किया गया । तथापि, ठेकेदार ने बिटुमेन के मूल्य-परिवर्तन के संबंध में अनुबंध में अतिरिक्त शर्त जोड़ने का आग्रह करते हुए कार्य का प्रारंभ 9 माह से अधिक विलंबित किया । ठेका राशि के 0.20 प्रतिशत की दर से दंड आरोपित करते हुए (अगस्त 2001) अधीक्षण यंत्री रा.रा मंडल, भोपाल द्वारा 31 मार्च 2001 तक समयवृद्धि प्रदान की गई (फरवरी 2001) । कार्य, वास्तव में 31 मार्च 2001 को 1.75 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुआ। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकट हुईः

(अ) अनुबंध के भाग के रूप में सन्निहित अतिरिक्त विशेष शर्तों के अनुसार " बिटुमेन के मूल्य में किसी भी परिवर्तन का भुगतान या कटौती, बिटुमेन की सैद्धांतिक खपत के आधार पर किया जायेगा । निविदा तिथि पर प्रचलित दरों एवं अनुबंध में नियत अवधि के दौरान हुए किसी परिवर्तन के आधार पर मूल्य में अंतर निकाला जाना था" । चूंकि कार्य को प्रारंभ और पूर्ण करने में विलंब ठेकेदार पर आरोपणीय था, उसे बिटुमेन का ऐसा कोई मूल्य-परिवर्तन दिया जाना ग्राह्य नहीं था । उपरोक्त के विपरीत, दांडिक शर्त के अधीन समयवृद्धि के बावजूद, ठेकेदार को 22.45 लाख रुपये का मूल्य परिवर्तन स्वीकार किया गया जिसके परिणामस्वरूप अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

(ब) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों में टैक कोट में पेविंग बिटुमेन का उपयोग अप्रैल 1995 से बंद करते हुए प्रावधान है कि टैक कोट में बिटुमिनस इमल्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए । तद्नुसार, अनुबंध के भाग के रूप में निहित नवीकरण कार्य के लिए मदों की अनुसूची में 3.70 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान योग्य बिटुमिनस इमल्शन का 2.5 कि.ग्रा./10 वर्गमीटर की दर से उपयोग कर टैक कोट की मद का प्रावधान था । ठेकेदार को 78642 वर्गमीटर हेतु उपरोक्त दर से भुगतान किया गया । तथापि, अधीक्षण यंत्री द्वारा, शेष 96455 वर्गमीटर के लिए, पेविंग बिटुमेन का उपयोग कर टैक कोट करने हेतु 8.50 रुपये/वर्गमीटर की अतिरिक्त दर स्वीकृत की गयी (फरवरी 2001) ।

पेविंग बिटुमेन का उपयोग कर टैक कोट करना न केवल महंगा और अप्राधिकृत था, वरन विशिष्टियों के प्रतिकूल भी था, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 4.85 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

ये इंगित किये जाने पर (जून 2003) कार्यपालन यंत्री ने स्वीकार किया तथा अंतिम देयक से 22.45 लाख रुपये के अधिक भुगतान की वसूली करने का आश्वासन दिया (जून 2003) । अभी तक (जनवरी 2004) कोई वसूली नहीं की गई है । टैक कोट के बारे में कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2002) कि स्थल-स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधीक्षण यंत्री ने पेविंग बिटुमेन का उपयोग कर टैक कोट करने हेतु अतिरिक्त दरें स्वीकृत की थीं । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं था ।

प्रकरण अगस्त 2002 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

4.2.7 अतिरिक्त मदों के लिए अतिशय उच्च दर की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अधिक भुगतान हुआ ।

अखिल भारतीय मानक दर अनुसूची में निर्धारित मानकों की तुलना में मई 1997 एवं मार्च 1999 में स्वीकृत की गई अतिरिक्त मद की दरें अतिशय उच्च थीं जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को 1.04 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

7.24 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के 800 बिस्तरों वाले संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा के निर्माण का शेष कार्य 30 माह (मई 1997) में पूर्ण करने हेतु 11.85 करोड़ रुपये में मद-दर-निविदा पर सौंपा गया (नवम्बर 1994)। तथापि, कार्य 29.78 करोड़ रुपये की लागत से, जिसमें अनुसूचित कार्य-मदों के 10.86 करोड़ रुपये (36.46 प्रतिशत), कार्य की अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के 16.25 करोड़ रुपये (54.57 प्रतिशत) तथा मूल्य वृद्धि के 2.67 करोड़ रुपये (8.97 प्रतिशत) सम्मिलित थे, मई 2001 में पूर्ण हुआ ।

अनुबंध में, अन्य बातों के साथ ही, प्रावधान था कि कार्य की मदों की 20 प्रतिशत तक अधिक मात्रा निविदत्त दरों पर, तथा 20 से 40 प्रतिशत के मध्य अधिक मात्रा उद्धृत दर से 10 प्रतिशत अधिक पर भुगतान योग्य होगी । बदले गये/ प्रतिस्थापित मदों के लिए अतिरिक्त दरें, ठेके में विनिर्दिष्ट समान कार्य-मदों की दरों से आनुपातिक आधार पर निर्धारित की जानी थीं । तथापि, ठेके में अनुपलब्ध मदों हेतु, अतिरिक्त दरें, राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, जबलपुर की वर्तमान दर-अनुसूची में दी गई दरों में 20 प्रतिशत जोड़कर बनाई जानी थीं । लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान निम्नानुसार प्रकट हुआः

(i) कार्य की कुछ मदों की मात्रायें प्राक्कलित मात्राओं से असामान्य रूप से (360 से 635 प्रतिशत तक) बढ़ गईं जो इंगित करता है कि प्राक्कलन अवास्तविक एवं दोषपूर्ण था ।

(ii) अनुबंध त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसमें 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई मात्राओं के संबंध में दरों के निर्धारण के लिए किसी कार्य प्रणाली का प्रावधान नहीं था । और भी, कि अनुबंध में अतिरिक्त मदों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, जबलपुर की वर्तमान दर अनुसूची का त्रुटिपूर्ण ढंग से उल्लेख किया गया, क्योंकि भवन-कार्यों के लिए वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, जबलपुर की कोई वर्तमान दर अनुसूची नहीं थी ।

(iii) कार्य की प्रतिस्थापित/परिवर्तित मदें वे ही थीं, जो आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई थीं या मदों की नामावली में, छोटे-मोटे बदलाव के साथ संयोजित कर दी गई थीं।

(iv) जहाँ अनुबंध से आनुपातिक आधार पर भी दरें निकाली जा सकती थीं वहीं विभाग ने नये विश्लेषण पर आधारित दरें स्वीकृत करने को वरीयता दी ।

(v) विश्लेषण भी त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि 25 वर्गमीटर क्षेत्र पर प्लास्टर एवं वाटरप्रूफिंग सहित, 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट फ्लोरिंग के लिए अपेक्षित मजदूरों की संख्या, राष्ट्रीय भवन संगटन द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय मानक दर-अनुसूची (अ.भा.मा.द.अ.) में निर्धारित 8.55 मजदूर के विरुद्ध 139 मजदूरों तक, अत्यधिक बढ़ा दी गई थी । इसी प्रकार प्रति 15 घनमीटर आयतन में 1:2:4 के प्रबलित सीमेट कांक्रीट के लिए विश्लेषण में अ.भा.मा.द.अ. में निर्धारित 7.65 मजदूरों के विरुद्ध 142 मजदूर लिए गए ।

(vi) मदें, जिनमें सीमेन्ट की लागत सम्मिलित नहीं थी, हेतु स्वीकृत (मई 1997 एवं मार्च 1999), अतिरिक्त दरें भी दर अनुसूची (नवम्बर 1999) में निर्धारित दरों, जिनमें सीमेन्ट की लागत सम्मिलित थी, की तुलना में अत्यधिक ऊँची थीं ।

इस प्रकार, इन कमियों ने अतिरिक्त दरों की मनमानी स्वीकृति हेतु मार्ग प्रशस्त किया जिसके परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (जुलाई 2002) कार्यपालन यंत्री ने बताया (जुलाई 2002) कि अधीक्षण यंत्री द्वारा अतिरिक्त दरें ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये विश्लेषण के आधार पर स्वीकृत की गई थीं । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दरें, अ.भा.मा.द.अ. में निर्धारित मानक विश्लेषण की तुलना में असामान्य रूप से अधिक थीं ।

प्रकरण अगस्त 2002 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(जनवरी 2004)।

जल संसाधन विभाग

4.2.8 अवमानक तथा दोषपूर्ण सामग्री के क्रय पर निष्फल व्यय

विभाग द्वारा एक विदेशी फर्म से, 58.06 लाख रुपये की लागत से, खरीदे गए डिजिटल जल-स्तर मापक तथा डाटा पुनर्प्राप्ति-सिस्टम दोषपूर्ण तथा कार्यानुपयोगी थे

भू-जल स्तरों के वैज्ञानिक तथा सटीक अध्ययन के उद्देश्य से, 1.23 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत वाले 350 डिजिटल जल स्तर मापक तथा 40 डाटा पुनर्प्राप्ति-सिस्टम

की आपूर्ति, संस्थापन एवं उपार्पण का कार्य एक विदेशी फर्म, जिसका प्रतिनिधि देश में है, को 1.37 करोड़ रुपये में सौंपा गया (अक्टूबर 1999) । अनुबंध अभिलिखित किया गया (दिसम्बर 1999) तथा एक बैंक में, उपरोक्त फर्म के पक्ष में, साख पत्र खोला गया (फरवरी 2000) । आपूर्ति, संस्थापन एवं उपार्पण का कार्य, साख पत्र के खोले जाने की तिथी से 12 सप्ताह (तीन माह) के भीतर पूर्ण होना था ।

एजेन्सी ने मई 2000 में 350 डिजिटल जल-स्तर मापकों की आपूर्ति की, किन्तु 12 सप्ताह की नियत अवधि में एक भी डिजिटल जल स्तर मापक संस्थापित नहीं कर सकी। इसके बावजूद, जुलाई 2000 में, उसी आपूर्तिकर्ता से और 160 डिजिटल जल स्तर मापकों की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध अभिलिखित किया गया । लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नानुसार प्रकट हुआः

(i) 510 डिजिटल जल-स्तर मापकों में से, सितम्बर 2003 तक, केवल 408 डिजिटल जल स्तर मापक ही संस्थापित किये जा सके । इनमें से, कार्यस्थलों पर संस्थापित किए गए, 21.95 लाख रुपये की लागत के, 62 डिजिटल जल स्तर मापक कार्योपयोगी नहीं थे ।

(ii) 36.11 लाख रुपये की लागत के 102 डिजिटल जल-स्तर मापक, दो से तीन वर्षों से अधिक से भंडार में पड़े थे । संस्थापन के लिए सामग्री स्वीकारते समय विभाग परीक्षण कराने में असफल रहा । परिणामस्वरूप 73 जल-स्तर मापक दोषपूर्ण पाये गये तथा शेष 29 जल-स्तर मापक संस्थापित नहीं किये जा सके क्योंकि विभाग, आपूर्तिकर्ता को डिजिटल जल-स्तर मापक के संस्थापन के लिए कार्यस्थल उपलब्ध नहीं करा सका ।

(iii) विदेशी फर्म का भारतीय प्रतिनिधि, कई अनुरोधों के बाद भी दोषपूर्ण तथा कार्यानुपयोगी डिजिटल जल-स्तर मापकों को बदलने में असफल रहा । यद्यपि आपूर्ति की गारंटी अवधि (पोत-लदान की तिथि से 18 माह या विभाग द्वारा पावती की तिथि से 12 माह, जो भी पहले हो) पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथापि, विभाग, अनुबंध की गारंटी की शर्त लागू करने में असफल रहा ।

(iv) अनुबंध की शर्तों के अनुसार संस्थापन तथा उपार्पण में असाधारण विलंब के लिए ठेके की राशि के 10 प्रतिशत की दर से 13.70 लाख रुपये की परिसमापन हानियाँ (लिक्विडेटेड डैमेजेज) वसूली योग्य थीं । वरिष्ठ भू-जलविद्, भू-जल सर्वेक्षण (जी.डब्लु.एस.) इकाई, उज्जैन ने उत्तर दिया (जुलाई 2003) कि विभाग ने 70 प्रतिशत भुगतान किया है; परिसमापन हानियाँ, ठेके के अंतिम समायोजन के समय आरोपित की जायेंगी । तथापि, वसूली के लिए अब तक कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी ।

इस प्रकार कार्यानुपयोगी (62) तथा असंस्थापित (73 दोषपूर्ण एवं 29 कार्यस्थल की प्रत्याशा में) डिजिटल जल स्तर मापकों के कारण 58.06 लाख रुपये की निधियाँ अवरुद्ध होने के साथ ही, परियोजना का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका ।

प्रकरण, अप्रैल 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

4.3 संविदागत दायित्व का उल्लंघन/ठेकेदार पर अनुचित अनुग्रह

लोक निर्माण विभाग

4.3.1 निविदाओं तथा लिखित अनुबंध के बिना कार्य सौंपना --अनियमित तथा अनधिकृत व्यय

नियमावली तथा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, निविदा आमंत्रण एवं लिखित अनुबंध के बिना कार्य सौपें जाने के कारण 1.08 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान हुआ

मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली में प्रावधान है कि 15000 रुपये से अधिक मूल्य के सभी संविदात्मक कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए एवं एक लिखित अनुबंध मानक प्रपत्रों पर निष्पादित किया जाना चाहिए । यह भी, कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा-10 के अनुसार मात्र वे ही अनुबंध विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जो लिखित में किए जाते हैं तथा गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित होते हैं ।

नियमावली एवं अधिनियम के प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए, कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग-1 इंदौर ने " मनोरमा राजे क्षय रोग चिकित्सालय इन्दौर, में चेस्ट सेंटर का निर्माण " का कार्य बिना निविदाएं आमंत्रित किए 2.50 करोड़ रुपये में, एक ठेकेदार, जिसके साथ " राउ, जिला इंदौर में क्षय रोग सेनेटेरियम का निर्माण" के एक अन्य कार्य के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया था (अप्रैल 2000) जो उच्च न्यायालय की इंदौर खण्ड-पीठ के स्थगन आदेश (जून 2000) के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका था, को सौंप दिया (फरवरी 2001) । यद्यपि, चेस्ट सेंटर का कार्य, मूलतः अनुबंधित कार्य की तुलना में भिन्न परिमाण वाला तथा भिन्न कार्यस्थल पर था, तथापि न तो नया अनुबंध अभिलिखित किया गया न ही सक्षम अधिकारी द्वारा मूल अनुबंध में अनुपूरक अनुसूची अनुमोदित की गई । ठेकेदार ने, 1.08 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य निष्पादित करने के बाद इसे छोड़ दिया (फरवरी 2002) ।

विधिसम्मत एवं वैध लिखित अनुबंध के अभाव में, विभाग दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका । इस प्रकार, 1.08 करोड़ रुपये का संपूर्ण व्यय अनियमित तथा अनधिकृत था ।

प्रकरण अप्रैल 2002 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

4.3.2 एक मुश्त ठेके के विरुद्ध अनियमित भुगतान

47.87 लाख रुपये के एक मुश्त ठेके पर लगाए गए एक पर्यवेक्षण सलाहकार को अनधिकृत रूप से 79.99 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया ।

रीवा में, 800 बिस्तर वाले संजय गाँधी स्मृति चिकित्सालय भवन का निर्माण अक्टूबर 1994 में प्रारम्भ किया गया ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा, उपरोक्त कार्य के पर्यवेक्षण-परामर्श के लिए एक अलग निविदा को अंतिम रूप दिया गया (दिसम्बर 1997) । कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग-2 रीवा द्वारा पर्यवेक्षण सलाहकार से, 47.87 लाख रुपये का एक एकमुश्त अनुबंध, 16 माह की नियत पूर्णता अवधि सहित निष्पादित किया गया(फरवरी 1998)। ठेके में सांक्षेपिक एक मुश्त मूल्य के भुगतान की अधिकतम सीमाएँ निम्नानुसार नियत थीं ।

(लाख रुपये में)

मूल सेवाओं के लिए पारिश्रमिक	35.00
जेब से किया गया व्यय	9.05
कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत	0.75
विविध व्यय	3.08
योग	47.87[2]

सेवाओं के विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र के बाहर के कार्यों हेतु निर्धारित अधिकतम सीमाओं से अधिक कोई अतिरिक्त भुगतान, अलग से लिखित अनुबंधों के निष्पादन करने पर ही स्वीकार्य थे । यह भी, कि ठेके में विनिर्दिष्ट था कि सलाहकार लागू कानूनों के अंर्तगत वसूली योग्य सभी करों, शुल्क, फीस तथा अन्य अधिरोपणों हेतु देनदार था ।

तथापि, चूंकि मुख्य भवन कार्य तथा चिकित्सा उपकरण इत्यादि का संस्थापन 16 माह के भीतर पूर्ण नहीं किए जा सके थे, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, कार्य के विस्तारित कार्य क्षेत्र के लिए कोई नया अनुबंध किए बिना पर्यवेक्षण सलाहकार की ठेका अवधि (जून 2001) तक एक पक्षीय रूप से बढ़ा दी (नवम्बर तथा मई 2001)।

जैसा कि ठेके में अनुबंधित था, बिना नया ठेका किए सलाहकार को, 47.87 लाख रुपये की एक मुश्त ठेका राशि के विरुद्ध आनुपातिक आधार पर 1.28 करोड़ रुपये का चल भुगतान अनियमित रूप से किया गया (अगस्त 2001) । 79.99 लाख रुपये के अतिरिक्त अनधिकृत भुगतानों में, ठेके में विशिष्ट अनुबंध-शर्त के होते हुए भी, ठेकेदार की सेवा-कर देनदारियों के 6.09 लाख रुपये भी सम्मिलित थे ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जुलाई 2002) कि, चूंकि कार्य 16 माह में पूर्ण नहीं हो सका था, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत

---

[2] *विश्लेषित आंकड़ों का योग 47.88 लाख रुपये के स्थान पर 47.87 लाख रुपये दर्शाया गया है, जैसा कि अनुबंध में अपनाया गया है ।*

समय-वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 16 माह के बाद का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया गया ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 16 माह के बाद के लिए समय-वृद्धि प्रदान करते समय, शासन द्वारा सलाहकार को कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकृत नहीं किया गया था। सलाहकार से हुए ठेके की प्रकृति, आनुपातिक आधार पर पुनरावृत्ति योग्य नहीं थी ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2003); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004) ।

4.4 परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय

सहकारिता विभाग

4.4.1 अप्रयुक्त ऋण पर परिहार्य ब्याज देयता

7.67 करोड़ रुपये के ऋण का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप ब्याज की 3.79 करोड़ रुपये की परिहार्य अतिरिक्त देयता में वृद्धि हुई ।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने कृषि उत्पादों की विपणन गतिविधियों में विकास के लिए मार्कफेड*, भोपाल द्वारा उपयोग के लिए राज्य सरकार को 7.67 करोड़ रुपये का एक सीमान्त धन ऋण संस्वीकृत एवं विमोचित किया (फरवरी-मार्च 1999) । ऋण का भुगतान 16.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में किया जाना था । भुगतान न करने पर 2.50 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज का भुगतान भी करना था ।

पंजीयक, सहकारी समिति के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2002) से प्रकट हुआ कि यद्यपि ऋण राशि मार्च 1999 में प्राप्त हो गई थी तथापि सरकार ने आगे एक वर्ष बाद मार्च 2000 में इसे मार्कफेड हेतु संस्वीकृत किया । उसके बाद भी ऋण सिविल निक्षेप के अंतर्गत रखा गया ।

अगस्त 2000 में जब राशि अंतिम रूप से मार्कफेड को विमोचत की गई तब मार्कफेड ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसी बीच राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की ब्याज दर 16 अगस्त 2000 से कम हो कर 14 प्रतिशत रह गई थी । मार्कफेड ने पंजीयक सहकारी समिति से भी ब्याज दर 14 प्रतिशत तक कम करने का अनुरोध किया (नवम्बर 2000) । अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया और राशि जून 2003 तक सिविल निक्षेप में अप्रयुक्त पड़ी रही ।

विलंबित विमोचन के कारण ऋण स्वीकार करने से मार्कफेड के इंकार के परिणामस्वरूप राज्य सरकार भी अपनी विपणन गतिविधियों जिनके लिए ऋण प्राप्त किया गया था, विकसित करने में विलंब के अतिरिक्त मई 2003 तक 19.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष (ब्याज धन दाण्डिक ब्याज) की दर से ब्याज के 6.15 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए

मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ

उत्तरदायी बन गई । सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2003) की राशि सरकार के पास सिविल निक्षेप में रही और यदि सरकार को बाजार से समान राशि उधार लेनी पड़ती तो उसने ब्याज के रूप में अधिक राशि का भुगतान किया होता । सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकार ने ब्याज के भार के 2.36 करोड़ रुपये बचाए होते यदि उसने भारतीय रिजर्व बैंक से 7.67 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिमों का लाभ उठाया होता ।

सामान्य प्रशासन विभाग

4.4.2 मुख्यमंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान की स्वीकृति

निर्धारित मानों तथा वास्तविकताओं का पालन किए बिना 2969 प्रकरणों में 8.09 करोड़ रुपये के विवेकाधीन अनुदान संस्वीकृत किए गए । निर्धारित धन संबंधी परिसीमन से 5.52 करोड़ रुपये अधिक संस्वीकृत किए गए और संस्वीकृत 14.52 करोड़ रुपये के कुल अनुदान में से 14.48 करोड़ रुपये के व्यय के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए ।

मई 1982 में वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका के अधीन जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री द्वारा संस्थाओं/व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले विवेकाधीन अनुदानों की संस्वीकृति के लिए लक्ष्य, उद्देश्य तथा वित्तीय शक्तियों की सीमा का विनियमन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि एक वर्ष में अनुदान की कुल राशि 2 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 1998-99 के लिए 1 करोड़ रुपये) तक सीमित होगी और एक प्रकरण में अनुदान 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए । अनुदान सार्वजनिक उद्देश्यों तथा लोकहित में अपने विवेक के अनुसार संस्वीकृत किया जा सकता है यथा चिकित्सीय उपचार, शिक्षा के लिये व्यक्ति को, ईमानदारी तथा बहादुरी के लिए पुरस्कार के रूप में, गुणोत्कृष्ट एवं निर्धन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, विधवा की पुत्री के विवाह एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों, अनाथ/विकलांग व्यक्तियों और राजनीतिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के संस्थानों को छोड़ कर संस्थानों को आर्थिक सहायता ।

1998-2003 के दौरान 22931 हितग्राहियों को समाविष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 14.52 करोड़ रुपये का विवेकाधीन अनुदान संस्वीकृत किया:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	निर्धारित वार्षिक परिसीमन	आवंटन	व्यय	संस्वीकृतियों की संख्या	हितग्राहियों की संख्या	परिसीमन की तुलना में अधिक व्यय (कोष्टक में प्रतिशत)
1998-99	100.000	310.00	306.795	14	917	206.795 (207)
1999-00	200.000	200.00	199.990	13	640	--
2000-01	200.000	225.00	225.00	24	1072	25.000 (12)
2001-02	200.000	200.00	188.817	129	7581	--
2002-03	200.000	530.983	530.983	131	12721	330.983 (165)
योग	**900.000**	**1465.983**	**1451.585**	**311**	**22931**	**562.778 (113)**

निर्धारित परिसीमन का उल्लंघन करके 5.52 करोड़ रुपये अधिक का अनुदान संस्वीकृत किया गया ।

1998-2003 के दौरान विमोचित वैयक्तिक संस्वीकृतियों की संवीक्षा से निम्नांकित अनियमितताएं प्रकट हुईं:

(क) विज्ञप्ति में यह प्रावधान था कि अनुदान केवल उन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही संस्वीकृत किया जाय जिनके लिए राज्य राजस्व में से व्यय किया जा सकता था और विशेष रूप में राज्य के बाहर स्थित व्यक्तियों/संस्थाओं को अनुदान विमोचित न करने का प्रावधन किया गया है । तथापि यह पाया गया है कि 22 प्रकरणों में 1998-2003 में मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्तियों/संस्थाओं को कुल 46.34 लाख रुपये के अनुदान संस्वीकृत किये गये । ब्यौरा ***परिशिष्ट-XLV*** में दिया गया है । इन प्रकरणों में यह प्रत्याशा की गई थी कि अपेक्षाकृत व्यापक लोकहित के उद्देश्यों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, भूकम्प, बाढ़ अथवा परिसंपत्तियों की हानि आदि पर विजय पाने के लिए राज्य के बाहर आर्थिक सहायता दी जायगी तथापि यह पाया गया कि अत्यंत सीमित लोकहित के लिए व्यक्तियों तथा संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी ।

(ख) विज्ञप्ति में यह भी प्रावधान था कि किसी भी एकल प्रकरण में मुख्यमंत्री द्वारा संस्वीकृत राशि एक वर्ष में 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी तथापि यह पाया गया कि ***परिशिष्ट-XLVI*** में उल्लिखित 10 प्रकरणों में 48.90 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था । संस्वीकृत अधिक राशि 28.90 लाख रुपये परिगणित की गई ।

(ग) विज्ञप्ति में धार्मिक तथा राजनीतिक प्रकृति की संस्थाओं को अनुदान की स्वीकृति विशेष रूप से वर्जित है तथापि 2891 प्रकरणों में धार्मिक कार्यों उदाहरणार्थ मंदिर अथवा मस्जिद के निर्माण/नवीनीकरण, जाति आधारित सामुदायिक कक्षों एवं धर्मशालाओं के लिए 7.15 करोड़ रुपये के कुल अनुदान संस्वीकृत किए गए थे । विवरण ***परिशिष्ट- XLVII*** में दिया गया है ।

(घ) विज्ञप्ति में यह भी प्रावधान है कि अनुदान विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही संस्वीकृत किया जाय तथापि 45 प्रकरणों में अनुदान का उद्देश्य अंकित किए बिना आर्थिक सहायता के रूप में 17.10 लाख रुपये (1998-99:13.35 लाख रुपये एवं 1999-2000:3.75 लाख रुपये) का कुल अनुदान संस्वीकृत किया गया ।

उपरोक्त अनियमितताओं का उल्लेख किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने उत्तर दिया(अप्रैल 2003) कि नियम मुख्यमंत्री को नियमों में ढील देकर अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार देते हैं और मुख्यमंत्री ने विज्ञप्ति को समर्थ बनाने वाले प्रावधानों के अधीन ही अपने विवेक से अनुदान संस्वीकृत किए थे ।

विभाग का उत्तर मान्य करने योग्य नहीं है क्योंकि उद्देश्यों तथा निर्धारित मानकों का अनुपालन न होने के कारण नियमों में स्पष्ट उल्लंघन है । इसके अतिरिक्त विज्ञप्ति के प्रावधानों में 14.52 करोड़ रुपये के कुल विमोचन में से 8.09 करोड़ रुपये के विमोचन में नेत्यक ढंग से ढील दी गई थी, अपवाद के रूप में नहीं, इसलिए उसे अपवाद के रूप में नहीं लिया जा सकता ।

यह भी कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों के माध्यम से उन आदाताओं को संवितरित किए जाने थे जिन्हें मुख्य लेखा अधिकारी को आदाता की टिकिट लगी पावती के साथ उपयोग प्रमाणपत्र भेजना अपेक्षित था ।

1998-2003 के दौरान संस्वीकृत अनुदानों की तुलना में आदाता की टिकट लगी पावतियों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत अनुदानों की राशि	प्राप्त आदाता की टिकट लगी पावतियां	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र(वापस की गई राशियों सहित)	
			प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र	वापस की गई राशि
1998-99	306.795	11.80	2.14	0.86
1999-2000	199.990	2.95	0.50	--
2000-01	225.00	5.50	--	0.05
2001-02	188.817	15.525	--	0.25
2002-03	530.983	3.07	--	0.13
योग	**1451.585**	**38.845**	**2.64**	**1.29**

इस प्रकार 14.11 करोड़ रुपये एवं 14.48 करोड़ रुपये के लिए क्रमशः आदाता की टिकट लगी पावती एवं उपयोग प्रमाणपत्र प्रतीक्षित हैं । लेखापरीक्षा अधिकारी वल्लभ भवन ने सूचित किया(जनवरी 2003 एवं दिसंबर 2003) कि जिलाध्यक्षों को प्रतीक्षित आदाताओं की टिक्ट लगी पावतियां तथा उपयोग प्रमाणपत्रों के लिए स्मरण कराया गया है । आदाता की टिकट लगी पावतियों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि राशियां वस्तुतः वांछित आदाताओं को संवितरित की गई थीं और उनका उपयोग भी वांछित उद्देश्य के लिए किया गया था ।

अनियमितताओं का उल्लेख करने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने उत्तर दिया(अप्रैल 2003) कि जहां पर भी निर्धारित वार्षिक परिसीमन से संस्वीकृतियां अधिक हो गईं, वहां पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से अतिरिक्त निधियों का संवर्धन किया गया और कोई अधिक व्यय नहीं किया गया तथापि यह तथ्य बना रहा कि निर्धारित परिसीमन से किया अधिक व्यय न केवल अनियमित था अपितु अधिकांश प्रकरणों में वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जिसके लिए योजना संस्वीकृत की गई थी ।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

4.4.3 सेतु निर्माण कार्य विलंब से पूरा होने के परिणामस्वरूप अनधिकृत भुगतान के अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

रेतघाट-लालघटी उच्च स्तरीय सेतु के निर्माण के लिए कम लागत वाली निविदा पर विचार न करने और अत्यावश्यकता के आधार पर असामान्य रूप से उच्च लागत पर निर्माण कार्य पुनः प्रदान करने का उद्देश्य, 34 माहों में विलंब के कारण विफल हो गया । इसके अतिरिक्त 47.07 लाख रुपये का मूल्य वृद्धि का अनियमित भुगतान भी हुआ ।

रेतघाट-लालघाटी रोड पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य बरसात सहित 18 माहों (अप्रैल 1998) में पूर्ण करने के लिए एक ठेकेदार को 9.20 करोड़ रुपये के एकमुश्त ठेके पर प्रदान किया गया(नवम्बर 1996) । तथापि ठेकेदार 34 माहों के उपरांत नवम्बर 1999 में निर्माण कार्य वस्तुतः पूरा कर सका और उसे फरवरी 2002 में 10.22 करोड़ रुपये के अंतिम बिल का भुगतान किया गया ।

31 मार्च 1998 को समाप्य वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन क्रमांक 3 (सिविल) की कंडिका 5.2 में उल्लेख किया गया था कि अगस्त 1995 में स्वीकार किया गया 5.99 करोड़ रुपये के लिए एक ठेकेदार का न्यूनतम प्रस्ताव बाद में अत्यावश्यकता के आधार पर सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया(सितंबर 1995)। तत्पश्चात (नवम्बर 1996) 9.20 करोड़ रुपये हेतु एक असामान्य रूप से उच्च दर वाली निविदा पूरा करने की अवधि 18 माह तक कम करके स्वीकार की गई(मूल 30 माहों के विरुद्ध) परिणामस्वरूप लागत में 3.21 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । इस प्रकार अत्यावश्यता के आधार पर 12 माहों की पूर्णता अवधि में कमी दूसरे ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रदान करने में 15 माहों के विलंब के कारण अर्थहीन हो गई । असामान्य रूप से उच्च दर वाली निविदा का यथार्थ उद्देश्य द्वितीय ठेकेदार द्वारा भी 19 माहों के विलंब के कारण विफल हो गया ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नांकित और भी विसंगतियां पाई गईं (जनवरी 2002) ।

(क) ठेके के ठहराव 1.13 के अनुसार कार्यपालन यंत्री मूल्य वृद्धि के बिना समय वृद्धि देने हेतु सक्षम है तथापि ठहराव 2.33 के अधीन मूल्य वृद्धि के भुगतान के उद्देश्य हेतु केवल अधीक्षण यंत्री निर्दिष्ट 18 माह से आगे की कार्यशील अवधि में वृद्धि करने में सक्षम होता है ।

तथापि यह पाया गया कि 452 (5 अप्रैल 1998 से 30 जून 1999) के लिए प्रथम समयवृद्धि अधीक्षण यंत्री ने अनुबंध के ठहराव 5 का संदर्भ देते हुए दी जिसका कोई अस्तित्व नहीं था । 148 दिनो (1 जुलाई 1999 से 25 नवम्बर 1999) हेतु द्वितीय समयवृद्धि कार्यपालन यंत्री ने कुछ पायों(पीयर्स) जो अनुबंध ठहराव के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रासंगिक थे, की अपेक्षाकृत गहरी नीव के आधार पर ठहराव 1.13 के अधीन विलंब से दी गई (फरवरी 2002) । न तो आधार और न कार्यपालन यंत्री की

सक्षमता ही मूल्य वृद्धि के भुगतान के लिए समय वृद्धि हेतु अर्हक थी क्योंकि विलंबित समय वृद्धि निर्माण पूरा करने के लिए दी गई थी और उसका मूल्य वृद्धि से कोई संबंध नहीं था । इन विसंगतियों के बावजूद ठेकेदार को बढ़ी हुई अवधि के दौरान 47.07[3] लाख रुपये की मूल्य वृद्धि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया ।

इसका उल्लेख करने पर (जनवरी 2002) भवन नियंत्रक ने मूल्य वृद्धि का भुगतान उचित ठहराया और सूचित किया(जनवरी 2002) कि विलंब का कारण विभाग द्वारा गणन जैसे हाईटेन्शन लाइन हटाना, निष्पादन के दौरान श्रमिक की मृत्यु, पीयर्स की गहराई आदि बताया जिसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी नहीं था इसलिए मूल्य वृद्धि का भुगतान उचित था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने निर्माण कार्य की अत्यावश्यकता के तर्क पर उच्च दर वाली निविदा स्वीकार की थी जिसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि विभाग विलंब के लिए स्वयं दोषी था और उसके लिए उसे ठेकेदार को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा ।

प्रकरण की सूचना सरकार को जून 2003 में दी गई, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ(जनवरी 2004) ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भोपाल गैस दुर्घटना और पुनर्वास विभाग

4.4.4 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय

संविदा मांग के दोषपूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभार पर 2.31 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय

गैस राहत विभाग भोपाल के कमला नेहरु अस्पताल ने जनवरी 2000 से भोपाल गैस दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सा परिचर्या देना आरंभ किया था जिसे पूर्व में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन हमीदिया अस्पताल द्वारा किया जा रहा था । अधीक्षक हमीदिया अस्पताल ने 556 के.बी.ए. प्रतिमाह की आपूर्ति के लिए मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के साथ एक अनुबंध (अगस्त 1995) किया था और बिल उपभोक्ता की वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग के 75 प्रतिशत जो भी माह के दौरान अधिक हो के आधार पर भुगतान करने थे ।

अधीक्षक कमला नेहरु अस्पताल के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2002) और जून 2002 एवं अगस्त 2003 में संग्रहीत जानकारी से प्रकट हुआ कि अधीक्षक, हमीदिया अस्पताल ने वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना कमला नेहरु अस्पताल की आवश्यकता समाविष्ट करके जनवरी 2000 से 2223 के.बी.ए. के लिए एक पुनरीक्षित

---

[3] 74-28 रुपये(-)(13.95/462.73X920=47.07 लाख रुपये।
अप्रैल 1998 तक किये गये निर्माण कार्य का मूल्य 462.73 लाख रुपये।
अप्रैल 1998 तक किया गया मूल्य वृद्धि भुगतान 13.95 लाख रुपये।
निर्माण कार्य की स्वीकार्य मूल्य वृद्धि संपूर्ण मूल्य=920X 13.95/462.73=27.71 लाख रुपये।
वस्तुतः प्रदत्त मूल्य वृद्धि 74.28 लाख रुपये।

अनुबंध किया(मार्च 1999) तथापि जनवरी 2000 से अगस्त 2003 के दौरान वास्तविक विद्युत खपत केवल 216 के.बी.ए. एवं 744 के.बी.ए. के मध्य थी । मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल ने उस अवधि के लिए 1667 के.बी.ए. के आधार पर 2.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की और हमीदिया अस्पताल(1.31 करोड़ रुपये) तथा कमला नेहरू अस्पताल (1 करोड रुपये) ने नवम्बर 2001 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 55:45 के अनुपात में भुगतान कर दिया ।

इसका उल्लेख करने पर अधीक्षक, कमला नेहरू अस्पताल ने फरवरी-जून 2002 में सूचित किया कि हाई टेन्शन कनेक्शन के लिए अनुबंध कमला नेहरू अस्पताल की स्थापना से पूर्व निष्पादित किया गया था और अनुबंध संशोधित करने की कार्यवाही वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण और उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत की जायगी । मध्यप्रदेश सरकार (भोपाल गैस दुर्घटना तथा पुनर्वास विभाग) ने अक्टूबर 2003 में उत्तर दिया कि चूक के लिए अधीक्षक, हमीदिया अस्पताल भोपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ प्रकरण पर कार्यवाही की गई है (मई 2003) तथापि अब तक मांग के पुनरीक्षण तथा पृथक से कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है(अक्टूबर 2003)।

जुलाई 2003 तक 2.31 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का परिहार किया जा सकता था यदि कमला नेहरू अस्पताल द्वारा 2223 के.बी.ए. की संविदा मांग के पुनरीक्षण के लिए अनुबंध करने से पूर्व वास्तविक विद्युत खपत का सम्यक रूप से अनुमान लगा लिया गया होता अथवा कमला नेहरू अस्पताल द्वारा अपनी आवश्यकता का निर्धारण करने के पश्चात एक पृथक कनेक्शन लिया गया होता । अतिरिक्त दायित्व में उस समय तक वृद्धि होती रहेगी जब तक कि दोष निवारक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

प्रकरण की सूचना चिकित्सा शिक्षा विभाग को सितंबर 2003 में दी गई, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2003) ।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.4.5 समतलीकरण कोर्स के त्रुटिपूर्ण प्रावधान के कारण परिहार्य लागत

दो सड़कों के नये चौड़ीकृत ग्रेनुलर भाग पर प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के अनपेक्षित निष्पादन के फलस्वरूप 64.61 लाख रुपये की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई ।

दो सड़कों (अंजड़-ठीकरी सड़क एवं कुक्षी-सिंधाना सड़क) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य दो ठेकेदारों, अ एवं ब को कुल 7.59 करोड़ रुपये की लागत पर सौंपा गया ।

स.प.एवं रा. मं. की विशिष्टि की धारा 501 के अनुसार, विद्यमान पेवमेन्ट प्रोफाइल, जो या तो विरूपित हो गया हो या जिसे नया आकार दिया जाना हो, को सुधारने के लिए प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स, अनिवार्यतः एक पेवमेंट बेस मटेरियल कोर्स है । यह भी

कि प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स उसी परत के समान विशिष्टि का होना चाहिए जिस पर इसे बिछाया जाना हो ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि अनुबंध में संपूर्ण सड़क-मार्ग (कैरिजवे) में 50 मि.मी. की निर्दिष्ट मोटाई से 15260 घनमीटर प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स का प्रावधान था। इसमें से सड़क के 180480 (86400+94080) वर्ग मीटर क्षेत्र वाले नये चौड़ीकृत ग्रेनुलर भाग पर 2 मीटर के चौड़ीकृत भाग में, अनावश्यक रूप से 8720 घनमीटर प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स बिटुमिनस सामग्री से किया गया। यह स.प.एवं रा. मं. की विशिष्टियों के अनुसारं आवश्यक नहीं था, जिसके फलस्वरूप निष्पादित किए गए एवं ठेकेदार को गत देयक तक भुगतान किए गये कार्य पर 64.61 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2003), मुख्य अभियंता नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2003) कि स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स, समतलीकरण कोर्स के रूप में किया गया तथा सड़क-मार्ग की संपूर्ण चौड़ाई पर प्रोफाइल सुधारने हेतु प्रयुक्त किया गया ।

शासन, जिसे प्रकरण प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2003 एवं जून 2003) ने मुख्य अभियंता के उत्तर की पुष्टि की । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह स.प.एवं रा. मं. की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था, जिसके अनुसार प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स, अनिवार्यतः, विद्यमान प्रोफाइल, जो विरूपित हो चुका हो या जिसे नया आकार दिया जाना हो, को सुधारने हेतु है । यह नव-निर्मित सड़क को सुदृढ़ करने हेतु नहीं है । चौड़ीकृत भाग में, नवनिर्मित डब्लू.बी.एम. का, विद्यमान सड़क-मार्ग में प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स, के संरेखण एवं ढालों (लाइन्स एवं ग्रेड्स) के साथ समक्रमण रखने (सिन्क्रोनाइज) हेतु समतलन किया जाना चाहिए था । इस प्रकार, प्राक्कलन में ही, नवनिर्मित डब्लू.बी.एम. पर प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स का प्रावधान त्रुटिपूर्ण था ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.4.6 मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्न का अधिक वितरण

मध्याह्न भोजन योजना 2001-02 के अधीन 60.41 लाख रुपये मूल्य के 7279 क्विंटल खाद्यान्न का अधिक वितरण पाया गया ।

भारत सरकार ने प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थियों हेतु पोषाहार सहायता योजना, जो सामान्यतः मध्याह्न भोजन के नाम से जानी जाने वाली योजना है अगस्त 1995 में आरंभ की थी ।

योजना में सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी समाविष्ट हैं । योजना के अनुसार पका हुआ गरम भोजन उपलब्ध न कराने वाले विद्यालयों में 200 शालेय दिवसों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति शर्त पर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 3 किलोग्राम

की दर पर अनाज का वितरण किया जाना था । इसे प्राप्त करने की पात्रता एक शिक्षावर्ष के दौरान 10 माह (जुलाई से अप्रैल) के लिए थी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2003) से प्रकट हुआ कि अगस्त 2001 से मार्च 2002 के दौरान सामुदायिक विकास खण्डों के अंतर्गत कार्यरत विद्यालयों हेतु 24844 क्विंटल खाद्यान्न की अभिवांछित ग्राह्य मात्रा की तुलना में सामुदायिक विकासखंडों द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में 828134 विद्यार्थियों को वितरित की गई सूचित मात्रा 32123 क्विंटल थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट-XLVIII*** में दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप 60.41 लाख रुपए मूल्य के 7279 क्विंटल खाद्यान्न का अधिक वितरण किया गया ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया(जून 2003) कि राज्य सरकार के जनवरी 1998 के आदेशों के अनुसार अनाज का वितरण किया गया । उत्तर सुसंगत एवं मानने योग्य नहीं है क्योंकि इन आदेशों में मूल योजना की परिकल्पनानुसार केवल 3 किलोग्राम प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर पर वितरण का प्रावधान था ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.4.7 अधिक महंगे सीमेंट कांक्रीट मिश्रण के प्रावधान पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

पाइप लाइन बिछाने में अधिक महंगे एम-15 ग्रेड शक्ति वाले सीमेन्ट मिश्रण के फलस्वरूप 27.13 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ

विभिन्न व्यास की पाईप-लाईनों के बिछाने, जोड़ने एवं उपार्पण के 1.35 करोड़ रुपये की लागत पर प्राक्कलित सिविल कार्य 13 प्रतिशत दर-ठेकों पर 2 ठेकों मे लो.नि.वि.द.अ. (अप्रैल 1993) से 94.4 से 97 प्रतिशत अधिक पर तथा शेष 11 ठेकों में द.अ. (जनवरी 2000) से 59 से 75 प्रतिशत अधिक पर सौंपे गये (1999-2000-01) । अनुबंध में अन्य बातों के साथ ही प्लिंथ एवं नीव में 2826.662 घनमीटर हेतु 20 मि.मी. गिट्टी का उपयोग करते हुए एम-15 सीमेंट कांक्रीट मिश्रण की एक मद सम्मिलित थी ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि एम-15 सीमेंट क्रांक्रीट की मात्रा असामान्य रूप से 9368.90 घन मीटर तक बढ़ गई । इस कुल मात्रा में से 5854.80 घनमीटर नदी/नाला भाग में, 1353.60 घनमीटर सड़क क्रॉसिंग में तथा 2159.18 घनमीटर पाईप पर आवरण चढ़ाने के लिए उपयोग की गई । जहाँ प्रबलित सीमेंट कांक्रीट के पृष्ठ अवलंब (सेडिल सपोर्ट) एवं स्थिरक (एन्करेज), कम शक्ति के एम-10 श्रेणी के कांक्रीट द्वारा बनाये जा सकते थे। कार्यपालन यंत्री फ्लोरोसिस नियंत्रण परियोजना संभाग अलीराजपुर ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अविवेकपूर्ण ढंग से एम-15 श्रेणी के महंगे सीमेंट कांक्रीट मिश्रण का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप 27.13 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

इसे इंगित किये जाने पर मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंदौर परिक्षेत्र इंदौर ने स्वीकार किया (जुलाई 2003) कि कम शक्ति के कांक्रीट से उद्देश्य पूर्ण हो सकता था एवं लेखापरीक्षा से सहमत हुए कि निष्पादन से पूर्व आकलन तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये जाने चाहिए थे ।

प्रकरण मई 2002 में शासन को प्रतिवेदित किया गया, शासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2003) तथा बताया कि अतिरिक्त लागत के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है ।

जनसंपर्क विभाग

4.4.8 नवीन अभिकरणों तथा पत्रिकाओं को अनुचित वित्तीय सहायता

समाचार पत्रों द्वारा वेज बोर्ड की अनुशंसा का यथावांछित कार्यान्वयन सुनिश्चित किये बिना विज्ञापन के बिलों का भुगतान करने के परिणामस्वरूप 32 समाचार पत्रों को 1.53 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा जनसंपर्क विभाग में मार्च 1997 में जारी की गई राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जिन समाचार पत्रों ने समाचारपत्रों के पत्रकारों एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतनों को निश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त वेतनबोर्ड की अनुशंसा क्रियान्वित नहीं की थीं, ऐसे समाचार पत्रों के विज्ञापन देयताओं में से 15 प्रतिशत की कटौती की जानी थी ।

आयुक्त जनसंपर्क (आयुक्त) के अभिलेखों की नमूना जांच (सितंबर 2001) तथा अक्टूबर 2002 एवं अप्रैल 2003 में संग्रहीत आगे की जानकारी से प्रकट हुआ कि 2000-01 से 2002-03 के दौरान 1.53 करोड़ रुपये की उपर्युक्त वसूली प्रभावित किए बिना 32 समाचार पत्रों को 10.22 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया यद्यपि समाचार पत्रों ने मणिसाना वेतन बोर्ड की अनुशंसा क्रियान्वित नहीं की थी । इसके कारण समाचार पत्रों को 1.53 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ ।

आयुक्त जनसंपर्क विभाग ने कटौती न किए जाने का कारण श्रम विभाग द्वारा ऐसे समाचार पत्रों के विवरण उपलब्ध नहीं किया जाना बताया (सितंबर 2001 एवं जून 2002) कि जिन्होंने वेतन बोर्ड की अनुशंसा को कार्यान्वित नहीं किया था । उन्होंने यह भी बताया(सितंबर 2003) कि 15 प्रतिशत कटौती की अनुबद्धता के प्रावधान को संशोधित करने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन था तथापि उन्होंने अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया । दूसरी ओर श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश इंदौर ने दावा किया(सितंबर 2003) कि जनसंपर्क विभाग को वेतन बोर्डों की अनुशंसाएं कार्यान्वित करने अथवा न करने की स्थिति सूचित करने का उनका कोई दायित्व नहीं है ।

उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि आयुक्त को अपने प्रशासकीय (जनसंपर्क) विभाग के माध्यम से श्रम विभाग में सरकार से संपर्क करना चाहिए था अथवा संबंधित समाचार पत्र से अनुशंसा को क्रियान्वित करने संबंध में साक्ष्य देने के लिए कहना चाहिए था ।

प्रकरण की सूचना सरकार को दिसंबर 2001 में दी गई । उत्तर अप्राप्त है(सितंबर 2003) ।

लोक निर्माण विभाग

4.4.9 प्रतिस्थापन व त्रुटिपूर्ण विशिष्टि पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय एवं ठेकेदार को अधिक भुगतान

कार्य की मद के अप्राधिकृत प्रतिस्थापन एवं असंबद्ध विशिष्टि अपनाने के कारण 37.26 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ । अतिरिक्त मात्राओं के लिए दर नियमितीकरण न होने के परिणामस्वरूप भी ठेकेदार को 7.89 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2.80 करोड़ रुपये के लिए अनुमोदित (मार्च 1996), राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.12 के कि.मी. 48 से 67 पर विद्यमान एकल लेन को दो-लेन मार्ग तक चौड़ीकरण के कार्य की निविदा अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि. (रा.रा.) मंडल इंदौर द्वारा 2.98 करोड़ रुपये हेतु मद-दर पर आमंत्रित की गई (दिसम्बर 1996) । 1.93 करोड़ रुपये (35.165 प्रतिशत कम) का न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकृत किया गया (जुलाई 1997) । कार्य दिसम्बर 2000 में पूर्ण हुआ तथा ठेकेदार के 2.76 करोड़ रुपये के अंतिम देयक का फरवरी 2001 में भुगतान किया गया । लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नानुसार विसंगतियाँ प्रकट हुईं:

(i) स्वीकृत प्राक्कलन में 67975 वर्गमीटर क्षेत्र पर एक एकल-कोट सरफेस ड्रेसिंग का प्रावधान था । निष्पादन के दौरान तथा ठेकेदार की स्वयं की इच्छा पर इस मद को 20 मि.मी. मोटे ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कार्पेट (ओ.जी.पी.सी) से प्रतिस्थापित किया गया जिसका लेवलिंग कोर्स के रूप में प्रावधान था। मंत्रालय के स्थानिक अधिकारी (आर.ओ.) की अनुशंसा पर अधीक्षण यंत्री ने 12.58 लाख रुपये की एक पूरक अनुसूची स्वीकृत की (जनवरी 1999) । प्रतिस्थापन की अनुशंसा करते समय स्थानिक अधिकारी ने उल्लेख किया था कि प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाली वित्तीय सन्निहितता मंत्रालय से अवश्य ही अनुमोदित करा ली जाये। अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था और इस प्रकार 12.58 लाख रुपये का यह व्यय अनुचित था ।

(ii) प्राक्कलन में औसतन 35 मि.मी. की मोटाई के प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स (पीसीसी) हेतु ओ.जी.पी.सी. की मद का प्रावधान था। स.प.एवं.रा.मं की विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट है कि जहाँ पर पी.सी.सी. की अधिकतम मोटाई 40 मि.मी. से अनधिक थी वहां पीसी.सी ओवर-ले(वियरिंग) कोर्स के अंतर्निहित भाग के रूप में निर्मित किया जावे । तथापि 40 मि.मी. से अधिक मोटाई की दशा में इसका निर्माण समतलीकरण कोर्स के एक अलग परत की भाँति किया जावेगा । तदनुसार पी.सी.सी की मोटाई 40 मि.मी. होने से इसका निर्माण बिना किसी और कोर्स द्वारा इसे सील किए ओवर-ले कोर्स के अंतर्निहित भाग की भाँति किया जाना चाहिये था । तथापि यह देखा गया कि ओ.जी.पी.सी. के बाद मिश्रित सील सतहीकरण (एम.एस.एस.) किया गया जो एक अन्य वियरिंग कोर्स था । अनावश्यक एम.एस.एस. वियरिंग कोर्स का निष्पादन न केवल

विशिष्टियों के विपरीत था वरन् इसके परिणामस्वरूप 24.68 लाख रुपये (एम.एस.एस. पर व्यय किये गये 29.92 लाख रुपये (-) सील कोट के लिए आवश्यक 5.24 लाख रुपये) का अतिरिक्त परिहार्य व्यय भी हुआ।

(iii) अनुबंध के भाग के रूप में सन्निहित मात्राओं की अनुसूची में 982.62 घनमीटर ओ.जी.पी.सी. का प्रावधान था । तथापि, मूल रूप से परिकल्पित ओ.जी.पी.सी. द्वारा सतह-सुधार के कार्य के प्रतिस्थापन के कारण निष्पादन के दौरान ओ.जी.पी.सी. की मात्रा 2366.31 घनमीटर (139.11 प्रतिशत) बढ़ गई । अनुबंध में 30 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्राओं के लिए दर-अनुसूची में उपबंधित दरों में सकल निविदा प्रतिशत जोड़ने/घटाने के आधार पर दर-नियमन करने का प्रावधान था ।

तथापि, यह देखा गया कि ठेकेदार को संपूर्ण मात्रा के लिए भुगतान अनुबंध के प्रावधानानुसार भुगतान योग्य 875.27[4] रुपये प्रति घनमीटर के विरुद्ध उसके द्वारा उद्धृत 1600 रुपये प्रति घनमीटर की दर से किया गया । इस प्रकार दर नियमन न होने के परिणामस्वरूप 7.89 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ था ।

ये इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2001) कार्यपालन यंत्री (रा.रा) संभाग ब्यावरा ने बताया (अक्टूबर 2001) कि सतह-सुधार की मद सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित की गई तथा अधीक्षण यंत्री किसी भी मद के लिए दर निर्धारित एवं स्वीकृत करने हेतु सक्षम थे । यह भी कि 20 मि.मी. मोटा ओर्जी.पी.सी. का बिना सील कोट के प्रावधान था, अतः सघन यातायात के कारण ओजी.पी.सी. को सील करने के लिए एम.एस.एस. किया गया था ।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 12.58 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय वाले प्रतिस्थापन का मंत्रालय से अनुमोदन नहीं लिया गया । यह भी कि दो वियरिंग कोर्स (ओ.जी.पी.सी.एवं एस.एस.एस.) का अनुप्रयोग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था । एम.एस.एस. द्वारा ओ.जी.पी.सी. को सील करने का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट नहीं था । पी.सी.सी. की मोटाई 40 मि.मी. होने से, ओ.जी.पी.सी. ओवर-ले कोर्स के अंतर्निहित भाग के रूप में उसके उपर बिना किसी और वियरिंग कोर्स (एम.एस.एस.) के किया जाना था ।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2003 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2004)।

---

[4] **875.27=दर अनुसूची की 1350 रुपये की दर में से निविदा प्रतिशतता का 35.165 प्रतिशत घटाकर ।**

4.4.10विशिष्टियों के प्रतिकूल निष्पादित कार्य की मदों पर अतिरिक्त व्यय

बिटुमिनस इमल्शन के स्थान पर पेविंग बिटुमिन का उपयोग कर टैक कोट का निष्पादन विशिष्टियों के विपरीत था, इसके अतिरिक्त 4 कार्यों पर 26.48 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.एवं रा. मंत्रालय) की विशिष्टियों में टैक-कोट में पेविंग बिटुमिन का उपयोग 1995 से बंद करते हुए डामरीकृत तथा ग्रेनुलर सड़क सतहों पर क्रमशः 2.5 कि.ग्रा. प्रति 10 वर्गमीटर से 4 कि.ग्रा. प्रति 10 वर्गमीटर की दर से बिटुमिनस इमल्शन के उपयोग का प्रावधान था। इसके होते हुए भी प्रमुख अभियंता द्वारा जारी दर-अनुसूची (द.अ.- 2000) में 5 कि.ग्रा. से 10 कि.ग्रा. प्रति 10 वर्गमीटर की दर से पेविंग बिटुमिन का उपयोग कर टैक-कोट करने की मद पुनःप्रवर्तित की गई ।

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग रायसेन द्वारा रायसेन जिले की 87.06 कि.मी. सड़कों के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण के लिए 2001-02 के दौरान दर-अनुसूची से 4.01 से 7.20 प्रतिशत कम पर दिये गये चार प्रतिशत-दर-ठेकों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि टैक-कोट का कार्य पेविंग बिटुमेन का उपयोग करते हुये निष्पादित किया गया तथा ठेकेदारों को इमल्शन के लिए भुगतान योग्य 4 रुपये से 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध 6.20 रुपये से 14.80 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया गया ।

पेविंग बिटुमेन का उपयोग कर टैक-कोट करने की मद का पुनः प्रवर्तन न केवल अधिक मंहगा था वरन स.प.एवं रा. मंत्रालय की विशिष्टियों के विपरीत भी था जिसके परिणामस्वरूप 4 कार्यों पर 26.48 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2002) कार्यपालन यंत्री ने बताया कि कार्य अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबंध में किये गये प्रावधान विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थे ।

प्रकरण शासन को फरवरी 2003 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004) ।

4.4.11 क्षतिग्रस्त कार्य के पुनर्निष्पादन पर परिहार्य व्यय

एक ठेकेदार की त्रुटि के कारण क्षतिग्रस्त हुए कार्य के पुनः निष्पादन के परिणामस्वरूप 76.38 लाख रुपये का परिहार्य व्यय होने के साथ ही 15.65 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा) 12 के 161 से 174 कि.मी. में 2.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (पी.ए.सी) वाला" मार्ग की परिवहन गुणवत्ता में सुधार" का कार्य एक ठेकेदार" अ" को चार माह में पूर्ण करना नियत करते हुए दर-अनुसूची(अगस्त 1999) से 6.6 प्रतिशत कम पर सौंपा गया (नवम्बर 2000) ।

अनुबंध में (I) 75 मि.मी. मोटे बिल्ट-अप-स्प्रे-ग्राउट (बी.यू.एस.जी.) के पश्चात (II) 50 मि.मी. मोटे बिटुमिनस मेकेडम (बी.एम.) करने तथा अंत में (III) 25 मि.मी. मोटे सेमी-डेन्स-बिटुमिनस कांक्रीट (एस.डी.बी.सी) द्वारा सील करके निष्पादन का प्रावधान था । तथापि ठेकेदार ने जून 2001 तक बी.यू.एस.जी. 14 किलोमीटर की संपूर्ण लंबाई में बी.एम. मात्र 6 किलोमीटर में तथा एस.डी.बी.सी. केवल एक किलोमीटर में निष्पादित किया। शेष किलोमीटरों में न तो एस.डी.बी.सी और न ही ठेकेदार की 15.65 लाख रुपये की लागत से अंतरिम सील कोट ही डाला गया। 1.56 करोड़ रुपये के आठवें चल देयक का ठेकेदार को भुगतान किया गया (जून 2001)। 31 दिसम्बर 2001 तक (विलंब के लिए दंड आरोपित करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए) समय-वृद्धि (अक्टूबर 2001) के बावजूद ठेकेदार जून 2001 के बाद कार्य पुनः आरम्भ करने में असफल रहा । कारण बताओ नोटिस जारी करने (जनवरी 2002) के बाद कार्यपालन यंत्री रा.रा संभाग ओबेदुल्लागंज ने ठेके को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर समाप्त कर दिया(फरवरी 2002) ।

स.प.एवं रा. मं. की विशिष्टियों (अनुबंध के भाग के रूप में सन्निहित) के अनुसार सड़क यातायात के लिए खोलने से पहले बी.यू.एस.जी. तथा बी.एम. की परतें तत्काल एस.डी.बी.सी की अंतिम परत से ढँकी जानी चाहिए । यदि एस.डी.बी.सी. को तत्काल बिछाना संभव नहीं हो तो यातायात की अनुमति देने से पहले कार्य की प्रासंगिक प्रक्रिया के रूप में ठेकेदार की लागत पर कम से कम 6 मि.मी. का सील कोट देना चाहिए ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितम्बर 2002) में प्रकट हुआ कि एस.डी.बी.सी. या सील कोट के निष्पादन के बिना बी.यू.एस.जी. तथा बी.एम. की नयी बिछाई गई सतह पर विभाग द्वारा दो वर्षाकालों तक यातायात को अनुमति दी गई जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण लंबाई (14 किलोमीटर) की सड़क धंस गई तथा क्षतिग्रस्त हुई । यद्यपि ठेकेदार को क्षतिग्रस्त कार्य की मरम्मत करने को कहा गया था (अगस्त 2001 एवं जनवरी 2002) तथापि उसने इन्कार कर दिया । 1.21 करोड़ रुपये मूल्य का शेष कार्य जिसमें 11.96 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत निहित थी, एक अन्य ठेकेदार" ब " को द.अ. से 0.12 प्रतिशत कम पर सौंपा गया (अप्रैल 2002) । इसी के साथ 79.51 लाख रुपये की लागत से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत तथा 161 से 174 किलोमीटर की संपूर्ण लम्बाई में बी.यू.एस.जी. के एक अतिरिक्त कोर्स के निष्पादन का कार्य एक अन्य ठेकेदार

" सँ को द.अ. से 13.1 प्रतिशत कम पर सौंपा गया (जनवरी 2002)। उसे 76.38 लाख रुपये के अंतिम देयक का भुगतान किया गया (मार्च 2002)।

बी.यू.एस.जी.की अतिरिक्त परत की आवश्यकता स.प.एवं रा. मं. की विशिष्टियों के विपरीत स्पष्टतः धंसी हुई सड़क के प्रत्यावर्तन हेतु थी । इस प्रकार ठेकेदार " अ " द्वारा छोड़े गये कार्य के पुनः निष्पादन के फलस्वरूप 76.38 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ, साथ ही सील कोट जिसे वह अनुबंध के प्रावधानानुसार अपनी लागत पर निष्पादित करने में विफल रहा, के 15.65 लाख रुपये एवं शेष कार्य पर 11.96 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं हुई ।

यह इंगित किए जाने पर अधीक्षण यंत्री रा.रा. मंडल भोपाल ने बताया (सितम्बर 2002) कि चूंकि सड़क दो-लेन तक चौड़ी की गई थी अतः बी.यू.एस.जी. की दूसरी परत निष्पादित की गई, जिसके लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन में प्रावधान किया गया था । उत्तर अमान्य तथा भ्रामक था क्योंकि बी.यू.एस.जी. चौड़ीकृत भाग में ही नहीं अपितु सड़क की संपूर्ण लंबाई एवं चौड़ाई में अभिलिखित पाया गया। यह भी कि यदि मूल ठेकेदार " अ " द्वारा उसको सौंपे गए कार्य के अनुसार कार्य पूर्ण किया गया होता तो तैयार डामरीकृत सतह पर बाद में एक अन्य ठेकेदार द्वारा बी.यू.एस.जी. के पुनः निष्पादन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2003); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2004) था।

जल संसाधन विभाग

4.4.12 नहरों की लाइनिंग के कार्य पर अतिरिक्त लागत

अधिक मितव्ययी स्थल-पर-ढलित लाइनिंग के स्थान पर अधिक मंहगी पूर्व-ढलित सीमेन्ट कंक्रीट लाइनिंग के निष्पादन के फलस्वरूप 1.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी (जनवरी 1984) तकनीकी परिपत्र में विनिर्दिष्ट था कि 3 घनमीटर प्रति सेकंड से अधिक बहाव वाली नहरों के आंतरिक ढलान तथा तल पर स्थल-पर-ढलित सीमेंट कांक्रीट (एम-10 श्रेणी) द्वारा लाइनिंग की जानी चाहिये। इन विशिष्टियों के विपरीत मुख्य अभियंता अपर वैनगंगा बेसिन सिवनी ने संजय सरोवर की नहरों की लाइनिंग के लिए प्राक्कलन नहरों की आंतरिक ढलानों में अधिक महंगी किन्तु घटिया पूर्व-ढलित सीमेंट कांक्रीट (पी.सी.सी.) टाइलों की लाइनिंग हेतु अनुमोदित किए (1998 से 2000) ।

भीमगढ़ दायीं तट नहर एवं तिलवारा फीडर नहर की पी.सी.सी. लाइनिंग का कार्य अगस्त 2001 से मार्च 2002 के दौरान 14 मद दर ठेकों पर निष्पादित किया गया तथा ठेकेदारों को स्थल-पर-ढलित सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग के लिए भुगतान योग्य 139 रुपये से 209 रुपये प्रति वर्गमीटर के विरुद्ध 171 रुपये से लेकर 370 रुपये प्रति वर्गमीटर

तक की दरों पर भुगतान किया गया । तकनीकी परिपत्र का उल्लंघन कर अपनाई गई अधिक मंहगी विशिष्टियों के फलस्वरूप 1.03 करोड़ रुपये की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2003), प्रमुख अभियंता ने बताया (अक्टूबर 2003) कि चूंकि स्थल-पर ढलित लाईनिंग में तराई के लिए अधिक समय अपेक्षित था अतः पार्श्व ढलानों में स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार पूर्व-ढलित लाइनिंग का निष्पादन किया गया । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पूर्व-ढलित सीमेंट कांक्रीट द्वारा लाईनिंग के निष्पादन से प्रमुख अभियंता के अपने ही तकनीकी परिपत्र क्रमांक 1/84 दिनांक 3 मार्च 1984 तथा मुख्य अभियंता को स्थल पर ढलित 75 मि.मी. सीमेंट कांक्रीट द्वारा नहर के तल एवं पार्श्व ढलानों में लाईनिंग का कार्य निष्पादित करने हेतु निदेशित करने वाले अपने विशिष्ट दिशा-निर्देश (जुलाई 2001) का उल्लंघन हुआ ।

प्रकरण अप्रैल 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

4.5 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरोध

कृषि विभाग

4.5.1 बैंकों से अप्रयुक्त आर्थिक सहायता की वसूली न करना

कुओं के निर्माण एवं पंपसेटों की स्थापना की योजना अप्रैल 1999 में बंद होने के उपरांत भी बैंकों में 78.44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि जमा है ।

राज्य प्रवर्तित लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कुओं के निर्माण एवं पम्पसेटों की स्थापना हेतु कृषकों को भुगतान योग्य आर्थिक सहायता उनके द्वारा बैंकों से लिए जाने वाले कर्जों के विरुद्ध समायोजित की जानी थी । इस उद्देश्य हेतु कृषि विभाग प्रतिवर्ष एकमुश्त राशि बैंकों में जमा करता है जिसका समायोजन ऋण की संस्वीकृति के उपरांत आर्थिक सहायता राशि से किया जाता है चूंकि दीर्घ अवधि से बैंकों में निधियां बिना उपयोग के जमा हैं इसलिए सरकार ने अनुदेश दिए (अप्रैल 1995) कि अप्रयुक्त सहायता राशि बैंकों से आहरित की जाये एवं उसे राज्य कोषालयों में सिविल निक्षेप में जमा किया जावे तथापि आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना को सरकार ने इन अनुदेशों के साथ अप्रैल 1999 से बंद कर दिया कि 31 मार्च 1999 को अपूर्ण कुओं को 1999-2000 के दौरान पूर्ण किया जाये ।

संचालक कृषि विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2000 तथा अप्रैल 2003) तथा आगे और संग्रहीत जानकारी से प्रकट हुआ (दिसंबर 2003) कि सरकार के अनुदेशों (अप्रैल 1995) एवं योजना को बंद किए जाने (अप्रैल 1999) के बावजूद छः

जिलों[#] में विभिन्न बैंकों[*] में नवम्बर 2003 में 78.44 लाख रुपए की अप्रयुक्त सहायता राशि पड़ी है ।

इंगित किए जाने पर सरकार ने उत्तर दिया(अप्रैल 2003) कि भूमि विकास बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण 70.57 लाख रुपए की वसूली का समायोजन नहीं हो सका तथा अन्य बैंकों में पड़ी हुई राशि नगण्य है, तथापि आगामी छः माह में राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ।

यदि सरकार ने अपूर्ण कुओं की पूर्णता के लिए मार्च 2000 की वृद्धित तिथि तक अग्रिमों का समायोजन सुनिश्चित किया होतां तो उन्होंने इस प्रकरण में अवरुद्ध निधियों के बराबर सरकारी उधारियों पर प्रदत्त 22.75 लाख रुपये की राशि बचाई होती ।

मत्स्य पालन विभाग

4.5.2 मछली पकड़ने पर रायल्टी वसून न करना

लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं कार्यान्वित नहीं की गईं और मत्स्य महासंघ से वसूली योग्य रॉयल्टी में मार्च 2003 तक 5.30 करोड़ रुपये तक वृद्धि हो गई ।

भूतपूर्व मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम(निगम) द्वारा मछली पकड़ने पर मत्स्य पालन विभाग को रॉयल्टी का भुगतान करना अपेक्षित था । निगम 1 अगस्त 1999 से भंग कर दिया गया जब उसकी परिसंपत्तियां एवं देयताएं नवसृजित मत्स्य महासंघ(सहकारी) मर्यादित मत्स्य सहकारिता के महासंघ(पंजीकृत सहकारी समिति) को हस्तांतरित कर दी गईं । उसके बाद से संघ द्वारा बकाया सहित सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर रॉयल्टी का भुगतान करना अनिवार्य है ।

मार्च 1997 को समाप्य वर्ष के प्रतिवेदन (क्रमांक 4 सिविल) की कंडिका 3.15 में मार्च 1997 तक 3.06 करोड़ रुपये की रॉयल्टी की बकाया राशि का उल्लेख किया गया था । लोक लेखा समिति ने अपने 198 वे प्रतिवेदन (अप्रैल 2002) में राज्य के हित में मछली पकड़ने के लिए एक नीति के निर्माण और रॉयल्टी वसूल न करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की थी ।

संचालक, मत्स्य पालन विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2002) और संग्रहीत जानकारी (अगस्त एवं दिसंबर 2003) को प्रकट हुआ कि 3.06 करोड़ रुपये की उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त अप्रैल 1997 से मार्च 2003 तक की अवधि के लिए निगम/मत्स्य महासंघ से 3.32 करोड़ रुपये की एक और राशि देय हो गई थी जिसके

[#] नरसिंहपुर, सागर, शहडोल, सीहोर, रायसेन और रीवा

[*] भूमि विकास बैंक(राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)70.57 लाख रुपए, इलाहाबाद बैंकः2 लाख रुपए, बड़ोदा बैंकः0.15 लाख रुपए, बैंक आफ इंडियाः0.16 लाख रुपये, सेन्ट्रल बैंकः0.58 लाख रुपए, पंजाब नेशनल बैंकः0.10 लाख रुपए, स्टेट बैंक आफ इंडियाः0.84 लाख रुपए, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकः2.87 लाख रुपए तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकः1.17 लाख रुपए।

विरुद्ध निगम/मत्स्य महासंघ से केवल 1.08 करोड़ रुपये (1997-98:32.50 लाख रुपये, 1999-2000:50 लाख रुपये तथा 2002-2003:25 लाख रुपये) ही वसूल किये गये । इस प्रकार लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के उपरांत भी मार्च 2003 तक रॉयल्टी की बकाया राशि बढ़कर 5.30 करोड़ रुपये तक हो गई ।

इसका उल्लेख करने पर विभाग ने सूचित किया कि रॉयल्टी की दरों का पुनर्निधारण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और सरकार के निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा है तथापि सरकार ने सूचित किया कि प्रकरण नीतिगत निर्णय से संबंधित है और अभी तक विचाराधीन है ।

सरकार का उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि पुनर्निधारित दरें भविष्यगत दिनांक से ही प्रयुक्त होंगी और इस प्रकार सरकार 21 माहों की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं में की गई परिकल्पना के अनुसार विगत प्रकरणों में दोष निवारक कार्यवाही करने में विफल रही ।

उच्च शिक्षा विभाग

4.5.3 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति की वसूली न करना

1963-94 के दौरान राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति के रूप में 28691 विद्यार्थियों को प्रदत्त 4.60 करोड़ रुपये में से 3.21 करोड़ रुपये सितंबर 2003 तक वसूल नहीं किए गये ।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति कक्षा 11 से पी.एच.डी. के स्तर तक अध्ययन जारी रखने के लिए निर्धन विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने हेतु भारत सरकार की योजना के अधीन दी जाती है ।

ऋण गृहीता द्वारा अध्ययन पूर्ण करने के तीन वर्ष उपरांत अथवा रोजगार प्राप्त करने के एक वर्ष पश्चात जो भी पहले हो आसान मासित किस्तों में ऋण वापस किया जाना था । चूक पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर(जनवरी 1976 से 10 प्रतिशत) से ब्याज लगना था और ऋण भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाना था । भारत सरकार ने 1991-92 में योजना बंद कर दी ।

आयुक्त उच्च शिक्षा के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2002) और जून 2003 एवं जनवरी 2004 में संग्रहीत जानकारी से प्रकट हुआ कि 1963-64 से 1993-94 के दौरान योजना के अधीन 28691 विद्यार्थियों हेतु संस्वीकृत एवं प्रदत्त 4.60 करोड़ रुपये में से केवल 1.12 करोड़ रुपए वसूल हुए और 0.27 करोड़ रुपये की वसूली नवीन राज्य छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित कर दी गई जो उस राज्य में वसूल की जानी थी । इस प्रकार सितंबर 2003 तक 3.21 करोड़ रुपये की राशि अभी भी वसूल नहीं हुई ।

लेखापरीक्षा में इसका उल्लेख करने पर आयुक्त ने सूचित किया(जनवरी 2004) कि विद्यार्थियों को ऋण वसूली के लिए नोटिस दिए गए थे और जिलाध्यक्ष ने भी वसूली हेतु अनुरोध किया था परंतु विद्यार्थियों के पतों में परिवर्तन के कारण उन्हें नोटिस नहीं

दिए जा सके तथापि नियमानुसार विद्यार्थियों पर स्वयं समय पर ऋण चुकाने का दायित्व है ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऋण राशि की वसूली के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली बनाने में सरकार की विफलता के कारण एक दशक के उपरांत भी देयताएं वसूल नहीं की जा सकीं । उसकी वसूली के अवसर कम तथा दूरवर्ती हैं ।

प्रकरण की सूचना सरकार को जुलाई 2003 में दी गई । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ(दिसंबर 2003) ।

4.6 नियामक मुद्दे एवं अन्य बिन्दु

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.6.1 भोपाल में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण(न.घा.वि.प्रा.) के लिए मुख्यालय भवन का निर्माण

7.24 करोड़ रुपये लागत का कार्य नयी निविदाएं आमंत्रित किए बिना विद्यमान ठेकेदार को सौंपा गया एवं 5.57 करोड़ रुपये मूल्य की अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदें सक्षम स्वीकृति के बिना निष्पादित एवं भुगतान की गईं । इसके अतिरिक्त 42.08 लाख रुपये के अधिक भुगतान भी दृष्टिगत हुए।

मूलतः 6.44 करोड़ रुपये हेतु अनुमोदित किए गए (मार्च 1990) भोपाल में " मुख्यालय भवन का निर्माण " कार्य को मुख्य अभियन्ता नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा मई 1994 में तकनीकी रूप से 6.79 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृत किया गया। पर्यावरण आयोजना एवं समन्वय संगठन(प.आ.एवं स.सं.) भोपाल जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है, को वास्तु-संबंधी परामर्श का कार्य सौंपा गया(नवम्बर 1990)। प.आ.एवं स.सं. द्वारा तैयार किए गए(1993) संकल्पना मानचित्र (कांसेप्ट प्लान) के अनुसार भवन का निर्माण प्रारंभ में 14382 वर्गमीटर के निर्मिति-क्षेत्र (बिल्ट-अप-एरिया) पर किया जाना था । चूंकि प.आ.एवं स.सं. वास्तु-संबंधी तथा संरचनात्मक रूपांकन समय पर तैयार एवं प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त सुसज्जित नहीं था, अतः अक्टूबर 1998 में प.आ.एवं स.सं. द्वारा कार्य न.घा.वि.प्रा. की सहमति से एक निजी वास्तुविद को सौंप दिया गया।

6.44 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत वाला कार्य एक ठेकेदार को मद-दर-निविदा पर 6.22 करोड़ रुपये(0.43 प्रतिशत कम) हेतु 36 माह में पूर्ण करने के लिए सौंपा गया(अक्तूबर 1998)। कार्य सौंपे जाने के पश्चात वास्तुविद् ने नये प्रावधानों को सम्मिलित करने के साथ ही निर्मिति-क्षेत्र बढ़ाकर संकल्पना मानचित्र दिसम्बर 1998 में पुनरीक्षित कर दिया । पश्चनिविदा परिवर्तनों के कारण लागत में 9.63 करोड़ रुपये(142 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(i) नियमों में प्रावधान था कि मूल लागत के 25 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कार्य और अनुबंध के क्षेत्र के परे कार्य भी नयी निविदाओं के आमंत्रण के बाद ही सौंपे जाएँ । इनके विपरीत 7.24 करोड़ रुपये (निविदत्त लागत का 116.40 प्रतिशत) की प्राक्कलित लागत का अतिरिक्त कार्य नयी निविदाओं द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तथा युक्तियुक्त दरें प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाये बिना विद्यमान ठेकेदार को सौंप दिया गया ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर यह बताया गया(जून 2003) कि कार्य अक्टूबर 1998 में सौंपा गया था तथा कार्य के क्षेत्र (स्कोप) में परिवर्तन दिसम्बर 1998 में घटित हुआ एवं यदि नयी निविदाएं आमंत्रित की जातीं तो प्रस्तावित दरें अत्यधिक ऊंची होतीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्यमान अनुबंध की मूल्य-वृद्धि शर्त में अगस्त 1994(निविदा आमंत्रित किए जाने की तिथि) के आधार-सूचकांक पर भुगतान हेतु प्रावधान था एवं 1.66 करोड़ रुपये के अनुमानित भुगतान के विरुद्ध केवल मूल्य-वृद्धि पर 2.58 करोड़ रुपये की राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका था।

(ii) अनुबंध में प्रावधान था कि निष्पादन के दौरान आदेशित कार्य की सभी अतिरिक्त मात्राओं/अतिरिक्त मदों का ठेकेदार को पालन करना होगा। ऐसे कार्य की मात्रा जब तक कि ठेकेदार के साथ ही विभाग को भी स्वीकार्य न हो ठेके की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 15 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त मात्राओं/अतिरिक्त मदों के लिए दरें निर्धारित करने के अधिकार ठेके की शर्तों के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में निहित है ।

सक्षम प्राधिकारी से दरों के अनुमोदन के बिना ही अधीक्षण यंत्री ने 5.57 करोड़ रुपये के निष्पादन तथा भुगतान की अनुमति दी(फरवरी 2000)। इस प्रकार इन मदों का बिना अनुमोदन के निष्पादन तथा 5.57 करोड़ रुपये का भुगतान अनियमित और अनधिकृत था।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया कि प्रकरण न.घा.वि.प्रा. के विचाराधीन है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार इन मात्राओं/मदों का निष्पादन तथा भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात किया जाना चाहिए था।

(iii) अधिक भुगतान के निम्नानुसार प्रकरण भी ध्यान में आये:

(क) अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार द्वारा निविदत्त दरें कार्य की संपूर्ण मद के निष्पादन के लिए थीं एवं कार्य के किसी भाग के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकार्य नहीं था। इसके प्रतिकूल फार्म-वर्क के लगाने, हटाने, प्रबलीकरण सरियों को उठाने, विभिन्न उंचाईयों पर सेंट्रिंग उठाने, कांक्रीट के यांत्रिक मिश्रण इत्याठि जो सेंट्रिंग व शटरिंग एवं कंक्रीटिंग की संपूर्ण मदों का भाग थे, को अतिरिक्त मदें मानते हुए ठेकेदार को इस प्रकार भुगतान मान्य किया गया जो गलत था जिसके परिणामस्वरूप 15.52 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर, यह बताया गया कि प्रकरण उच्च प्राधिकारियों के विचाराधीन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ठेके की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त दरें अमान्य थीं ।

(ख) मद-दर-ठेकों में सामग्री की ढुलाई के लिए कोई लीड तथा लिफ्ट अलग से भुगतान योग्य नहीं है। इसके प्रतिकूल प्रबलित सीमेंट कांक्रीट तथा ईंट-चिनाई की मदों के लिए प्रथम-तल स्तर से " लिफ्ट " का भुगतान मान्य किया गया एवं अनुवर्ती तलों के लिए दरें यथानुपात बढ़ा दी गईं। इस प्रकार दरों के त्रुटिपूर्ण नियमन के फलस्वरूप 5.76 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर यह बताया गया कि न.घा.वि.प्रा. से निर्णय प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भुगतान अनियमित था एवं वसूली की जाना आवश्यक थी।

(ग) अधीक्षण यंत्री के आदेश (फरवरी 2000) के अनुसार दर अनुसूची (1992) में उपलब्ध अतिरिक्त मदों का भुगतान दर अनुसूची की दरों पर 0.43 प्रतिशत घटा कर व मूल्यवृद्धि जोड़कर विनियमित किया जाना चाहिए था। तथापि, संवीक्षा में प्रकट हुआ कि फार्म-वर्क के लगाने और हटाने इत्यादि सहित सेन्ट्रिंग तथा शटरिंग की मद के लिए भुगतान योग्य 53.76 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर के स्थान पर 85.63 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 20.80 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

कार्यपालन यंत्री ने न.घा.वि.प्रा. से स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक भुगतान के नियमितीकरण का आश्वासन दिया।

सारांश में यद्यपि संकल्पना मान-चित्र में निविदा के पश्च-निविदा परिवर्तनों के कारण लागत में 9.63 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई तथापि 7.24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कार्य को सौंपते समय प्रतिस्पर्धात्मक एवं युक्तिसंगत दरें प्राप्त करने की संभावनाओं का पता नहीं लगाया गया, इसके अतिरिक्त 42.08 लाख रुपये का अधिक भुगतान भी ध्यान में आया।

प्रकरण जून 2003 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(जनवरी 2004)।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.6.2 ग्वालियर मल-निर्यास तथा मल-जल निपटान परियोजना

ठेकेदार से 6.49 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गई ।

मध्यप्रदेश शासन ने 1993-94 तक पूर्ण करने के लिए ग्वालियर मल-निर्यास तथा मल-जल निपटान परियोजना हेतु 33.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए (फरवरी 1988) । परियोजना 70 प्रतिशत ऋण तथा राज्य शासन से 30 प्रतिशत सहायता अनुदान से निष्पादित की जानी थी । परियोजना पर मार्च 2003 तक 40.21 करोड़ रुपये का व्यय किया गया ।

कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां.परियोजना संभाग ग्वालियर द्वारा आर.सी.सी. सीवर पाइप लाइन के बिछाने, जोड़ने एवं उपार्पण का कार्य दो समूहों में एक ठेकेदार " अ " को 4.39 करोड़ रुपये की लागत पर 18 माह में पूर्ण करने हेतु सौंपा गया (सितम्बर 1993) । सितम्बर 1998 तक समय वृद्धि दिए जाने के बावजूद भी ठेकेदार मात्र 34 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण कर सका। धीमी प्रगति के कारण ठेकेदार के लागत और जोखिम पर, ठेके निरस्त किए गए(अगस्त 1999)। शेष कार्य एक अन्य ठेकेदार " ब " को दो समूहों में, 8.40 करोड़ रुपये में सौंपे गए(जून-जुलाई 2001) एवं जून 2003 तक 7.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसके कारण वसूली योग्य अतिरिक्त लागत 5.35 करोड़ रुपये आई।

कार्य निष्पादित करने वाले ठेकेदार ने ठेका मूल्य पर 10 प्रतिशत छूट प्रस्तावित की । इस प्रकार मूल्य-बोली के खोले जाने वाले माह (अक्टूबर 1990) के लिए आधार मूल्य सूचकांक एवं 10 प्रतिशत छूट घटाने के बाद आए कार्य का मूल्य मूल्य-वृद्धि की गणना के लिए लागू किये जाने थे। उसी प्रकार सामग्री तथा श्रम के संघटकों के लिए किए गए कार्य का मूल्य 60 तथा 40 प्रतिशत होने थे । तथापि संभाग ने मूल्य-वृद्धि की गणना के लिए बिना घटाए तथा सामग्री तथा श्रम के संघटकों के गलत प्रतिशत का उपयोग करते हुए किए गए कार्य के मूल्य का त्रुटिपूर्ण ढंग से संगणन किया। आधार-सूचकांक का माह भी अक्टूबर 1990 (मूल्य-बोली खोले जाने का माह) जैसा कि अनुबंध में निर्दिष्ट था के स्थान पर त्रुटिपूर्ण ढंग से अगस्त 1990(निविदा खोलने का माह) लिया गया था। इनके परिणामस्वरूप ठेकेदार " अ " को 38.22 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

इसके अतिरिक्त ठेकेदार " अ " द्वारा 26091 घनमीटर में खोदी गई खन्तियों में कोई पाइप नहीं बिछाए गये तथा कालांतर में खन्तियां भर गई एवं ठेकेदार " ब " को पुनः 16218 घनमीटर खोदना पड़ा जिसके फलस्वरूप 15.81 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त मशीनरी अग्रिम, गतिशीलन अग्रिम, सामग्री की लागत तथा अग्रिमों पर ब्याज इत्यादि के कारण 60 लाख रुपये की राशि भी ठेकेदार से वसूली योग्य थी।

जब लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (जुलाई 2002) तब उपरोक्त मुद्दों पर " अ " से वसूली योग्य 6.49 करोड़ रुपये के विरुद्ध कार्यपालन यंत्री ने मात्र 6.10 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ की (दिसम्बर 2002)। अब तक कोई वसूली नहीं की गई है ।

प्रकरण शासन को अगस्त 2002 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(जनवरी 2004)।

लोक निर्माण विभाग

4.6.3 दोषी ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत की वसूली न होना ।

दोषी ठेकेदारों से 1.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने में विभाग विफल रहा।

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.(रा.रा.) संभाग करेली ने राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.)12 के 108 से 130/2 किलोमीटर में सड़क के चौड़ीकरण का कार्य (सुदृढ़ीकरण के बिना) ठेके की 2 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के विरुद्ध 2.73 करोड़ रुपये की लागत पर ठेकेदार " अ" को वर्षाकाल सहित 36 माह (नवम्बर 1995) में पूर्ण करने के लिए सौंपा (नवम्बर 1992)। ठेकेदार नियत अवधि में कार्य को पूर्ण करने में विफल रहा एवं बहुत धीमी प्रगति के कारण उसका ठेका अनुबंध की शर्त 3 के अंतर्गत निरस्त किया गया(मार्च 1997)। 22.58 लाख रुपये के अपूर्ण अंतिम देयक का भुगतान जुलाई 1998 में किया गया ।

1.94 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत वाला शेष कार्य एक अन्य ठेकेदार " ब " को 2.07 करोड़ रुपये हेतु, वर्षाकाल सहित 34 माह(दिसम्बर 2000) में पूर्ण करने के लिए सौंपा गया(फरवरी 1998)। पुनः धीमी प्रगति तथा कार्य पूर्ण करने में विफलता के कारण यह ठेका भी ठेकेदार की जोखिम और लागत पर निरस्त कर दिया गया (6 जून 2000)। 20.79 लाख रुपये के अपूर्ण अंतिम देयक का भुगतान दिसम्बर 2001 में किया गया।

बचा हुआ शेष कार्य(1.78 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत का) अब ठेकेदार " स" को 3.22 करोड़ रुपये हेतु,वर्षाकाल सहित 32 माह(सितम्बर 2003) में पूर्ण करने के लिए सौंपा गया(जनवरी 2001)। कार्य प्रगति पर था एवं ठेकेदार " स " 1.64 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य निष्पादित कर चुका था (सितम्बर 2002)।

इस प्रकार, संविदा एजेन्सियों की बार-बार विफलता के फलस्वरूप 1.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई जो ठेका अनुबंध की शर्त 3 के अंतर्गत " ब " से वसूली योग्य थी।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2001) अधीक्षण यंत्री ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया(फरवरी 2003) कि ठेकेदार " ग " द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन के बाद वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार की सुरक्षा निधि में से मात्र 10.37 लाख रुपये वसूल किए गए थे (मार्च 2002)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं[5] के अनुसार प्रावधान है कि एक बार शेष कार्य पूर्ण करने के लिए एजेन्सी निर्धारित होने (2001) पर दोषी ठेकेदार से अतिरिक्त लागत बिना विलंब के वसूल की जानी चाहिए। यद्यपि ठेकेदार " स " को सौंपा गया कार्य भी निर्णित किया जा चुका था (सितम्बर 2002), तथापि, कार्यपालन यंत्री ने 56.78 लाख रुपये " विविध लोक निर्माण अग्रिम " के अंतर्गत ठेकेदार से वसूली हेतु रखे किन्तु कोई वसूली नहीं की गई (जनवरी 2004)।

प्रकरण जून 2002 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(जनवरी 2004)।

जल संसाधन विभाग

4.6.4 दोषी ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत की वसूली न होना ।

सात दोषी ठेकेदारों जिन्होंने कार्य बीच में ही छोड़ दिया था, से 9.28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वसूल नहीं की गई थी ।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेका अनुबंधों में अनुबंधित है कि एक ठेकेदार के कार्य छोड़ देने की दशा में अनिष्पादित कार्य को चूककर्ता ठेकेदार के जोखिम और लागत पर एक अन्य ठेकेदार को सौंपने या इसे विभागीय रूप से पूर्ण कराने के लिए संभागीय अधिकारी सक्षम हैं ।

5 संभागों में लेखापरीक्षा समीक्षा(3 जल संसाधन एवं 2 न.घा.वि.प्रा.) में प्रकट हुआ कि मार्च 1990 से मई 1999 के दौरान ठेकेदारों द्वारा छोड़ दिये गये 10 कार्य(5 ज.सं.एवं 5 न.घा.वि.प्रा.) अन्य एजेन्सियों से निष्पादित कराये गये। अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार 8.27 करोड़ रुपये* का अतिरिक्त व्यय मूल ठेकेदारों से वसूली योग्य था। इसके विरुद्ध अब तक मात्र 4.75 लाख रुपये वसूल किए गए थे तथा विभाग के पास ठेकेदारों की मात्र 0.99 लाख रुपये(ज.सं.0.99 लाख रुपये) मूल्य की सुरक्षा निधि उपलब्ध थी। इस प्रकार वसूली योग्य निवल राशि 8.22 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त अग्रिमों की शेष राशि तथा ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री की लागत के

---

5 29-3-2000 को विधानसभा में प्रस्तुत किए गए, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1993-94 हेतु प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति का 96वाँ प्रतिवेदन ।

* ज.सं.वि.		न.घा.वि.प्रा.	
1. बरियारपुर बांयी नहर संभाग क्रमांक 1 राजनगर	88.84 लाख रुपये	1. आर.अ.बा.सबॉसन संभाग क्र.2जबलपुर	290.65 लाख रुपये
2. बंजर नदी परियोजना बेहर	(i) 18.59 लाख रुपये (ii) 29.59 लाख रुपये	2. लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा. (ई.सा.प) सं. बड़वाह	332.54 लाख रुपये
3. गाँधी सागर बांध संभाग गाँधी सागर	(i) 29.82 लाख रुपये (ii) 31.76 लाख रुपये		
योग	198.6 लाख रुपये		623.19 लाख रुपये

1.06 करोड़ रुपये(ज.सं.: 24.07 लाख रुपये एवं न.घा.वि.प्रा.: 82.19 लाख रुपये) भी ठेकेदारों से वसूली योग्य थे।

इस प्रकार उपलब्ध सुरक्षानिधि के समायोजन के बाद भी 9.28 करोड़ रुपये(ज.सं. 222.67 लाख रुपये तथा न.घा.वि.प्रा. 705.38 लाख रुपये) की राशि की वसूली होना शेष है । विवरण **परिशिष्ट *XLIX*** में दिया गया है।

यद्यपि शेष कार्य पूर्ण करने के लिए 1996-97 से 2001-02 के मध्य एजेन्सियाँ नियत की गई थीं एवं विभाग मूल ठेकेदारों से वसूली योग्य अतिरिक्त लागत के प्रति जागरुक था तथापि पाँच मामलों में 2000-01 से 2002-03 के मध्य राजस्व प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया तथा अन्य दो प्रकरणों के लिए यह उत्तर दिया गया कि वसूली की जाएगी । तथापि अब तक कोई वसूली नहीं की गई थी(जनवरी 2004)।

प्रकरण शासन को जनवरी 2000 से जून 2002 के दौरान एवं मई 2003 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(जनवरी 2004)।

सामान्य

4.6.5 उत्तरदायित्व लागू करने एवं शासन के हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ पदाधिकारियों की विफलता

महालेखाकार* निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार अन्य बातों के साथ ही लेन-देनों की नमूना जाँच तथा लेखाकरण के एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों के संधारण के सत्यापन हेतु शासकीय विभागों के नियतकालिक निरीक्षण संचालित करने की व्यवस्था करते हैं। जब निरीक्षण के दौरान पाई गईं महत्वपूर्ण अनियमितताओं इत्यादि का स्थल पर ही निराकरण नहीं हो पाता है तब निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु सुधारात्मक कार्रवाई एवं कमियों, चूकों इत्यादि हेतु उत्तरदायित्व-निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अभ्युक्तियों का अनुपालन एवं इंगित की गई त्रुटियों और चूकों का तत्परता से सुधार तथा उनका अनुपालन महालेखाकार को प्रतिवेदित किया जाना कार्यालय-प्रमुखों तथा अगले उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित होता है। गंभीर अनियमितताओं को महालेखाकार विभाग-प्रमुखों के ध्यान में भी लाते हैं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का परिवीक्षण(मॉनीटरिंग) सुगम बनाने हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का एक अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भेजा जाता है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वितीय, मध्यप्रदेश

दिसंबर 2002 तक जारी किए गए मध्यप्रदेश शासन के अधीन वन, जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं अन्य निर्माण[δ] विभागों के 510 संभागों/कार्यालयों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 3598 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 13475 कंडिकाएं 1990-91 से जून 2003 के अंत तक लंबित थी।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार स्थिति निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या	*विभाग*	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	*वन*	681	2080	51	386.00
2	*जल संसाधन*	1323	4459	173	2192.01
3	लोक निर्माण	778	3688	104	1408.89
4.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	526	2311	88	1645.86
5	नर्मदा घाटी विकास (I)सिंचाई (II)भवन/सड़क	 138 44	 365 98	 69 13	 303.33 61.72
6	आवास एवं पर्यावरण (राजधानी परियोजना निर्माण इकाईयाँ)	44	188	5	120.35
7	भोपाल गैस राहत (निर्माण-कार्य इकाईयाँ)	10	49	1	12.07
	कुल	3544	13238	504	6130.23

इनमें से 2720 कंडिकाओं वाले 766 निरीक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण 10 से अधिक वर्षों से नहीं किया गया था । यहाँ तक कि जनवरी तथा दिसम्बर 2002 के बीच जारी किए गए 214 संभागों/कार्यालयों से संबंधित 214 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 1060 कंडिकाओं के प्रारंभिक उत्तर भी जो जारी करने के तिथि से छः सप्ताह के भीतर कार्यालय-प्रमुखों से प्राप्त होना अपेक्षित थे,प्राप्त नहीं हुए।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि कार्यालय-प्रमुखों (जिनके अभिलेखों का महालेखाकार द्वारा निरीक्षण किया गया था) तथा विभाग-प्रमुखों ने बड़ी संख्या में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के कोई उत्तर प्रेषित नहीं किए जो महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ करने में उनकी विफलता का द्योतक है।

δ *अन्य निर्माण कार्य विभागों में, नर्मदा घाटी विकास, आवास एवं पर्यावरण, भोपाल गैस राहत (राहत और पुनर्वास) विभाग सम्मिलित है ।*

विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों, जिन्हें अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति से अवगत कराया गया था, ने भी सुनिश्चित नहीं किया कि विभाग के संबद्ध कार्यालय त्वरित और समय पर कार्यवाई करें।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की निरंतरता बनी रही तथा शासन को हानि हुई, यद्यपि इन्हें लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। यह अनुशंसा की जाती है कि निर्धारित समय-अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने एवं समयबद्ध रीति से हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली हेतु कार्रवाई करने में विफल रहे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया का शासन पुनः परीक्षण करे एवं विभाग में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उचित प्रत्युत्तर देना सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली को नया रूप दिया जाए।

4.6.6 वैयक्तिक जमा खातों को निधियों का अंतरण

31 मार्च 2003 को सरकार तथा अर्द्धसरकारी संस्थानों के पांच सौ इकत्तीस वैयक्तिक जमा खातों का कोषालय में खोला जाना पाया गया । वैयक्तिक जमा खातों के संधारण में निम्नांकित अनियमितताएं पाई गईं:

(क) वैयक्तिक जमा खाते बंद न करना

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 543 के प्रावधान के अनुसार 1142.38 करोड़ रुपये के शेष वाले 531 वैयक्तिक जमा खातों को सम्बद्ध सेवा शीर्ष को ऋणात्मक नामे डाल कर वित्त वर्ष के अन्त में बंद करना अपेक्षित होता है । इनमें से 128 वैयक्तिक जमा खाते जिनमें 94.64 करोड़ रुपये का शेष था 2002-2003 के दौरान अपरिचालित रहे और उनमें से एक भी खाते का बंद होना नहीं पाया गया ।

(ख) वैयक्तिक जमा खातों में अप्रयुक्त रहीं निधियां

वैयक्तिक जमा खाते सामान्यतः समेकित निधि को नामे डाल कर खोले जाते हैं और नामे डाली गई राशि संबंधित शीर्षों में व्यय के रूप में दर्शाई जाती हैं ।

वित्त नियमों में यह व्यवस्था है कि कोषालय से कोई भी राशि उस समय तक आहरित नहीं की जाएगी जब तक कि उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो तथापि यह पाया गया कि 2002-03 के दौरान 31 मार्च 2003 को 419.66 करोड़ रुपये के शेष वाले 115 नवीन वैयक्तिक जमा खाते खोले गए । यह स्पष्ट रूप से अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए किया गया । इस सीमा तक व्यय बढ़ाकर बताया गया और राज्य के लेखाओं में तथ्यात्मक स्थिति का चित्रण नहीं किया गया । वैयक्तिक जमा खातों में रख कर निधियों के उपयोग न करने से उन योजनाओं के कार्यान्वयन में

न केवल विलंब हुआ जिनके लिए निधियां विमोचित की गई थीं अपितु वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ जिसके लिए वित्त वर्ष में निधियां प्रदान की गई थीं ।

(ग) 59 वैयक्तिक जमा खातों (650.28 करोड़ रुपये) की नमूना जांच(अगस्त/ सितंबर 2003) से निम्नांकित अनियमितताएं भी प्रकट हुईं।

(1) वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों(जनवरी 1998) के अनुसार वाणिज्यिक बैंक खातों में जमा भारत सरकार से प्राप्त निधियों को छोड़कर भूमि अर्जन एवं विकास योजनाओं से संबंधित समस्त राशियां आहरित और वैयक्तिक जमा खातों में जमा करना अपेक्षित है । भूमि अर्जन कार्यालय शहडोल तथा संयुक्त संचालक पंचायत तथा समाज कल्याण रीवा के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि वित्त विभाग द्वारा उपर्युक्त अनुदेशें के प्रतिकूल 0.85 करोड़ रुपये (शहडोलः 0.56 करोड़ रुपये तथा रीवाः 0.29 करोड़ रुपये) बैंक खातों में पड़े थे ।

संबंधित अधिकारियों ने स्थिति की पुष्टि की(अगस्त 2003) । उनके द्वारा की गई आगे की कार्यवाही की सूचना लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है(नवम्बर 2003) ।

(2) दूसरे प्रकरण में भूमि अर्जन कार्यालय सीहोर ने भूमि अर्जन हेतु अभिप्रेत 0.13 करोड़ रुपये वैयक्तिक जमा खातों में रखने के स्थान पर अल्प बचत योजना के अधीन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पोस्ट आफिस सीहोर में जमा किये ।

(3) यह पाया गया कि विभागों ने कोषालयों के वैयक्तिक जमा खातों में शेष का मिलान नहीं किया। परिणामस्वरूप 19 वैयक्तिक जमा खातों में विभागों द्वारा दर्शाए शेष 18.48 करोड़ रुपये तक कम थे जबकि 9 अन्य प्रकरणों में 20.92 करोड़ रुपये तक अधिक थे जैसा कि ***परिशिष्ट-L*** में दर्शाया गया है ।

प्रकरण की सूचना सरकार को नवम्बर 2003 में दी गई, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है(दिसंबर 2003) ।

पांचवा अध्याय

सरकारी विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

पांचवा अध्याय

सरकारी विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

5. प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किसी संगठन का एक अभिन्न भाग है जो विभाग के आंतरिक नियंत्रण ढांचे की पर्याप्तता पर वरिष्ठ प्रबंधन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करता है । इसके द्वारा यह सुनश्चित किया जाता है कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई संहिताओं, नियमावलियों एवं नियमों के प्रावधान सभी स्तरों पर स्टाफ के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के कुशल निष्पादन के लिए प्रभावी तथा व्यवहार्य प्रणाली/व्यवस्था प्रदान करते हैं और प्रावधानों का पूरी तरह से पालन/अनुपालन किया जा रहा है । नियम तथा नियमावलियां विभाग के प्रचालनों के वित्तीय प्रतिपादन, प्रभावशीलता तथा कार्यकुशलता की विश्वसनीयता सुनश्चित करते हैं । इन उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग में प्रचालनात्मक तथा वित्तीय प्रकरणों में त्रुटियों तथा अनियमितताओं को रोकने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा समूह होता है ।

5.1 वन विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन

5.1.1 संगठनात्मक संरचना

वन विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा समूह (विंग) की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी । आंतरिक लेखापरीक्षा समूह में कोष एवं लेखा विभाग के 9 संवर्ग पद हैं ।

कोष एवं लेखा विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपने प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत करते हैं ।

5.1.2 लेखापरीक्षा कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कोष एवं लेखा संचालनालय की ओर से प्रशासनिक अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । लेकिन स्थापना के 25 वर्ष बाद भी वन विभाग के आंतरिक लेखपरीक्षा समूह के पास विभाग द्वारा जारी संहिताबद्ध अनुदेश उपलब्ध नहीं हैं । अतः आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई संहिता या नियमावली नहीं है । आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु प्रतिमानकों का निर्धारण भी नहीं किया गया है जो कि आंतरिक लेखापरीक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अत्यावश्यक है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया(सितंबर 2003) कि लेखापरीक्षा समूह को आवश्यक पुस्तकें, अनुदेश आदि उपलब्ध करवाकर शाखा को सुदृढ़ करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है ।

5.1.3 आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना

प्रभावपूर्णता बढ़ाने की दृष्टि से आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना विस्तृत जोखिम विश्लेषण द्वारा समर्थित जोखिम संकेतकों पर आधारित होना चाहिए । वन विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन चक्रानुक्रम द्वारा किया जाता है तथा

इकाइयों के चयन के लिए किसी सांख्यिकीय अथवा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है । आकार, व्यय तथा संबंधित जोखिमों को ध्यान में न रखते हुए विभाग ने सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा की अवधि तीन वर्ष में एक बार निर्धारित की है ।

5.1.4 समावेशन की पर्याप्तता तथा लेखापरीक्षा की आवधिकता

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए स्टाफ की उपलब्धता तथा लेखापरीक्षा द्वारा समाहित इकाइयों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी:-

वर्ष	लेखापरीक्षा स्टाफ की उपलब्धता				लेखापरीक्षा के समावेशन की स्थिति				
	संचालक	उप संचालक	सहायक संचालक	सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी	इकाइयों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा के लिए शेष इकाइयां	लेखापरीक्षा द्वारा समाहित इकाइयां	समावेशन की प्रतिशतता	इकाइयों की संख्या में कमी (प्रतिशत)
1998-99	1	1	1	7	156	52	15	29	37 (71)
1999-00	1	1	1	7	156	52+37=89	26	29	63(71)
2000-01	1	1	1	5	156	52+63=115	21	18	94(82)
2001-02	1	2	1	4	156	52+94=146	15	10	131(90)
2002-03	1	2	1	4	156	52+131=183	7	4	176(96)

यद्यपि 1998-99 से 2000-01 वर्षों के दौरान स्टाफ की उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी वर्ष 1998-99 के संदर्भ में लेखापरीक्षा के समावेशन में कमी का प्रतिशत 71 से 82 प्रतिशत के मध्य रहा । वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान स्टाफ में 11 प्रतिशत की कमी थी जबकि इकाइयों के समावेशन में कमी का प्रतिशत क्रमशः 90 तथा 96 प्रतिशत के मध्य रहा ।

आंतरिक लेखापरीक्षा के समावेशन में लंबित स्थिति के संबंध में विभाग ने निम्नलिखित कारणों का होना बताया:

(i) निर्धारित अनुपात से अधिक स्टाफ का छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्थानांतरण । ये पद जुलाई 2003 में भरे गए थे ।

(ii) पर्यवेक्षण कर्मचारी स्टाफ अन्य महत्वपूर्ण विभागीय क्रियाकलापों/गतिविधियों में संलग्न था ।

उपरोक्त उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उपलब्ध स्टाफ का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए स्टाफ स्वीकृत किया गया था । आंतरिक लेखपरीक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है तथा आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित स्टाफ को अन्य विभागीय गतिविधियों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए ।

5.1.5 आंतरिक लेखापरीक्षा के निरीक्षण प्रतिवेदन

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा उनके निराकरण से संबंधित वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की कुल संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित की गई कंडिकाओं की कुल संख्या			निर्णीत कंडिकाओं की कुल संख्या		वर्तमान में लंबित कंडिकाओं की कुल संख्या	
		गंभीर प्रकृति	साधारण प्रकृति	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रुपयों में)	संख्या	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रुपयों में)	संख्या	मौद्रिक मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1998-99	15	--	210	13.01	107	5.78	103	7.23
1999-00	26	--	358	14.40	34	0.24	324	14.16
2000-01	21	--	284	8.80	21	1.49	263	7.31
2001-02	15	--	192	10.73	21	0.22	171	10.51
2002-03	7	--	129	3.06	--	--	129	3.06
योग	**84**	**--**	**1173**	**50.00**	**183**	**7.73**	**990**	**42.27**

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित की गई सभी 1173 कंडिकाएं साधारण प्रकृति की थीं । 1998-99 से 2002-03 वर्षों के दौरान समाविष्ट 84 इकाइयों की लेखापरीक्षा में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा गंभीर प्रकृति की एक भी कंडिका नहीं पाई गई ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । यह बताया गया कि समयबद्ध अनुदेश जारी कर कंडिकाओं के शीघ्र निराकरण हेतु प्रयास किए गए हैं ।

5.1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा की समग्र प्रभावोत्पादकता

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विभागीय अनुपालन

चूंकि आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रत्युत्तर के लिए विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अतः निम्नलिखित वर्षों के दौरान अनुपालन का प्रतिशत कम अर्थात 0 से 51 प्रतिशत के मध्य रहा:-

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित की गई कंडिकाओं की कुल संख्या	निर्णीत कंडिकाओं की कुल संख्या		
		संख्या	अनुपालन की अवधि	निराकरण का प्रतिशत
1998-1999	210	107	5 वर्षों से अधिक	51
1999-2000	358	34	4 वर्षों से अधिक	9.5
2000-2001	284	21	3 वर्षों से अधिक	7.39
2001-2002	192	21	2 वर्षों से अधिक	10.93
2002-2003	129	--	1 वर्ष से अधिक	शून्य

(ख) आंतरिक लेखापरीक्षा के कहने से प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया है ।

(ग) आंतरिक लेखापरीक्षा के कहने से किसी भी प्रकरण में कोई सुधारात्मक तथा दाण्डिक कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई ।

5.1.7 आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा की गई विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा किसी भी इकाई की विशेष लेखापरीक्षा का दायित्व आंतरिक लेखापरीक्षा समूह को नहीं सौंपा गया था । प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया(अक्टूबर 2003) कि विशेष लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा समूह के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है । प्रायः विशेष लेखापरीक्षा वित्त विभाग के विशिष्ट आदेश के तहत कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा की जाती है ।

5.1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

आंतरिक लेखापरीक्षा को अधिक प्रभावी बनाए रखने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण संरचना की आवधिक रूप से समीक्षा कर उसे अद्यतन किया जाए । प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा अभिलेखों की नमूना जांच से यह स्पष्ट है कि आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य निष्पादन का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

सरकार ने, जिसे प्रकरण संदर्भित/प्रेषित किया गया था(अक्टूबर 2003), विभाग के उत्तर का समर्थन किया (दिसंबर 2003) जिसमें मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) ने कंडिका क्रमांक 1 से 3 तथा 7 से 8 को स्वीकार करते हुए बताया(नवम्बर 2003) कि आंतरिक लेखापरीक्षा के समावेशन में कमी का आंकलन प्रत्येक वर्ष के आधार पर किया जाना चाहिए । उन्होंने आगे बताया कि गंभीर प्रकृति की कंडिकाएं न पाए जाने संबंधी विभाग के कथन का तात्पर्य केवल यह था कि लेखापरीक्षा के दौरान चोरी, धोखाधड़ी आदि के कोई भी ऐसे गंभीर प्रकरण अवलोकित नहीं किए गए थे । जहां तक कंडिका क्रमांक 10 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का प्रश्न है, मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं है बल्कि विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रति गंभीर है तथा आंतरिक लेखापरीक्षा समूह को सुदृढ़ करने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता पूर्व में ही व्यक्त कर चुका है ।

5.1.9 निष्कर्ष

वन विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा समूह एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है । इस समूह द्वारा वे कार्य संपादित नहीं किये जाते हैं जिसके लिये यह स्थापित किया गया था । न तो इकाइयों की नियमित लेखापरीक्षा की गयी है और न ही जांच या विश्लेषण से संबंधित कोई प्रणाली लागू की गयी है । एक कमजोर/निष्प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा समूह से कमजोर नियंत्रण प्रणाली परिलक्षित होती है जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी/जालसाजी आदि की घटनाएं हो सकती हैं ।

5.1.10 अनुशंसाएं

यह विभाग के हित में होगा कि उचित प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षण के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा समूह को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाया जाए । आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण द्वारा समर्थित जोखिम संसूचकों पर आधारित होना चाहिए । आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य स्टाफ से कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाना चाहिए ।

5.2 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन

5.2.1 लेखापरीक्षा समावेशन

सितम्बर-अक्टूबर 2003 के दौरान तकनीकी शिक्षा विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन अध्ययन किया गया जिसमें संचालक के नियंत्रणाधीन 5 यांत्रिकी महाविद्यालयों,41 पालीटेक्निक,9 व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 1 तकनीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय(कुल 56 इकाइयां) के साथ एक संचालनालय गठित है । संचालनालय तथा 5 शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालयों (भोपाल,जबलपुर,रीवा,सागर एवं उज्जैन) के अभिलेखों की नमूना जांच के परिणाम अनुवर्ती कंडिकाओं में दिए गए हैं ।

5.2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की संगठना

संचालक के कार्यालय में लेखा अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन एक पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की गई है । संचालक के समग्र नियंत्रणाधीन एक उप संचालक इस शाखा के प्रभारी हैं ।

संस्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध एक अधीक्षक, पांच वरिष्ठ लेखापरीक्षक, चार कनिष्ठ लेखापरीक्षक, एक सहायक श्रेणी-I तथा एक सहायक श्रेणी-II(कुल 12 सदस्य), चार वरिष्ठ एवं 4 कनिष्ठ लेखापरीक्षकों(कुल आठ) को संचालनालय की अन्य शाखाओं में तैनात किया गया था । परिणामस्वरूप शाखा में कर्मचारी अमले की अत्यधिक कमी रही ।

कर्मचारियों की विकट कमी के कारण 1998-2003 अवधि के दौरान 56 में से 38 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी । आंतरिक लेखापरीक्षा कर्मियों को कार्यालय के अन्य कार्यों में लगाए जाने के संचालक ने कारण सूचित नहीं किए ।

5.2.3 आंतरिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा मानक, उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा हेतु विभागीय संहिताओं/नियमपुस्तकों/स्थाई अनुदेशों में इकाइयों के चयन, लेखापरीक्षा के कार्यक्रम, लेखापरीक्षा में जांच हेतु मुख्य क्षेत्रों की पहिचान, दल के प्रत्येक सदस्य को सौंपे गए विस्तृत कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों, उठाई गई आपत्तियों के अनुपालन हेतु उपाय एवं नियत समयावधि आदि हेतु लेखापरीक्षा संबंधी कोई दिशानिर्देश उपबंधित नहीं किए गए थे ।

5.2.4 आंतरिक लेखापरीक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में लेखा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को पदस्थ किया गया था । आंतरिक लेखापरीक्षा कर्मियों हेतु लेखापरीक्षा कार्य में कोई पृथक प्रशिक्षण अथवा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किए गए जो आंतरिक लेखपरीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए नितांत आवश्यक था ।

5.2.5 आंतरिक लेखापरीक्षा की योजनाबद्धता, समावेशन एवं कालावधि

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारित रोस्टर/चक्रानुक्रम पंजी एवं आवधिकता का विचार किए बना तदर्थ आधार पर की जा रही थी । 42 इकाइयां 10 से 20 वर्षों तक लेखापरीक्षा हेतु बकाया थीं तथा 10 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा उनके आरंभ होने (1984) से ही लंबित थी । आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ने संचालनालय की लेखापरीक्षा तो कभी भी नहीं की । इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा लंबित रहने की स्थिति **परिशिष्ट-LI** में दर्शाई गई है ।

इस ओर इंगित किए जाने पर संचालक ने बताया कि कोई निश्चित नियम पुस्तकें एवं संहिताएं नहीं बनाई गईं थी तथा कर्मचारियों की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी । उत्तर से केवल यह पुष्टि होती है कि कर्मचारियों की अन्य अनुभागों में तैनाती के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य पिछड़ गया था ।

5.2.6 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का लंबित रहना

यद्यपि बकाया 56 में से केवल 18 इकाइयों की 9 से 17 वर्षों के मध्य अवधि की लेखापरीक्षा विगत पांच वर्षों (1998-2003) के दौरान की गई थी तथापि कोई पुनरावृत्त लेखापरीक्षा नहीं की गई । यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्रतिवेदनों में निर्दिष्ट विसंगतियों को दूर किया गया/निराकरण किया गया था तथा सुधारात्मक उपाय किए गए थे । पूर्ववर्ती वर्षों के 2-3 वर्ष पूर्व के लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा से आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबंधन के साधन का अभीष्ट उद्देश्य भी संभवतः पूरा नहीं हुआ ।

दो इकाइयों यथा शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, रीवा और शासकीय पॉलिटेक्निक, अशोकनगर के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किए गए थे, यद्यपि लेखापरीक्षा 2002 में संपन्न की गई थी । लेखापरीक्षा अयुक्तियों के अनुपालन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी । परिणामस्वरूप इकाइयों ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का त्वरित निराकरण नहीं किया । 255 लंबित अभ्युक्तियों में से 149 अभ्युक्तियां 56 इकाइयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित थीं जिनकी लेखापरीक्षा 1998 के पूर्व की गई थी और शेष 106 अभ्युक्तियां 1998-2003 अवधि के मध्य की गई लेखापरीक्षा से संबंधित थीं । आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन प्राप्ति हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए ।

5.2.7 आंतरिक लेखापरीक्षा की समग्र प्रभावोत्पादकता

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा प्रभावपूर्ण नहीं पाई गई क्योंकि 58 प्रतिशत आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां अनुपालन के अभाव में अनिर्णीत थीं । लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई दांडिक कार्रवाई आरंभ करना नहीं पाया गया । महिला पॉलिटेक्निक, सागर जिसमें भंडार एवं स्टॉक के संदिग्ध दुर्विनियोजन की शिकायतों के आधार पर प्रकरण प्रगत्याधीन होना बताया गया, को छोड़कर कोई विशेष लेखापरीक्षा अभी तक नहीं की गई ।

5.2.8 निष्कर्ष

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा अप्रभावशील पाई गई और कोई विशेष प्रभावी कार्य नहीं किए गए जो इसकी प्रभावपूर्णता के लिए अत्यावश्यक थे । न तो इकाइयों का नियमित रूप से समावेशन किया गया और न ही कोई जांच प्रणाली विकसित की गई अथवा दायित्व विश्लेषण ही किया गया । शाखा ने 4 एवं 17 वर्षों के मध्य अवधि के लिए 7 इकाइयों की लेखापरीक्षा की थी । इसप्रकार जिन उद्देश्यों से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया गया था, उद्देश्य प्राप्ति नहीं हुई ।

5.2.9 अनुशंसाएं

⇒ लेखापरीक्षा संपन्न करने की समयबद्धता एवं विस्तृत प्रक्रिया अपनाते हुए तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई विसंगतियों के परिशोधन हेतु विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा संहिता/नियमावली विकसित करनी चाहिए ।

⇒ लेखापरीक्षा का उपयुक्त समय सीमा में समावेशन करने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु की जाने वाली पूर्ण तैनाती के लिए अपेक्षित कर्मचारी संख्या का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

ग्वालियर
दिनांक

(जय नारायण गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम,
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट- I

(संदर्भ कंडिका 1.1 पृष्ठ 2)

पहले अध्याय में उपयोग में लाए गए शब्दों की परिभाषा दर्शानेवाला विवरणपत्र

I. वार्षिक लेखे का स्वरूप

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों यथा वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे में तैयार किये जाते हैं। वित्त लेखे सरकारी लेखाओं में उचित वर्गीकरण के अंतर्गत, प्राप्तियों तथा व्यय, दोनों से संबंधित समस्त लेनदेनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। विनियोग लेखे बजट अनुदानों में राज्य विधानसभा द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक हुये किसी भी व्यय का विधानसभा से नियमन कराने की आवश्यकता होती है।

भाग 2- अध्याय- I में प्रयुक्त शब्दों की सूची तथा उनकी संगणना के आधार

शब्द	संगणना के आधार
मानदण्डों की उत्प्लावकता	मानदण्डों की वृद्धि दर
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि
मानदण्ड (भ) की अन्य मानदण्ड (म) के संदर्भ में उत्प्लावकता	मानदण्ड (भ) की वृद्धि दर / मानदण्ड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1]*100
प्रवृत्ति/औसत	5 वर्ष की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति (एल.ओ.जी ई.एस.टी.)(1997-98 की राशिः 2002-03 की राशि)*100
अंश अंतरण/मानदण्ड की अंतरण दर	राजस्व अथवा व्यय जैसा भी प्रकरण हो में मानदण्डों के पाँच वर्षों की अवधि पर प्रतिशतता अंश की प्रवृत्ति
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवायें
बढ़ी हुई ब्याज दर (राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज)	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
फैला हुआ ब्याज	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि बढ़े हुये ब्याज की दरें
दिये गये कर्जों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(कर्जे एवं अग्रिमों का प्रारंभिक शेष+अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल कर्जे एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-कमी अथवा त्याज्य ऋणों हेतु विनियोग के अंतर्गत विकलनों को छोड़कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाकर राजस्व प्राप्तियाँ

परिशिष्ट- II

(संदर्भः कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य की 31 मार्च 2003 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपये में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		मध्यप्रदेश के लेखाओं में लंबित विभाजन में रोककर रखा गया शेष	वित्त लेखा विवरण पत्र संख्या का संदर्भ
		मध्यप्रदेश के लिये	छत्तीसगढ़ के लिये		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I- देयताएं-					
1. आंतरिक ऋण	7628.95	5766.01 (क)	1862.94(क)	--	4 एवं 17
2. केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ	10606.50	7783.25(क)	28823.25(क)	--	4 एवं 17
3. आकस्मिकता व्यय निधि	26.61	26.61	--	--	16
4. लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	7371.51	4840.27(ख)	974.52(ख)	1556.72	4, 16 एवं 17
5. जमाएं	1872.19	1325.09	288.60	258.50(ख)	4 एवं 16
6. आरक्षित निधियाँ	657.94(घ)	45.49	11.55	102.46(घ)	4 एवं 16
7. उचंत एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.19(ड)	16
II- परिसंपत्तियाँ-					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4941.77	1484.59	9334.21(ड)	2 एवं 13
2. कर्जे एवं पेशगियाँ	2883.18	555.95	135.91	2191.32(च)	5 एवं 18
3. अग्रिम	13.88	12.25	1.63	--	16
4. प्रेषण शेष	665.60	512.72	152.88	--	16
5.रोकड़ शेष	-29.75	22.29	-52.04	--	7
गारंटियाँ	9709.60	--	--	10480.65	6

टिप्पणीः और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें।

(क) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग (बजट अनुभाग) के आदेश क्रमांक एफ/9(2) बी (एस)/2002 दिनांक 25 जून 2002 के अंतर्गत विभाजन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभाजित अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष समाविष्ट हैं।

(ख) दो उत्तराधिकारी राज्यों के कर्मचारियों के अंतिम आबंटन के विवरणों की प्राप्ति के उपरान्त समीक्षा की जावेगी।

(ग) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42(i) के दूसरे परंतुक के रूप में कुल 657.94 करोड़ रुपये में से 498.44 करोड़ रुपये कम किये गये।

(घ) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(ड.) विवरणों के अभाव में मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(च) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों/विवरणों की प्राप्ति न होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(छ) विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार (1) 51.79 करोड़ रुपये की गारंटियों के निरस्तीकरण (2) वर्ष के दौरान प्राप्त 231.56 करोड़ रुपये की गारंटियों तथा (3) अक्टूबर 2000 से पूर्व की अवधि से संबंधित 643.50 करोड़ रुपये की त्रुटि सुधार के कारण 2001-02 की 9657.38 करोड़ रुपये की राशि से 823.27 करोड़ रुपये का अंतर ।

परिशिष्ट III

(संदर्भः कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

31 मार्च 2003 को मध्यप्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

31.03.2002 को	देयताएं	31.03.2003 को
7648.43	**आंतरिक ऋण**	**10664.24**
4473.38	ब्याज सहित बाजार कर्जे	5573.09
2.98	ब्याज रहित बाजार कर्जे	2.89
845.84	अन्य संस्थाओं से कर्जे (स्वशासी निकाय)	1153.73
-	अर्थोपाय पेशगियाँ	-
-	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	-
2326.23	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	3934.53
9043.18	**केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ**	**9483.05**
328.15	1984-85 से पूर्व के कर्जे	291.53
2468.10	योजनेतर कर्जे	1815.53
6090.57	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	7221.33
42.14	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	39.10
114.22	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	115.56
40.00	**आकस्मिक निधि**	**39.95**
6942.42	**अल्प बचतें भविष्य निधियाँ आदि**	**7034.50**
2484.16	**निक्षेप**	**2631.20**
368.67	**आरक्षित निधियाँ**	**527.13**
296.97	**उचंत तथा विविध शेष**	**69.11**
26823.83		**30449.18**

टिप्पणीः- मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के निर्धारित दिवस अर्थात् 1 नवम्बर 2000 के तत्काल पूर्व के संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के लोक ऋणों को छोड़कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के बंटवारे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

31.03.2002 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2003 को
16332.79	**स्थाई परिसम्पत्तियाँ पर सकल पूंजीगत परिव्यय**	**18787.69 $**
1687.07	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1702.38
14645.72$	अन्य पूंजीगत परिव्यय	17085.31
2001.91	**कर्जे एवं पेशगियाँ**	**2439.90**
677.76	विद्युत परियोजनाओं हेतु कर्जे	858.08
1263.66	अन्य विकास कर्जे	1531.37
60.49	सरकारी कर्मचारियों को कर्जे तथा विविध कर्जे	50.45
--	आरक्षित निधि निवेश	-
7.04	**पेशगियाँ**	**4.14**
471.59	**प्रेषण शेष**	**459.24**
331.03	**रोकड़**	**(-) 91.30**
(-)3.22	कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	**(-) 37.51**
303.55	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-) 113.41
12.50	स्थाई नकद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	13.99
18.20	रोकड़ शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निधियों का निवेश	45.63
7679.47	**सरकारी लेखे पर घाटा**	8849.51
4513.09	(i) संचित घाटे का अग्रेनयन	7679.47
3157.69	(ii) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	1169.40
5.56	(iii) अंतर्राज्यीय निपटारा	-
3.13$^{\varphi}$	(iv) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	0.64
26823.83		**30449.18**

$ स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिया गया 82.42 करोड़ रुपये का सहायतानुदान योजनेतर राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत (आयोजना) व्यय के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकृत किया गया (कृपया देखे कंडिका 1.6) ।

$^{\varphi}$ छत्तीसगढ़ राज्य को, राजस्व आरक्षित निधि निवेश लेखे के प्रोफार्मा अंतरण शेष से संबंधित 3.08 करोड़ रुपये समाविष्ट ।

परिशिष्ट IV

(संदर्भः कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

वर्ष 2002-03 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रुपये में)

2001-02			2002-03	2001-02		2002-03		
						योजनेत्तर	आयोजना	योग
		अनुभागः क राजस्व						
11211.08	**I.**	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**13390.40**		**I. राजस्व व्यय**			
4678.98		कर राजस्व	6164.55	**5049.49**	**सामान्य सेवायें**	**5324.69**	**119.99**	**5444.68**
				4582.89	**सामाजिक सेवायें**	**3832.21**	**1452.05**	**5284.26**
1601.68		-कर भिन्न राजस्व्	1635.48	2110.04	-शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति	1979.23	316.35	2295.58
				666.89	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	484.32	276.29	760.61
3439.30		-संघ करों का राज्यांश	3728.73	535.72	-जल आपूर्ति, स्वच्छता आवास एवं नगरीय विकास	237.38	160.00	397.38
322.35		-योजनेतर अनुदान	301.16	16.63	-सूचना एवं प्रसारण	23.94	0.37	24.31
				691.70	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	442.63	388.73	831.36
649..08		-राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	815.90	52.94	-श्रम एवं श्रमिक कल्याण	49.37	6.84	56.21
				500.96	-सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	606.46	303.03	909.49
519.69		-केन्द्रीय और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	744.58	8.01	-अन्य	8.88	0.44	9.32
				4363.49	**आर्थिक सेवायें**	**1476.44**	**1948.26**	**3424.70**
				1107.62	-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	769.11	456.48	1225.59
				619.00	- ग्रामीण विकास	163.40	468.91	632.31
				-	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
				261.11	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	191.68	58.91	250.59
				2037.01	-ऊर्जा	70.00	909.77	979.77
				54.13	-उद्योग एवं खनिज	31.20	34.98	66.18
				246.34	-परिवहन	224.00	-	224.00
				2.09	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.41	2.65	4.06

					36.19	-सामान्य आर्थिक सेवायें	25.63	16.56	42.20
					372.90	-सहायता अनुदान एवं अंशदान	406.16	-	406.16♠
3157.69	II.	अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व घाटा	1169.40			II-अनुभाग क को अग्रेनीत राजस्व बचत	-	-	-
14368.77		योग	14559.80		14368.77	योग	11039.50	3520.30	14559.80♠
		अनुभाग ख							
(-)226.65⊕	III	स्थाई पेशगियाँ एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	331.03			III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष	-	-	-
					1470.64♠	IV. पूंजीगत परिव्यय	6.43	2448.47	2454.90
	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां			21.79	सामान्य सेवायें	-	36.28	36.28
					171.58	सामाजिक सेवायें	1.43	534.41	535.84
					15.82	-शिक्षा, खेल कला एवं कल्याण	-	16.56	16.56
					21.27	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.03	18.26	18.29
					72.26	-जल आपूर्ति, स्वच्छता आवास एवं नगरीय विकास	0.40	393.73	394.13
					-	-सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
					61.10	-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	-	105.24	105.24
					0.25	-सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	1.00	0.21	1.21
					0.88	- अन्य सामाजिक सेवायें	-	0.41	0.41
					1277.27	आर्थिक सेवायें	5.00	1877.78	1882.78
					23.46	-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	4.87	28.99	33.86
					148.54	-ग्रामीण विकास	-	222.77	222.77
					685.49	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	950.14	950.14
					172.78	-ऊर्जा	-	347.54	347.54
					6.80	-उद्योग एवं खनिज	0.10	9.52	9.62
					237.33	-परिवहन	-	314.92	314.92
					2.87	-सामान्य आर्थिक सेवायों	0.03	3.90	3.93
		योग			1470.64	योग	6.43	2448.47	2454.90

♠ स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिया गया 82.42 करोड़ रुपये का सहायतानुदान योजनेतर राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत (आयोजना) व्यय के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकृत किया गया।

⊕ *वित्त लेखे के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण विगत वर्ष के अंत शेष की तुलना में 3.08 करोड़ रुपये (30797066) का अंतर ।*

(करोड़ रुपये में)

2001-02			2002-03	2001-02		2002-03
1587.65	**V**	**कर्जें एवं पेशगियों की वसूलियाँ**	**42.71**	**598..58**	**V. संवितरित कर्जें एवं पेशगियाँ**	**480.70**
1557.55		-विद्युत परियोजनाओं से	1.34	224.47	-विद्युत परियोजनाओं के लिये	181.66
12.96		-सरकारी कर्मचारियों से	11.44	7.62	-सरकारी कर्मचारियों को	1.35
17.14		-अन्य से	29.93	366.49	-अन्य को	297.69
--	**VI**	**अन्तर्राज्यीय निपटारा**	-	**5.56**	**VI. अन्तर्राज्यीय निपटारा**	-
-	**VII**	**अधनीत राजस्व बचत**	-	**3157.69**	**VII. अधनीत राजस्व घाटा**	**1169.40**
3281.00	**VIII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**4949.30**	**521.67**	**VIII. लोक ऋण का प्रतिभुगतान**	**1493.61**
1830.30		-अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	3168.69	149.38	-अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	152.87
1450.70		-केन्द्र सरकार से कर्जें एवं पेशगियाँ	1780.61	372.29	-केन्द्र सरकार को कर्जें तथा पेशगियों का प्रतिभुगतान	1340.74
-		-अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन देन	-	--	-अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन देन	-
-	**IX**	**आकस्मिक व्यय निधि को विनियोग**	-	--	**IX. आकस्मिक व्यय निधि को विनियोग**	
-	**X**	**आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित राशि**	-	--	**X. आकस्मिक निधि से व्यय**	**0.05**
15012.67	**XI**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**	**20119.55**	**13569.50**	**XI. लोक लेखा संवितरण**	**19935.23**
1238.13		-लघु बचते एवं भविष्य निधि	1108.88	830.53	-लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	1016.81
130.97		-आरक्षित निधियाँ	169.79	37.50	-आरक्षित निधियाँ	11.33
7433.57		-उचंत एंव विविध	10763.80	7332.81	-उचंत एवं विविध	10992.29
3394.46		-प्रेषण	4286.52	3234.45	-प्रेषण	4274.17
2815.54		-जमा एवं पेशगियाँ	3790.56	2134.21	-जमाऐं एवं पेशगियाँ	3640.63
	XII	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष**	-	**331.03**	**XII. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष**	**(-) 91.30**
				(-)3.22	-कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	(-) 37.51
				303.55	-रिजर्व बैंक में जमा	(-) 113.41
				12.50	-स्थाई नकद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	13.99
				18.20	-रोकड़ शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निधि निवेश	45.63
19654.67		**योग**	**25442.59**	**19654.67**	**महायोग**	**25442.59**

परिशिष्ट- V

(संदर्भः कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

2001-02		स्रोत	2002-03	
राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
11211.08	65.94	राजस्व प्राप्तियाँ	13390.40	75.55
1587.65	9.34	कर्जें एवं पेशगियों की वसूलियाँ	42.71	0.24
2759.33	16.23	लोक ऋण में वृद्धि	3455.69	19.50
1443.18[φ]	8.49	लोक लेखे से प्राप्तियाँ	412.81	2.33
407.60		क- अल्प बचतों में वृद्धि	92.07	
681.33		ख- जमा एवं पेशगियों में वृद्धि	149.93	
93.47		ग- आरक्षित निधियों एवं आरक्षित निधि निवेश मे वृद्धि	158.46	
160.01		घ- प्रेषण लेन देनों का प्रभाव	12.35	
100.77		ङ- उचंत एवं विविध में वृद्धि	--	
--	--	अंतिम रोकड़ शेष में कमी	422.33	2.38
17001.24	**100**	**योग**	**17723.94**	**100**
		उपयोग		
14368.77	84.52	राजस्व व्यय	14559.80	82.15
598.58	3.52	विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु उधार देना	480.70	2.71
1470.64	8.65	पूंजीगत व्यय	2454.90	13.85
--	--	आकस्मिक निधि लेन देनों का निवल प्रभाव	0.05	
5.56	0.03	अंतर्राज्यीय निपटारे का निवल प्रभाव		
--	--	लोक लेखे से उपयोग	228.49	1.29
--	--	क- उचंत एवं विविध का निवल प्रभाव	228.49	
--	--	ख- विविध शासकीय लेखे	-	
--	--	ग- जमा एवं अग्रिमों में कमी	-	
--	--	घ- प्रेषण लेन देनें का प्रभाव	-	
557.69[*]	3.28	अंतिम रोकड़ शेष में वृद्धि	-	
17001.24	**100**	**योग**	**17723.94**	**100**

विवरण पत्र 1, 2 एवं 3 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. उपरोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जायें।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण विवरण पत्र 1 में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा वाणिज्य लेखे में उपार्जित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार के आंकड़ों इत्यादि में मूल्यहास अथवा भिन्नता जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं।

3. उचंत एवं विविध शेषों में जारी किये गये परन्तु भुगतान नहीं किये गये चेक राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अंतर्विभागीय और सरकारों के मध्य भुगतान एवं अन्य लंबित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।

4. स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिया गया 82.42 करोड़ रुपये का सहायतानुदान योजनेतर राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत (आयोजना) व्यय के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकृत किया गया।

5. 'रिजर्व बैंक में निक्षेप' के अंतर्गत लेखे में दर्शाये गये 11341.00 लाख रुपये (आकलन) तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित 9528.14 लाख रुपये (विकलन) के आंकड़ों में 1812.86 लाख रुपये (आकलन) का अंतर था। जून 2003 का लेखाबंद करने के उपरान्त समाधान किया जाने वाला निवल अंतर 1435.17 लाख रुपये (आकलन) का था।

φ *0.01 करोड़ रुपये का अंतर पूर्णांकन के कारण है।*

* *3.08 करोड़ रुपये के प्रोफार्मा त्रुटि सुधार सहित।*

परिशिष्ट VI

(संदर्भः कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

	1998-99[⊗]	1999-2000[⊗]	2000-01			2001-02	2002-03
			अप्रैल-अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000 से मार्च 2001	योग		
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**11346**	**13204**	**7136**	**5703**	**12839**	**11211**	**13391**
(i) कर राजस्व	5108 (45)	5795 (44)	3225	2415	5640 (44)	4679(42)	6165(46)
विक्रय व्यापार आदि पर कर	2297 (45)	2555 (44)	1568	1198	2766 (49)	2361(50)	2906(47)
राज्य आबकारी	965 (19)	1073 (19)	674	301	975 (17)	705(15)	890(15)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	400 (8)	470 (8)	298	179	477 (8)	445(10)	535(9)
वाहनों पर कर	382 (7)	402 (7)	257	149	406 (7)	393(8)	429(7)
अन्य कर	1064(21)	1295(22)	428	588	1016(19)	775(17)	1405(22)
(ii) कर भिन्न राजस्व	1782 (16)	2469 (18)	1020	704	1724 (13)	1602(14)	1635(12)
(iii) संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश	2932 (26)	3262 (25)	2318	1637	3955 (31)	3439(31)	3729(28)
(iv) भारत सरकार से सहायतानुदान	1523 (13)	1678 (13)	574	946	1520 (12)	1491(13)	1862(14)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--	--	--
3. कुल राजस्व एवं ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां	**11346**	**13204**	**7136**	**5703**	**12839**	**11211**	**13391**
4. कर्जे एवं पेशगियों की वसूली	**56**	**314**	**(-) 6**	**19**	**13**	**1588**	**43**
4 क अंतर्राज्यीय निपटारा						--	
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**2796**	**3462**	**2171**	**930**	**3101**	**3281**	**4949**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	742(28)	2104(61)	1308	568	1876(61)	1830(56)	3169(64)
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	1862(72)	1358(39)	632	362	994(32)	1451(44)	1780(36)
अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष में निवल लेन देन	192	--	231	-	231(7)	--	--
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+5)	**14198**	**16980**	**9301**	**6652**	**15953**	**16080**	**18383**
7. आकस्मिक व्यय निधि प्राप्तियाँ	--	--	**7**	-	**7**	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**15717**	**17170**	**9882**	**6638**	**16520**	**15013**	**20120**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**29915**	**34150**	**19190**	**13290**	**32480**	**31093**	**38503**
10. राजस्व व्यय	**14218(92)**	**16136(93)**	**8938**	**6047**	**14985 (91)**	**14369(87)**	**14560(83)**
आयोजनागत	2476(17)	2727(17)	1217	1466	2683 (18)	2516(18)	3520(24)
योजनेतर	11742(83)	13409(83)	7721	4581	12302 (82)	11853(82)	11040(76)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	4766(34)	5244(33)	3364	1959	5323 (36)	5049(35)	5445(37)
सामाजिक सेवायें	5574(39)	6210(38)	3639	2197	5836 (39)	4583(32)	5284(36)
आर्थिक सेवायें	3462(24)	4033(25)	1585	1713	3298 (22)	4364(30)	3425(24)
सहायतानुदान एवं अंशदान	416(3)	648(4)	350	178	528 (3)	373(3)	406(3)
11. पूंजीगत व्यय	**1010(6)**	**950(5)**	**524**	**586**	**1110 (7)**	**1471(9)**	**2455(14)**
आयोजनागत	999 (99)	946 (100)	518	587	1105(100)	1466(100)	2449(100)
योजनेतर	11 (1)	4	06	(-) 01	05	05	6
सामान्य सेवायें	20 (2)	16 (2)	05	11	16(2)	22(1)	36 (1)
सामाजिक सेवायें	219 (22)	195 (20)	38	98	136(12)	172(12)	536(22)
आर्थिक सेवायें	771 (76)	739 (78)	481	477	958(86)	1277(87)	1883(77)

- जारी..

⊗ *पूर्ववर्ती संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित हैं ।*

δ भारत सरकार से अर्थोपाय पेशगियां समाविष्ट हैं ।

परिशिष्ट VI (जारी)

(करोड़ रुपये में)

	1998-99*	1999-2000*	2000-01			2001-02	2002-03
			अप्रैल-अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000 से मार्च 2001	योग		
12. कर्जे एवं पेशगियों का वितरण	302 (2)	343 (2)	33	263	296(2)	599(4)	481 (3)
12 क अंतर्राज्यीय निपटारा			-	-		5-	-
13. कुल व्यय (10+11+12)	15530	17429	9495	6896	16391	16444	17496
14. लोक ऋण का प्रति भुगतान	439	549	271	547	818	522	1494
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	90	135	51	72	123	150	153
- अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्षो के अधीन निवल लेनदेन	--	21	-	294	294	--	-
- भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	349	393	220	181	401	372	1341
15. आकस्मिक व्यय निधि विनियोग	--	--	-	-	--	--	-
16. -समेकित निधि से कुल संवितरण	15969	17978	9766	7443	17209	16966	18990
17. -आकस्मिक व्यय निधि संवितरण	--	7	13	(-) 13	--	--	-
18. -लोक लेखा संवितरण	14131	16040	9690	6146	15836	13569	19935
19. -सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	30100	34025	19469	13576	33045	30535	38925
भाग- ग- घाटा							
20. -राजस्व घाटा (1-10)	2872	2932	1802	344	2146	3158	1169
21. -राजकोषीय घाटा (3+4-13)	4127	3911	2365	1174	3539	3645	4062
22. -प्रारंभिक घाटा (21-23)	2292	1772	858	270	1128	1391	1560
भाग- घ - अन्य आंकड़े							
23. - ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1835	2139	1507	904	2411	2254	2502
24. -राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	248 (4)	465 (6)	-	-	347 (5)	204(3)	839$ (11)
25. - स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	759	1505	224	589	813	2304	525
26. -ली गई अर्थोपाय पेशगियों/अधिविकर्ष (दिन)	129/144	165/100	70/9	95/38	165/47	117/172	103/176
27. - अर्थोपाय पेशगियाँ/अधिविकर्ष पर ब्याज	5/3	10/3	6/2	2/1	8/3	11/5	11/7
28. -सकल राज्य घरेलू उत्पाद	90737	98768(ख)	-		88445(ग)	81286(क)	83011(क)
29. -बकाया ऋण (वर्षान्त)	21959	25948	-	22548	22548	26487	30340
30. -बकाया गारंटियाँ (वर्षान्त)	1413	142	-	-	467	472	585
31. - गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	8599	9671	-	-	9673	9701	11572
32. - अपूर्ण परियोजनओं की संख्या	59	237	-	-	185	180	301
33. - अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	3725	5957	-	-	4983	5589	6459

(क) परवर्ती मध्यप्रदेश राज्य हेतु त्वरित अनुमान ।

(ख) अनंतिम ।

(ग) परवर्ती मध्यप्रदेश राज्य हेतु पूर्ण वर्ष के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनंतिम आंकड़े (73165 करोड़ रुपये) तथा अप्रैल- अक्टूबर 2000 हेतु छत्तीसगढ़ के लिये उसकी आनुपातिक राशि (15280 करोड़ रुपये) ।

(*) संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में ।

($) कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों के राजस्व आंकड़े ।

परिशिष्ट- VII

(संदर्भः कंडिका 1.7.2 पृष्ठ 17)

दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि के विभागवार आंकड़े

क्रम संख्या	मुख्यशीर्ष एवं विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि	संवर्ग	अभ्युक्तियाँ
1.	2014- न्याय प्रशासन	33	39,10,664.22	दुर्विनियोग, व्यपहरण, हानियाँ आदि	
2.	2029 -भू राजस्व	39	10,62,937.56	--------"--------	
3.	2040-वाणिज्यिक कर	03	1,13,088.50	--------"--------	
4.	2051-लोक सेवा आयोग	01	23,109.71	--------"--------	
5.	2053-जिला प्रशासन	13	3,76,756.27	--------"--------	
6.	2054-कोषालय एवं लेखा (वित्त विभाग)	13	33,18,186.85	--------"--------	
7.	2058-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	02	98,155.70	--------"--------	
8.	2210-लोक स्वास्थ्य विभाग	140	1,19,44,499.10	--------"--------	
9.	2211-परिवार कल्याण विभाग	95	17,74,285.96	--------"--------	
10.	2245-राष्ट्रीय आपदा	04	46,91,553.30	--------"--------	
11.	2235-पंचायत एवं समाज कल्याण	14	2,15,145.95	--------"--------	
12.	2235-महिला एवं बाल कल्याण	08	3,91,656.00	--------"--------	
13.	2235-पुनर्वास विभाग	06	65,080.49	--------"--------	
14.	2403-पशु पालन विभाग	18	11,27,459.38	--------"--------	
15.	2041-परिवहन	04	6,10,020.80	हानियाँ	
16.	2055-पुलिस	256	82,64,137.67	दुर्विनियोग, व्यपहरण, हानियाँ आदि	
17.	2225-जनजाति विकास/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	83	46,26,236.46	--------"--------	
18.	2030-मुद्रांक पंजीयन	01	95,980.00	--------"--------	
19.	2853-जिलाध्यक्ष सीधी	01	1669.30	--------"--------	
20.	2853-संचालक खनन	01	30,579.00	--------"--------	
21.	2853-संचालक खनन	01	27,675.00	--------"--------	
22.	--------"--------	01	80,442.00	--------"--------	
23.	2401-कृषि विभाग	61	8,81,826.86	--------"--------	
24.	2402.--------"--------	11	2,81,589.57	--------"--------	
25.	2701-जल संसाधन	09	1,48,844.86	--------"--------	
26.	2702---------"--------	15	2,32,889.99	--------"--------	
27.	2408-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	04	2,23,763.32	--------"--------	
28.	2056-जेल विभाग	01	10,000.00	--------"--------	
29.	2851-ग्रामोद्योग विभाग	13	4,42,755.40	--------"--------	
30.	2230-श्रम एवं रोजगार	24	10,37,342.82	--------"--------	
31.	2039-राज्य आबकारी	15	5,54,953.72	दुर्विनियोग, व्यपहरण, हानियाँ आदि	
32.	2425-सहकारिता	02	1,11,774.00	--------"--------	
33.	2059-लोक निर्माण विभाग	02	2,91,735.50	--------"--------	
34.	2202-स्कूल शिक्ष विभाग	166	51,69,853.62	--------"--------	
35.	2202-उच्च शिक्षा विभाग	25	12,97,037.59	--------"--------	
36.	2203-तकनीकी शिक्षा विभाग	04	2,87,361.47	--------"--------	
37.	2205-कला एवं संस्कृति विभाग	01	13,12,117.70	--------"--------	
38.	2405-मछली पालन विभाग	02	39,526.35	--------"--------	
39.	2501, 2505, 2515 -ग्रामीण विकास विभाग	19	9,51,407.72	--------"--------	
	योग	**1111**	**5,61,24,099.71**		

परिशिष्ट VIII

(संदर्भः कंडिका 1.7.2 पृष्ठ 17)

दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि के विभागवार/वर्षवार विवरण

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष एवं विभाग का नाम	1965-66 से 1998-99 तक		1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003		कुल योग	
		प्रकरणों की सख्या	राशि	प्रकरणों की सख्या	राशि	प्रकरणों की सख्म	राशि	प्रकरणों की सख्या	राशि	प्रकरणों की सख्या	राशि	प्रकरणों की सख्या	राशि
1.	न्याय प्रशासन	29	8,00,304.91	--	--	04	31,10,359.31	--	--	--	--	33	39,10,664.22
2.	भू राजस्व	38	9,82,937.56	--	--	01	80,000.00	--	--	--	--	39	10,62,937.56
3.	वाणिज्यिक कर	03	1,13,088.50	--	--	--	--	--	--	--	--	03	1,13,088.50
4.	लोक सेवा आयोग	--	--	--	--	01	23,109.71	--	--	--	--	01	23,109.71
5.	जिला प्रशासन	12	2,65,256.27	--	--	01	1,11,500.00	--	--	--	--	13	3,76,756.27
6.	कोषालय लेखा (वित्त विभाग)	13	33,18,186.85	--	--	--	--	--	--	--	--	13	33,18,186.85
7.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	02	98,155.70	--	--	--	--	--	--	--	--	02	98,155.70
8.	लोक स्वास्थ्य विभाग	134	1,13,11,243.22	04	4,70,765.88	02	1,62,490.00	--	--	--	--	140	1,19,44,499.10
9.	परिवार कल्याण विभाग	95	17,74,285.96	--	--	--	--	--	--	--	--	95	17,74,285.96
10.	प्राकृतिक आपदा	03	24,553.30	01	46,67,000.00	--	--	--	--	--	--	04	46,91,553.30
11.	स्कूल शिक्षा विभाग	148	38,30,714.97	04	87,248.00	01	44,276.00	02	4,25,287.00	11	7,82,327.65	166	51,69,853.62
12.	उच्च शिक्षा विभाग	20	10,74,077.99	01	2,00,389.60	02	14,640.00	01	1,500.00	01	6,430.00	25	12,97,037.59
13.	तकनीकी शिक्षा विभाग	01	63,710.47	--	--	--	--	03	2,23,651.00	--	--	04	2,87,361.47
14.	कला एवं संस्कृति विभाग	01	13,12,117.70	--	--	--	--	--	--	--	--	01	13,12,117.70
15.	मत्स्यपालन विभाग	02	39,526.35	--	--	--	--	--	--	--	--	02	39,526.35
16.	ग्रामीण विकास विभाग	17	8,11,376.72	--	--	--	--	01	7,031	01	1,33,000.00	19	9,51,407.72
17.	कृषि विभाग (2401)	59	7,82,534.86	--	--	--	--	01	95,000.00	01	4,292.00	61	8,81,826.86

18.	कृषि विभाग (2402)	09	1,86,201.57	--	--	--	--	01	5,388.00	01	90,000.00	11	2,81,589.57
19.	जल संसाधन (2701)	09	1,48,844.86	--	--	--	--	--	--	--	--	09	1,48,844.86
20.	जल संसाधन (2702)	15	2,32,889.99	--	--	--	--	--	--	--	--	15	2,32,889.99
21.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	04	2,23,763.32	--	--	--	--	--	--	--	--	04	2,23,763.32
22.	जेल विभाग	01	10,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	01	10,000.00
23.	ग्रामोद्योग विभाग	03	91,395.05	01	11,000.00	02	3,13,135.35	04	15,600.00	03	11,625.00	13	4,42,755.40
24.	श्रम एवं रोजगार	12	1,87,287.82	01	12,735.00	05	7,92,700.00	01	11,494.00	05	33126.00	24	10,37,342.82
25.	राज्य आबकारी	10	4,93,810.72	--	--	03	52,514.00	--	--	02	8,629.00	15	5,54,953.72
26.	सहकारिता	--	--	--	--	02	1,11,774.00	--	--	--	--	02	1,11,774.00
27.	लोक निर्माण विभाग	02	2,91,735.50	--	--	--	--	--	--	--	--	02	2,91,735.50
28.	परिवहन विभाग	04	6,10,020.80	--	--	--	--	--	--	--	--	04	6,10,020.80
29.	पुलिस विभाग	139	42,11,181.40	4	6,31,069.75	18	7,26,370.82	36	11,62,851.95	59	15,32,663.75	256	82,64,137.67
30.	पशुपालन विभाग	17	11,26,850.38	--	--	--	--	01	609.00	--	--	18	11,27,459.38
31.	मुद्रांक पंजीयन	01	95,980.00	--	--	--	--	--	--	--	--	01	95,980.00
32.	जिलाध्यक्ष सीधी	01	1,669.30	--	--	--	--	--	--	--	--	01	1,669.30
33.	संचालक खनन	--	--	--	--	03	1,38,696.00	--	--	--	--	03	1,38,996.00
34.	जनजाति कल्याण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग	82	42,21,840.46	01	4,04,396.00	--	--	--	--	--	--	83	46,26,236.46
35.	पंचायत एवं समाज कल्याण	14	2,15,145.95	--	--	--	--	--	--	--	--	14	2,15,145.95
36.	पुनर्वास	06	65,080.49	--	--	--	--	--	--	--	--	06	65,080.49
37.	महिला बाल विकास	07	2,73,487.00	01	1,18,169.00	--	--	--	--	--	--	08	3,91,656.00
	योग	**913**	**3,92,89,255.94**	**18**	**66,02,773.23**	**45**	**56,81,565.19**	**51**	**19,48,411.95**	**84**	**26,02,093.40**	**1111**	**5,61,24,099.71**

परिशिष्ट- IX

(संदर्भः कंडिका 1.7.3 पृष्ठ 18)

हानियों इत्यादि का अपलेखन

क्रम संख्या	विभाग	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपये में)
1.	परिवहन	02	1,39,972.00
2.	पुलिस	18	3,84,127.60
3.	पंचायत एवं समाज कल्याण	03	27,398.00
4.	महिला एवं बाल कल्याण	--	71,135.00
5.	पुनर्वास राहत एवं प्राकृतिक आपदा	01	1,000.00
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	03	9,772.00
7.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	03	1,09,729.00
8.	ग्रामोद्योग	01	15,993.00
9.	स्कूल शिक्षा	14	3,49,927.00
10.	उच्च शिक्षा	03	38,808.00
11.	मत्स्यपालन	01	17,825.00
12.	ग्रामीण विकास	04	47,227.00
	योग	**53**	**12,12,913.60**

परिशिष्ट X

(संदर्भः कंडिका 1.8.3 पृष्ठ 19)

मार्च 2003 के अंत में हानि में चल रहे 31.12.2003 को सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी/निगम का नाम	31 मार्च 2003 के अंत में निवेश की गई (प्रदत्त पूंजी) राशि				31 मार्च 2003 के अंत में संचित हानि (-)	वर्ष जिस तक लेखे प्रस्तुत किये गये	अभ्युक्तियां
		राज्य	केन्द्रीय	अन्य	योग			
क.	कम्पनियाँ							
1.	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित भोपाल	209.50	120.00	--	239.50	(-)80.37	2000-01	
2.	मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मर्यादित भोपाल	1.70	52.00	72.46	126.16	(-)173.84	1998-99	
3.	मध्यप्रदेश पुलिस आवास निगम मर्यादित भोपाल	600.00	--	--	600.00	(-)349.15	2001-02	
4.	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (शिवा) मर्यादित भोपाल	--	--	80.00	80.00	(-)462.12	1999-2000	
5.	मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल	644.85	--	--	644.85	(-)16.44	1997-98	
6.	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल	2497.29	--	--	2497.29	(-)1215.24	2000-01	
7.	मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित भोपाल	8109.18	--	--	8109.18	(-)22495.13	2000-01	
8.	मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित भोपाल	68.92	--	--	68.92	(-)37.81	2001-02	
ख.	बंद हुई कम्पनियाँ							
9.	मध्यप्रदेश उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित भोपाल	592.29	--	--	592.29	(-)623.76	1991-92	
10.	आप्टेल टेलीकम्युनिकेशन	--	निजी अंशधारक	1500.00 896.71	2396.71	(-)4455.99	2001-02	
11.	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल	1511.67	--	--	1511.67	(-)6990.35	2001-02	
12.	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम मर्यादित भोपाल	685.95	--	--	685.95	(-)7905.44	2001-02	
13.	मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित	500.00	--	--	500.00	(-)205.04	1989-90	
14.	मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित भोपाल	27.25	--	15.67	42.92	(-)37.50	2001-02	
ग	धारा 619 के कम्पनियाँ							
15.	मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र मर्यादित भोपाल	126.00	24.00	--	150.00	(-)378.00	1989-90	
घ	निगम							
16.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	16961.71	--	--	16961.71	(-)161521.53	2001-02	
17.	मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन	14140.34	4096.38	--	18236.72	(-)86452.81	2002-03 (31.12.2003 तक)	
18.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	6253.91	--	2554.45	8808.36	(-)23871.51	2002-03	
	महायोग	52930.56	4292.38	5119.29	62342.23	(-)317272.03		

टिप्पणीः- 1. कालम 5 धारक सरकारी कम्पनियों द्वारा किये गये निवेश से संबंधित है।

2. इस भाग द्वारा अंतिम रूप दिये गये प्रमाणित लेखाओं के उपरान्त की अद्यतन स्थिति नहीं दी जा सकती क्योंकि इस भाग में अनंतिम लेखे प्राप्त नहीं हुये हैं।

परिशिष्ट- XI

(संदर्भः कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 31)

वे प्रकरण जिनमें व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक कम तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक कम रहा

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचत राशि (प्रावधान का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
क	*राजस्व-दत्तमत*		
1	01- सामान्य प्रशासन	83.50	11.61 (13.9)
2	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	76.97	61.78 (80.3)
3	03- पुलिस	964.41	154.95 (16.1)
4	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	6.98	2.16 (30.9)
5	05- जेल	64.75	6.73 (10.4)
6	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1351.35	215.01 (15.9)
7	08- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	325.52	63.14 (19.4)
8	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	42.61	12.19 (28.6)
9	13- कृषि	284.30	56.59 (19.9)
10	14- पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	146.42	21.39 (14.6)
11	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	167.92	22.63 (13.5)
12	16- मत्स्योद्योग	12.14	2.45 (20.2)
13	17- सहकारिता	48.91	14.19 (29)
14	18- श्रम	46.15	11.35 (24.6)
15	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	570.40	84.23 (14.8)
16	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	203.32	23.87 (11.7)
17	21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	19.54	2.60 (13.3)
18	25- खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	8.61	1.79 (20.8)
19	29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	145.49	48.64 (33.4)
20	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	133.80	24.76 (18.5)
21	31- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	20.20	5.97 (29.6)
22	32- जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	43.49	7.00 (16.1)
23	34- समाज कल्याण	24.30	5.02 (20.7)
24	36- परिवहन	32.49	14.12 (43.5)
25	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	267.67	58.93 (22)
26	40- कमान क्षेत्र विकास से संबंधित व्यय	5.16	3.56 (69)

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)
27	43- खेल एवं युवा कल्याण	7.38	1.04 (14.1)
28	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	39.05	5.86 (15)
29	47- जनशक्ति नियोजन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा	159.17	29.65 (18.6)
30	48- नर्मदा घाटी विकास	8.34	3.81 (45.7)
31	51- धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	5.41	1.12 (20.7)
32	52- कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	5.20	1.93 (37.1)
33	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	294.47	69.99 (23.8)
34	56- ग्रामोद्योग	24.87	3.90 (15.7)
35	61- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	4.42	2.51 (56.8)
36	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	321.41	70.55 (22.0)
37	72- गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	36.52	16.51 (45.2)
38	74- वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	150.00	56.72 (37.8)
39	78- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास	10.41	10.41 (100)
40.	80- त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायता	700.37	77.22 (11)
41	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	299.06	62.79 (21)
42	88- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- न्यायिक	4.76	3.05 (64.1)
43	90- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.60	6.60 (100)
44	92- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- संस्कृति	3.87	3.37 (87.1)
45	93- गतिवर्धित ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	62.15	48.24 (77.6)
	योग (क)		**1411.93**
ख	***राजस्व-प्रभारित***		
46	01- सामान्य प्रशासन	*6.40*	*1.73* *(27)*
	योग (ख)		***1.73***
ग	**पूंजीगत दत्तमत**		
47	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य-व्यय	4.29	4.29 (100)
48	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	6.32	4.22 (66.8)
49	07- वाणिज्यकर विभाग से संबंधित व्यय	18.20	4.30 (23.6)
50	08- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	7.40	4.97 (67.2)

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)
51	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	16.09	3.80 (23.6)
52	17- सहकारिता	40.03	22.63 (56.5)
53	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	87.69	76.64 (87.4)
54	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	187.59	41.54 (22.1)
55	23- जल संसाधन विभाग	349.89	41.44 (11.8)
56	24- लोक निर्माण, सड़कें एवं पुल	282.19	57.13 (20.2)
57	27- शालेय शिक्षा	16.21	7.68 (47.4)
58	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	31.05	6.36 (20.5)
59	40- कमान क्षेत्र विकास से संबंधित व्यय	9.57	6.09 (63.6)
60	42- जनजाति क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण- सड़कें एवं पुल	97.11	46.04 (47.4)
61	44- उच्च शिक्षा	3.00	1.71 (57)
62	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	50.78	27.13 (53.4)
63	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	1.56	1.36 (87.2)
64	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	84.00	39.78 (47.4)
65	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	206.97	58.48 (28.3)
66	67- लोक निर्माण कार्य- भवन	55.36	37.95 (68.6)
67	73- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	55.00	21.96 (39.9)
68	75- जल संसाधन विभाग- नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना	119.76	13.29 (11.1)
69	84- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- राजस्व	20.85	9.22 (44.2)
70	85- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- पुलिस	3.38	1.78 (52.7)
71	86- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- जेल	4.56	3.83 (84)
72	93- गतिवर्धित ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	62.15	48.24 (77.6)
73	94- सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय	110.50	38.45 (34.8)
	योग (ग)		**630.31**
	महायोग (क + ख + ग)		**2043.97**

परिशिष्ट XII

(संदर्भ कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 31)

प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखाशीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
	क. केन्द्र प्रवर्तित योजनायें		
1	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0701-6394--म.प्र.निर्यात संवर्धन केन्द्र ग्वालियर की स्थापना	1.25
2	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0701-7604-पीथमपुर जिला धार में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना	1.00
3	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2852-80-800-0701-7627-लघु औजार कक्ष की स्थापना	1.00
4	27- शालेय शिक्षा	2202-01-800-0701-1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु बुनियादी न्यूनतम सेवायें	8.94
5	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना (20-स्कूल शिक्षा विभाग)	2202-01-796-101-0702-5215-राजीव गाँधी मिशन को शिक्षा गारंटी योजना हेतु अनुदान	8.00
6	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना (25-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	4225-02-796-277-0702-8828-आश्रम/शालाओं हेतु भवन निर्माण	18.58
7	61- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2211-106-0701-7655-आई.पी.डी.-रियोजनायें	1.74
8	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना (02-गृह विभाग)	4059-60-789-800-0703-5172-नवीन पुलिस थानों की स्थापना	1.14
9	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना (20-स्कूल शिक्षा विभाग)	2202-01-789-101-0703-5215-राजीव गाँधी मिशन को शिक्षा गारंटी योजना हेतु अनुदान	2.17
10	67- लोक निर्माण कार्य- भवन	4059-01-051-0701-7094-जेल सुधार योजना अंतर्गत निर्माण कार्य	31.03
	योग (क)		**74.85**
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र योजना		
11	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0801-8717-सोलहवीं पशु गणना	1.00
12	14- पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	2403-102-0801-6548-गाय एवं भैंस विकास हेतु हिमिकृत वीर्य तकनीक विस्तार	7.03
13	15- अनुसूचित जातियों को लिये विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 22- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2501-01-789-101-0803-7118-राष्ट्रीय विकास समकरण योजना	3.15
14	18- श्रम	2230-01-101-0801-5019 -मण्डियों में कर्त्तव्यरत हम्मालों के लिये गृह निर्माण योजना	1.05
15	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498 -पारम्परिक गर्भ निरोधकों का प्रदाय	10.00
16	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106-विश्वव्यापी टीकाकरण	25.00
17	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498-पारंपरिक गर्भ निरोधकों का प्रदाय	13.34

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)
18	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244-मलेरिया	9.64
19	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-8282-शिशु जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	26.97
20	21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	2215-02-106-0801-8872 -राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	1.00
21	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना (25-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2225-02-796-277-0802-5232-मध्यप्रदेश आवासीय स्कूल समिति को अनुदान अनुच्छेद 275(i)	9.00
22	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना (25-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	4225-02-796-277-0802-8848-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण	5.00
23	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना (29-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2408-01-796-190-0802-4994-गोदाम समूह का निर्माण	1.50
24	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना (29-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	6408-01-796-190-0802-4994-गोदाम समूह का निर्माण	1.50
25	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	2235-02-102-0801-7543-संचार रणनीति	3.05
26	66- पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2225-03-277-0801-9026-मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1.49
27	80- त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता।	2501-01-101-0801-8777-राष्ट्रीय विकास सामान्तर योजना	22.50
28	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना त्रिस्तीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (22-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	2501-01-796-101-0802-7118-राष्ट्रीय विकासोन्मुखी योजनाएं	19.35
29	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना त्रिस्तीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (25-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2225-02-796-277-0802-7587-आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना	6.71
30	93- गतिवर्धित ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6801-800-0801-7025-गतिवर्धित ऊर्जा विकास कार्य के लिये म.प्र.विद्युत मंडल को कर्जे	12.15
	योग-ख		**180.43**
ग जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु भारत सरकार की संयोजी निधियों से वित्तपोषित अथवा विशेषांश योजना हेतु भारत सरकार से विशिष्ट केन्द्रीय सहायता योजनाएँ			
31	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (25 अनुसूचित जन जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2225-01-793-277-0603-5095-आश्रम/छात्रावास का संधारण	1.50
32	41- जनजाति क्षेत्र उप योजना (25-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	4225-02-794-190-0602-5156-जनजाति विकास एवं वित्तीय निगम	1.00
		योग (ग)	**2.50**
		महायोग (क + ख+ ग)	**257.78**

परिशिष्ट XIII

(संदर्भ-कण्डिका 2.3.1, पृष्ठ 31)

योजनाओं के अंतर्गत प्रचुर आधिक्यों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या का नाम	योजनाओं का नाम	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	क-राजस्व दत्तमत			
1.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-105-2514-परिवार पेंशन	55.46	105.6
2.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-115-6429-अवकाश नगदीकरण का लाभ	56.95	11390.00
3.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय	2245-02-101-2018-नगद दान	28.66	573.2
4.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय	2245-02-101-747-ओलावृष्टि पीड़ितों को सहायता	15.23	169.2
5.	64- अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेषांश योजना (25-अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग)	2225-01-789-277-0103-2676-मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	7.43	185.7
6.	67- लोक निर्माण- भवन	2059-80-052-9269-मशीनरी का नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	8.34	833830.0
	योग क		**172.07**	
	ख-पूंजीगत दत्तमत-			
7.	23- जल संसाधन विभाग	4701-01-216-0101-4947- सिंध परियोजना द्वितीय चरण	7.59	1012.3
8.	48- नर्मदा घाटी विकास	4701-01-241-0101-2428-कार्यपालन स्थापना इकाई I एवं II	5.41	135.6
	योग ख		**13.00**	
	ग पूंजीगत-प्रभारित			
9.	*लोक ऋण*	*6003-110-779-कमी पूर्ति हेतु अग्रिम*	*2140.47*	*107.00*
10.	*लोक ऋण*	*6004-01-102-292-अल्प बचत संग्रहण का अंश*	*587.55*	*671.5*
11.	*लोक ऋण*	*6004-06-800-अन्य अर्थोपाय पेशगियाँ*	*312.00*	*अनंत (प्रावधान निरंक)*
	योग ग		***3040.02***	
	महायोग (क+ ख +ग)		**3225.09**	

परिशिष्ट XIV
(संदर्भः कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 31)
योजनाओं के अंतर्गत प्रचुर बचतों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	योजना का नाम	बचत की राशि	बचत का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क	राजस्व-दत्तमत			
1.	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	2059-80-001-0101-8460-विभागीय अतिशेष पदों हेतु प्रावधान	23.74	100
2	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	2215-01-001-0101-8460-विभागीय अतिशेष पदों हेतु प्रावधान	9.33	100
3	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	2401-001-0101-8460-विभागीय अतिशेष पदों हेतु प्रावधान	5.86	100
4	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	2701-80-001-0101-8460-विभागीय अतिशेष पदों हेतु प्रावधान	10.02	100
5	03- पुलिस	2055-109-1816-दस्यु उन्मूलन कार्यवाही	9.30	89.9
6.	03- पुलिस	2055-109-194-अन्य पुलिस	7.65	80.9
7	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-224- अन्य व्यय	97.56	100
8	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-6409-स्वेच्छा सेवानिवृत्ति हेतु एक मुश्त प्रावधान	10.00	100
9.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2071-01-102-3080-भारत में सारांशिकृत पेंशन मूल्य का भुगतान	110.12	87.4
10	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-6337-भू अभिलेखों की अद्यतन स्थिति	5.64	100
11	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0801-5917- भू अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	11.95	91.9
12	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-0101-5045- कडस्ट्रल सर्वे नक्शों का अंकन	9.74	100
13	10- वन	2406-01-070-0101-2965-बिगड़े वनों का पुनर्वास	5.00	100
14	10- वन	2406-01-101-0101-7534-उच्च तकनीक पौध रोपण	6.25	80.1
15	10- वन	2406-02-110-0801-6538-पर्यावरण विकास	8.11	94.1
16	12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-06-800-3354-म.प्र.विद्युत मंडल को आर्थिक सहायता का भुगतान	9.56	100
17	14- पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	2403-102-0801-6548-गाय एवं भैंस विकास हेतु हिमीकृत वीर्य तकनीक विस्तार	7.03	100
18	17- सहकारिता	2425-800-0701-6312-कृषि सहायक बृहद व्यवस्थापन	7.45	80.1
19	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498-गर्भ निरोधक पारंपरिक साधनों की आपूर्ति	10.00	100
20	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106-विश्वव्यापी टीकाकरण	25.00	100
21	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-2498-गर्भ निरोधक पारंपरिक साधनों की आपूर्ति	13.34	100
22	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-4244-मलेरिया	9.64	100
23	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0801-8282-शिशु जीवन एवं सुरक्षित प्रसूति कार्यक्रम	26.97	100
24	23- जन संसाधन विभाग	2701-01-800-6360-चयनित कृषक संस्थानों को निधियों की व्यवस्था	5.69	87.5
25	27- शालेय शिक्षा	2202-01-800-0701-1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की मूलभूत न्यूनतम सेवायें	8.94	100

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	27- शालेय शिक्षा	2202-02-105-0801-3504-अपंग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा योजना	9.64	87.3
27	29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	2015-108-9503-मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्रों का प्रदाय	11.91	99.2
28	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना (20 स्कूल शिक्षा विभाग)	2202-01-796-101-0702-5215-राजीव गांधी मिशन शिक्षा गारंटी योजना हेतु सहायता अनुदान	8.00	100
29	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना (20 स्कूल शिक्षा विभाग)	2202-01-796-101-0702-8810-सर्व शिक्षा अभियान (सबके लिए शिक्षा)	76.89	89.9
30	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना (5-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2225-02-796-277-0802-5232-म.प्र.आवासीय विद्यालयीन कमेटियों को अनुदान (अनुच्छेद 275(i))	9.00	100
31	44- उच्च शिक्षा	2202-03-103-7120-शासकीय महाविद्यालयीन अध्यापकों को जनभागीदारी समिति हेतु मानदेय की सहायता	5.80	100
32	45- लघु सिंचाई कार्य	2702-01-101-0101-6065-कृषकों की भूमि में प्रायवेट संस्थाओं/ठेकेदारों द्वारा खनन किये गये नलकूपों हेतु सहायता	5.53	86.1
33	64- अनुसूचित जाति हेतु विशेषांश योजना (20-स्कूल शिक्षा विभाग)	2202-01-789-101-0703-8810-सर्व शिक्षा अभियान (सबके लिए शिक्षा)	35.24	89.9
34	64- अनुसूचित जाति हेतु विशेषांश योजना (25-अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2225-01-789-277-0103-8829-अनुसूचित जाति/जनजाति के कुशाग्र छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय	6.86	98
35	67- लोक निर्माण कार्य भवन	2059-80-001-2418-शिक्षा	9.30	100
36	78- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत एवं ग्रामीण विकास	2501-02-800-0101-6667-तालाबों का विस्तारीकरण एवं गहरीकरण	10.41	100
37	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायता	2202-01-103-0101-5846-आधारभूत न्यूनतम सेवाओं हेतु शिक्षा गारंटी योजना	5.99	98.8
38	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायता	2235-60-102-0801-7124-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	12.08	91.7
39	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायता	2501-01-101-0801-8777-राष्ट्रीय विकास समान्तर योजना	22.50	100
40	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता(22-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	2501-01-796-101-0802-7118-राष्ट्रीय विकासोन्मुखी योजना	19.35	100
41	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता(25- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)	2225-02-796-277-0802-7587-आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना	6.71	100

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42	90- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-800-5049-स्वास्थ्य सेवायें	6.60	100
	योग (क)		**715.70**	
	ख- राजस्व-प्रभारित			
43	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा*	*2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज*	*12.37*	*85.5*
44	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा*	*2049-60-701-4198- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचतों (निधि) पर ब्याज)*	*128.77*	*100*
	योग (ख)		**141.14**	
	ग-पूंजीगत-दत्तमत			
45	17- सहकारिता	4425-107-0101-2754-प्राथमिक कृषि साख समितियों/कृषक सेवा/वृहद बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंशपूंजी में निवेश	5.17	98.9
46	17- सहकारिता	4425-107-0101-955-केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी निवेश	10.80	100
47	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-103-0101-7648-हास्पीटल एवं डिस्पेंसरी भवनों का निर्माण	73.23	87.8
48	23- जल संसाधन विभाग	4701-03-800-0101-2339-प्रशासन एवं निर्देशन	22.21	100
49	24- लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं पुल	5054-04-800-0101-6657-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत जिले की पानीयुक्त गिट्टी सड़क पर डामर बिछाना	34.37	99.6
50	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	4515-800-0701-6655-म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	254.69	84.6
51	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 25-अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	4225-02-796-277-0702-8799-हास्टल भवनों का निर्माण	16.87	97.8
52	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 25-अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	4225-02-796-277-0702-8828-आश्रम/शाला भवनों का निर्माण	18.58	100
53	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 25-अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	4225-02-796-277-0802-8848 -उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण	5.00	100
54	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना 27- नर्मदा घाटी विकास विभाग	4701-01-796-800-0102-5090-अपर वेदा परियोजना	8.95	89.9
55	42- लोक निर्माण कार्य से संबंधित जनजाति क्षेत्र उपयोजना सड़कें एवं पुल 19-लोक निर्माण विभाग	5054-03-796-337-0102-3710-राज्य राजमार्ग	7.87	86.5
56	42- लोक संभाग कार्य से संबंधित जनजाति क्षेत्र उपयोजना सड़क एवं पुल 19-लोक निर्माण विभाग	5054-04-796-800-0102-7563-पानी युक्त गिट्टी सड़क का डामरीकरण (नाबार्ड)	6.00	100

(करोड़ रुपयें में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57	45- लघु सिंचाई कार्य	4702-800-0101-2339-निदेशन एवं प्रशासन	16.92	99.6
58	48- नर्मदा घाटी विकास	4701-80-800-0101-6399-इंदिरा सागर परियोजना इकाई-I	9.81	100
59	64- अनुसूचित जाति हेतु विशेषांश योजना (19-लोक निर्माण विभाग)	5054-03-789-337-0103-8809-राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण	9.50	100
60	67- लोक निर्माण कार्य - भवन	4059-01-051-0701-7094-जेल सुधार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य	31.03	100
61	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड पोषित परियोजना	4702-101-0101-2339-निदेशन एवं प्रशासन	7.54	100
62	93- गति वर्धित ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	6801-800-0801-7025-म.प्र.विद्युत मंडल को गतिवर्धित ऊर्जा विकास कार्यों हेतु कर्जे	12.15	100
योग (ग)			**550.69**	
महायोग (क +ख +ग)			**1407.53**	

परिशिष्ट XV

(संदर्भः कण्डिका 2.3.2, पृष्ठ 31)

सतत बचतों के प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	बचत की राशि (बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)		
		2000-01	**2001-02**	**2002-03**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
	क. राजस्व दत्तमत			
1.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	6.75 (41.1)	2.59 (33.9)	2.16 (30.9)
2	16- मत्स्य उद्योग	4.85 (28.4)	2.41 (20.6)	2.45 (20.2)
3	17- सहकारिता	10.19 (20)	7.82 (20.7)	14.19 (29)
4	25- खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	7.34 (41.8)	1.82 (22.8)	1.79 (20.8)
5	29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	36.03 (27.6)	28.24 (25.3)	48.64 (33.4)
6	31- योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	10.24 (37)	10.41 (42.1)	5.97 (29.6)
7	36- परिवहन	7.97 (32.8)	9.60 (39.8)	14.12 (43.5)
8	40- जल संसाधन विभाग-कमान क्षेत्र विकास से संबंधित व्यय	2.90 (51.3)	3.90 (45.3)	3.56 (69)
9	41- जनजाति क्षेत्र उप योजना	173.40 (29.3)	104.31 (28.8)	159.53 (32.1)
10	48- नर्मदा घाटी विकास	5.71 (63.4)	8.17 (90.8)	3.81 (45.7)
11	51- धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	1.90 (33.9)	2.13 (40.7)	1.12 (20.7)
12	52- कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	1.37 (25.2)	1.86 (32.5)	1.93 (37.1)
13	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	103.84 (38.5)	76.38 (31.5)	69.99 (23.8)
14	61- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	11.79 (90.6)	4.61 (62.5)	2.51 (56.8)
15	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	99.24 (29.9)	85.51 (32.6)	70.55 (22)
16	72- गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	6.99 (26.8)	13.05 (40)	16.51 (45.2)
17	74- वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	129.91 (86.6)	83.68 (33.5)	56.72 (37.8)

(करोड़ रूपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थओं को वित्तीय सहायता	95.91 (44.4)	45.52 (20.9)	62.79 (21)
19	90- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.56 (49.7)	6.60 (50)	6.60 (100)
20	92- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- संस्कृति	5.47 (78.7)	3.48 (50.1)	3.37 (87.1)
ख- राजस्व प्रभारित				
21	01- सामान्य प्रशासन	*2.58 (30.9)*	*1.88 (29.9)*	*1.73 (27)*
	ग- पूंजीगत दत्तमत			
22	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	10.34 (37.4)	12.50 (62.1)	4.22 (66.8)
23	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	7.67 (69.8)	5.76 (73.2)	4.97 (67.2)
24	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	8.63 (64.3)	6.46 (30.9)	3.80 (23.6)
25	17- सहकारिता	28.71 (31.4)	66.58 (85)	22.63 (56.5)
26	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	3.53 (31.2)	65.98 (66.1)	41.54 (22.1)
27	24-पुलिस निर्माण-सड़कें एवं पुल	76.64 (49.6)	178.20 (52.1)	57.13 (20.2)
28	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	17.83 (77.5)	6.04 (23.9)	6.36 (20.5)
29	40- जल संसाधन विभाग कमान क्षेत्र विकास से संबंधित व्यय	2.76 (48)	3.11 (50.9)	6.09 (63.6)
30	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	109.77 (47.1)	41.29 (20.1)	123.16 (33.6)
31	42- जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण- सड़क एवं पुल	45.69 (62.9)	25.22 (36.5)	46.04 (47.4)
32	45- लघु सिंचाई कार्य	40.68 (64.7)	30.00 (58.1)	27.13 (53.4)
33	48- नर्मदा घाटी विकास	137.36 (27.6)	164.40 (31.2)	476.52 (42.5)
34	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	41.52 (42.2)	87.00 (56.7)	58.48 (28.2)
35	67- लोक निर्माण-भवन	61.61 (68.4)	35.30 (51.4)	37.95 (68.6)

परिशिष्ट XVI

(संदर्भः कण्डिका 2.3.5, पृष्ठ 33)

प्रक़रण जिसमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क राजस्व-दत्तमत				
1.	01- सामान्य प्रशासन	73.23	10.27	71.89	11.61
2.	02- सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	76.52	0.45	15.19	61.78
3.	03- पुलिस	963.76	0.64	809.45	154.95
4.	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	6.72	0.26	4.82	2.16
5.	05- जेल	64.34	0.41	58.02	6.73
6.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1333.78	17.57	1136.34	215.01
7..	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	309.16	16.36	262.38	63.14
8.	10- वन	471.93	28.60	451.57	48.96
9.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	34.30	8.31	30.42	12.19
10.	13- कृषि	265.78	18.51	227.70	56.59
11.	15- अनुसूचित जाति हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	152.07	15.85	145.29	22.63
12.	17- सहकारिता	48.40	0.51	34.72	14.19
13.	18- श्रम	43.40	2.76	34.81	11.35
14.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	526.53	43.87	486.17	84.23
15.	21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	19.03	0.51	16.94	2.60
16.	25- खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	8.51	0.10	6.82	1.79
17.	27- स्कूल शिक्ष	1745.44	52.92	1630.72	167.64
18.	28- राज्य विधान मण्डल	22.68	0.35	20.95	2.08
19.	29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	117.38	28.11	96.85	48.64
20.	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	133.48	0.32	109.04	24.76
21.	31- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	19.86	0.34	14.23	5.97
22.	32- जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	37.42	6.07	36.49	7.00
23.	33- जनजाति कल्याण	412.16	5.85	388.89	29.12
24.	34- समाज कल्याण	24.20	0.10	19.28	5.02
25.	35- पुनर्वास	0.53	0.06	0.40	0.19
26.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	253.20	14.47	208.74	58.93
27.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	478.10	18.69	337.26	159.53
28.	47- जनशक्ति नियोजन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा	153.81	5.36	129.52	29.65
29.	48- नर्मदा घाटी विकास	6.00	2.34	4.53	3.81
30.	50- बीस सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	2.93	0.07	2.33	0.67
31.	51- धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	5.26	0.15	4.29	1.12
32.	52- कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	4.68	0.52	3.27	1.93
33.	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	268.56	25.90	224.48	69.98
34.	56- ग्रामोद्योग	22.33	2.54	20.97	3.90

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	314.55	6.86	250.86	70.55
36.	72- गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	30.23	6.29	20.01	16.51
37.	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	156.47	10.09	156.19	10.37
38.	81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	570.79	123.26	553.47	140.58
39.	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता।	259.32	39.73	236.26	62.79
40.	93- गतिवर्धित ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	50.00	12.15	13.91	48.24
	योग (क)	**9486.84**	**527.52**	**8275.47**	**1738.89**
	(ख) राजस्व-प्रभारित				
1.	*01- सामान्य प्रशासन*	*6.33*	*0.07*	*4.67*	*1.73*
2.	*03- पुलिस*	*0.38*	*0.08*	*0.34*	*0.12*
3.	*19- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन*	*0.22*	*0.41*	*0.04*	*0.59*
4.	*27- शालेय शिक्षा*	*0.13*	*0.10*	*निरंक*	*0.23*
	योग (ख)	***7.06***	***0.66***	***5.05***	***2.67***
	(ग) पूंजीगत दत्तमत				
1.	01- सामान्य प्रशासन	0.15	0.05	0.08	0.12
2.	12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	470.00	32.31	167.75	334.56
3.	14- पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	4.46	0.59	4.35	0.70
4.	17- सहकारिता	30.83	9.19	17.39	22.63
5.	24- लोक निर्माण-सड़कें एवं पुल	254.51	27.68	225.06	57.13
6.	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	277.89	23.28	46.29	254.88
7.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	306.25	60.38	243.47	123.16
8.	42- जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण-सड़कें एवं पुल	96.00	1.11	51.07	46 04
9.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	50.68	0.10	23.65	27.13
10.	47- जनशक्ति नियोजन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा	0.50	0.30	0.30	0.50
11.	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	1.35	0.21	0.20	1.36
12.	60- जिला आयोजनागत योजनाएं	90.79	1.07	89.23	2.63
13.	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना	202.36	4.61	148.49	58.48
14.	67- लोक निर्माण कार्य- भवन	20.36	35.00	17.41	37.95
15.	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायता	2.78	0.10	2.74	0.14
16.	84- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- राजस्व	16.45	4.40	11.63	9.22
17.	85- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- पुलिस	2.58	0.80	1.60	1.78
18.	86- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- जेल	1.37	3.19	0.73	3.83
19.	88- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन- न्यायिक	0.18	0.24	0.13	0.29
20.	93- गतिवर्धित ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	50.00	12.15	13.91	48.24
21.	95- तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति योजना विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	निरंक	0.25	--	0.25
	योग (ग)	**1879.49**	**217.01**	**1065.48**	**1031.02**
	महायोग (क + ख + ग)	**11373.39**	**745.19**	**9346.00**	**2772.58**

परिशिष्ट XVII

(संदर्भः कण्डिका 2.3.5, पृष्ठ 33)

प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क. राजस्व दत्तमत				
1.	07- वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	137.86	53.81	175.97	15.70
2.	12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	67.42	951.61	932.08	86.95
3.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	168.59	34.73	179.45	23.87
4.	23- जल संसाधन विभाग	227.45	12.45	227.79	12.11
5.	26- संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	14.52	3.29	16.40	1.41
6.	43- खेल एवं युवा कल्याण	6.26	1.12	6.34	1.04
7.	44- उच्च शिक्षा	289.45	33.45	300.06	22.84
8.	58- प्राकृतिक आपदा एवं अकाल राहत पर व्यय	227.52	166.55	373.94	20.13
9.	63- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय	2.49	0.48	2.59	0.38
10.	65- विमानन विभाग	5.37	3.34	7.74	0.97
11	66- पिछड़े वर्गों का कल्याण	40.98	18.35	55.98	3.35
12	77- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशेष समस्याएं-खेल एवं युवा कल्याण	1.00	2.00	2.54	0.46
13	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायता	565.09	135.28	623.15	77.22
14.	95- तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	--	0.50	0.07	0.43
	योग (क)	**1754.00**	**1416.96**	**2904.10**	**266.86**
	ख- राजस्व प्रभारित				
1.	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	*2418.14*	*206.27*	*2502.31*	*122.10*
2	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	*16.79*	*4.77*	*20.31*	*1.25*
	योग (ख)	***2434.93***	***211.04***	***2522.62***	***123.35***
	ग- पूंजीगत दत्तमत				
1.	03- पुलिस	8.73	2.68	10.89	0.52
2.	07- वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	13.45	4.75	13.90	4.30
3.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	9.61	6.48	12.29	3.80
4.	13- कृषि	1.66	2.07	3.43	0.30
5.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4.25	83.44	11.06	76.63
6.	21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	16.30	62.57	74.42	4.45
7.	23- जल संसाधन विभाग	305.62	44.27	308.45	41.44
8.	36- परिवहन	निरंक	1.60	0.92	0.68
9.	44- उच्च शिक्षा	1.00	2.00	1.29	1.71
10.	48- नर्मदा घाटी विकास	632.66	489.63	645.77	476.52
11.	56- ग्रामोद्योग	0.54	0.81	1.12	0.23

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	66- पिछड़े वर्गों जातियों का कल्याण	1.54	0.97	2.01	0.50
13..	72- गैस त्रासदी राहत कार्य से संबंधित व्यय	0.48	1.17	1.02	0.63
14.	73- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	5.00	50.00	33.04	21.96
15	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें	97.76	22.00	106.47	13.29
16.	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	235.33	21.53	251.80	5.06
	योग (ग)	**1333.93**	**795.97**	**1477.88**	**652.02**
	महायोग (क+ख+ग)	**5522.86**	**2423.97**	**6904.60**	**1042.23**

अतिरिक्त मांग :- 6904.60 करोड़ रुपये 5522.86 करोड़ रुपये= 1381.74 करोड़ रुपये

परिशिष्ट XVIII

(संदर्भः कण्डिका 2.3.5, पृष्ठ 33)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क- राजस्व-दत्तमत				
1.	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें एवं पुल	185.07	0.22	221.97	36.68
2.	67- लोक निर्माण कार्य- भवन	169.34	15.98	197.51	12.19
	योग (क)	**354.41**	**16.20**	**419.48**	**48.87**
	ख पूंजीगत प्रभारित				
3.	*लोक ऋण*	*4602.95*	*2962.35*	*7940.73*	*375.43*
	योग (ख)	*4602.95*	*2962.35*	*7940.73*	*375.43*
	महायोग (क+ख)	**4957.36**	**2978.55**	**8360.21**	**424.30**

परिशिष्ट XIX

(संदर्भः कण्डिका 2.3.7, पृष्ठ 34)

अविवेकपूर्ण/अनियमित/दोषपूर्ण पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

(क) ऐसे कुछ प्रकरण जिनमें पूर्व में ही लेखे में प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था फिर भी पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा निधियों का अविवेकपूर्ण आहरण किया गया।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्ष	मूल एवं पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	10-वन-2406-01-101-3836-इमारती लकड़ी वन वृत्त शासकीय राष्ट्रीयकृत 01 खैर एवं बाँस का व्यापार	75.27	79.38	4.11	(-)1.00	5.11
2.	32- जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय 2220-01-001-0101-2320-निदेशन एवं प्रशासन	14.35	16.37	2.02	(-)1.84	3.86
3.	64- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना (25-अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) 2225-01-789-800-0103-7560 विशेषांश योजना के लिये एक मुश्त प्रावधान	42.66	45.09	2.43	(-)12.76	15.19
4.	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2235-60-102-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	126.50	129.83	3.33	(-)22.43	25.76
5.	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता-2235-60-102-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	55.66	57.86	2.20	(-)23.11	25.31

(ख) कुछ ऐसे प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत की तुलना में पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा निधियां अधिक आहरित की गईं, परिणामस्वरूप 5 लाख रुपये से अधिक का आधिक्य बचत

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्ष	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03-पुलिस-2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं	15.45	12.75	2.70	(-)2.96	0.26
2.	03-पुलिस 2055-101-270-अपराध अन्वेषण विभाग	31.88	27.01	4.87	(-)5.67	0.80
3.	03-पुलिस-2055-114-4155-वायरलेस कार्यालय भोपाल एवं ग्वालियर	34.73	30.68	4.05	(-)4.31	0.26
4.	03- पुलिस 2070-107-2710-मुख्य सैनानी तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालय	16.73	14.27	2.46	(-)2.60	0.14
5.	07- वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय 2030-02-102-2455 न्यायकोत्तर मुद्रांक के विक्रय पर व्यय	8.00	6.10	1.90	(-)3.20	1.30
6.	07- वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय-4070-800-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	17.03	12.94	4.09	(-)4.58	0.49
7.	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन-2029-102-2193 नजूल स्थापना	9.16	8.07	1.09	(-)1.33	0.24
8.	08- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन 2029-103-0801-5917-भू-अभिलेख की कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	13.00	1.05	11.95	(-)12.06	0.11
9.	10- वन-2406-01-102-0801-6027-एकीकृत पड़त भूमि विभाग योजना	3.00	0.34	2.66	(-)3.00	0.34

(करोड़ रुपये में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजनाओं के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (22-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)2216-03-789-102-0803-8743-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2.20	1.16	1.04	(-)1.24	0.20
11.	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (22-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) 2505-01-789-702-0703-5200 रोजगार आश्वासन योजना	6.14	4.87	1.27	(-)2.30	1.03
12.	23- जल संसाधन विभाग-2701-80-799-0101-9191-स्टॉक	13.50	10.73	2.77	(-)9.07	6.30
13.	23- जल संसाधन विभाग-4701-03-800-0101-3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	5.11	1.91	3.20	(-)3.36	0.16
14.	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग-2515-001-0101-1033-विकास खंड कार्यालय	36.45	31.77	4.68	(-)6.08	1.40
15.	30- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग-2515-8000-1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	38.63	27.35	11.28	(-)11.49	0.21
16.	33- जनजाति कल्याण-2225-02-277-3492-माध्यमिक विद्यालय	97.78	92.30	5.48	(-)5.56	0.08
17.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना-10-वन विभाग 2406-01-796-101-0802-2962-बिगड़े वनों का सुधार	3.00	0.31	2.69	(-)2.91	0.22
18.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना-10-वन विभाग 2406-01-796-102-0702-682 ईंधन/चारा के क्षेत्र आधारित कार्यक्रम	2.28	1.35	0.93	(-)1.80	0.87
19.	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-02-102-0801-5356-एकीकृत बाल विकास योजना का पर्यवेक्षण (विदेशी सहायता प्राप्त योजना अंतर्गत)	7.00	3.74	3.26	(-)3.42	0.16
20.	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-02-102-0801-9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	86.44	65.72	20.72	(-)23.07	2.35
21.	55- महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय 2235-02-103-0801-8687-बालिका समृद्धि योजना	6.00	1.73	4.27	(-)4.46	0.19
22.	80- त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2216-03-102-0801-8794-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	4.01	2.68	1.33	(-)1.46	0.13
23.	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2501-02-800-0701-2725-प्रशिक्षण	3.88	2.55	1.33	(-)1.39	0.06
24.	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2505-01-702-0701-6503-रोजगार आश्वासन योजना (जलग्रहण)	9.82	8.24	1.58	(-)3.80	2.22
25.	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता-3604-107-8018-प्रवेश कर से प्राप्त आय के समतुल्य शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	315.44	262.73	52.71	(-)53.89	1.18
26.	82- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (22-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) 2505-01-796-702-0702-5200-रोजगार आश्वासन योजना	8.59	5.71	2.88	(-)3.31	0.43

(करोड़ रुपये में)

27.	82- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता(22-पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग) 2515-796-101-1302-5184-आधारभूत सेवाओं के लिये एकमुश्त अनुदान (स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता)	1.93	1.04	0.89	(-)1.51	0.62
28.	84- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व-4059-01-051-1301-5052- जिला प्रशासन	16.45	11.63	4.82	(-)5.75	0.93

(ग) वे प्रकरण जिनमें प्रावधान से अधिक व्यय को पूरा करने हेतु अभिवांछित राशि से अधिक राशि के पुनर्विनियोग द्वारा निधियाँ अनुचित रूप से आवर्धित की गई

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण तथा लेखाशीर्ष	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग से पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोग	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय-7610-201-9085-अन्य शासकीय कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम	1.00	1.12	0.12	(+)1.00	0.88
2.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना-25 अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग-2225-02-796-277-0102-2773-प्राथमिक शालायें	20.59	36.00	5.41	(+)8.36	2.95
3.	48- नर्मदा घाटी विकास 4701-01-233-0101-9128-बांध एवं संबद्ध कार्य	98.73	128.95	30.22	(+)34.64	4.42
4.	48- नर्मदा घाटी विकास 4701-01-241-0101-2428- कार्यपालन स्थापना इकाई I एवं II	3.99	9.40	5.41	(+)5.67	0.26
5.	48- नर्मदा घाटी विकास 4701-01-241-0101-9000-रानी अवन्तीबाई सागर परियोजना, जबलपुर इकाई- II	44.39	55.00	10.61	(+)16.16	5.55
6.	82-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-जनजाति क्षेत्र उपयोजना- 25 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण-2225-02-796-277-0102-1392 छात्रवृति/शिष्यवृत्ति	4.80	7.03	2.23	(+)2.71	0.48

परिशिष्ट XX

(संदर्भः कंडिका 2.3.8(क), पृष्ठ 34)

महत्वपूर्ण बचतें अभ्यर्पित न करना (5 करोड़ रुपये एवं इससे अधिक)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि (कुल बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)
(1)	(2)	(3)	(4)
	क. राजस्व-दत्तमत		
1.	01- सामान्य प्रशासन	11.61	5.51 (47.5)
2.	03- पुलिस	154.95	52.48 (33.9)
3.	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	215.01	214.80 (99.9)
4.	08- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	63.14	17.97 (28.5)
5.	10- वन	48.96	30.23 (61.7)
6.	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	12.19	12.19 (100)
7.	12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	86.95	86.82 (99.8)
8.	13- कृषि	56.59	55.99 (98.9)
9.	15- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	22.63	6.19 (27.4)
10.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	84.24	84.24 (100)
11.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	23.88	23.88 (100)
12.	27- शालेय शिक्षा	167.64	41.37 (24.7)
13.	33- जनजाति कल्याण	29.12	8.53 (29.3)
14.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	159.54	34.01 (21.3)
15.	44- उच्च शिक्षा	22.84	22.84 (100)
16.	45- लघु सिंचाई कार्य	5.86	5.86 (100)
17.	47- तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	29.65	14.79 (49.9)
18.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाराहत पर व्यय	20.13	14.74 (73.2)
19.	72- गैस त्रासदी राहत कार्यों से संबंधित व्यय	16.51	6.50 (39.4)
20.	78- 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन-पंचायत एवं ग्रामीण विकास	10.41	10.41 (100)

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	10.37	10.37 (100)
22.	80- त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	77.22	15.50 (20.1)
23.	82- जनजाति क्षेत्र उपयोजना-त्रिस्तरीय पंचायतीराज एवं संस्थाओं को वित्तीय सहायता	62.79	9.65 (15.4)
24.	90- 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.60	6.60 (100)
25.	93- गतिवर्धित ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	48.24	48.24 (100)
	योग (क)	**1447.07**	**839.71** **(58)**
	ख राजस्व-प्रभारित		
1.	*ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवायें*	*122.10*	*122.10* *(100)*
	योग (ख)	***122.10***	***122.10*** ***(100)***
	ग पूंजीगत-दत्तमत		
1.	12- ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	334.56	334.56 (100)
2.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	76.64	76.64 (100)
3.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	41.54	41.54 (100)
4.	23- जल संसाधन विभाग	41.44	18.83 (45.4)
5.	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	57.13	57.13 (100)
6.	27- शालेय शिक्षा	7.68	7.68 (100)
7.	41- जनजाति क्षेत्र उपयोजना	123.16	63.00 (51.2)
8.	42- जनजाति क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें एवं पुल	46.04	41.51 (88.2)
9.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	27.13	25.00 (92.1)
10.	48- नर्मदा घाटी विकास	476.52	476.52 (100)
11.	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	58.48	21.64 (37.0)
12.	67- लोक निर्माण कार्य- भवन	37.95	37.95 (100)
13.	73- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	21.96	21.96 (100)
14.	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें	13.29	8.51 (64.0)
15.	93- गतिवर्धित ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	48.24	48.24 (100)
	योग (ग)	**1412.76**	**1280.71** **(90.7)**
	महायोग (क+ख+ग)	**2981.93**	**2242.52** **(75.2)**

परिशिष्ट XXI

(संदर्भ कंडिका 2.3.9(क), पृष्ठ 34)

अविवेकपूर्ण अभ्यर्पणों के प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि
	क- राजस्व दत्तमत		
1	07- वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	15.70	15.74
2	23- जल संसाधन विभाग	12.11	12.95
3	26- संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	1.41	1.54
4	32- जन संपर्क विभाग से संबंधित व्यय	7.00	7.29
5	35- पुनर्वास	0.19	0.21
6	49- अनुसूचित जाति कल्याण	3.19	3.86
7	56- ग्रामोद्योग	3.90	3.99
8	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	70.55	78.91
9	81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	140.58	158.55
	योग (क)	**254.63**	**283.04**
	ख- राजस्व प्रभारित		
1	*16- मत्स्य उद्योग*	*0.02*	*0.03*
	योग (ख)	***0.02***	***0.03***
	ग- पूंजीगत-दत्तमत		
1	07- वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	4.30	4.71
2	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.09	0.25
3	80- त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.14	0.30
4	84- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व	9.22	10.15
	योग (ग)	**13.75**	**15.41**
	महायोग (क+ख+ग)	**268.40**	**298.48**

परिशिष्ट XXII

(संदर्भः कंडिका 2.3.9,(ख) पृष्ठ 34)
अविवेकपूर्ण/अवास्तविक अभ्यर्पणों के प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	प्रावधान से अधिक व्यय	अभ्यर्पित राशि
	राजस्व-दत्तमत		
1.	53- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	सांकेतिक	0.01
2.	67- लोक निर्माण कार्य- भवन	12.19	0.02
	योग	**12.19**	**0.03**

परिशिष्ट XXIII

(संदर्भः कंडिका 2.3.10,पृष्ठ 34)

बिना बजट प्रावधान के किया गया व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विनियोग का विवरण	लेखाशीर्ष	व्यय की राशि
	पूंजीगत भारित		
1	*लोक ऋण*	*6003-106-3732 क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड (5% शहरी भूमि परिसीमन 1976)*	*0.28*
2	*लोक ऋण*	*6004-06-800-अर्थोपाय पेशगियाँ*	*31200.00*
		योग	***31200.28***

परिशिष्ट - XXIV

(संदर्भः कण्डिका 2.4, पृष्ठ 35)

वर्ष 2002-03 के लिये मिलान न किये गये व्यय के आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	अनुदान संख्या	वर्ष के दौरान समाधान न किये गये व्यय की राशि
1.	2.	3.	4.
1.	2054	6	8.29
2.	2059	1,67	14.00
3.	2202	15, 27, 32, 41, 44, 64, 80, 81	2150.95
4.	2203	32, 41, 47, 64	88.73
5.	2204	27, 43,77	24.93
6.	2205	26, 27, 41, 64, 92	20.07
7.	2210	15, 19, 20, 32, 41, 61, 64, 67, 72, 79, 80, 82	634.92
8.	2215	20	125.00
9.	2235	4, 6, 29, 47	6.39
10.	2406	10	0.22
योग	मुख्य शीर्ष 10	अनुदान 25	3073.50

परिशिष्ट XXV

(संदर्भः कंडिका 2.5, पृष्ठ 35)

पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण के लिये दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

क्रम संख्या	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	अनियमितताओं का विवरण
1	4	3, 9, 51, 77	2.98	संस्वीकृतियाँ वित्त वर्ष 2002-03 की समाप्ति के पश्चात जारी की गई।
2	7	8, 20, 67	82.15	महालेखाकार (लेखा.हक.) कार्यालय में संस्वीकृति की विलम्ब से अर्थात लेखाओं के बंद होने तथा अंतिम रूप देने के पश्चात प्राप्ति।
3	9	1, 26, 31, 34, 39, 64, 67, 72	3.21	जिन शीर्षों से पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण संस्वीकृत किये गये थे उनके अंतर्गत प्रावधान की अनुपलब्धता तथा उन योजनाओं के विवरण न भेजना जिनसे अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग संस्वीकृत किये गये।
4	1	14	0.80	वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना 10 लाख रुपये से अधिक के पुनर्विनियोग जारी किये गये।
5	5	11, 36, 49, 67, 79	7.27	निधियाँ "कार्यालय-व्यय" शीर्ष मे निधियाँ पुनर्विनियोग द्वारा बढ़ाई गई एवं इसके विपरीत निधियाँ "वेतन एवं मजदूरी" शीर्ष से अन्य शीर्षो को पुनर्विनियोजित की गईं।
6	2	41	22.05	एक अनुदान से दूसरे अनुदान (माँग संख्या 41 से माँग संख्या-48 को पुनर्विनियोजन)
7	1	01	0.20	पुनर्विनियोग-संस्वीकृतियों के दोनों भागों के योगों का मिलान न करना
	29	**20**	**118.66**	

परिशिष्ट XXVI

(संदर्भः कंडिका 2.6, पृष्ठ 35)
मार्च 2003 के दौरान व्यय की अधिकता

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	तक व्यय			मार्च 2003 तक कुल व्यय	मार्च 2003 में व्यय	कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत
			6/2002	9/2002	12/2002			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	53- अनुसूचित जाति हेतु शहरी निकायों को विशेषांश योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता	21.48	--	1.10	6.21	21.43	15.28	71.3
2	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाराहत पर व्यय	395.23	19.53	38.32	51.31	373.95	202.86	54.2
3	71- जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित व्यय	1.00	--	--	0.01	0.26	0.16	61.5
4	85- 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन नगरीय प्रशासन एवं विकास- पुलिस	6.43	--	--	--	4.65	4.65	100
5	87- 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन- नगरीय प्रशासन एवं विकास	4.12	--	--	--	4.12	4.12	100
6	91- 11वें वित्त आयोग को अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन- शालेय शिक्षा	8.84	--	--	--	8.84	8.84	100
7	92- 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन- संस्कृति	3.87	--	--	--	0.50	0.50	100
8	95- तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	0.75	--	--	--	0.07	0.05	71.4

टीपः- अनुदान संख्या 53, 58, 85, 87 एवं 91 के स्तंभ 8 में दर्शाये गये व्यय में क्रमशः 15 करोड़ रुपये, 122.34 करोड़ रुपये, 3.04 करोड़ रुपये, 4.12 करोड़ रुपये, 8.84 करोड़ रुपये, जिनका कुल योग 153.34 करोड़ रुपये है, सम्मिलित है जिन्हें मुख्य शीर्ष 8443 सिविल निक्षेप 800- अन्य निक्षेप में जमा किया गया था।

परिशिष्ट XXVII

(संदर्भः कंडिका 2.7(ख)(ii), पृष्ठ 37)

चयनित अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	बचत (प्रतिशत)		
		2000-01	2001-02	2002-03
	क-14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय			
1.	2403-102-0801-6548-गाय एवं भैंस विकास हेतु हिमीकृत वीर्य तकनीक विस्तार	--	7.03 (100)	7.03 (100)
	ख-44 उच्च शिक्षा			
2.	2202-03-103-7120-शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय हेतु जनभागीदारी समिति को सहायता	--	--	5.80 (100)
	ग-58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय			
3.	2215-01-102-4377-सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जलप्रदाय	5.65 (25.7)	--	3.41 (97.4)
4.	2245-01-101-96-अग्नि पीड़ितों को राहत	23.18 (77.3)	23.87 (64)	13.05 (65.3)
5	2245-01-102-2661- पेयजल प्रदाय	4.40 (62.9)	6.50 (35.4)	7.26 (36.3)
6	2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की पुर्नस्थापना एवं मरम्मत	2.68 (53.6)	--	2.56 (73.1)
7	2245-80-800-8030-पुनर्स्थापना एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान	--	--	4.51 (90.2)
	घ-67- लोक निर्माण कार्य- भवन			
8	4059-01-051-0701-7094-जेल सुधार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य	--	--	31.03 (100)
9	4211-101-0801-1171-ग्रामीण (क्षेत्रों) परिवार कल्याण केन्द्रों का विस्तार	--	--	2.18 (57.1)
10	2059-80-001-2418-निष्पादन	--	--	9.30 (100)
11	2059-80-001-0101-3300-वृत्त स्थापना	--	--	2.22 (42.4)
	ड़-81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता			
12	2202-01-103-2669-ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों को पोषाहार अनुदान	5.95 (23.4)	7.60 (38.5)	5.59 (30.1)
13	2217-04-191-0101-4179-झुग्गी विस्थापन एवं पुनर्वास एवं शहरी गंदी बस्तियों में पर्यावरण सुधार	--	--	2.05 (100)
14	2217-04-191-0101-9106- स्वर्ण जयंती नगरीय नियोजन योजना	--	--	3.81 (59.3)
15	3604-108-8860-वाणिज्यिक कर पर प्रभारित स्थानीय निकायों को अधिभार का भुगतान	33.91 (28.3)	89.47 (82.1)	56.56 (59.2)
	योग	**75.77**	**134.47**	**156.36**

परिशिष्ट XXVIII

(संदर्भः कंडिका 2.7(ख)(ii),पृष्ठ 37)

चयनित अनुदानों की योजना के अंतर्गत सारभूत आधिक्य

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	अधिक (प्रतिशत)		
		2000-01	2001-02	2002-03
	क-44- उच्च शिक्षा			
1.	2202-03-102-6385 -म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल को अनुदान	--	--	1.44 (99.3)
	ख-58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय			
2.	2245-02-101-2018- नगद दान	--	0.27 (7.35)	28.66 (573.2)
3	2245-02-101-747- ओलावृष्टि पीड़ितों को राहत	--	0.69 (6.3)	15.23 (169.2)
	ग-67-लोक निर्माण कार्य- भवन			
4	2059-01-053-3383-भवनों की विशेष मरम्मत	--	0.22 (4.6)	2.93 (514)
5	2059-80-001-0101-2418-निष्पादन	0.58 (0.6)	14.55 (21.4)	12.38 (20.7)
6	2059-80-001-0101-3566-मुख्यालय स्थापना	--	--	3.45 (31)
7	2059-80-052-9269 मशीनों का नवीकरण एवं इन्हें बदला जाना	--	0.53 (5.5)	8.34 (833830)
8	2059-80-799-4056-लोक निर्माण विभाग के विविध अग्रिम	0.99 (5.0)	3.35 (22.6)	4.68 (46.8)
9	2216-80-001-2300-निदेशन एवं प्रशासन (अनुदान 67, मुख्य शीर्ष 2059 से अंतरित स्थापना प्रभारों का आनुपातिक अंश)	2.73 (45.1)	2.84 (63.5)	4.66 (94.9)
10	2216-80-800-4095-विशेष मरम्मत	--	--	1.88 (376)
	घ-81 -शहरी निकायों को वित्तीय सहायता			
11	2235-60-102-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	--	--	2.20 (4)
	योग	**4.30**	**22.45**	**85.85**

परिशिष्ट XXIX
(संदर्भः कंडिका 2.7(ग), पृष्ठ 37)

(क) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों में योजनाओं के अंतर्गत पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजना का विवरण	अप्रयुक्त पूरक प्रावधान की राशि
(1)	(2)	(3)
	(क) 14- पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
1.	4403-101-0101-2549 -पशु चिकित्सालय एवं औषधालय	0.59
	(ख) 44- उच्च शिक्षा	
2.	2202-03-103-7120 -शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को मानदेय हेतु जनभागीदारी समिति को सहायता	5.80
	(ग) लोक निर्माण कार्य- भवन	
3.	4059-01-051-0701-7094- जेल सुधार योजना अंतर्गत निर्माण कार्य	31.03
4.	4059-01-051-0801-8040-जेल भवनों का निर्माण	0.43
5.	2059-80-001-2418- निष्पादन	9.30
6.	2059-80-001-3566- मुख्यालय स्थापना	0.62
	(घ) 81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	
7.	2217-04-191-0101-4179-झुग्गी विस्थापन एवं पुनर्वास एवं शहरी गंदी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार	1.46
8.	2217-04-191-0101-9106- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	1.00
9.	3604-106-8017- वाहनों पर कर प्राप्तियों से सड़कों के रखरखाव हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	6.76
10.	3604-107-8018-प्रवेश कर से प्राप्त आय के समतुल्य शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	21.44
11.	3604-108-8860-शहरी स्थानीय निकायों को वाणिज्यिक कर पर प्रभारित अधिभार का भुगतान	51.42
12.	3604-108-9436- शहरी स्थानीय निकायों को यात्रीकर समाप्ति के स्थान पर विशेष अनुदान	8.54
	योग	**138.39**

(ख) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों में योजना के अंतर्गत पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजनाओं का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	बचत (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(क) 44- उच्च शिक्षा				
1.	2202-03-103-0101-7043- जनभागीदारी समिति के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में पूरक शिक्षा व्यवस्था	निरंक	3.35	2.19	(-) 1.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	4202-01-203-0101-5435-शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण/अपूर्ण भवनों का निर्माण	निरंक	1.00	0.05	(-) 0.95
3.	4202-01-203-0101-7052-आठ शासकीय महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा की सर्वोत्तम संस्थाओं में विकसित करना	निरंक	1.00	0.14	(-) 0.86
	(ख) 67- लोक निर्माण कार्य- भवन				
4.	4059-01-051-0701-8739-जेल भवनों का निर्माण	निरंक	0.49	0.01	(-) 0.48
5.	4202-01-203-0101-577- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालय भवनों का निर्माण	निरंक	2.00	1.39	(-) 0.61
	(ग) 58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय				
6.	2245-01-800-7024-राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत कोष से प्राप्त राशि	निरंक	166.55	143.93	(-) 22.62
	योग	**निरंक**	**174.39**	**147.71**	**(-) 26.68**

(ग) **वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों में योजना के अंतर्गत पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ**

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजनाओं का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	आधिक्य (+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(क) 44- उच्च शिक्षा				
1.	2202-03-102-0101-5212-चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	2.00	3.00	5.40	(+) 0.40
	(ख) 67- लोक निर्माण कार्य- भवन				
2.	2059-01-053-3383-विशेष मरम्मत-भवन	0.50	0.07	3.50	(+) 2.93
3.	2059-80-001-0101-2418-निष्पादन	53.87	5.99	72.24	(+) 12.38
4.	4059-01-051-0701-2450- न्याय प्रशासन	3.03	0.09	3.41	(+) 0.29
	(ग) 81- शहरी निकायों को वित्तीय सहायता				
5.	2235-60-102-9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	53.33	2.33	57.86	(+) 2.20
	योग	**112.73**	**11.48**	**142.41**	**(+) 18.20**

परिशिष्ट XXX

(संदर्भः कण्डिका 3.1.4,(ख)(iii) पृष्ठ क्र 45)

लंबित विस्तृत आकस्मिक व्यय देयक

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	जिला	जिन कार्यालयों से संक्षिप्त देयक संबंधित थे	जिन कार्यालयों में विस्तृत आकस्मिकता देयक लंबित थे	संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की अवधि	संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की राशि
1	बैतूल	सहा.भू संरक्षण अधि., भैंसदेही	सहा.भू संरक्षण अधि., भैंसदेही	1991-1994	41.82
		सहा.भू संरक्षण अधि., बैतूल	कृषि उप संचालक अधिकारी, बैतूल	2002-03	0.10
		कृषि उप संभाग अधिकारी, मुल्ताई	कृषि उप संचालक अधिकारी, मुल्ताई	1999-2003	7.36
		कृषि उप संभाग अधिकारी, मुल्ताई	कृषि उप संचालक बैतूल	2000-01	0.02
		कृषि उप संभाग अधिकारी, भैंसदेही	कृषि उप संचालक अधिकारी, भैंसदेही	1999-2003	2.23
		कृषि उप संभाग अधिकारी, बैतूल	कृषि उप संचालक अधिकारी, बैतूल	1999-2003	4.32
		प्राचार्य, भू-संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र बैतूल	प्राचार्य, भू-संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, बैतूल	1999-2001	1.61
			कृषि उप संचालक, बैतूल	2001-02	5.20
				योग	**62.66**
2.	छिंदवाड़ा	सहा.भू संरक्षण अधि., सौंसर	कृषि उप संचालक, छिंदवाड़ा	1997-98	3.96
				योग	**3.96**
3.	होशंगाबाद	सहा.भू संरक्षण अधि., शाहपुरा	कृषि उप संचालक, होशंगाबाद	1986-1988	5.52
		सहा.भू संरक्षण अधि., पिपरिया	कृषि उप संचालक, होशंगाबाद	1992-1994	36.72
		सहा.भू संरक्षण अधि., होशंगाबाद	कृषि उप संचालक, होशंगाबाद	2001-2002	15.61
				योग	**57.85**
4.	जबलपुर	कृषि उप संभाग अधिकारी, जबलपुर	कृषि उप संचालक, जबलपुर	1997-98	0.67
		कृषि उप संभाग अधिकारी, सिहौरा	कृषि उप संचालक, जबलपुर	1997-98	5.29
				योग	**5.96**
5	मुरैना	सहा.भू संरक्षण अधि., मुरैना	कृषि उप संचालक, मुरैना	1995-1996	0.13
				1996-97	0.06
				योग	**0.19**
6	रतलाम	सहा.भू संरक्षण(रतलाम) अधि., रतलाम	सहा.भू संरक्षण अधि., रतलाम	1998-99	1.25
				योग	**1.25**
7.	सतना	शास.कृषि फार्म गहबारा, मैहर	शास.कृषि फार्म गहबारा, मैहर	2001-02	17.44
				योग	**17.44**
8.	सीहोर	सहायक संचालक, गन्ना सीहोर	कृषि उप संचालक, सीहोर	1997-98	7.26
		फार्म अधीक्षक, रहेती	कृषि उप संचालक, सीहोर	1997-98	1.98
		सहायक संचालक गन्ना, सीहोर	कृषि उप संचालक, सीहोर	1998-99	1.00
		सहा.भू संरक्षण अधि., बुधनी	कृषि उप संचालक, सीहोर	2000-2003	13.92
		कृषि उप संभा.अधिकारी, सीहोर	कृषि उप संचालक, सीहोर	2001-02	0.48
				योग	**24.64**
				महायोग	**173.95**

परिशिष्ट XXXI

(संदर्भः कण्डिका 3.1.5, पृष्ठ 45)

बृहद प्रबंधन योजना में सम्मिलित योजना दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	योजना का नाम
1.	एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम (चावल)
2.	एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)
3.	गन्ने का अविरत विकास
4.	उर्वरकों का संतुलित एवं एकीकृत उपयोग
5.	एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन
6.	वर्षा रहित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम
7.	नदी घाटी योजना और बाढ़ प्रणत नदी योजना
8.	प्रक्षेत्र मशीनीकरण संवर्द्धन
9.	-उच्च गुणवत्ता युक्त एवं विपुल उपज बीज का उत्पादन
10.	जैविक एवं अविरत कृषि कार्य का विकास
11.	कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण सहायता
12.	सूचना प्रोद्योगिकी का विकास
13.	भूमि जल का आवर्धन

परिशिष्ट XXXII

(संदर्भः कण्डिका 3.1.5, पृष्ठ 45)

केन्द्रीय निधि विमोचन, बजट प्रावधान एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	योजना का नाम	वर्ष	1.4.2000 को अव्ययित केन्द्रीय सहायता	भारत सरकार द्वारा जारी/ राज्य सरकार द्वारा आबंटित सहायता	राज्य के बजट में प्रावधान			व्यय		
					भारत सरकार का अंश	राज्यांश	योग	भारत सरकार का अंश	राज्यांश	योग
1.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	2000-01	132.18	398.00	717.97	216.29	934.26	436.12	145.37	581.49
		2001-02		275.84	598.93	199.63	798.56	119.32	39.77	159.09
		2002-03		132.50	582.28	193.97	776.25	241.16	80.41	321.57
2.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	2000-01	184.57	960.00	2062.46	630.69	2693.15	1091.17	363.73	1454.90
		2001-02		1207.00	1497.83	499.27	1997.10	594.01	198.00	792.01
		2002-03		675.00	1601.24	524.30	2125.54	1246.27	415.42	1661.69
3.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	2000-01	167.10	79.75	300.01	78.68	378.69	203.34	67.80	271.14
		2001-02		210.00	302.25	100.75	403.00	87.56	29.21	116.77
		2002-03		28.00	383.25	127.75	511.00	148.03	49.35	197.38
4.	एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम(मोटा अनाज)	2000-01	68.47	97.55 (+एम.एम.)350.00 **447.55**	197.62	211.60	409.22	86.39 (+एम.एम.)279.89 **366.28**	28.80 31.10 **59.90**	115.19 310.99 **426.18**
		2001-02		540.00				371.08	41.23	412.31
		2002-03		369.64				343.04	38.12	381.16
5.	एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम-चावल	2000-01	(-) 0.41	70.50 (+एम.एम.)82.15 **152.65**	144.75	83.35	228.10	49.10 (+एम.एम.)52.38 **101.48**	16.77 5.82 **22.59**	65.87 58.20 **124.07**
		2001-02		157.50				81.82	9.09	90.91
		2002-03		69.66				87.97	9.77	97.74

एम.एम..= वृहद प्रबंधन

परिशिष्ट XXXIII

(संदर्भः 3.1.5, पृष्ठ 45)

मुख्य फसलों का क्षेत्र, उत्पादन एवं उपज दर्शाने वाल विवरण पत्र

क्षेत्र- लाख हेक्टेयर
उत्पादनः लाख टन
उत्पादन (कपास) लाख गाँठें
उपजः किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

फसल	वर्ष	क्षेत्र समावेशन			उत्पादन			पैदावार	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
दलहन	1998-99	अनुपलब्ध	42.22	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	33,74	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	799
	1999-2000	अनुपलब्ध	42.26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	34.26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	811
	2000-01	43.06	35.51	18	30.60	22.81	25	711	642
	2001-02	40.30	41.64	--	30.40	32.17	--	754	773
	2002-03 (अंतिम पूर्वानुमान)	26.48	41.43	--	30.83	21.91	29	1164	529
तिलहन	1998-99	अनुपलब्ध	58.66	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	55.47	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	946
	1999-2000	अनुपलब्ध	57.90	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	57.45	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	992
	2000-01	61.64	55.32	10	72.93	40.97	44	1183	741
	2001-02	59.70	55.89	6	63.60	45.69	28	1065	817
	2002-03(अंतिम पूर्वानुमान)	58.75	48.07	18	59.50	34.86	41	1013	725
अनाज	1998-99	अनुपलब्ध	85.37	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	119.34	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1398
	1999-2000	अनुपलब्ध	86.47	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	126.38	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1461
	2000-01	75.44	72.21	4	112.17	79.09	29	1487	1095
	2001-02	73.00	76.63	--	105.70	103.70	2	1448	1353
	2002-03 (अंतिम पूर्वानुमान)	85.40	65.60	23	137.42	75.22	45	1609	1147
कपास	1998-99	अनुपलब्ध	4.97	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	4.30	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	441
	1999-2000	अनुपलब्ध	4.88	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	4.17	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	436
	2000-01	5.52	5.42	2	4.98	2.45	51	460	231
	2001-02	5.50	5.42	1	5.00	4.94	1	464	465
	2002-03 (अंतिम पूर्वानुमान)	5.50	5.45	1	4.86	3.79	22	451	355

1998-99 एवं 1999-2000 के उत्पादन लक्ष्य कृषि विभाग के 1998 एवं 1999 के प्रशासनिक प्रतिवेदनों में दर्शाये अनुसार हैं:

परिशिष्ट XXXIV

(संदर्भः कण्डिका 3.1.5,(क), पृष्ठ 47)

बीज के क्रय,उत्पादन एवं वितरण से संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

बीज घटक	इकाई	योजना	2000-01			2001-02			2002-03		
			लक्ष्य	उपलब्धि	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. उत्पादक बीज का क्रय	क्विंटल	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	332	914	--	100	101	--	163	875	--
		तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	1579	2697	--	921	170	82	2895	4220	--
		गहन कपास विकास कार्यक्रम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज	--	--	--	2000	667	67	2160	629	71
		एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम-चावल	--	--	--	75	138	--	425	310	27
2. आधार बीज का उत्पादन	क्विंटल	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	13285	8454	36	4600	10580	--	5400	1715	68
		तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	10000	25714	--	12000	1114	91	14000	16236	--
		गहन कपास विकास कार्यक्रम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम मोटे अनाज	--	--	--	7500	2063	72	5025	2879	43
		एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम चावल	--	--	--	2000	530	74	4000	2579	36
3. प्रमाणित बीज का उत्पादन	क्विंटल	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	54265	37817	30	7000	42580	--	10200	5410	47
		तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	20000	53922	--	25000	499	98	36000	205413	--
		गहन कपास विकास कार्यक्रम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम मोटे अनाज	--	--	--	25000	13059	48	16736	9961	40
		एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम चावल	--	--	--	10000	2396	76	8000	2635	67
4. प्रमाणित बीज का वितरण	क्विंटल	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	44280	30464	31	4375	15673	--	7500	17360	--
		तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	17500	124834	--	102000	117607	--	237500	116932	--
		गहन कपास विकास कार्यक्रम	1000	223	78	300	384	--	700	593	15
		एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज	51100	13950	63	50000	54934	--	33477	37847	--
		एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम-चावल	60850	22538	63	10000	7752	22	8000	7505	6

परिशिष्ट XXXV

(संदर्भः कण्डिका 3.1.5,(च) पृष्ठ 51)

प्रदर्शनों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ दर्शाने वाला विवरण पत्र

योजना	इकाई	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी का प्रतिशत	प्रदत्त आर्थिक सहायता (लाख रुपयों में)
1. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	हेक्टेयर	2000-01	6642	2821	58	36.09
		2001-02	682	628	8	7.29
		2002-03	1554	785	49	10.72
		योग	**8878**	**4234**	**52**	**54.10**
2. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	हेक्टेयर	2000-01	1750	2244	--	20.03
		2001-02	3000	2441	19	34.59
		2002-03	3235	2173	33	27.72
		योग	**7985**	**6858**	**14**	**82.34**
3. गहन कपास विकास कार्यक्रम	हेक्टेयर	2000-01	100	48	52	0.84
		2001-02	275	254	8	4.45
		2002-03	275	254	8	4.27
		योग	**650**	**556**	**14**	**9.56**
4. एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)	संख्या/ एकड़	2000-01	1700	1348	21	11.85
		2001-02	3130	2995	4	23.35
		2002-03	2110	1735	18	15.90
		योग	**6940**	**6078**	**12**	**51.10**
5. एकीकृत अन्न विकास कार्यक्रम-चावल	संख्या/ एकड़	2000-01	1460	1167	20	8.40
		2001-02	900	555	38	4.50
		2002-03	626	314	50	2.20
		योग	**2986**	**2036**	**32**	**15.10**
					महायोग	**212.20**

परिशिष्ट XXXVI

(संदर्भः कण्डिका 3.1.7,(क) पृष्ठ 56)

शासकीय कृषि फार्मों के क्षेत्र एवं उत्पादन के विवरण

क्षेत्रफल- हेक्टेयर
उत्पादन-क्विंटल

जिले	फार्म का नाम	कुल क्षेत्र	कृषि क्षेत्र	मौसम	2000-2003 के दौरान उत्पादन		
					लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी का प्रतिशत
1. छिंदवाड़ा	डेलाखेरी	40.980	34.800	खरीफ	1002.92	437.45	56
				रबी	1582.50	592.90	63
				योग	**2585.42**	**1030.35**	**60**
2. धार	धार	38.035	30.225	खरीफ	1037.40	709.00	32
				रबी	444.00	194.35	56
				योग	**1481.40**	**903.35**	**39**
3. होशंगाबाद	कृषि विस्तार प्रशि.केन्द्र, पावरखेड़ा	5.000	5.000	खरीफ	267.00	194.23	27
				रबी	302.00	226.00	25
				योग	**569.00**	**420.23**	**26**
4. खरगोन	कृषि विस्तार प्रशि.केन्द्र, सतराठी	39.081	33.500	खरीफ	811.00	522.24	36
				रबी	238.00	88.74	63
				योग	**1049.00**	**610.98**	**42**

परिशिष्ट XXXVII

(संदर्भः कंडिका 3.1.7,(ग) पृष्ठ 57)

मिट्टी के नमूनों के संग्रहण एवं विश्लेषणों से संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

	प्रयोगशाला	वर्ष	लिये जाने वाले नमूनों की संख्या (लक्ष्य)	01.04.2000 को नमूनों का आरंभिक शेष	प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों की संख्या (उपलब्धियाँ)	कर्मी का प्रशिक्षण	परीक्षित नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला द्वारा निरस्त नमूनों की संख्या	2002-03 के अंत में नमूनों का अंतशेष
1	छिंदवाड़ा	2000-01	10500	3495	1089	90	2100	--	
		2001-02	15000		6192	59	8165	--	
		2002-03	15000		7477	50	7499	----	
		योग	**40500**	**3495**	**14758**	**64**	**17764**	**----**	**489**
2.	धार	2000-01	17000	निरंक	10248	40	8068	772	
		2001-02	15000		8739	42	9583	130	
		2002-03	15000		6638	56	7058	14	
		योग	**47000**	निरंक	**25625**	**45**	**24709**	**916**	निरंक
3.	होशंगाबाद	2000-01	13000	37	8603	34	8640	--	
		2001-02	15000		3460	77	3460	--	
		2002-03	--		--	--	--	--	
		योग	**28000**	**37**	**12063**	**57**	**12100**	**--**	निरंक
4	खरगोन	2000-01	7000	निरंक	4666	33	4631	35	
		2001-02	9000		5368	40	5368	--	
		2002-03	15000		7594	49	2432	25	
		योग	**31000**	**निरंक**	**17628**	**43**	**12431**	**60**	**5137**
5.	मुरैना	2000-01	12000	निरंक	8005	33	8005	-	
		2001-02	15000		7006	53	7006	--	
		2002-03	15000		7200	52	7200	--	
		योग	**42000**	**निरंक**	**22211**	**47**	**22211**	**--**	निरंक
6.	सीहोर	2000-01	11000	निरंक	6677	39	6677	--	
		2001-02	15000		8416	44	6430	--	
		2002-03	15000		4048	73	5047	--	
		योग	**41000**	**निरंक**	**19141**	**53**	**18154**	**--**	**987**

परिशिष्ट XXXVIII

(संदर्भः कण्डिका 3.1.7(घ), पृष्ठ 57)

प्रशिक्षण केन्द्रों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

जिला	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	वर्ष	लक्ष्य				उपलब्धियाँ				प्रशिक्षणार्थियों की कमी का प्रतिशत		वर्ष में नियत 273 कार्य दिवसों में से निष्क्रिय दिवस संख्या	व्यय (लाख रुपयों में)
			सत्रों की संख्या	सत्रों में प्रशिक्षण दिनों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		सत्रों की संख्या	सत्रों में प्रशिक्षण दिनों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		कर्मचारी अमला	कृषक		
					कर्मचारी अमला	कृषक			कर्मचारी	कृषक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. बैतूल	भू- संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र	2000-01	3	204	191	--	3	204	173	--	9	--	69	29.64
		2001-02	26	139	735	115	26	139	446	115	39	--	134	24.37
		2002-03	21	70	382	248	21	70	248	248	35	--	203	27.89
		योग	**50**	**413**	**1308**	**363**	**50**	**413**	**867**	**363**	**34**	**--**	**406**	**81.90**
2. ग्वालियर	(i)कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, आंतरी	2000-01	6	31	180	--	6	31	111	--	38	--	242	19.54
		2001-02	4	8	120	--	4	8	118	--	2	--	265	22.88
		2002-03	5	11	150	--	5	11	149	--	--	--	262	21.65
		योग	**15**	**50**	**450**	**--**	**15**	**50**	**378**	**--**	**16**	**--**	**769**	**64.07**
	(ii) भू-सर्वेक्षण प्रशिक्षण केन्द्र	2000-01	4	272	129	--	4	236	113	--	12	--	37	14.96
		2001-02	5	10	60	90	5	10	46	90	23	--	263	7.30
		2002-03	13	40	60	345	13	40	60	297	--	14	233	15.18
		योग	**22**	**322**	**249**	**435**	**22**	**286**	**219**	**387**	**12**	**11**	**533**	**37.44**
3. होशंगाबाद	(i) कृषक प्रशिक्षण केन्द्र पवारखेड़ा	2000-01	135	225	--	3375	138	168	--	2181	--	35	105	14.84
		2001-02	6	6	--	180	6	6	--	180	--	--	267	13.23
		2002-03	6	6	--	180	6	6	--	180	--	--	267	10.89
		योग	**147**	**237**	**--**	**3735**	**150**	**180**	**--**	**2541**	**--**	**32**	**639**	**38.96**
	(ii) कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र पवारखेड़ा	2000-01	4	213	150	30	4	213	121	5	19	83	60	34.11
		2001-02	36	95	570	510	30	80	402	182	29	64	193	32.30
		2002-03	43	120	750	535	43	120	487	311	35	42	153	28.88
		योग	**83**	**428**	**1470**	**1075**	**77**	**413**	**1010**	**498**	**31**	**54**	**406**	**95.29**

4. जबलपुर	कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र	2000-01	27	268	200	500	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	122	100	39	80	अनुपलब्ध	17.81
		2001-02	30	73	540	420	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	450	331	17	21	अनुपलब्ध	20.73
		2002-03	20	51	240	184	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	160	499	33	--	अनुपलब्ध	26.19
		योग	**77**	**392**	**980**	**1104**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**732**	**930**	**25**	**16**	**अनुपलब्ध**	**64.73**
5. खरगौन	कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र सतराती	2000-01	2	140	112	--	2	140	99	--	12	--	133	31.46
		2001-02	27	54	360	450	24	48	216	423	40	6	225	37.96
		2002-03	14	49	90	326	14	49	75	283	17	13	224	35.24
		योग	**43**	**243**	**562**	**776**	**40**	**237**	**390**	**706**	**31**	**9**	**582**	**104.66**
6. मुरैना	कृषक प्रशिक्षण केन्द्र	2000-01	61	73	--	1795	61	73	--	1742	--	3	200	11.64
		2001-02	27	43	--	870	27	43	--	870	--	--	230	11.44
		2002-03	25	38	120	690	25	38	90	690	25	--	235	8.00
		योग	**113**	**154**	**120**	**3355**	**113**	**154**	**90**	**3302**	**25**	**2**	**665**	**31.08**
		महायोग												**518.13**

परिशिष्ट XXXIX

(संदर्भः कंडिका 3.2.5 घ पृष्ठ 68)

ऐलोपैथी दवाई निर्माण इकाइयों के निरीक्षण में कमी

वर्ष	निर्माण इकाइयों की संख्या (एलोपैथी दवाइयां)	निरीक्षणों की संख्या जिसका किया जाना आवश्यक था	वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षणों की कमी	निरीक्षणों की कमी की प्रतिशतता
1998-99	567	1134	681	453	40
1999-2000	685	1370	786	584	43
2000-01	634	1268	537	731	58
2001-02	667	1334	459	875	66
2002-03	693	693	762	निरंक	निरंक

परिशिष्ट XL

(संदर्भः कंडिका 3.2.5 ट पृष्ठ 72)

जांच पड़ताल नहीं की गई जाली/नकली इत्यादि औषधियों के संबंध में समाचार मदें/अन्य प्रतिवेदन

स्रोत	शिकायत की प्रकृति	की गई कार्यवाही
फ्री प्रेस इंदौर अंक दिनांक 10-9-2001	एक ही बार उपयोग में आने वाली (डिसपोजेबल) सिरिंजों का पुनर्रूपण	समस्त जिला प्राधिकारियों में प्रसारित किया गया/जिलों से कोई संभरण नहीं
आयुक्त खाद्य औषधि प्रशासन गुजरात टेलिग्राम दिनांक जून 2000	संक्रमित आई.वी. सेटों का विक्रय	
ग्लेक्सो इंडिया मुंबई पत्र दिनांक 14-6-2001	मुन्नूलाल अस्पताल जबलपुर में फुटकर स्पेरियस केफटाझिडम इंजेक्शन यू.एस.पी. का फुटकर विक्रय	नियंत्रक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं
अधीक्षक महाराज यशवंतराव अस्पताल इंदौर दिनांक 6-4-2002	जे.के. सर्जिकल इंदौर द्वारा नकली जेमल्ट(मल्टी विटामिन) (पीडियाट्रिक्स)	
दैनिक भास्कर अंक दिनांक 3-4-2002, 23-12-2002, 14-2-2003 एवं 20-4-2003	जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में जाली सौंदर्य प्रसाधन, जाली औषधियां एवं आई.वी. फ्लूड्स	
आयुक्त खाद्य औषधि प्रशासन गुजरात टेलिग्राम दिनांक 11-9-2001	डूजोन लिमिटेड इंदौर की अवमानक गेंटामायसिन आंख/कान में डालने वाली बूंदे व समूह संख्या 1002	
दैनिक भास्कर अंक दिनांक 10-5-2003	पी.डी.पी.एल. द्वारा अवमानक औषधि का निर्माण	

परिशिष्ट XLI

(संदर्भ कंडिका 3.2.5.ड पृष्ठ 73)

अवमानक औषधियों की जानकारी के प्रसारण हेतु की गई अप्रभावकारी कार्यवाही दर्शानेवाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	अवमानक औषधियों के प्रकरण सूचित करने वाले राज्य	सूचना का दिनांक	औषधियों की वापसी हेतु सूचना जारी करने का दिनांक	विलंब (पूर्ण माह)	औषधि का नाम	औषधियों की समूह संख्या/अवसान का दिनांक	निर्माता का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	आंध्रप्रदेश	नवम्बर 1998	जनवरी 1999	2	फोर्टविन इंजेक्शन	23097/अप्रैल 2002	मेसर्स रेनबेक्सी देवास	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
2	महाराष्ट्र	फरवरी 2002	अप्रैल 2002	2	आइसोप्रोपिल रविंग अल्कोहल यू.एस.पी./पी.डी. स्प्रिट	पी.डी.एस.101 /फरवरी 2003	मेसर्स फार्मा एशिया ड्रग्स इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
3	गुजरात	मई 1999	अगस्त 1999	3	सल्फाडायमेडिन इंजेक्शन	9803/अगस्त 1999	मेसर्स मॉडर्न लेबोरेट्रीज इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
4	महाराष्ट्र	मई 2000	जुलाई 2000	2	डीकॉल	डी.सी. 823/मई 2000	मेसर्स ऑर्डील लेबोरेट्रीज इंदौर	अवसान दिनांक व्यतीत हो गया
5	महाराष्ट्र	दिसंबर 1999	मार्च 2000	2	एमोक्सीसायलीन फार ओरल सस्पेंशन	02/दिसंबर 1999	मेसर्स इण्डो लेबोरेट्रीज लिमिटेड इंदौर	समूह वास लिए जाने की पुष्टि नहीं
6	कर्नाटक	नवम्बर 1999	जनवरी 2001	13	फ्लोर्विट इंजेक्शन	9901/अगस्त 1999	मेसर्स बोरिल ड्रग्स लिमिटेड इंदौर	अवासन दिनांक व्यतीत हो गया
7	महाराष्ट्र	नवम्बर 1999	फरवरी 2000	2	सोनामिन गोलियां	502/मार्च 2001	मेसर्स फार्मा केमिकल इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
8	गोवा	फरवरी 2000	नवम्बर 2000	8	फेरोलिक एल गोलियां	8526/जनवरी 2001	मेसर्स प्योर फार्मा इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
9	कर्नाटक	फरवरी 2000	मई 2000	3	मेण्टामायसिन इंजेक्शन आइ पी	9907/फरवरी 2001	डूजोन लोबोरेट्रीज लिमिटेड इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
10	गुजरात	मार्च 2000	अप्रैल 2001	13	सल्फासेटाइड आयड्राप्स आइपी 20%	9903/अगस्त 2002	मेसर्स प्योर फार्मा इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
11	पंजाब	अप्रैल 2000	जुलाई 2001	14	एक्टामायनेफिन ओरल सस्पेंशन यू एस पी	98455/नवम्बर 2000	मेसर्स ब्राइट ड्रग इंडस्ट्रीज इंदौर	अवसान दिनांक व्यतीत हो गया
12	आंध्रप्रदेश	अप्रैल 2000	जुलाई 2000	2	एडिस हॉयपोडेर्मिक सिरिंज	29066एन/ फरवरी 2004	मेसर्स अल्वर्ट डेविड लिमिटेड रायसेन	भण्डार का विक्रय हो गया
13	हरयाणा	मई 2000	जुलाई 2000	2	डी कॉल आयड्राप्स	डी सी 93/ अक्टूबर 2000	मेसर्स ऑर्डील लेबोरेट्रीज इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
14	राजस्थान	जून 2000	अप्रैल 2001	10	अस्पताल स्पिरिट	एच एस 48/ जून 2000	मेसर्स पेराडाइज फार्मास्युटिकल्स इंदौर	अवसान दिनांक व्यतीत हो गया
15	केरल,	जून 2000	दिसंबर 2000	5	फेरॉस सल्फेट गोलियां आइ पी 200 मिलिग्राम	9906/मई 2002	मेसर्स प्योर फार्मा इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
16	कर्नाटक	जुलाई 2000	जनवरी 2001	5	डिक्लोवोरॉन इंजेक्शन	वी 29/नवमबर 2000	मेसर्स एल्प लेबोरेट्रीज इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
17	आंध्रप्रदेश	जुलाई 2000	दिसंबर 2000	4	सोडियम क्लोराइड तथा डेक्स्ट्रॉस इंजेक्शन आइ पी	बी 3858/जनवरी 2003	पेरेण्टल ड्रग्स इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
18	कर्नाटक	जुलाई 2000	दिसंबर 2001	4	रेटासिन(पेरासिटामोल सस्पेंशन) यूएसपी	814 डी/जुलाई 2001	मेसर्स रॉयल ड्रग्स इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
19	तामिलनाडु	जुलाई 2000	जनवरी 2001	5	मक्सीडॉल गोलियां	98384/सितंबर 2000	मेसर्स ब्राइट ड्रग्स इण्डस्ट्रीज इंदौर	अवसान दिनांक व्यतीत हो गया
20	महाराष्ट्र	सितंबर 2000	दिसंबर 2000	3	वेटोसा केपसूल	41027/सितंबर 2000	मेसर्स मेकिन लेबोरेट्रीज लिमिटेड धार	अवसान दिनांक व्यतीत हो गया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	तामिलनाडु	सितंबर 2000	जुलाई 2001	9	ब्रांकोसोल्विन सस्पेंशन	8012 टीईआर/ नवम्बर 2000	मेसर्स आइ पी सी ए लेबोरेट्रीज रतलाम	अवसान दिनांक व्यतीत हो गया
22	महाराष्ट्र	अक्टूबर 2000	जनवरी 2001	3	सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम यू एस पी	01/मई 2001	मेसर्स डू जॉन लेबोरेट्रीज इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
23	महाराष्ट्र	अक्टूबर 2000	जनवरी 2001	2	जेफेक्स गोलियां	864/जून 2001	मेसर्स जे के सर्जिकल्स इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
24	गुजरात	जनवरी 2001	अप्रैल 2002	15	सल्फा सिटामाइड आय ड्राप्स आई पी 20%	9909/ जनवरी 2003	मेसर्स प्योर फार्मा इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
25	महाराष्ट्र	फरवरी 2001	जून 2001	3	डायसिड एम पी एस चबाने की गोलियां	0001/मार्च 2012	मेसर्स डीपिन फार्मास्युटिकल्स इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
26	महाराष्ट्र	मार्च 2001	जून 2001	3	जेफेक्स गोलियां	863/मई 2001	मेसर्स जे के सर्जिकल्स इंदौर	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
27	देहली	मार्च 2001	जून 2001	2	डेक्स्ट्रॉस इंजेक्शन आइ पी 5%	ओ जी 5730/ फरवरी 2002	मेसर्स माउंट मेटुर फर्मास्युटिकल भोपाल	भण्डार का विक्रय हो गया
28	उड़ीसा	अप्रैल 2001	जून 2001	2	हायड्रोजिन पेरॉक्साइड	एन यू 05/ अप्रैल 2002	मेसर्स प्रिंस लेवोरेट्रीज उज्जैन	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
29	महाराष्ट्र	मई 2001	अगस्त 2001	3	आनंदोलेवसन गोलियां	सी टी 106/ नवम्बर 2001	मेसर्स सिपको फार्मास्युटिकल पिगडम्बर इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
30	महाराष्ट्र	जुलाई 2001	सितंबर 2001	2	डेल्टेटस-डी लिक्विड	पी 0021/ दिसंबर 2001	मेसर्स निकोलस पीरामल धार	भण्डार वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
31	महाराष्ट्र	सितंबर 2001	जनवरी 2002	3	ऐरोजेन गोलियां	22/सितंबर 2002	मेसर्स ऐरो फार्मा इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
32	कर्नाटक	नवम्बर 2001	अप्रैल 2002	4	फिसोलिक एस गोलियां	00117/अप्रैल 2003	मेसर्स प्योर फार्मा इंदौर	भण्डार वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं
33	आंध्रप्रदेश	फरवरी 2002	जून 2002	4	फिसोलिक-एल	00215/ मार्च 2003	मेसर्स प्योर फार्मा इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
34	गुजरात	फरवरी 2002	मई 2002	3	कुनैन डायहायड्रोक्लोराइड इंजेक्शन	0102/ अक्टूबर 2003	मेसर्स प्योर फार्मा इंदौर	भण्डार का विक्रय हो गया
35	गुजरात	जून 2002	अक्टूबर 2002	4	एन एस ओ 9% सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आइ पी	803/ अक्टूबर 2003	मेसर्स बेरिल ड्रग्स धार	समूह वापस लिए जाने की पुष्टि नहीं

परिशिष्ट XLII

(संदर्भः 3.3.4, पृष्ठ 81)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-I के अधीन निधियों के उपयोग की घटकवार स्थिति

(लाख रुपयों में)

वर्ष	कार्यक्रम प्रबंधन		स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र		निगरानी		यौन संबंध संप्रेषित रोग नियंत्रण तथा कण्डोम प्रोत्साहन		समयानुवर्ती संक्रमण के लिये औषधियाँ		प्रशिक्षण गतिविधियाँ		रक्त सुरक्षा		सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण		योग	
	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1998-99	48.00	20.15	10.92	निरंक	9.26	6.37	55.00	63.52	12.00	निरंक	209.48	7.46	157.40	65.10	145.00	14.20	647.06	176.80

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम - II के अधीन

(लाख रुपयों में)

वर्ष	एचआईवी/एड्स के विरुद्ध प्राथमिकता लक्षित हस्तक्षेप		सामान्य समुदाय के लिये निवारक हस्तक्षेप		मितव्ययी एड्स परिचर्या		संस्थागत सुदृढ़ीकरण		अंतर्क्षेत्रीय सहयोग		योग	
	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय	अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रावधान	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1999-2000	68.45	107.53	366.71	205.18	53.40	निरंक	219.06	141.52	7.00	1.20	714.62	455.43
2000-01	278.51	202.00	172.64	66.80	5.00	निरंक	68.85	91.79	5.00	0.90	530.00	361.49
2001-02	248.20	26.98	771.65	324.59	11.10	निरंक	192.08	119.55	14.80	निरंक	1237.83	471.12
2002-03	257.42	56.57	503.28	243.34	11.00	निरंक	221.16	153.63	10.00	निरंक	1002.86	453.54
योग	**852.58**	**393.08**	**1814.28**	**839.91**	**80.50**	**निरंक**	**701.15**	**506.49**	**36.80**	**2.10**	**3485.31**	**1741.58**

परिशिष्ट XLIII

(संदर्भः कण्डिका 3.3.4, पृष्ठ 81)

1998-2003 के दौरान मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी/अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सूचित और मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा संधारित लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार व्यय में अंतर

क्र. सं.	इकाई का नाम	इकाई का सूचित व्यय*	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की पुस्तिका के अनुसार व्यय*	अंतर
1.	मु.चि.एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी	31,63,532	28,75,656	2,87,876
2.	मु.चि.एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल	25,72,960	17,71,487	8,01,473
3.	मु.चि.एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिंदवाड़ा	32,27,719	21,66,319	10,61,400
4	मु.चि.एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धार	56,17,898	30,84,909	25,32,989
5.	मु.चि.एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर	14,57,891	8,26,161	6,31,730
6.	मु.चि.एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर	38,52,797	27,25,973	11,26,824
7.	मु.चि.एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना	32,15,032	23,47,302	8,67,730
8.	मु.चि.एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन	47,64,837	31,89,877	15,74,960
9	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	75,06,174	61,57,467	13,48,707
	योग	**3,53,78,840**	**2,51,45,151**	**1,02,33,689**

* **व्यय में वापसियां भी समाविष्ट हैं।**

परिशिष्ट XLIV

(संदर्भः कण्डिका 3.3.6(i)(क), पृष्ठ 83)

लक्षित हस्तक्षेपः उच्च जोखिम समूह के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र. सं.	समूह	वर्ष	लक्षित हस्तक्षेप				राशि			कार्यरत अशासकीय संगठन का नाम
			योजनागत	वास्तविक	समावेशित की जाने वाली जनसंख्या	वस्तुतः समावेशित	संवितरित	प्रयुक्त	बकाया शेष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)	वाणिज्यिक यौन कर्मी	1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03	-- -- अनुपलब्ध 14 14	-- -- 1 – 3	-- -- 500 -- 2,700	-- -- 410 चालू परियोजनाओं पर	-- -- 2,47,334 57,545 16,08,768	-- -- 1,89,789 57,545 अभी प्राप्त होना है	- 57,545 16,08,768-	1. बी आर अम्बेडकर समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति भोपाल (2000-03)
		योग	**28**	**4**	**3200**	**410**	**19,13,647**	**2,47,334**	**16,66,313**	
(ii)	ट्रक ड्रायवर	1998-99 1999-2000	--	--	--	--	--	--		2.मध्यप्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ, इंदौर (2002-03) 3. क्रियेटिव मीडिया परियोजना एवं
		2000-01 2001-02 2002-03	18	4	40,000	चालू परियोजनाओं पर	18,94,000	अभी प्राप्त होना है	18,94,000	प्रोत्साहन भोपाल (2002-03) 4. आदर्श समाज सेवा शिक्षा समिति ग्वालियर (2002-03) 5. ग्रामीण आदिवासी समाज शिक्षण संस्थान छिंदवाड़ा (2002-03)
		योग	**18**	**4**	**40,000**		**18,94,000**	**–**	**18,94,000**	
(iii)	औद्योगिक श्रमिक	1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03	-- अनुपलब्ध	-- 1	औद्योगिक क्षेत्र, गोबिन्दपुरा, भोपाल पूर्ववर्ती चालू परियोजनाएं	-- 4 गंदी बस्तियाँ	-- 1,34,873 4,45,311 2,00,340 1,50,688	-- 1,06,619 3,80,847 1,66,524 --	28,254 64,464 33,816 1,50,688	6.फेमिली प्लानिंग एसोसियेशन आफ इण्डिया भोपाल (1999-2003)
		योग	अनुपलब्ध	**1**			**9,31,212**	**6,53,990**	**2,77,222**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(iv)	गंदी बस्तियों में रहने वाला समुदाय	1998-99 1999-2000 2000-01	-- अनुपलब्ध	-- 1	-- 16,000	-- 5,129 चालू परियोजनाओं पर	-- 3,89,963 5,90,801	-- 1,89,124	-- 2,00,839 5,90,801	7.मालवांचल विकास परिषद भोपाल (1999-01)
		योग	**--**	**1**	**16,000**	**5,129**	**9,80,764**	**1,89,124**	**7,91,640**	
(v)	प्रवासी श्रमिक	1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02	-- अनुपलब्ध	-- 1	सी एल स्टेट का 1 ब्लाक (एस टी.डी. मोबाइल यूनिट) चालू परियोजनाएं	-- कटघरा विकासखण्ड	-- 85,334 84,033	-- 71,568 --	-- 13,766 84,033	8. श्रमिक शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, बिलासपुर (2000-02)
		योग	**--**	**1**			**1,69,367**	**71,568**	**97,799**	**छत्तीसगढ राज्य को अंतरित**
(vi)	प्रवासी श्रमिक एवं परिवहन कर्मी	1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02	-- -- अनुपलब्ध 11	-- -- 1 --	-- देवास औद्योगिक क्षेत्र चालू परियोजना	-- -- औद्योगिक क्षेत्र	-- -- 74,900 1,35,327	-- -- 56,903 1,24,221	-- -- 17,997 11,106	9. रेनबेवरी सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या, देवास (2000-02)
		योग	**11**	**1**			**2,10,227**	**1,81,124**	**29,103**	
(vii)	गलियों के बच्चे	1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02	-- -- अनुपलब्ध	-- --	-- -- 2000	-- -- 1,256	-- -- 2,16,666 22,544	-- -- 1,96,622 --	-- -- 20,044 22,544	10. आरम्भ भोपाल (2000-02)
		योग			**2000**	**12,56**	**2,39,210**	**1,96,622**	**42,588**	
	महायोग		**57**	**12**	**61,200**	**6,795**	**63,38,427**	**15,39,762**	**47,98,665**	

परिशिष्ट XLV

(संदर्भः कण्डिका 4.4.2(क), पृष्ठ 140)

मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के व्यक्तियों/संस्थाओं के पक्ष में जारी संस्वीकृतियाँ

स. क्र.	स्वीकृति का दिनांक	अनुग्राही का नाम	उद्देश्य	राशि (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अगस्त 1998	सुरेखा पनान्दीकर,अध्यक्ष वित्त समिति, आई.बी.बी.वाई कांग्रेस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	पुस्तक जारी करने हेतु	3.00 कम राशि वापस की गई 0.86 **2.14**
2.	सितम्बर 1998	मुख्य न्यासी श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान, अलगी (पुणे)	विश्रामगृह निर्माण हेतु	1.00
3.	मई 1999	सचिव, बहरामघाट विकास संस्थान, गणेशपुर (उ.प्र.)	स्वर्गीय रानी ऊषादेवी सिंह पुस्तकालय निर्माण हेत	0.50
4.	दिसम्बर 1999	अध्यक्ष, एन.व्ही.गाडगिल राष्ट्रीय समिति, मेरठ (उ.प्र.)	स्वर्गीय श्री गाडगिल के चयनित कार्यों को प्रकाशन जारी करने हेतु	0.25
5.	मई 2000	प्राचार्य, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षण केन्द्र, फैजाबाद (उ.प्र.)	फर्नीचर एवं खेल सामग्री के क्रय हेतु	0.50
6.	मई 2000	श्री मायाकेश अमरोहवी भारतीय सांस्कृतिक समिति, दिल्ली	आलमी उर्दू सम्मेलन हेतु	0.20
7	मई 2000	अनीस अहमद, मुसलिम महिला फोरम, नई दिल्ली	मुस्लिम महिला अधिकारों एवं स्थितियों पर अधिवेशन आयोजन करने हेतु	0.50
8	जुलाई 2000	अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षा विकास संघ (रा.शि.वि.संघ) बापू नगर मिर्जापुर (उ.प्र.)	पुस्तकालय भवन निर्माण	0.25
9	नवम्बर 2001	कु.उपमा अरोरा, लेडी श्रीराम महाविद्यालय नई दिल्ली	अर्न्तविद्यालयीन वाद-विवाद कप्तानी सिंगापुर में भाग लेने हेतु	0.50
10	दिसम्बर 2001	अध्यक्ष विवेकानंद चिकित्सा अनुसंधान न्यास, पालमपुर (हिमाचलप्रदेश)	चिकित्सालय स्थापना हेतु	5.00
11.	फरवरी 2002	श्रीमती हेमवंती पोर्ते अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, बिलासपुर (केन्द्र सरकार)	महाविद्यालय भवन निर्माण	5.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	फरवरी 2002	अध्यक्ष भारत उड़ान क्लब नई दिल्ली	हवाई उड़ान प्रशिक्षणार्थी उड़ान को खेल के रूप में विकसित करने हेतु प्रोत्साहन	5.00
13.	अप्रैल 2002	मिस.बी.एम.लीला कुमारी, गुन्टूर (आंध्रप्रदेश)	शोध कार्य हेतु	0.50
14.	जून 2002	श्रीमती शर्मिला टैगोर, नई दिल्ली	निर्माण कार्य हेतु	2.00
15.	अगस्त 2002	कल्पना रामदेके अहमदाबाद,गुजरात	उद्देश्य उल्लेखित नहीं	1.00
16.	अगस्त 2002	प्राचार्य हारमेन मैनर स्कूल नैनीताल	अनाथों की शिक्षा आदि हेतु	1.00
17	अक्टूबर 2002	प्रबंधक डी.पी.धर स्मृति न्यास, नगर (जम्मू कश्मीर)	स्कूल स्थापना हेतु	3.00
18	अक्टूबर 2002	सचिव सहमत संस्था नई दिल्ली	वार्षिक उत्सव हेतु	3.00
19	नवम्बर 2002	श्रीभालचन्द्र मुंगरेकर अध्यक्ष डां.अम्बेडकर सामाजिक एवं आर्थिक संस्थान मुम्बई	कार्यशाला आयोजित करने हेतु	2.00
20.	जनवरी 2003	मानसेवी सचिव चोपासनी शिक्षा समिति जोधपुर	छात्रों को छात्रवृत्ति अनुदान हेतु	2.00
21.	जनवरी 2003	प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर (राजस्थान)	छात्रों को छात्रवृत्ति अनुदान हेतु	1.00
22.	फरवरी 2003	डां.विष्णुचरण शर्मा, मानसेवी सचिव, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सेवा संस्थान पुरी (उड़ीसा)	चिकित्सालय निर्माण हेतु	10.00
		योग		**46.34**

परिशिष्ट XLVI

(संदर्भः कण्डिका 4.4.2(ख), पृष्ठ 140)

ऐसे प्रकरण जिनमें प्रत्येक प्रकरण में 2 लाख रुपये से अधिक स्वीकृति है

स.क्र	स्वीकृतियों का दिनांक	अनुदानग्रहीता का नाम	उद्देश्य	राशि (लाख रुपये में)
1.	जून 1998	भारतीय चिकित्सा संघ, इंदौर	वित्तीय सहायता	3.00
2.	अगस्त 1998	मां दंतेश्वरी उत्सव समिति बस्तर	माँ दंतेश्वरी के रथ के परिमार्जन हेतु	3.00
3.	मई 1999	निर्देशक प्रशासनिक अकादमी भोपाल	नरोन्हा फाउण्डेशन भोपाल को वित्तीय सहायता	3.00
4.	मई 2000	सचिव, सुंती हन्फी मस्जिद समिति, रायपुर	कब्रिस्तान की परकोटा दीवार निर्माण हेतु	2.40
5.	जून 2000	अध्यक्ष, महिला मध्यप्रदेश बलई समाज धर्मशाला निर्माण समिति उज्जैन	धर्मशाला निर्माण हेतु	2.50
6. क	सितम्बर 2002	मिस राजकुमारी डोडिया ग्राम हरसोल समिति महू इंदौर	राष्ट्रकुल खेलों में स्वर्ण एवं रजत पदक विजेताओं हेतु पुरस्कार	1.00
6. ख	नवम्बर 2002			4.00
7.	जनवरी 2003	अध्यक्षा, नरोन्हा फाउण्डेशन भोपाल	नरोन्हा फाउण्डेशन हेतु	10.00
8.	मार्च 2003	अध्यक्ष मध्यप्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ भोपाल	कार्यालय सह आश्रित गृह निर्माण हेतु	10.00
9.	मार्च 2003	प्रबंधक हिन्दु बाल सेवा सदन, खण्डवा	आश्रम तथा कर्मशाला का निर्माण	5.00
10.	मार्च 2003	अध्यक्ष भारतीय योग अनुसंधान परिषद, भोपाल	धर्मार्थ फिज्योथैरेपी चिकित्सालय हेतु	5.00
योग				**48.90**

परिशिष्ट XLVII

(संदर्भः कण्डिका 4.4.2(ग), पृष्ठ 140)

धार्मिक उद्देश्यों तथा/अथवा विशिष्ट जाति/समुदाय के लाभार्थ अनुदानों की संस्वीकृतियों से संबंधित प्रकरणों के विवरण

(राशि लाख रुपये में)

स. क्र.	वर्ष	जिस उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये													
		पूजा स्थलों के निर्माण अथवा मरम्मत आदि हेतु		धार्मिक गतिविधियों अथवा उत्सवों के आयोजन हेतु		जातिगत सामुदायिक सभाकक्ष निर्माण हेतु		जाति/सामुदायिक गतिविधियाँ आयोजित करने हेतु		मुक्तिधाम, कब्रिस्तान हेतु		धार्मिक शिक्षा हेतु		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1.	1998-99	328	88.04	18	2.92	207	96.90	6	2.25	41	9.00	33	10.71	633	209.820
2.	1999-2000	329	78.50	16	4.80	76	45.10	26	4.11	17	7.60	16	3.20	480	143.31
3.	2000-01	552	90.11	39	7.49	93	37.33	23	2.65	47	11.20	28	4.95	782	153.73
4.	2001-02	122	14.56	4	1.60	12	5.90	1	0.15	7	2.25	3	0.60	149	25.06
5.	2002-03	560	67.045	29	2.52606	172	87.66	23	6.445	34	12.00	29	7.31	847	182.98606
योग		**1891**	**338.255**	**106**	**19.33606**	**560**	**272.89**	**79**	**15.605**	**146**	**42.05**	**109**	**26.77**	**2891**	**714.90606**

परिशिष्ट XLVIII
(संदर्भः कण्डिका 4.4.6, पृष्ठ 146)

मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के विवरण

माह	कक्षा I से V में पंजीबद्ध छात्रों की संख्या	खाद्यान्न उपलब्ध कराये गये छात्रों की संख्या	वितरित की गई खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटलों में)	प्रतिमाह 3 किलो की दर से ग्राह्य खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटलों में)	अधिक मात्रा वितरित खाद्यान्न (क्विंटलों में)
8/2001	184571	64051	1965.96	1921.53	44.43
9/2001	184444	102209	3557.44	3066.27	491.17
10/2001	177806	81142	3820.67	2434.26	1386.41
11/2001	177862	111855	3721.61	3355.65	365.96
12/2001	177437	108812	4119.16	3264.36	854.80
01/2002	176773	141769	4739.55	4253.07	486.48
02/2002	176838	141483	5145.15	4244.49	900.66
03/2002	176995	76813	5053.24	2304.39	2748.85
योग	**1432726**	**828134**	**32122.78**	**24844.02**	**7278.76**

भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न (गेहूँ) का मूल्य दर 8.30 प्रति किलोग्राम

अस्तु अधिक भुगतान 7278.76X8.30=60.41 लाख

स्त्रोतः- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ के कार्यालय में संधारित मासिक प्रगति प्रतिवेदन

परिशिष्ट-XLIX

दोषी ठेकेदारों से वसूली योग्य अतिरिक्त लागत का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भः कंडिका 4.6.4 पृष्ठ 162)

(लाख रुपये में)

स.क्र.	मूल ठेकेदार का नाम, जिससे अतिरिक्त लागत वसूली योग्य है	अनुबंध क्रमांक	कार्य का नाम	संभाग का नाम	ठेके की राशि	प्राक्कलित लागत	किए गए कार्य का मूल्य	कार्य की शेष राशि	अन्य ठेकेदार को सौंपे गए कार्य की राशि	किए गए कार्य की राशि	मूल ठेकेदार से वसूली योग्य अतिरिक्त लागत	अग्रिमों की शेष राशि तथा सामग्री का लागत	विभाग के पास उपलब्ध राशि	तिथि जब मूल ठेकेदार से कार्य वापस लिया गया
1	श्री ओमप्रकाश मिश्रा	40/ डी.एल /89-90	बरियारपुर बाँयी मुख्य नहर के चैन 816 पर उर्मिल अक्वाडक्ट का निर्माण	बरियारपुर बाँयी नहर संभाग क्र.1 राजनगर	117.88 (49% अधिक)	79.01	32.29	85.59 पी.ए.सी.(ठेके की अनुमानित राशि) 64.40	187.08 (190.49%)	11.24	91.00(141.49%) - 2.16 समायोजित	6.24	3.15 समायोजित 2.16 शेष 0.99	15.11.95
2	श्री अमीरुद्दीन	16/डी.एल/90-91	मांगड़ा नाला टैंक पर आर.डी.115मी.में शूटफाल का निर्माण	बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर	47.90 (65.17%)	29.00	24.69	23.21 पी.ए.सी. 13.86	44.07 (217.97%)	32.09	21.18(152.8%) प्राप्त-2.59		-	4.10.97
	श्री आर.के. खुराना	9/डी.एल/88-89	अमानाला टैंक पर आर.डी.120मी.में शूटफाल का निर्माण	बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर	15.88 (22.84%)	12.93	1.92	13.96 पी.ए.सी.-11.36	18.62 (63.90%)	7.65	4.66 (41.06%)		-	7.3.90
								पी.ए.सी.-11.00	42.97 (290.557%)	52.86	24.93 (226.66%)			8.12.98
3	मेसर्स मिश्रा एण्ड एसोसिएट्स रीवा	6,7,8 एवं 9/88-89	1) बाँ.त.न.के आर.डी.700 से 1800 मी.में सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग 2) बाँ.त.न.के आर.डी.1800 से 3000 मी.में सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग 3) बाँ.त.न.के आर.डी.6565 से 8000 मी.में सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग 4) बाँ.त.न.के आर.डी.4000 से 5000 मी.में सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग	रानी अवंतीबाई सागर बाँ.त.न. संभाग क्र.II जबलपुर	139.10 (6.49%)	130.62	16.25	122.86 पी.ए.सी.-113.17	413.51 (365.38%)	179.28	290.65	14.90	-	26.12.90
4	बंका इंजिनियरिंग कंपनी	3/89-90	नर्मदा नदी पर उच्च स्तर पुल का निर्माण	लो.नि.वि. न.घा.वि.प्रा (इं.स.प.) संभाग II बड़वाहा	338.00 (12.66%)	300.02	185.55	पी.ए.सी. 152.45	484.99 (318.13%)	418.73	332.54	67.29	-	5.6.97

5	खूबचंद तनवरमल	7/91-92	इंदरगढ टैंक का निर्माण	गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर	102.90 (6.94 %)	96.22	37.56	135.43[7]	216.77 (60.06 %)	74.59	29.82	0.32	-	23.11.96
	यूनिवर्सल	67/96-97	इंदरगढ टैंक का निर्माण	गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर	216.77 (160.06%)	135.43	74.59	88.35	170.04 (92.45%)	174.31	31.76	21.31मशीनरी अग्रिम (-) 10.76 10.55 (+) 6.96 आरक्षित अग्रिम 17.51	-	14.05.99
											826.54 - 4.75 821.79	106.26	0.99	

[7] कुछ अविकलनीय मदें सम्मिलित हैं

परिशिष्ट L

(संदर्भः कण्डिका 4.6.6, पृष्ठ 165)

वर्ष 2002-03 के दौरान वैयक्तिक जमा लेखा के मिलान न किये गये आंकड़ों का विवरणपत्र

स.क्र.	इकाई	31.03.03 को कोषालय की राशि	31.03.03 को विभाग की राशि	31.03.03 को अंतर
1	भूमि अर्जन कार्यालय, ग्वालियर	8,37,25,175	7,32,02,384	1,05,22,791
2	भूमि अर्जन कार्यालय,राजघाट नहर परियोजना, दतिया	10,79,74,297	9,65,67,225	1,14,07,072
3	भूमि अर्जन कार्यालय, राजघाट नहर इकाई I/II दतिया	4,52,26,282	1,70,24,496	2,82,01,786
4	भूमि अर्जन कार्यालय छतरपुर	20,94,82,073	20,97,52,449	(-)2,70,376
5	भूमि अर्जन कार्यालय शिवपुरी	6,52,23,619	18,57,30,779	(-)12,05,07,160
6	निर्देशक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल	93,48,208	93,83,208	(-)35,000
7	जिला अल्प बचत अधिकारी भोपाल	9,52,126	3,64,493	5,87,633
8	निर्देशक पुनर्वास अध्ययन केन्द्र भोपाल	निरंक	5,00,00,000	(-)5,00,00,000
9	भूमि अर्जन कार्यालय सीहोर	1,13,12,415	1,26,26,521	(-)13,14,106
10	भूमि अर्जन कार्यालय राजगढ़	3,27,18,225	3,55,45,338.55	(-)28,27,113.55
11	भूमि अर्जन कार्यालय एवं आर.ओ.सरदार सरोवर परियोजना, खरगौन	10,05,71,247	7,30,05,648	2,75,65,599
12	भूमि अर्जन कार्यालय एवं आर.ओ.सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी	32,27,17,433	30,88,07,314	1,39,10,119
13	भूमि अर्जन कार्यालय एवं आर.ओ. मंजोबट परियोजना धार	18,89,54,895	11,59,92,612	7,29,62,283
14	भूमि अर्जन कार्यालय एवं आर.ओ.मिही परियोजना धार	13,44,34,919	13,41,48,911	2,86,008
15	भूमि अर्जन कार्यालय एवं आर.ओ.सरदार सरोवर परियोजना, अलीराजपुर	4,58,49,777	4,58,29,777	20,000
16	श्रम आयुक्त, इंदौर	1,32,07,902.25	1,30,78,876.25	1,29,026
17	जिला अध्यक्ष भूमि अर्जन कार्यालय उज्जैन	8,85,73,795.71	8,23,36,930.71	62,36,865
18	जिला अध्यक्ष शाजापुर	21,20,076	20,60,076	60,000
19	भूमि अर्जन कार्यालय कटनी	1,00,29,587	1,22,64,795	(-)22,35,208
20	भूमि अर्जन कार्यालय शहडोल	1,75,98,599	1,64,00,660.24	11,97,938.76
21	भूमि अर्जन कार्यालय जबलपुर	94,06,708.33	3,34,99,841	(-)2,40,93,132.67
22	भूमि अर्जन कार्यालय जबलपुर	1,28,37,830	1,17,77,801	10,60,029
23	उप संभागीय कार्यालय नरसिंहपुर	7,66,35,533	7,38,88,310	27,47,223
24	भूमि अर्जन कार्यालय सिवनी	2,19,31,697	2,01,92,456	17,39,241
25	भूमि अर्जन कार्यालय छिंदवाड़ा	2,24,94,477	2,23,09,370.38	1,85,106.62
26	भूमि अर्जन कार्यालय बालाघाट	3,70,03,446	4,48,92,670	(-)78,89,224
27	सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास जबलपुर	1,16,93,146	67,55,459	49,37,687
28	जिला अध्यक्ष आदिम जाति विकास बालाघाट	1,15,18,767	1,05,18,767	10,00,000
	योग	1,69,35,42,255.29	1,71,79,57,168.13	(-)2,44,14,912.84

वर्ष 2002-03 से संबंधित कोषालय तथा विभागीय आंकड़े के मध्य अंतर का विश्लेषण

कोषालय में आधिक्य (+)			कोषालय में कमी (-)	
क्र.सं.		**राशि**	**क्र.सं.**	**राशि**
1.		1,05,22,791	1.	2,70,376
2.		1,14,07,072	2.	12,05,07,160
3.		2,82,01,786	3.	35,000
4.		5,87,633	5.	13,14,106
5.		2,75,65,599	6.	28,27,113.55
6.		1,39,10,119	7.	22,35,208
7.		7,29,62,283	8.	2,40,93,132.67
8.		2,86,008	9.	78,89,224
9.		20,000		
10.		1,29,026		
11.		62,36,865		
12.		60,000		
13.		11,97,938.76		
14.		10,60,029		
15.		27,47,223		
16.		17,39,241		
17.		1,85,106.62		
18.		49,37,687		
19.		10,00,000		
महायोग		**18,47,56,407.38**	**महायोग**	**20,91,71,320.22**

(9) (-) 20,91,71,320.22

(19) (+) 18,47,56,407.38

निवल (-) 2,44,14,912.84

परिशिष्ट LI
(संदर्भः कण्डिका 5.2.5, पृष्ठ 172)
आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु लंबित इकाईयाँ दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र	इकाई का नाम	विगत आंतरिक लेखापरीक्षा की अवधि	अवधि जिसकी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई
1.	शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर	10/87 से 9/92	10 वर्ष से अधिक
2.	शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, उज्जैन	1/75 से 5/81	22 वर्ष से अधिक
3.	शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, रीवा	4/84 से 8/85	18 वर्ष से अधिक
4.	शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, सागर	11/81 से 11/88	14 वर्ष से अधिक
5.	शासकीय यांत्रिकी महाविद्यालय, भोपाल	11/86 से 4/89	5/89 से 8/2003 14 वर्ष से अधिक
6.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, अलीराजपुर	3/90 तक	4/90 से 8/2003 13 वर्ष से अधिक
7.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, बैतूल	8/2000 तक	9/2000 से 8/2003 3 वर्ष
8.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, पनगर	3/90 तक	4/90 से 8/2003 13 वर्ष से अधिक
9.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, होशंगाबाद	2/97 तक	3/97 से 8/2003 छः वर्ष से अधिक
10.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, सीहोर	1/2001 तक	2/2001 से 8/2003 2 वर्ष
11.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, व्योहारी	1/89 (इसके प्रारंभ से)	1/89 से 8/2003 14 वर्ष से अधिक
12.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, शुजालपुर	3/90 तक	4/90 से 8/2003 13 वर्ष से अधिक
13.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, कसराबाद	7/95 तक	8 वर्ष
14.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, रतनपुर	3/89 तक	14 वर्ष
15.	शासकीय पूर्व व्यावसायिक शिक्षण केन्द्र, रैपुरा	दिनांक ज्ञात नहीं(प्रारंभ से)	
16.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, भोपाल	2/89 से 3/98	5 वर्ष
17.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, सागर	5/87 से 1/91	12 वर्ष
18.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, बुरहानपुर	4/88 से 12/89	13 वर्ष
19.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, खरगौन	3/98 से 1/2000	3 वर्ष
20.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, जबलपुर	12/96 से 5/2000	3 वर्ष
21.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, इंदौर	11/96 से 4/99	4 वर्ष
22.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, ग्वालियर	3/95 से 12/98	4 वर्ष
23.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, होशंगाबाद	2/95 से 1/98	5 वर्ष
24.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, सीहोर	11/98 (प्रारंभ से)	13 वर्ष
25.	शासकीय महिला पॉलीटेक्नीक, छिंदवाड़ा	1/98 वसे 10/2000	3 वर्ष

स.क्र	इकाई का नाम	विगत आंतरिक लेखापरीक्षा की अवधि	अवधि जिसकी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई
26.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, बेढ़न	9/90 (प्रारंभ से)	13 वर्ष
27.	शासकीय पॉलीटेक्नीक,झाबुआ	3/96 तक	7 वर्ष
28.	शासकीय पॉलीटेक्नीक,मुरैना	5/94 से 8/98	5 वर्ष
29.	शासकीय पॉलीटेक्नीक,पचोर	7/87 से 8/89	14 वर्ष
30.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, मण्डला	3/94 से 8/97	6 वर्ष
31.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, सतना	9/85 से 2/89	14 वर्ष
32.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, बैतूल	2/93 से 4/2000	3 वर्ष
33.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, धार	3/2000 तक	3 वर्ष
34.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, टीकमगढ़	3/98 (प्रारंभ से)	5 वर्ष
35.	शासकीय पॉलीटेक्नीक,जावदा (नीमच)	2/2001 (प्रारंभ से)	2 वर्ष
36.	शासकीय पॉलीटेक्नीक,डबरा (ग्वालियर)	4/96 से 8/2000	3 वर्ष
37.	शासकीय पॉलीटेक्नीक,बालाघाट	1/84 (प्रारंभ से)	19 वर्ष
38.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, खुरई	1/92 से 8/94	9 वर्ष
39.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, दमोह	1/97 (प्रारंभ से)	9 वर्ष
40.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, सिवनी	1/84 (प्रारंभ से)	19 वर्ष
41.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, अशोक नगर	4/2000 से 11/2002	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया
42.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, हरदा	4/98 से 1/2001	2 वर्ष
43.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, सनाबद	1/97 (प्रारंभ से)	1/97 से 8/2003
44.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, जबलपुर	4/94 से 11/96	7 वर्ष
45.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, भोपाल	10/80 से 10/90	13 वर्ष
46.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, जौरा	4/81 से 3/84	19 वर्ष
47.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, उज्जैन	1/78 से 10/87	16 वर्ष
48.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, खण्डवा	10/96 से 5/98	5 वर्ष
49.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, नौगाँव	7/81 से 6/84	19 वर्ष
50.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, शहडोल	1/98 से 12/2000	2 वर्ष
51.	शासकीय पॉलीटेक्नीक,खिरसोदोह (छिंदवाड़ा)	7/79 से 3/82	21 वर्ष
52.	शासकीय पॉलीटेक्नीक, ग्वालियर	10/76 से 9/79	24 वर्ष

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल—2004.